अष्टम माला, खंड 8, अंक 12

बुधवार, 7 अगस्त, 1985
16 श्रावण, 1907 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र
(आठवीं लोक सभा)

(खंड 8 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी । उसका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा]

विषय-सूची

अष्टम माला, खण्ड 8, तीसरा सत्र, 1985/1907 (शक)

अंक 12, बुधवार, 7 अगस्त, 1985/16 श्रावण, 1907 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	1—26
*तारांकित प्रश्न संख्या : 223, 227, से 230, 232, 234 235, 238 और 239	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	27—219
तारांकित प्रश्न संख्या : 231, 233, 236, 237 और 240 से 2:2	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 2296 से 2300, 2302 से 2341, 2343 से 2436 और 2438 से 2504	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	219—220
राज्य-सभा से संदेश	220
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय विधेयक, 1985	221
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	221
तीसरा प्रतिवेदन	

* किसी नाम पर अंकित † चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

पृष्ठ

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण ... ... 221—245

देश में हेरोइन तथा अन्य स्वापक औषधियों की तस्करी में वृद्धि होने तथा उसके हमारे समाज, विशेषकर युवा पीढ़ी, पर कुप्रभाव पड़ने के समाचार—

श्री मूल चन्द डागा 221
श्री जनार्दन पुजारी 222
श्री अमिताभ बच्चन 233
श्री धर्मपाल सिंह मलिक 238
श्री गौरी शंकर राजहंस 241

लोक सभा तथा विधान सभाओं के लिए चुनावों के दौरान मारे गये व्यक्तियों के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 216 के दिनांक 27 मार्च, 1985 को दिये गए उत्तर में शुद्धि करने और इस शुद्धि में विलम्ब के कारणों के बारे में वक्तव्य 245—246

नियम 377 के अधीन मामले : ... ... 246—251

(एक) बिजली की टूटी हुई चालू तारों का पता लगाने और विद्युतमारण की घटनाओं को रोकने के लिए लैम्प पोस्टों और भूमिगत तारों की नियमित जांच करने की आवश्यकता

श्रीमती किशोरी सिंह 246

(दो) आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने हेतु तेलुगु-गंगा जल परियोजना के क्रियान्वयन में केन्द्रीय सरकार द्वारा हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी 246

(तीन) उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले की मलीहाबाद तहसील में एक मंडी स्थापित करने और वहां से आमों का निर्यात करने के लिए समुचित व्यवस्था करने की आवश्यकता

श्री जगन्नाथ प्रसाद 247

(चार) प्राकृतिक आपदाओं से हुई हानि के लिए केरल जैसे राज्यों को मुआवजा देने के मानदण्डों में संशोधन करने की आवश्यकता

डा० के० जी० आदियोडी 247

(पांच) बम्बई नगर के विकास के लिए महाराष्ट्र सरकार को केन्द्रीय सहायता देने की आवश्यकता

प्रो० रामकृष्ण मोरे 248

(छः) तन्जोर में खड़ी फसलों को बचाने के लिए कर्नाटक से तमिलनाडु को कावेरी नदी का 10 टी० एम० सी० पानी दिलाने और अनिर्णीत पड़े कावेरी जल विवाद को हल करने की आवश्यकता

श्री पी० कुलनदई वेलू 249

(सात) अमरावती और बड़नेरा नगरों के बाहर से जाने वाले मार्ग के निर्माण कार्य को तेजी से पूरा करने के लिए मंजूरी देने की आवश्यकता

श्रीमती ऊषा चौधरी 249

(आठ) महाराष्ट्र में गढ़चिरोली में रेयन धागा उद्योग अथवा इस्पात उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता

श्री विलास मुत्तेमवार 250

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य)—1985-86 ... ... 251—263

श्री जनार्दन पुजारी 251

विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक पुरःस्थापित ... ... 263—265

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री जनार्दन पुजारी 263

खण्ड 2, 3, और 1

पारित करने के लिए प्रस्ताव

श्री जनार्दन पुजारी 264

आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन अध्यादेश, 1985 (1985 का अध्यादेश संख्या 4) के बारे में सांविधिक संकल्प

और

आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक 265—316

श्री सी० जंगा रेड्डी 265

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री एस० बी० चव्हाण 268

पृष्ठ

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव 270
श्री राज कुमार राय 273
श्री शांति धारीवाल 275
श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर 276
प्रो० एन० जी० रंगा 277
श्री पी० नागय्याल 279
श्रीमती गीता मुखर्जी 285
श्री हरीश रावत 287
कुमारी ममता बनर्जी 288
श्री अब्दुल रशीद काबुली 291
श्री ई० अय्यप्पू रेड्डी 305

आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक ... 315

खण्ड 2, 3 और 1
पारित करने के लिए प्रस्ताव
श्री एस० बी० चव्हाण 315

बालक नियोजन (संशोधन) विधेयक 316

विचार करने के लिए प्रस्ताव
श्री टी० अंजैया 316
डा० वी० वेंकटेश 317
श्री सोमनाथ रथ (भाषण असमाप्त) 319

कार्य मंत्रणा समिति 321
10वां प्रतिवेदन

लोक सभा

बुधवार, 7 अगस्त, 1985/16 श्रावण, 1907 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

———

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

लेह तक इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानें

*223. श्री पी० नामग्याल : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जोजीला में बर्फ के कारण सड़क बन्द रहने से लद्दाख क्षेत्र वर्ष में छः महीने तक देश के शेष भाग से कटा रहता है;

(ख) क्या लद्दाख क्षेत्र की जनता लेह तक इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानों की बारम्बारता को बढ़ाने और चन्डीगढ़-लेह और श्रीनगर-लेह दोनों मार्गों पर एक उड़ान और बढ़ाने की मांग कर रही है जिससे ये दैनिक उड़ान बन जाये; और

(ग) यदि हां, तो क्या निकट भविष्य में उक्त मार्ग पर इण्डियन एयरलाइन्स की उड़ानों की बारम्बारता को बढ़ाने का सरकार का विचार है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मन्त्री के संसदीय सचिव (श्री अहमद एम० पटेल) : (क) बर्फ के कारण जोजीला में सड़कों के बन्द हो जाने से लद्दाख क्षेत्र का लगभग छः महीने तक देश के अन्य भागों से सम्पर्क टूटा रहता है।

(ख) जी, हां।

(ग) आंकड़ों से पता चलता है कि इस समय उपलब्ध क्षमता वर्तमान यातायात मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त है।

श्री पी० नामग्याल : महोदय, मैं मन्त्री जी के इस उत्तर से सहमत नहीं हूं कि इस समय जो क्षमता है वह पर्याप्त है। यह बात सही नहीं है। लोगों को चण्डीगढ़-लेह और श्रीनगर-लेह मार्ग तथा

लेह-चण्डीगढ़ और लेह श्रीनगर मार्ग पर सीट नहीं मिलती है। इस वर्ष अधिकांश समय तक लेह-श्रीनगर सड़क भूस्खलन और भारी वर्षा के कारण बन्द रही, और इसलिए इस वजह से अनेक विदेशी पर्यटकों और स्थानीय लोगों को परेशानी उठानी पड़ी, क्योंकि उन्हें इन वायुयानों में सीट नहीं मिली। इस दृष्टि से, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि चण्डीगढ़-लेह और श्रीनगर-लेह के बीच एक-एक अतिरिक्त सेवा की आवश्यकता है। मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस सेवा को दैनिक सेवा बनाया जाये। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या यह कार्य निकट भविष्य में किया जायेगा।

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव): महोदय, माननीय सदस्य चाहे सहमत हों या न हों, लेकिन वास्तविकता यह है कि लेह पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है और इसलिए, एक चीज होती है जिसे कहते हैं 'पे-लोड पेनल्टी'। हालांकि बोइंग की क्षमता 126 है, परन्तु इसमें केवल 100 आदमी जाते हैं और आंकड़ों से पता चलता है कि इतने व्यक्ति ले जाना पर्याप्त है। जहां तक चण्डीगढ़-लेह और श्रीनगर लेह के बीच दैनिक सेवा का प्रश्न है, यदि अवसर आया तो हम निश्चय ही ऐसा करेंगे।

प्रधान मन्त्री (श्री राजीव गांधी) : महोदय, एक बात यह भी है कि लेह जाने वाले यात्रियों की संख्या बहुत कम है। दिल्ली से लेह तक औसत 'पे-लोड' 28 यात्री, चण्डीगढ़ से लेह तक 38.46 यात्री, लेह से चण्डीगढ़ तक 51.74 यात्री, लेह से दिल्ली तक 17.5 यात्री, श्रीनगर से लेह तक 79.8 और लेह से श्रीनगर तक औसत 'पे-लोड 85 यात्री है। सर्वाधिक गर्मी के महीनों में भी बोइंग में 100 से कुछ अधिक यात्रियों ने यात्रा की। अतः, इसमें पर्याप्त मात्रा में आरक्षित क्षमता उपलब्ध है।

श्री पी० नामग्याल : लेकिन, प्रायः लोगों को सीट नहीं मिलती। यही समस्या है। विमानों में किसी को सीट नहीं मिलती। वहां के लोगों की यही समस्या है। मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है। लेह और श्रीनगर तथा लेह और चण्डीगढ़ के बीच जुलाई, 1985 के महीने में कितनी उड़ानें रद्द की गयीं। इन विमानों के न चलने के क्या कारण हैं। आमतौर पर, जब कोई उड़ान रद्द की जाती है तो दूसरे दिन उसके स्थान पर अन्य उड़ान की व्यवस्था की जाती है। परन्तु, इस मार्ग पर ऐसा कभी नहीं किया गया। मैं यह जानना चाहूंगा कि जब किसी दिन कोई उड़ान रद्द की जाती है तो उसके बदले दूसरी उड़ान की व्यवस्था क्यों नहीं की जाती।

श्री के० पी० सिंह देव : जुलाई, 1985 के महीने में छः उड़ानें रद्द की गयीं। चार बार तो मौसम खराब होने की वजह से उड़ानें रद्द की गयीं और दो बार श्रीनगर में कर्फ्यू लगा होने के कारण उड़ानें रद्द की गयीं।

प्रो० एन० जी० रंगा : उसके बदले दूसरी उड़ान की व्यवस्था क्यों नहीं की गयी।

श्री के० पी० सिंह देव : जब मौसम ठीक रहा तो बदले में उड़ानें भेजी गयीं। जब मौसम ठीक नहीं था और जब कर्फ्यू लगा था तो कुछ नहीं किया जा सका।

श्री पी० नामग्याल : आप चण्डीगढ़ के रास्ते उड़ान भेज सकते थे। परन्तु ऐसा कभी नहीं किया गया। इसके अलावा, इस विमान में यात्रियों को वे सभी सुविधाएं प्रदान नहीं की जातीं जो अन्य विमानों में आमतौर पर यात्रियों को दी जाती हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या माननीय मन्त्री

इसकी जांच करायेंगे तथा सामान्य उड़ान रद्द किए जाने पर एवजी उड़ान की व्यवस्था करवायेंगे।

श्री के० पी० सिंह देव : जहां सम्भव होता है एक या दो दिन के बाद एवजी उड़ान भेजी जाती है।

प्रो० एन० जी० रंगा : क्या हम कुछ और पैसा खर्च करके इन दूर-दराज के लोगों को सुविधाएं प्रदान नहीं कर सकते।

श्री राजीव गांधी : हमने पहले ही इन्हें बताया है कि जब भी सम्भव होगा, एक और उड़ान शुरू की जाएगी। मैंने ये भी निर्देश दिए हैं कि जब कभी भी सड़क बन्द हो और यात्री अधिक हों तो अतिरिक्त विमान चलाना चाहिए और भीड़ कम करनी चाहिए।

श्री अरविन्द नेताम : चण्डीगढ़-लेह के रास्ते एक सप्ताह में दो उड़ानें हैं। यदि यह उड़ान सोमवार या बृहस्पतिवार को रद्द कर दी जाती है तो यात्रियों को 3-4 दिन प्रतीक्षा करनी होती है और फिर भी उन्हें चण्डीगढ़ से होकर गुजरने वाली उड़ान में स्थान नहीं दिया जाता। क्या सरकार इस कठिनाई को दूर करने पर विचार करेगी ?

श्री के० पी० सिंह देव : निश्चय ही हम इस पर विचार करेंगे।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन का विकास

*227. **श्री सत्यगोपाल मिश्र :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन के विकास हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

प्रधान मन्त्री के संसदीय सचिव (श्री अहमद एम० पटेल) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए पर्यटकों की सहूलियत के लिए आधार-संरचनात्मक सुविधाओं जिनमें जल-क्रीड़ाओं और ट्रेकिंग की शुरूआत शामिल है, की व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। इस संदर्भ में विभाग ने उत्तर-पूर्वी राज्यों से केन्द्रीय सेक्टर में प्रारम्भ करने के लिए स्कीमों की मांग की है और इन पर संसाधनों की उपलब्धता तथा परस्पर-प्राथमिकताओं को देखते हुए विचार किया जायेगा। इन राज्यों में आने वाले विदेशी और स्वदेशी पर्यटकों के प्रवेश और आवागमन पर इस समय जो प्रतिबन्ध लगे हैं उन्हें पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए उदार बनाने के सवाल पर भी पुनर्विचार किया जा रहा है। विभाग ने वायुदूत, आई० टी० डी० सी० और राज्य पर्यटन विकास निगमों से अनुरोध किया है कि वे उत्तर-पूर्वी राज्यों और देश के शेष भागों के बीच एकमुश्त दौरों का आयोजन और संवर्धन करें।

श्री सत्यगोपाल मिश्र : महोदय, हमारे देश का पूर्वोत्तर क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है।

किन्तु यह क्षेत्र अधिक पर्यटकों को आकृष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि पर्यटकों के लिए अपेक्षित पर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधाएं वहां उपलब्ध नहीं हैं। प्रचार की भी कमी है। दूसरी ओर इस क्षेत्र में पर्यटन के विकास की भारी सम्भावनाएं हैं। इस संदर्भ में क्या मैं माननीय मन्त्री जी से यह जान सकता हूं कि क्या उनके मंत्रालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न भागों में रेल लाइनें, पक्की सड़कें आदि बनाने के मामले में संबंधित मंत्रालयों से और पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाओं का अधिक प्रचार करने के मामले में सूचना और प्रसारण मन्त्रालय से बात चलाई है? इस संबंध में उनके मन्त्रालय ने अन्य मन्त्रालयों के समक्ष कौन-कौन से ठोस प्रस्ताव रखे हैं?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : महोदय, रेलवे के अलावा, जो इस प्रश्न के अन्तर्गत नहीं आता, पूर्वोत्तर क्षेत्र में, पूर्वोत्तर राज्यों अर्थात् सातों राज्यों के परामर्श से, अनेक योजनाएं शुरू की गयी हैं और अवसंरचनात्मक विकास का कार्य-केन्द्र, राज्यों और निजी क्षेत्र के सम्मिलित संसाधनों से किया जाना है तथा यात्रा सर्किटों को, जिनका पूर्वोत्तर क्षेत्र में पता लगा लिया गया है, प्राथमिकता दी गयी है। बहुत सी बातें हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको सारी बातें बताऊं? ···(**व्यवधान**)

अगर आप अनुमति दें तो मैं आपको मुख्य-मुख्य बातें बताऊंगा।

पहली प्रमुख बात है चुनिन्दा पर्यटक स्थलों का केन्द्रित और समेकित विकास करना और छठी योजना की परियोजनाओं को पूरा करना। इसके बाद, विभिन्न अनुमोदित योजनाएं हैं, जो धनराशि की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेंगी।

छठी योजना अवधि के दौरान अनेक अनुमोदित योजनाएं हैं। ये योजनाएं हैं 7.32 लाख रुपये की लागत से काजीरंगा वन आवास (असम), 3.29 लाख रुपये की लागत से इटांकी (नागालैंड) में वन्य जीव अभयारण्य के लिए एक छोटी बस; 2.30 लाख रुपये की लागत से मेघालय में नोंगपोह में सुविधाएं, ब्रह्मपुत्र नदी (असम) के लिए 13 लाख रुपये की लागत से तैरता हुआ पोत तथा मणिपुर में 1.18 लाख रुपये की लागत से काइबुल लैंबजाओ पार्क को यात्रा सुविधाएं!

इसके बाद, कुल 2 करोड रुपये की लागत से गुवाहाटी, इम्फाल, शिलौंग, अगरतला, आइजल, दीनापुर तथा ईटानगर में युवा होस्टल हैं। इसके पश्चात्, केन्द्रीय सहायता से विभिन्न पर्यटन योजनाएं हैं, जिन्हें सातवीं योजना में शामिल किया जा रहा है। मेघालय में 81 लाख रुपये की कुल लागत से उमिक्षम लेक में जलक्रीड़ा सुविधाओं के लिए एक परियोजना है। 17.66 लाख रुपये की लागत से कोहिमा नागालैंड में सांस्कृतिक केन्द्र के निर्माण का प्रस्ताव है। इसके बाद, 18.5 लाख रुपये की अनुमानित लागत से मोइरंग में आई० एन० ए० स्मारक कम्पलैक्स में एक अतिथि गृह, मिजोरम में 7.04 लाख रुपये की अनुमानित लागत से थिंगडाल में मार्ग सुविधा, 6.50 लाख रुपये की अनुमानित लागत से चेरापूंजी में रेस्तरां एवं विश्राम गृह के निर्माण जैसी परियोजनाएं हैं···

(**व्यवधान**)।

अध्यक्ष महोदय, : आप इसे सभा पटल पर रख सकते हैं।

श्री सत्यगोपाल मिश्र : हालांकि माननीय मन्त्री जी ने एक लम्बी सूची दी है, उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। इन्होंने विवरण में बताया है कि पर्यटकों की सुविधा के लिए सातवीं योजना अवधि के दौरान अवसंरचनात्मक सुविधाओं की व्यवस्था किये जाने का अनुमान है। अब, यह कह रहे हैं कि यह बात प्रश्न के विचार क्षेत्र से बाहर है।

श्री के० पी० सिंह देव : रेलवे इस मन्त्रालय के विचार क्षेत्र से बाहर है।

श्री सत्यगोपाल मिश्र : आपको रेल मन्त्रालय को लिखना चाहिए। इस समय पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में विदेशी और स्वदेशी पर्यटकों के प्रवेश और घूमने-फिरने पर कुछ प्रतिबन्ध लागू हैं। लेकिन इसके साथ-साथ, लेह, बद्रीनाथ, कारगिल आदि जैसे कुछ अन्य स्थल, जो पर्यटकों के लिये अधिक सुगम हैं, इन प्रतिबन्धों के अन्तर्गत नहीं आते। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये प्रतिबन्ध पूर्वोत्तर क्षेत्र में ही क्यों हैं ? माननीय मन्त्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि इन प्रतिबन्धों में छूट देने का प्रश्न विचाराधीन है। हम चाहते हैं कि ये प्रतिबन्ध पूर्णतः हटा लिए जायें। इस सुझाव के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और ये प्रतिबन्ध कब हटाए जायेंगे।

श्री के० पी० सिंह देव : पर्यटकों की कुल संख्या की तुलना में इन क्षेत्रों में विदेशी पर्यटकों का प्रतिशत इस प्रकार है: असम—0.39 प्रतिशत; नागालैंड—0.02 प्रतिशत, मेघालय—0.02 प्रतिशत, मणिपुर—0.01 प्रतिशत तथा त्रिपुरा 0.04 प्रतिशत।

गृह मन्त्रालय तथा अन्य मन्त्रालयों के परामर्श से इन क्षेत्रों में लगे प्रतिबन्धों में छूट दिये जाने का प्रश्न पुनरीक्षाधीन है और इस बारे में हम कोई न कोई निर्णय लेंगे।

श्री जी० जी० स्वैल : पर्यटन उद्योग के विकास के लिए इस क्षेत्र में प्रस्तावित अनेक कार्यों के बारे में मन्त्री महोदय ने बताया है। इस क्षेत्र में पर्यटन के विकास के मार्ग में विदेशी पर्यटकों और यहां तक कि ऐसे भारतीयों, जो देश के नहीं हैं, के प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगने के अलावा एक बाधा यह भी है कि वहां पर्याप्त होटलों और आवास गृहों की कमी है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में होटलों और आवास गृहों के निर्माण के लिए सरकार के पास कोई विशेष निधि है। यदि हां तो इस निधि मे कितनी रकम है।

श्री के० पी० सिंह देव : भारत पर्यटन विकास निगम राज्यों के परामर्श से और अपनी ओर से भी यह कार्य करता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, जिसमें माननीय सदस्य का राज्य भी शामिल है, के लिए इसके कुछ कार्यक्रम हैं जहां अन्य एजेंसियों के सहयोग से निगम ने सातवीं योजना के लिए परियोजनाएं शुरू की हैं। परन्तु यह पारस्परिक प्राथमिकता और धन राशि की स्थिति पर निर्भर करेगा। इसके लिए धन राशि की बिल्कुल सही स्थिति मेरे पास नहीं है, परन्तु इसके बारे में मैं बाद में बता सकता हूं।

श्री आनन्द पाठक : महोदय, हाल ही में मेरा एक मित्र विदेशी पर्यटकों पर लगे इन प्रतिबन्धों के बारे में पूछ रहा था। जैसा कि आप जानते हैं, दार्जिलिंग विश्व के अति सुन्दर स्थानों में से एक है और विदेशी तथा स्वदेशी पर्यटक यहां के प्राकृतिक सौंदर्य, अनुकूल जलवायु और स्वास्थ्य लाभ के

लिए वहां जाना और ठहरना चाहते हैं। लेकिन, इन प्रतिबन्धों के कारण-विदेशी पर्यटक वहां ज्यादा दिन तक नहीं ठहर सकते। हाल ही में समाचार-पत्रों में छपी खबरों से पता चला है कि यहां तक कि सिक्किम में भी ये प्रतिबन्ध हटा लिए गए हैं। परन्तु, दार्जिलिंग में और उत्तरी बंगाल के अन्य भागों में ये प्रतिबन्ध क्यों नहीं हटाये जा रहे ! मैं माननीय मन्त्री जी से इसका स्पष्ट उत्तर चाहूंगा।

श्री के० पी० सिंह देव : मुख्य प्रश्न पूर्वोत्तर क्षेत्र के बारे में था। पश्चिम बंगाल पूर्वोत्तर क्षेत्र में नहीं है। अगर मुझे इसकी सूचना दी जाएगी तो मैं पता लगाऊंगा।

दमदम हवाई अड्डे पर एयर इंडिया के मालवाहक विमान की दुर्घटना

*228. **श्री अजित कुमार साहा** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 4 जुलाई, 1985 को दमदम हवाई अड्डे पर उतरते समय एयर इंडिया का एक माल वाहक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था ;

(ख) क्या उपर्युक्त विमान 50 घंटे से अधिक समय तक मुख्य धावन पथ पर रहा; जिसके परिणामस्वरूप दमदम हवाई अड्डे से आने-जाने वाला समस्त विमान यातायात अस्त-व्यस्त हो गया;

(ग) यदि हां, तो धावन पथ को साफ करने में इतना अधिक विलम्ब क्यों हुआ ?

प्रधान मन्त्री के संसदीय सचिव (श्री अहमद एम० पटेल) : (क) एयर इंडिया को वेट लीज चार्टर पर दिया हुआ एक विदेशी पंजीकृत मालवाही डी सी-8 विमान 4 जुलाई, 1985 को दमदम विमान क्षेत्र पर उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया था।

(ख) यद्यपि क्षतिग्रस्त विमान कलकत्ता विमान क्षेत्र के मुख्य धावनपथ पर 50 घंटों से अधिक समय तक रुका रहा, फिर भी विमान प्रचालनों के लिए गौण धावनपथ अगले दिन ही उपलब्ध करा दिया गया।

(ग) सम्बन्धित विमान डी सी-8 एयर इंडिया ने विदेशी कम्पनी से वेट पट्टे पर लिया हुआ था। इसलिए इस प्रकार के विमान के अतिरिक्त पुर्जे तथा कलपुर्जे घटक हमारी एयर लाइन के स्टाक में उपलब्ध नहीं थे। देरी का कारण यह था कि आवश्यक अतिरिक्त पुर्जे और घटक स्थानीय रूप से तैयार कराने पड़े थे।

श्री अजित कुमार साहा : क्या मैं माननीय मन्त्री जी से यह जान सकता हूं, कि किसी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की मुख्य इकाई पट्टी को 50 से भी अधिक घंटों तक बन्द रखना सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है ? यदि हां, तो इन डी सी-8 वायुयानों को लेते समय अतिरिक्त कल पुर्जे की व्यवस्था क्यों नहीं की गई ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : दूसरी हवाई पट्टी तत्काल दूसरे दिन उपलब्ध करा दी गई थी। हम इस वायुयान को नहीं चलाते, लेकिन इसका आकस्मिक इस्तेमाल

करना पड़ा और इसलिए 'वेट लीज' भी किया गया था। विश्व में हर एक वायुयान के अतिरिक्त कल पुर्जे रखना सम्भव नहीं है। ऐसा करना अलाभकर होगा।

श्री अजित कुमार साहा : नागर विमानन के महानिदेशक द्वारा कलकत्ता हवाई अड्डे पर जिस जांच के आदेश दिए गए थे, क्या मैं उसका परिणाम जान सकता हूं?

श्री के० पी० सिंह देव : जब जांच पूरी हो जायेगी तो हमें परिणाम के बारे में पता चलेगा।

[हिन्दी]

"इन्सैट-बी"

*2'9. **श्री एम० एल० झिकराम :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्सैट-बी किस वर्ष तक कार्य करता रहेगा;

(ख) इन्सैट-बी के स्थान की पूर्ति के लिये कौन सा उपग्रह विकसित किया जा रहा है;

(ग) क्या इन्सैट-बी की कार्य क्षमता दिन प्रति दिन कम होती जा रही है;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ङ) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश इन्सैट-बी के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आता है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या इन्सैट-बी में ऐसा सुधार संभव है जिससे मध्य प्रदेश को भी इसके कार्य क्षेत्र में शामिल किया जा सके; और

(छ) यदि हां, तो यह सुधार कब तक किये जाने की संभावना है?

[अनुवाद]

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में एवं महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा अन्तरिक्ष और इलैक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) स्थिति बनाये रखने और ऊंचाई के अनुरक्षण के लिए इसमें रखे इंधन की दृष्टि से इन्सैट 1-बी उपग्रह के लिए वर्तमान कालावधि की भविष्यवाणी 1989 के उत्तरार्ध के लिए की गई है।

(ख) इन्सैट-II नामक द्वितीय पीढ़ी के स्वदेशी उपग्रह, विदेश से प्राप्त इन्सैट-I उपग्रहों का स्थान लेंगे।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ङ) जी, नहीं। मध्य प्रदेश इन्सैट 1-बी० के मुख्य कार्य-क्षेत्र के अन्तर्गत है।

(च) और (छ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[हिन्दी]

श्री एम०एल० झिकराम : महोदय, मन्त्री जी ने अभी बताया कि इन्सैट 1-बी वर्तमान उपग्रह के लिए कालावधि की भविष्यवाणी 1989 तक की गई है और उसके बाद दूसरा उपग्रह इन्सैट-II लगाया जाएगा। मैं जानना चाहता हूं कि उसको कब स्थापित किया जाएगा, 1989 वर्ष समाप्त होने से एक-दो माह पहले या उसके बाद। साथ ही, आपके अनुसार इन्सैट-II पूर्णतः स्वदेशी होगा, क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि यह नया इन्सैट-II उपग्रह, वर्तमान इन्सैट 1-बी उपग्रह से ज्यादा कालावधि वाला तथा ज्यादा सक्षम होगा या नहीं।

श्री शिवराज वी० पाटिल : श्रीमन्, इन्सैट 1-बी के पश्चात् हम इन्सैट-1 सी आकाश में छोड़ने जा रहे हैं और यह काम अगले साल में होगा। इन्सैट-2 को हम 1990 ईस्वी में छोड़ना चाहते हैं और इसके बाद उसी साल के अन्त में हम दूसरा छोड़ना चाहते हैं और उसके दो-तीन साल बाद हम तीसरे तीन उपग्रह छोड़ना चाहते हैं।

इन्सैट-2 हमारे यहां का बना हुआ होगा और हमारे यहां से ही छोड़ा जाएगा तथा वे आज के इन्सैटों से बड़े होंगे और उनके काम की क्षमता भी आज के इन्सैटों से ज्यादा होगी।

[अनुवाद]

श्री प्रताप भानु शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से "इन्सेट-1-बी" के संस्थापन के समय भारत सरकार द्वारा निर्धारित इसके दूर-संचार, मौसम विज्ञान, टेलीविजन तथा रेडियो 'नेटवर्क' जैसी विभिन्न अभिकल्प क्षमताओं के उपयोगिता लक्ष्यों और इन लक्ष्यों की तुलना में अब तक की वास्तविक उपलब्धियों के बारे में जानना चाहूंगा।

(ख) क्या मध्य प्रदेश में किसी जगह पर नया 'अर्थ स्टेशन' स्थापित किये जाने की सरकार की योजना है ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : महोदय, इसके लिए बहुत बड़ा उत्तर देना होगा। सूचना इस पुस्तक में उपलब्ध है, परन्तु मुझसे जो प्रश्न पूछे जायेंगे मैं उनका उत्तर दूंगा।

दूर-संचार क्षमता 31 दिसम्बर, 1985 तक स्थापित किये जाने की योजना है। 'अर्थ स्टेशन नेटवर्क' के बारे में—हमने अब तक 30 स्टेशन स्थापित किये हैं। 31 दिसम्बर, 1985 तक द्विमार्गी सर्किट लोडिंग सुविधा, 3959 स्थापित की जानी है। लेकिन अब तक हमने 2108 स्थापित कर ली है, जो कि अनुमान से अधिक है। अब तक 2068 स्थापित करने की सम्भावना थी।

इसके अलावा, मौसम-विज्ञान गौण आंकड़े उपयोगिता केन्द्र स्थापित किये जाने थे। अब तक हमें 18 केन्द्र स्थापित करने चाहिए थे, लेकिन हमने 20 केन्द्र स्थापित कर लिये हैं। वास्तव में यह लक्ष्य पूरे वर्ष के लिए हैं।

इस समय तक लगाये गये प्रत्यक्ष आंकड़े संकलन प्लेटफार्मों की संख्या 78 है। यह लक्ष्य इस

अवधि के लिए निर्धारित किया गया था। वर्ष के अन्त तक 100 प्लेटफार्म स्थापित कर लिये जाने की सम्भावना है और हम यह कार्य कर लेंगे।

अब तक लगे दुर्घटना चेतावनी ग्राही यंत्रों की संख्या केवल 8 है, जबकि 40 यंत्र लगाये जाने थे। वर्ष के अन्त तक 100 यंत्र लगाये जाने की आशा की जाती है और मुझे बताया गया है कि हमारे लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसे प्राप्त करने के लिए हमारे पास सभी आवश्यक सुविधाएं और उपकरण उपलब्ध हैं।

टेलीविजन उपयोगिता एस-बैंड दोनों बैंडों पर है। 173 टेलीविजन केन्द्र स्थापित किये जाने की आशा थी और हमने 166 स्थापित कर लिये हैं। वर्ष के अन्त तक 180 केन्द्र स्थापित कर लिये जाने की सम्भावना है और हम यह लक्ष्य पूरा कर लेंगे।

इसके बाद सीधे ग्राही सैट आते हैं। इस वर्ष के अन्त तक 2000 सैट हमें देने हैं। अब तक हमने 900 सैट दिये हैं। अब तक हमें 975 सैट देने थे।

वर्ष के अन्त तक हमें 2000 वी० एच० एफ० सामुदायिक टी० वी० सैट देने थे, और हमने अब तक 403 सैट दिये हैं, जबकि आशा 493 सैट देने की थी।

"इन्सैट-1 बी प्रणाली द्वारा सेवित पांच चैनल रेडियो स्टेशनों की संख्या 87 है। हमें 90 स्टेशन स्थापित करने हैं।

मैंने वर्ष के अन्त तक प्राप्त किये जाने वाले, अब तक प्राप्त किये जाने वाले और अब तक प्राप्त किये गये लक्ष्यों की संख्या दी है। मेरा विचार है कि हमने अच्छा कार्य किया है, परन्तु मैं यह कहना चाहूंगा कि कुछ लक्ष्य घटा दिये गये हैं।

प्रधान मन्त्री (श्री राजीव गांधी) : वास्तव में मूल लक्ष्य बहुत ऊंचे थे। कुछ कार्य 1987 तक पूरे नहीं किये जाने थे। परन्तु, इस सरकार द्वारा सत्ता सम्हालने के पश्चात् हमने सभी लक्ष्यों को कम कर दिया और कहा कि दिसम्बर, 1985 तक पूर्ण उपयोग होना चाहिए। और आशा है कि दिसम्बर, 1985 तक हम ये सारे लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। यह जो समय-सारणी हमने बनायी है यह संशोधित और बहुत छोटी है। ··· **(व्यवधान)**

प्रो० मधु दण्डवते : यह प्रशंसा लक्ष्यों को कम करने के लिये की जा रही है।

[हिंदी]

श्री मानक राम सोडी : माननीय अध्यक्ष, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में इन्सैट-बी का एक केन्द्र स्थापित करने का शासन के विचाराधीन में प्रस्ताव था। जो समाचार प्रकाशन में लोगों को ज्ञात हुआ था।

श्री प्रताप भानु शर्मा : मध्यप्रदेश में कहीं भी हुआ है ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : मध्य प्रदेश में बीजापुर में एक दूसरा स्टेशन लगाया जा रहा है और आने वाले वर्ष के अन्त तक यह लग जायेगा। हम अलग-अलग प्रकार के काम इन्सैट-बी की मदद

से करते हैं। इन्सैट की मदद से स्टेशन बनने के बाद सब कुछ हो सकता है। अभी एक चीज यहां पर मैं कहूंगा कि जहां-जहां भी हो सकता है, वहां पर कोशिश रहेगी मगर हम अपनी प्लान के अनुसार काम करेंगे।

[अनुवाद]

श्री विजय एन० पाटिल : क्या सरकार 'इन्सैट' से गैर-सरकारी पार्टियों के लिये भी चैनल किराये पर लेने पर विचार कर रही है ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : सरकार के पास प्रस्ताव है। यह विचाराधीन है।

प्रशासन में कार्यकुशलता बढ़ाने के उपाय

*230. श्री के० राममूर्ति †
श्री लक्ष्मण मलिक } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके सुझाव के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में आधुनिक प्रबन्ध और प्रशासन को सुव्यवस्थित करने के लिए की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(ख) विभिन्न सरकारी विभागों में कार्य कुशलता को बढ़ाने हेतु केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को छुट्टी के बदले में नकद भुगतान करने की योजना तथा संशोधित छुट्टी यात्रा रियायत योजना तथा अन्य ऐसी योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) तथा (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) मंत्रालयों द्वारा प्रशासनिक संगठन, कार्य पद्धतियों और कार्य प्रणालियों की समग्र रूप में पुनरीक्षा प्रारम्भ की गई है। इस पुनरीक्षा का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं का विकेन्द्रीकरण, शक्तियों का प्रत्यायोजन, जिम्मेदारी लागू करना, नियमों तथा कार्य-विधियों का सरलीकरण और प्रशासन को परिणामोन्मुखी बनाने तथा मानिटरिंग प्रणाली में सुधार लाने के लिए देरी में कमी लाना भी है। पर्ट/सी० पी० एम०, लागत-बचत विश्लेषण, ऑपरेशन अनुसन्धान कार्य प्रणाली विश्लेषण आदि जैसी प्रबन्ध तकनीकें, जहां आवश्यक हैं वहां लागू हैं।

(ख) (i) छुट्टी का नकदीकरण

इस समय, वह केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी, जिसने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है या सरकार द्वारा समयपूर्व सेवानिवृत्त कर दिया गया है, अपने खाते में जमा अधिक से अधिक 180 दिनों तक की अर्जित छुट्टी तथा उसके साथ ही, उसके खाते में जमा अर्द्ध वेतन छुट्टियों के नकदीकरण का हकदार

है, बशर्ते कि वह कुल अवधि, जिसके लिए नकदीकरण की अनुमति दी गई है, उसकी अधिवर्षिता की तारीख से अधिक नहीं होगी। अर्द्ध वेतन छुट्टी के नकदीकरण के मामले में पेंशन तथा पेंशन सम्बन्धी अन्य प्रसुविधाओं की कटौती कर ली जाती है।

अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर सेवा निवृत्त होने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी भी अर्जित छुट्टी के नकदीकरण के हकदार हैं बशर्ते कि ऐसी छुट्टी अधिक से अधिक 180 दिनों की होगी।

(ii) छुट्टी यात्रा रियायत योजना

दिनांक 11-7-85 से यथा संशोधित छुट्टी यात्रा रियायत योजना के अधीन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को दो वर्षों के ब्लाक में एक बार अपने मूल निवास स्थान की यात्रा के लिए रेल किराये की पूरी प्रतिपूर्ति की अनुमति दे दी गई है। मूल निवास स्थान की यात्रा के लिए श्रेणी "घ" कर्मचारियों को 160 किलोमीटर और अन्य कर्मचारियों के मामले में 400 किलोमीटर तक के रेल किराये का खर्च वहन नहीं करना पड़ेगा जैसी कि छुट्टी यात्रा रियायत योजना के उपबन्धों में पहले व्यवस्था थी। समूह "घ" कर्मचारी जिनके मूल निवास-स्थान उनके मुख्यालय से 160 किलोमीटर तक की दूरी पर हैं और अन्य कर्मचारी जिनके मूल निवास-स्थान उनके मुख्यालय से 400 किलोमीटर तक की दूरी पर हैं वे भी अपने मूल निवास स्थान की यात्रा करने के लिए इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। इसके अतिरिक्त सम्भावित दुरुपयोग तथा अलग-अलग व्यक्तियों के दावों की प्रामाणिकता की जांच करने में आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए अब निजी प्रचालकों के स्वामित्व की चार्टर्ड बस, वैन या अन्य वाहन या निजी कार से यात्रा करने वाले सरकारी कर्मचारी के छुट्टी यात्रा रियायत के दावों को विनियमित करने से संबंधित उपबन्ध समाप्त कर दिया गया है।

श्री के० राममूर्ति : महोदय यद्यपि हमें आजादी अंग्रेजों से मिली है, लेकिन वे इतने चतुर थे कि उन्होंने हमें अपनी प्रणाली का स्थायी गुलाम बना लिया। आज भी हम ब्रिटिश प्रणाली की विरासत को ढो रहे हैं इस समय ब्रिटिश प्रणाली के अन्तर्गत अधिक समय लगता है और इससे अकर्मण्यता आती है एवं भ्रष्टाचार उत्पन्न होता है।

मैं माननीय प्रधानमंत्री का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस प्रणाली के कारण आने वाली प्रशासनिक लागत कम करने हेतु—अनावश्यक प्रपत्रों तथा अधिक समय लेने वाले विलम्ब को कम करने हेतु विभिन्न मंत्रालयों को निर्देश जारी करके इस मामले में शीघ्र कार्यवाही की है। मैं माननीय प्रधानमंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या उनके द्वारा की गई पहल का विभिन्न मंत्रालयों द्वारा शीघ्रातिशीघ्र अनुपालन किया जा रहा है और इस मामले में उनके प्रगतिशील विचार के प्रति मंत्रालयों की प्रतिक्रिया कैसी रही है और क्या उन्होंने इस समय इन मामलों पर अंतिम निर्णय किया है। अगर ऐसा नहीं किया गया है तो वे कितना समय और लेंगे। यदि उन्होंने इनको अन्तिम रूप नहीं दिया है तो क्या माननीय प्रधान मंत्री एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त करने पर विचार करेंगे ताकि प्रशासनिक प्रणाली में भारी परिवर्तन किये जा सकें। यह जानकारी मेरे पास यहां है। यही पूरी जानकारी होगी। मुझे इसे सभा पटल पर रखना होगा।

श्री के० पी० सिंह देव : सर्वप्रथम, मैं माननीय सदस्य की बात से इसलिये सहमत होना

चाहूंगा कि बिल्कुल इसी कारण से प्रधानमंत्री ब्रिटिश प्रणाली की विरासत को बदलना चाहते हैं। इसके कारण विलम्ब तथा भ्रष्टाचार उत्पन्न हो रहा है। इसलिए 5 जनवरी के उनके प्रसारण तथा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों को उनका सम्बोधन का प्रयोजन प्रशासनिक संगठनों, नीतियों तथा प्रक्रियायों की सांगोपांग समीक्षा करनी थी; और (क) निर्णय किए जाने संबंधी प्रक्रिया के विकेन्द्रीकरण; (ख) उत्तरदायित्व के प्रवर्तन; (ग) नियमों तथा प्रक्रियाओं के सरलीकरण, (घ) प्रक्रियाओं की अपेक्षा परिणामों पर बल दिए जाने तथा (ङ) सिविल सेवकों के प्रशिक्षण की ओर विशिष्ट ध्यान दिलाया गया है।

मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सभी मंत्रालयों ने इसके प्रति रुचि दिखलाई है और वह भी तत्परतापूर्वक; और अधिकतर मंत्रालयों ने पहले ही प्रक्रियाओं को सरल बनाना आरम्भ कर दिया है और प्राधिकार तथा जिम्मेदारी प्रत्यायोजित कर रहे हैं।

मैं यह कहना चाहूंगा कि यह निरन्तर प्रक्रिया है जो आज, कल या परसों समाप्त नहीं होने वाली है। और इसलिए उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है जिनमें लोगों के साथ अधिकतम सम्पर्क में आने का मौका मिलता है। उन क्षेत्रों के लिए ही प्रधान मंत्री ने सभी मंत्रालयों को इस बात पर विशेष बल देने का निर्देश दिया है कि तीन-तरफा कदम उठाया जाए, अर्थात प्रक्रिया को सरल बनाया जाए, विलम्ब को कम किया जाए, भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाए। इसका उत्तर इस सभा में पहले भी दिया जा चुका है।

श्री के० राममूर्ति : मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न सरकारी कर्मचारियों को प्राप्त छुट्टी सुविधाओं के बारे में है। पांच दिनों का सप्ताह आरम्भ किए जाने के पश्चात् यदि हम शनिवार, रविवार, विशेषाधिकार या अर्जित छुट्टी, आकस्मिक छुट्टी, बीमारी छुट्टी, इत्यादि की गणना करें तो लगभग आधे वर्ष वे छुट्टी पर होते हैं।

अनेक माननीय सदस्य : इससे भी अधिक।

श्री के० राममूर्ति : मैं यह कहना चाहूंगा कि क्या भारत जैसा विकासशील देश यह महंगा सौदा वहन कर सकेगा ? पांच दिनों का सप्ताह आरम्भ किए जाने को देखते हुए क्या सरकार राष्ट्रीय त्योहारों समेत छुट्टी सुविधाओं तथा अन्य सुविधाओं को कम करने पर विचार करेगी ताकि इस बर्बादी को रोका जा सके ?···(**व्यवधान**)

श्री के० पी० सिंह देव : हम माननीय सदस्य के सुझाव पर विचार करेंगे।

प्रधानमंत्री (श्री राजीव गांधी) : मैं यह कहना चाहूंगा कि पंच दिवसीय सप्ताह का अभिप्राय यह नहीं है कि कम काम किया जा रहा है। उतने ही घंटे अभी भी काम किया जा रहा है। अन्तर सिर्फ इतना है कि इसे छह दिनों के स्थान पर पांच दिनों में किया जा रहा है।··· (**व्यवधान**) मैंने यही कहा है।

श्री आनंद गजपति राजू : हाल ही में, हम वेस्टमिंस्टर प्रणाली तथा पत्रों को फाइल करने की

'ओपन-एंडेड' प्रणाली का भी पालन कर रहे हैं। मंत्री महोदय ने अभी-अभी विकेन्द्रीकरण, उत्तरदायित्व, इत्यादि के बारे में उल्लेख किया है।

प्रो० मधु दंडवते : लोक सभा सचिवालय में नहीं।

अध्यक्ष महोदय : वे अधिक कार्य करते हैं।

श्री आनन्द गजपति राजू : सरकार द्वारा आरम्भ की जाने वाली सभी परियोजनाओं में बहुत ही विलम्ब होता है और उनकी लागत भी काफी बढ़ जाती है। क्या माननीय मंत्री हमें यह बताने की कृपा करेंगे कि लागत में इस वृद्धि को कैसे कम करने जा रहे हैं और यह कैसे सुनिश्चित करेंगे कि परियोजनाएं समय पर पूरी हों ?

श्री के० पी० सिंह देव : जो कदम उठाए जा रहे हैं, उनका असली मकसद लागत कम करना, विलम्ब दूर करना, लाल फीताशाही समाप्त करना तथा प्रक्रियाओं को सरल बनाना है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : चूंकि प्रशासनिक सुधारों के अन्तर्गत कर्मचारियों का कल्याण भी शामिल है, इसलिए क्या मैं इसे दृष्टिगत रखते हुए यह जान सकती हूं कि प्रधानमंत्री के अपने भाषण में दिए गये आश्वासन को मद्दे नजर रखते हुए कि महिला कर्मचारियों पर विशेषरूप से ध्यान दिया जाएगा, क्या पति तथा पत्नी को एक ही स्थान पर तैनात करने तथा प्रसाधन, रात्रिकालीन ड्यूटी इत्यादि जैसी महिला कर्मचारियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या उपाय किए गये हैं ? क्या महिला कर्मचारियों की स्थिति की समीक्षा करने हेतु सरकार ने कोई कदम उठाया है अथवा क्या कोई कदम उठाने का विचार है और क्या उनकी स्थिति में शीघ्र सुधार करने के लिए आवश्यक निदेश देंगे ? मैं समझती हूं कि इस दिशा में काफ़ी सुधार की आवश्यकता है।

श्री के० पी० सिंह देव : हमने ऐसा किया है। जहां तक संभव है, पति तथा पत्नी को तैनात किया जाता है।··· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : एक शब्द जो आपने नहीं सुना है वह है जहां कहीं संभव हो। उन्होंने जो कुछ कहा है वह यही है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए आश्वासनों को दृष्टिकोण में रखते हुए।

श्री के० पी० सिंह देव : प्रधानमंत्री के प्रसारण के सन्दर्भ में माननीय सदस्य ने जिस मुद्दे का उल्लेख किया है, उसकी समीक्षा मेरे मंत्रालय तथा महिला कल्याण मंत्रालय दोनों द्वारा ही की जा रही है।

श्री राजीव गांधी : माननीय सदस्य को इस बारे में हमें स्मरण कराने की आवश्यकता नहीं है। हम इस बारे में आपसे ज्यादा सक्रिय हैं।··· **(व्यवधान)**

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं आशा करती हूं कि आप ऐसा करेंगे। कर्मचारी उसमें योगदान नहीं दे रहे हैं।

श्री भागवत झा आजाद : जबकि आधुनिक प्रबन्ध व्यवस्था आरम्भ कर के प्रयास सराहनीय हैं, लेकिन वर्तमान पारकिन्सन प्रणाली के स्थान पर दूसरी प्रणाली सरकार कैसे लाना चाहती है। जब मैं इसे प्रधानमंत्री को सम्बोधित करता हूं तो इसे मुख्य मंत्री को भेज दिया जाता है। मुख्य मंत्री इसे मुख्य सचिव को भेज देते है; वह इसे जिला मजिस्ट्रेट को भेज देता है और जिला मजिस्ट्रेट प्रमण्डलीय (सब-डिवीजनल) मजिस्ट्रेट को भेज देता है, और इसके पश्चात् प्रखंड में, या तो उसी व्यक्ति के पास जिसके विरुद्ध शिकायत है अथवा उसके किसी सहयोगी के पास भेजा जाता है; और कुछ मास के बाद जनप्रतिनिधि किसी संसद सदस्य या विधायक के पास उनका उत्तर आता है, तो उनका उत्तर होता है कि "इसकी जांच की गई, सच्चाई नहीं पाई गई।" सरकार प्रशासन की इस पारकिन्सन प्रणाली में कैसे परिवर्तन लाना चाहती है जहां एक लम्बे अर्से के बाद आपको कोई उत्तर नहीं मिलता ?

श्री के० पी० सिंह देव : माननीय सदस्य इस सभा के एक सुविख्यात तथा वरिष्ठ सदस्य हैं। इसलिए कुछ कहने से पहले मुझे बहुत ही सतर्क रहना होगा।

श्री भागवत झा आजाद : आपको सभी सदस्यों के प्रति सतर्कता बरतनी होगी न कि केवल मेरे प्रति।

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसे भेद-भाव की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री के० पी० सिंह देव : कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत अवश्य आती हैं। प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को लिख देने मात्र से ही, इसका अभिप्राय यह नहीं हो जाता कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति एक पक्षीय निर्णय करने में समर्थ होंगे। हमें तथ्यों का सत्यापन करना पड़ता है और उनमें से एक माध्यम राज्य सरकारें हैं। उस प्रयोजन के लिए हमें राज्य सरकारों का उपयोग करना होगा। अभियुक्त को उसकी राय जानने के लिए पूछे जाने के प्रश्न के बारे में यदि कोई विशिष्ट मामला है तो मैं निश्चय ही इनकी जांच करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती वैजयन्तीमाला।

श्रीमती वैजयन्तीमाला बाली : मैं एक अन्य सदस्य श्रीमती गीता मुखर्जी के प्रश्न के संबंध में प्रश्न पूछने जा रही थी, परन्तु प्रश्न का उत्तर पहले ही दे दिया गया।

श्री पी० कुलन्दईवेलू : आपको मौका दिया गया है, लेकिन आप उसका लाभ नहीं उठा रही हैं।

पश्चिम बंगाल में सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत क्षेत्र

*232. **श्रीमती फूलरेणु गुहा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल में सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत कितना क्षेत्र शामिल किया गया है; और

(ख) किन-किन जिलों में सामाजिक वानिकी का विकास किया गया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) 1951 और 1985 के बीच 1.22 लाख हैक्टेयर क्षेत्र इसमें शामिल किया गया था। राज्य वन विभाग ने सामाजिक वानिकी के तहत 1981-85 के दौरान रोपण के लिए 15.45 करोड़ पौधे वितरित किये थे।

(ख) सामाजिक वानिकी कार्यक्रम सम्पूर्ण राज्य में क्रियान्वित किया जा रहा है।

श्रीमती फूलरेणु गुहा : उत्तर के अनुसार वर्ष 1981-85 के दौरान 15.45 करोड़ पौधे बांटे गए। लेकिन मैं यह जानना चाहती हूं कि अब तक कितने पेड़ लगाए जा चुके हैं न कि कितने पौधे बांटे गए है।

श्री वीर सेन : पौधे जीवित रहने की दर संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। किसानों, इत्यादि को कतिपय प्रोत्साहन दिए जाते हैं ताकि वे पौधों की देख-भाल करें तथा उन्हें उगाएं। पौधों के दो वर्ष तक जीवित रहने के पश्चात् वित्तीय सहायता के रूप में प्रोत्साहन दिया जाता है।

प्रधानमंत्री (श्री राजीव गांधी) : मैं यह कहना चाहता हूं कि दो और चार वर्ष पहले जो पौधे लगाए गए थे, उनकी हम विशेष रूप से निगरानी कर रहे हैं।

श्रीमती फूलरेणु गुहा : कितने स्थायी, अस्थायी और दिहाड़ी मजदूर नियुक्त किए गए हैं और इन कर्मचारियों में से विभिन्न श्रेणियों में कितनी महिलाएं हैं ?

श्री वीर सेन : यह बहुत ही व्यापक प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर देना संभव नहीं है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : वे महिलाओं के हितार्थ अच्छे ढंग से बोली हैं।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि क्या आप इस तथ्य से अवगत हैं कि पूर्वी भारत तथा पश्चिम बंगाल में सामाजिक वानिकी तथा वनरोपण कार्यक्रमों के अन्तर्गत पिछले आठ वर्षों से पर्याप्त काम नहीं किया जा रहा है ? क्या माननीय मंत्री को मालूम है कि बंगाल के दुर्स तथा तराई क्षेत्रों में पिछले पांच वर्षों के दौरान दो गेंडों की हत्या की गई है और सरकार पेड़ों की कटाई के कार्यक्रम को बढ़ावा दे रही है ? (व्यवधान) और यदि माननीय सदस्य दुर्स तथा तराई क्षेत्रों का स्वयं दौरा करें तो आपको मालूम होगा कि वर्षों से अनेकों एकड़ भूमि खाली पड़ी हुई है। और उसमें कोई पेड़ नहीं है। क्या सरकार इन बातों की जांच कराएगी ? (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : यह ठीक नहीं है ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों चिन्ता कर रहे हैं ? यह उनका तर्क है। आपको इसके बारे में क्यों चिन्ता करनी चाहिए। मंत्री महोदय को उत्तर देने दें।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री इस तथ्य से अवगत हैं कि ··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इसके बारे में क्यों चिन्तित हैं ?

[हिन्दी]

ऐसा आप क्यों कर रहे हैं ? आप अपनी तरफ से बता दीजिएगा। इसमें घबड़ाने वाली क्या बात है ?

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : हम प्रक्रिया संबंधी बात उठा रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम सदैव देश की कुछ बातों पर विचार करते रहते हैं। इस बारे में कोई समस्या नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं व्यवस्था के एक प्रश्न को उठा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इस तरीके से कोई सवाल नहीं उठेगा। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अमल दत्त : इस प्रश्न को कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : किस आधार पर ?

श्री अमल दत्त : यह राज्य सरकार के कार्यकरण के संबंध में एक आरोप है··· (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई आरोप नहीं है, यह एक सामान्य कही हुई बात है। मुझे कुछ बातों को देखना होता है··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप अपनी आलोचना को बन्द करेंगे ? पर्यावरण तथा उन अन्य बातों जैसी राष्ट्रीय बातों के साथ सभी राज्य सरकारें संबंधित हैं जिनके लिए केन्द्र उत्तरदायी है। और यह उनका विचार है, आप कह सकते हैं कि ऐसा नहीं किया जा रहा है। प्रभारी मंत्री इसका उत्तर देंगे। (व्यवधान) श्री मुंशी आप केवल वृक्षों के काटे जाने का ही उल्लेख कर सकते हैं और इस बारे मे किसी मंत्री विशेष का नाम न लीजिये···

श्री अमल दत्त : और उस मामले के लिए सरकार।

अध्यक्ष महोदय : सरकार से उत्तर मांगा जा सकता है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं केवल गारंटी दे सकता हूं कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध आरोप नहीं लगाया जायेगा। इसके बारे में मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं। यदि कोई आरोप हैं, तो मैं उन्हें दूर कर दूंगा। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसा क्यों करते हैं ? फिर आप नहीं बोल पायेंगे, वे भी नहीं बोल पायेंगे। यह क्या कर रहे हैं आप ? (**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

अध्यक्ष महोदय : तब आपको भी बोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह बात नहीं है। आप इन सभी बातों का खंडन कर सकते हैं। आप भी इस सदन के माननीय सदस्य हैं। (**व्यवधान**)

श्री अमल दत्त : प्रश्न राज्य सरकार के विरुद्ध आरोप लगाने के प्रयोजन से पूछा गया है। सूचना जानने के उद्देश्य से ही प्रश्न पूछा जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : **अब** आप अनुसूचित जातियों पर हो रहे कुछ अत्याचारों के बारे में चर्चा करने वाले हैं और तब आप कहेंगे कि इस राज्य तथा उस राज्य में यह हो रहा है। तब मैं क्या करूंगा ? आप इस बारे में क्या करेंगे ? अतः, आप मुझे तथा इस सभा को चुप मत कराइये।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : मेरा प्रश्न यह है कि क्या यह बात सच है कि पश्चिम बंगाल के वानिकी कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए पश्चिम बंगाल के उत्तरी भागों, अर्थात दुर्स क्षेत्र में वनरोपण कार्यक्रम बहुत ही कम है। इस तथ्य को देखते हुए कि वृक्षों को काटा जा रहा है, वन-कटाई को प्रोत्साहन दिया जा रहा है और दो गेंडों को मार दिया गया है, क्या मंत्री महोदय इस मामले में पश्चिम बंगाल की सरकार से पूछ-ताछ करेंगे और तदनुसार पग उठायेंगे ? यही कुछ मैंने कहा है। इसमें क्या है ?

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आपको इतना चिन्तित क्यों होना चाहिए ? आप इतने भावुक मत होइये।

श्री राजीव गांधी : बंगाल में अनेक वानिकी तथा सामाजिक वानिकी कार्यक्रम चल रहे हैं। यह विश्व बैंक से सहायता प्राप्त कार्यक्रम हैं। बागान कार्यक्रम हैं, केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम हैं, ग्रामीण विकास कार्यक्रम हैं, ग्रुप फार्म वानिकी कार्यक्रम हैं···

प्रो० मधु दंडवते : वृक्षों का काटा जाना।

श्री राजीव गांधी : किन्तु दुर्भाग्यवश वहां वन-कटाई की एक विशाल समस्या बनी हुई है।

एक माननीय सदस्य : कहां ?

श्री राजीव गांधी : दुर्भाग्यवश, मैं केवल पश्चिम बंगाल का ही उल्लेख कर सकता हूं क्योंकि आपके प्रश्न में केवल पश्चिम बंगाल का उल्लेख किया गया है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : जब आप अन्य भागों के बारे में पूछेंगे, तो वह आपको उनका भी उत्तर देंगे। उन्हें उत्तर देने दीजिये··· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। वह बोलने के लिए खड़े हुए हैं · (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपके पूछने पर आपका जवाब भी दे पायेंगे। आप घबराते क्यों हैं।...

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री राजीव गांधी : महोदय, दो गेंडों से संबंधित प्रश्न के बाद वाले अंश के बारे में, श्री भागवत झा आजाद जी से उचित क्षमा याचना के साथ, हम तथ्यों का पता लगाने के लिए इसे राज्य सरकार के पास केवल भेज सकते हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, प्रधानमंत्री ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में अत्यधिक वन-कटाई हो रही है। क्या प्रधानमंत्री सभा को इस बारे में विश्वास में लेंगे... (व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : महोदय, क्या मैं उनकी बात में सुधार कर सकता हूं। मैंने कहा है कि वहां एक विशाल वन-कटाई समस्या है, जो कुछ-कुछ भिन्न है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : ठीक है, महोदय, मैंने प्रधान मन्त्री महोदय से नवीनतम उत्तर को प्राप्त कर लिया है... (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, यही उत्तर उन्होंने दिया है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : चूंकि प्रधान मन्त्री महोदय ने 'विशाल' शब्द के प्रयोग का चयन किया है, इसलिए क्या वह राष्ट्रीय स्तर पर परिमाण निर्धारित करने तथा कोई तुलनात्मक प्रकाश डालने में भी समर्थ हो पायेंगे ? अन्यथा, यह एक बहुत भारी आरोप होगा। यह प्रधान मन्त्री के पद के लिए उचित नहीं होगा।

श्री राजीव गांधी : महोदय, मैं उन्हें एक टिप्पण भेज दूंगा।

दिल्ली हवाई अड्डे का विस्तार

*234. **श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली हवाई अड्डे का नवीकरण और पुनर्निर्माण किया गया है;

(ख) दिल्ली हवाई अड्डे में एक दिन में कुल कितने विमान (राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय) आते हैं;

(ग) क्या हवाई अड्डे में सुरक्षा पड़ताल करने से पहले प्रतीक्षारत यात्रियों के बैठने आदि के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(घ) क्या विमानों के उड़ान भरने के वर्तमान समय के परिणामस्वरूप वहां यात्रियों की भारी भीड़ हो जाती है; और

(ङ) क्या दिल्ली हवाई अड्डे का और अधिक विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है ?

प्रधान मन्त्री के संसदीय सचिव (श्री अहमद एम० पटेल) : (क) जी, हां। अन्तर्देशीय उड़ानों के लिए प्रस्थान सुविधाओं का विस्तार करने के उद्देश्य से मुख्य अन्तस्थ भवन के एक भाग का नवीकरण किया गया है।

(ख) वर्तमान समयसारणी के अनुसार औसतन 38 राष्ट्रीय तथा 22 अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें प्रतिदिन दिल्ली विमान क्षेत्र से उड़ती हैं। तथापि, यह संख्या दिन-प्रतिदिन की समय सारणी के अनुसार कुछ भिन्न हो सकती है। अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में एयर इण्डिया की बम्बई को प्रस्थान उड़ानें भी शामिल हैं।

(ग) व्यस्ततम अवधि को छोड़कर ये सुविधाएं लगभग पर्याप्त हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) दिल्ली विमान क्षेत्र पर एक नया अन्तर्राष्ट्रीय यात्री तथा माल अन्तस्थ परिसर निर्माणाधीन है। नये अन्तर्राष्ट्रीय परिसर के चालू हो जाने पर, राष्ट्रीय आगमन, प्रस्थान तथा सामान का दावा करने वाले क्षेत्र का विस्तार करने के लिए मौजूदा अन्तस्थ भवनों में परिवर्तन किए जाएंगे।

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : महोदय, मैं प्रसन्न हूं कि प्रश्न के भाग (घ) का उत्तर 'जी, हां' है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार विमानों के उड़ान भरने के समय को फिर से निश्चित करेगी। उदाहरणार्थ, सायंकाल में मद्रास को बरास्ता हैदराबाद के लिए विमान उड़ान तथा बम्बई के लिए विमान उड़ान एक साथ भरी जाती हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि जांच कराने से पूर्व अथवा जांच कराने के पश्चात वहां बैठने का स्थान नहीं होता है। अतः, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार विमानों के उड़ान भरने के समय को फिर से निश्चित करेगी ताकि यात्रियों को जांच कराने के लिए समय मिल सकता है और वहां बैठने के लिये पर्याप्त स्थान भी मिल सकता है। यही बात प्रातः काल में भी है। अतः, क्या सरकार विमानों के उड़ान भरने के समय में परिवर्तन करने तथा उसे फिर से निश्चित करने, विशेषकर व्यस्त हवाई अड्डों पर भारी उड़ानों के बारे में सोचेगी ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : हम विमानों के उड़ान भरने के समय में परिवर्तन करने के बारे में निश्चित रूप से विचार कर सकते हैं, लेकिन तथ्य यह है कि देशीय उड़ान भरने के समय को भिन्न-भिन्न करने में कुछ विवशतायें हैं क्योंकि यात्रियों की पसन्द शाम सवेरे की होती है और इसलिए भी कि हमने विमान को अधिक क्षेत्रों की सेवा करने तथा दिन में और उड़ान करने में समर्थ बनाया जा सके। जहां तक सीटों के प्रबन्ध का सम्बन्ध है, इस समय मार्ग-विश्राम-कक्ष में 240 से अधिक सीटें हैं, जो कि अधिकांशत वयोवृद्ध लोगों के लिए तथा शिशुओं के साथ माताओं के लिए हम निश्चित रूप से बिना किसी हिचकिचाहट के यह देखेंगे कि क्या इसे बढ़ाया जा सकता है।

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : भाग (ङ) के उत्तर में मन्त्री महोदय ने कहा है कि अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निर्माणाधीन है और उस परिसर के पूरा हो जाने पर इसे शुरू किया जायेगा। क्या मैं यह जान सकता हूं कि दिल्ली के हवाई अड्डे को आधुनिक तथा अद्यतन बनाने और हमें 21वीं शताब्दी तक ले जाने के लिए हमारे प्रयासों को कितना समय लगेगा ?

इस समय यात्री को चढ़ना, उतरना तथा द्वार से हवाई अड्डे के भीतर सीधा चलकर जाने की बजाये चढ़ना भी होता है। हमें उस सुविधा को प्राप्त करने में कितना समय लगेगा।

प्रो० मधु दण्डवते : पहले सरकार को हवाई अड्डे को 21वीं शताब्दी में लाने दीजिए।

श्री के० पी० सिंह देव : इस प्रश्न का उत्तर दोनों सभाओं में पहले ही सत्र के शुरू में दिया जा चुका है। नवम्बर 1985 तक यह अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल तैयार हो जायेगा। तब तक इनमें से बहुत-सी कठिनाइयां दूर हो जायेंगी।

श्री हरूभाई मेहता : यह प्रायः अनुभव किया गया है कि सुरक्षा सम्बन्धी स्वीकृति मिलने में विलम्ब हो जाने के कारण उड़ानों में विलम्ब हो जाता है। यह सम्भवतः हवाई अड्डे पर सुरक्षा स्थलों की संख्या में कमी तथा एक्सरे मशीनों के काम न करने के कारण भी होता है। क्या सरकार दोनों दृष्टियों से इस प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री के० पी० सिंह देव : यह बहुत ही उपयोगी सुझाव है।

श्री डी० एन० रेड्डी : क्या मन्त्री महोदय सभा को यह सूचित करेंगे कि सरकार का इरादा हैदराबाद को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने का है ? यदि हां, तो कब ?

श्री के०पी० सिंह देव : कुछ मान दण्ड है और तदनुसार इस पर विचार किया जायेगा।

मुंगेर जिले, बिहार में भीमबंध का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास

*235. **श्रीमती मनोरमा सिंह :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मुंगेर जिले में भीम बन्ध एक महत्वपूर्ण स्थान है, जहां गर्म पानी के चश्मे मौजूद हैं, और जो अपने सुन्दर दृश्यों तथा चश्मों के कारण एक महत्वपूर्ण सैर-सपाटे का स्थान है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि इस स्थान को पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित करने की वृहद सम्भावनायें हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थान को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास करने, अर्थात् वहां एक होटल खोलने तथा वनों का विकास करने आदि के बारे में सरकार का क्या विचार है ?

प्रधान मन्त्री के संसदीय सचिव (श्री अहमद एम० पटेल) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) बिहार के मुंगेर जिले में भीमबन्ध की पर्यटक सम्भाव्यता को दृष्टि में रखते हुए विभाग ने इस केन्द्र को उन 28 केन्द्रों की सूची में शामिल किया है जो विभाग द्वारा राज्य सरकार से परामर्श करते हुए केन्द्र राज्य और प्राइवेट सेक्टर के मिले-जुले संसाधनों से अवस्था-बद्ध विकास के लिए अभिनिर्धारित किए गए हैं।

पर्यटक विहार के रूप में भीमबन्ध के विकास के लिए इस समय केन्द्रीय पर्यटन विभाग के विचाराधीन कोई स्कीम नहीं है। विभागीय वन अधिकारी और कार्यकारी इन्जीनियर, सिंचाई, मुंगेर, द्वारा प्रबन्ध-चालित विश्राम-गृहों में उपलब्ध विद्यमान आवास के अलावा राज्य सरकार का पर्यटन विभाग राज्य के वन विभाग को, एक कैफेटेरिया और एक डॉरमेंटॉरी टाइप के आवास के निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा है। डॉरमेंटॉरी आवास का कार्य पहले से ही पूरा हो चुका है।

[हिन्दी]

श्रीमती मनोरमा सिंह : अध्यक्ष महोदय, भीमबन्ध के लगभग एक मील के दायरे में गर्म-पानी के अलग-अलग तापमान के अनेक चश्मे है तथा वहां जंगली जानवर भी बड़ी संख्या में पाये जाते हैं। सम्भवत: गर्म पानी के इतने बडे चश्मे दूसरी जगहों पर नहीं हैं तथा यह स्थान स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायी है। ऐसी स्थिति में पर्यटन की सभी सुविधाओं को दे कर सरकार इस स्थान को कब तक टूरिस्ट सेन्टर के रूप में बदलना चाहती है?

[अनुवाद]

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के०पी० सिंह देव) : महोदय, जैसाकि उत्तर से स्पष्ट है, यह उन 28 केन्द्रों में से एक है जिनका विकास किया जाना है। हम राज्य सरकार से भी परामर्श कर रहे हैं। राज्य सरकार स्वयं कतिपय सुविधाओं का विकास करने के लिए लगभग 3 लाख रुपये खर्च कर रही है और सातवीं योजना में योजना को प्राथमिकता के आधार पर हम इसका विकास करेंगे।

[हिन्दी]

श्रीमती मनोरमा सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह स्थान पूर्वी रेलवे की मेन लाइन के जमुई स्टेशन से एक घण्टे की दूरी पर है जहां जैनियों के अनेक तीर्थ स्थान है तथा प्रति वर्ष हजारों जैन यात्री वहां आते हैं। क्या उस सारे काम्प्लैक्स को सरकार पर्यटक सेन्टर के रूप में बदलने का विचार रखती है?

[अनुवाद]

श्री के० पी० सिंह देव : मुझे रेल मन्त्रालय से पूछताछ करनी होगी।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शिव प्रसाद साहु : छोटा नागपुर के रांची जिले के अन्तर्गत एक स्थान है—नेत्रहाट, जो 3,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर है तथा बिहार का एकमात्र रमणीक स्थान है। जब इस विभाग के तत्कालीन मन्त्री श्री ए० पी० शर्मा जी थे और पर्यटन निदेशक श्री श्रीवास्तव जी थे उस समय यह तय हुआ था कि 35 लाख रुपया नेत्रहाट में एक तीन सितारा होटल खोलने के लिए दिया जाएगा, यह बात पेपर्ज़ तथा आकाशवाणी में भी आई थी लेकिन अभी तक वह काम नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसका छोटा नागपुर से कोई सम्बन्ध नहीं है।

[हिन्दी]

श्री शिव प्रसाद साहु : यह बिहार का सबसे रमणीक स्थान है। मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि वे इस पर ध्यान देंगे।

अध्यक्ष महोदय : नहीं। सवाल तो ठीक से किया करें।

[अनुवाद]

श्री डी० पी० यादव : यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र मुंगेर के सम्बन्ध में है और इसलिए मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। महोदय, यह प्रश्न माननीय केन्द्रीय मन्त्री से पूछा गया था और उत्तर राज्य सरकार ने दिया है। मैं माननीय मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि वे अपनी फाइल के पिछले पृष्ठों का अवलोकन करें जहां वे पाएंगे कि भीमबन्ध को पर्यटन क्षेत्र में शामिल किया गया था, परन्तु दुर्भाग्यवश छठी योजना अवधि में कुछ भी नहीं किया जा सका। महोदय, इस तथ्य को देखते हुए कि इस क्षेत्र में फूटने वाले चश्मों से गर्म और ठंडा पानी भारी मात्रा में उपलब्ध है, क्या माननीय मन्त्री इस स्थान को आस्ट्रिया की तरह एक खनिज झरने के रूप में विकसित करने पर विचार करेंगे ?

श्री के० पी० सिंह देव : निश्चय ही हम इस पर विचार करेंगे।

श्री डी० पी० यादव : मैं समझा नहीं।

श्री के० पी० सिंह देव : यह उन 28 केन्द्रों में से एक है जिनको राज्य सरकार के परामर्श से विकास के लिए चुना गया है। हम इस पर निश्चय ही विचार करेंगे। माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है हम उस पर निश्चय ही विचार करेंगे।

[हिन्दी]

श्री राम स्वरूप राम : अध्यक्ष जी, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसको मुंगेर तक न सीमित रखा जाए बल्कि बिहार के कई टूरिस्ट्स स्पोट्स हैं··· (व्यवधान) ··· बिहार में नेत्रहाट— छोटा नागपुर, हुन्ड्रू फाल --रांची, जोलहा फाल— रांची और बराबर हिल- गया, बहुत ही इम्पोर्टेन्ट टूरिस्ट्स स्पोट्स हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार सातवीं पंचवर्षीय योजना में इनके विकास के लिए कोई विस्तृत कार्यक्रम बनाएगी, जिससे बिहार जैसे पिछड़े राज्य का आर्थिक विकास हो सके।

अध्यक्ष महोदय : नहीं।

श्री के० पी० सिंह देव : ध्यान रखेंगे।

[अनुवाद]

भारत पर्यटन विकास निगम सलाहकार सेवा

*238. **डा० वी० वेंकटेश** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम ने सलाहकार सेवा प्रदान करने हेतु विदेशों में होटल प्रबन्धकों के साथ कुछ समझोते किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत पर्यटन विकास निगम के सलाहकार प्रभाग ने निगम के विभिन्न होटलों में उनके व्यवस्थापकों द्वारा होटलों में अधिक कमरों को किराये पर दिये जाने में असफल रहने और ग्राहकों को दी जाने वाली सेवा के स्तर के बारे में भी जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन होटलों में सामान्य सेवाओं में सुधार करने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) भारत पर्यटन विकास निगम ने व्यवहार्यता अध्ययन कराने, डिजाइन आयोजना व निर्माण स्तरों तथा निर्माणोपरांत तकनीकी व परियोजना सहायता और प्रबन्धचालन एवं विपणन सेवाएं प्रदान करने हेतु विदेशों में होटल परियोजनाओं के साथ निम्नलिखित करार किए हैं :—

(1) मैसर्स लोटस होटल्स लिमिटेड लिमासोल, साइप्रस।

(2) ईराक में मोसुल और डोकन में होटल परियोजनाएं।

(3) काठमांडु, नेपाल में जया होटल इन्टरनेशनल।

उपरोक्त व्यवस्थाएं वाणिज्यिक आधार पर की गई हैं,

(ग) और (घ) भारत पर्यटन विकास निगम का परामर्श प्रभाग आई० टी० डी० सी० के स्वामित्व वाले होटलों को छोड़कर अन्य होटलों को परामर्शी व प्रबन्धकीय सेवाएं प्रदान करने से संबद्ध है।

1985-86 की प्रथम तिमाही में भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों की समग्र आकुपैंसी पिछले वर्ष की तत्सम्बन्धी अवधि के लिए 39 प्रतिशत की तुलना में सुधर कर 48 प्रतिशत हो गई है।

भारत पर्यटन विकास निगम ने अपने होटलों में आकुपैंसी और सेवा के स्तर मे सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

(1) विदेशी यात्रा अभिकरणों के साथ विपणन एवं आरक्षण प्रतिबन्धन करना;

(2) भारत पर्यटन विकास निगम की प्रापर्टीज का संवर्धन करने के लिए यात्रा बाजारों, व्यापार मेलों आदि में भाग लेना;

(3) स्वदेशी पर्यटन के संवर्धन के लिए विशेष एक-मुस्त कार्यक्रम चलाना;

(4) कर्मचारियों के प्रशिक्षण स्तर में सुधार करना और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विविध पाठ्यक्रमों का संचालन करना।

(5) होटलों में बेहतर सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए अनुरक्षण अभियांत्रिकी शाखा (मेंटीनेंस इन्जीनियरिंग विंग) को सीधे होटल प्रभाग के अधीन कर दिया गया है; तथा

(6) समय-समय पर उपचारात्मक उपाय करने हेतु अपने होटलों के कार्य निष्पादन और सेवाओं की पुनरीक्षा करने के लिए आई० टी० डी० सी० द्वारा एक उच्च अधिकार-प्राप्त निरीक्षण समिति गठित की गई है।

डा० वी० वेंकटेश : प्रश्न विदेशों में भारत पर्यटन विकास निगम की सलाहकार सेवा के बारे में है। महोदय, क्या मैं सरकार से यह जान सकता हूं कि भारत पर्यटन विकास निगम के ये होटल विदेशों में भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए उन्हें सौंपे गए अन्य कार्यों के अतिरिक्त भारतीय संस्कृति का प्रदर्शन करेंगे ?

श्री के० पी० सिंह देव : हम इस पर विचार करेंगे।

डा० बी० वेंकटेश : क्या मैं सरकार से यह जान सकता हूं कि क्या भारतीय व्यापार में कोई प्रगति हुई है और क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि इन होटलों में भारतीय ढंग से खाना तैयार करने का प्रचार किया जाएगा ?

श्री के० पी० सिंह देव : महोदय, यह बहुत उपयोगी सुझाव है।

होमगार्डों की संख्या तथा उनकी सुविधाओं में वृद्धि

*239. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने होमगार्डों की संख्या में वृद्धि करने के लिए राज्य सरकारों को कोई निर्देश दिए हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को होम गार्डों को दी जाने वाली सुविधाएं और अन्य सुविधाएं बढ़ाने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके संबंध में, क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को ग्रामीण होम गार्ड यूनिटों को बढ़ाने की सलाह दी है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) जी हां, श्रीमान।

(ग) केन्द्र सरकार ने होमगार्डों को समय-समय पर जिन सुविधाओं और सहूलियतों को देने की राज्य सरकारों को सलाह दी है उनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है। हाल में 1984 में केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को सलाह दी है कि ड्यूटी भत्ते और प्रशिक्षण भत्ते की दरें प्रति व्यक्ति प्रति दिन क्रमश: 8 रुपये से बढ़ाकर 15 रुपये और 7 रुपये से बढ़ाकर 14 रुपये कर दी जाए।

(घ) जी नहीं, श्रीमान।

विवरण

केन्द्र सरकार ने होमगार्डों को जिन सुविधाओं और सहूलियतों को देने की राज्य सरकारों को सलाह दी है, उनकी सूची :—

1. ड्यूटी भत्ता और प्रशिक्षण भत्ता;

2. नि:शुल्क वर्दी और धुलाई भत्ता;

3. प्रशिक्षण के दौरान नि:शुल्क भोजन/आवास;

4. वीरता और विशिष्ट तथा सराहनीय सेवा के लिए नकद तथा अन्य पुरस्कार;

5. प्रशिक्षण/ड्यूटी के दौरान चोट लगने/मृत्यु होने पर होम गार्डों को उसी आधार पर मृत्यु तथा चोट के लाभ जैसा उसी कार्य में लगे पुलिस कार्मिकों को दिए जाते हैं;

6. दिवंगत होम गार्ड के परिवार को अंतिम संस्कार के खर्च के लिए अनुग्रहपूर्वक अनुदान; और

7. केन्द्रीय और राज्य सरकारों में वर्ग "ग" और "घ" के कुछ पदों के लिए भर्ती में कुछ शर्तों के अधीन होमगार्डों को प्राथमिकता।

श्री विजय एन० पाटिल : महोदय, विभिन्न स्थानों में जब भी दंगे होते हैं, राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार से सहायता देने को कहती हैं और इन भागों में कभी-कभी केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल को तैनात किया जाता है और स्थानीय पुलिस बल पर्याप्त नहीं है। इसे ध्यान में रखते हुए क्या केन्द्रीय सरकार ने होमगार्डों के दैनिक भत्ते में वृद्धि करने की सलाह दी है और क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को होमगार्डों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी होमगार्डों की संख्या में वृद्धि करने की सलाह देने के मामले पर विचार कर रही है, क्योंकि जहां भी स्थानीय लोग होंगे और जब कभी कानून और व्यवस्था की स्थिति गंभीर रूप धारण कर लेती है, स्थानीय होमगार्डों को वहां पर तैनात किया जा सकता है ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : महोदय, केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को ड्यूटी भत्ते और प्रशिक्षण भत्ते की दरें बढ़ाने की सलाह पहले ही दे दी है। मैंने यह बात मुख्य उत्तर में भी कही है।

जहां तक राज्यों में होमगार्डों की संख्या में वृद्धि करने का सम्बन्ध है, इसका निर्णय करना राज्य सरकारों का काम है और केन्द्रीय सरकार नियमों के अन्तर्गत सहायता देती है।

श्री विजय एन० पाटिल : जब मैं यह कहता हूं कि केन्द्रीय सरकार से सेना भेजने का अनुरोध किया जाता है, तो दंगे भड़कने पर बाहर से अन्य बलों को भी मंगवाया जाता है। आप उन्हें ऐसी परिस्थितियों में किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए होमगार्डों की संख्या में वृद्धि करने की सलाह दे सकते हैं।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : यदि माननीय सदस्य की राय यही है तो हम राज्य सरकारों को होमगार्डों की संख्या में वृद्धि करने की सलाह दे देंगे। ठीक है, मैंने उनके सुझाव को नोट कर लिया है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

अंटार्कटिका गए भारतीय अभियान दल द्वारा एकत्रित आंकड़े

*231. प्रो० के० के० तिवारी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंटार्कटिका को गए हाल के भारतीय अभियान दल द्वारा एकत्र किए गए वैज्ञानिक, आंकड़े क्या हैं; और

(ख) क्या विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में निरन्तर परीक्षण करने हेतु भारत ने अंटार्कटिका में कोई स्थायी केन्द्र स्थापित किया है ?

प्रधान मन्त्री (श्री राजीव गांधी) : (क) चौथे अभियान के दौरान, भूभौतिकी, भूविज्ञान मौसम विज्ञान, रेडियो वेव प्रसारण और जीव विज्ञान के क्षेत्रों में वैज्ञानिक आंकड़े प्राप्त किए गए। भूविज्ञान और भूभौतिकी के क्षेत्र में, बर्फ-शेल्फ और चट्टानी भू-भागों पर विद्युत-चुम्बकीय अध्ययन और भूकम्पीय परावर्तन सम्बन्धी कार्य हाथ में लिए गए। अंटार्कटिक महासागर के शेल्फ क्षेत्र में तलछटों की प्रकृति पर भी आंकड़े एकत्र किए गए। मौसम विज्ञान के क्षेत्र में मौसम विज्ञानीय प्राचलों को विपरीत अन्तराल पर मापने सम्बन्धी कार्य हाथ में लिया गया और रेडियोसोंड आरोहण लांच किए गए। हाल ही में स्थापित किए गए पिक्चर ट्रांसमिशन रिसीवर और पोटेन्शल ग्रेडिएन्ट्स उपकरण से एकत्र की गई सूचना स्थानीय मौसम के पूर्वानुमान के लिए बहुत सहायक सिद्ध हुई।

रेडियो वेव प्रसारण पर अध्ययन विशेष रूप से अनुकूल मौसम संबंधी दशाओं और असाधारण अत्यन्त चुम्बकीय तूफानों के दौरान किये गये। जीव विज्ञान के क्षेत्र में, जूप्लांकटन, अंटार्कटिक क्रिल और अंटार्कटिका में मौजूद सूक्ष्म-जीवों की नई किस्मों का अन्वेषण किए गए।

(ख) भारत द्वारा तीसरे भारतीय अंटार्कटिक अभियान (1983-84) के दौरान एक स्थायी स्टेशन, "दक्षिण गंगोत्री" स्थापित किया गया।

अन्तर्राज्यीय सीमा विवादों के लिए स्थायी आयोग

*233. श्री चित्त महाता : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सभी अन्तर्राज्यीय सीमा विवादों के लिए एक स्थायी आयोग गठित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसमें स्थायी अध्यक्ष और सचिव हों, तथा उसके सदस्य सभी राज्य से लिये आयें; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

आगरा में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की स्थापना

*236. श्री गंगाराम : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि आगरा में एक अन्तर्राष्ट्रीय असैनिक हवाई अड्डा स्थापित करने की मांग बहुत समय से की जा रही है, इससे न केवल आम जनता को विमान द्वारा यात्रा की सुविधा उपलब्ध होगी, बल्कि बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक आगरा का ऐतिहासिक नगर देखने के लिये भी आकर्षित होंगे;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार आगरा में एक अन्तर्राष्ट्रीय असैनिक हवाई अड्डा स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) भारतीय वायु सेना और नागरिकों के लिये संयुक्त हवाई अड्डा होने के कारण आम जनता को होने वाली कठिनाई और असुविधा को दूर करने हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) आगरा में एक अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन क्षेत्र की स्थापना किए जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) आगरा स्थित हवाई अड्डा भारतीय वायुसेना का है जहां इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा सेवाएं प्रचालित करने के लिए एक सिविल एन्क्लेव उपलब्ध कराया गया है। इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों को होने वाली किसी परेशानी अथवा असुविधा की सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

"तीर्थ यात्रा" के पर्यटन को बढ़ावा देना

*237. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम ने संबंधित राज्य सरकारों/राज्य पर्यटन विकास निगमों के सहयोग से उत्तर पश्चिमी राज्यों, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और काश्मीर, पंजाब, हरियाणा

और संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ में परिवहन और आवास की व्यवस्था और यात्रा सर्किटों का विकास कर सातवीं योजना में "तीर्थ स्थान" के पर्यटन विकास के लिए कोई विस्तृत योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सातवीं योजना के प्रथम वर्ष में किन मदों को शामिल किया गया है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) तीर्थस्थानों पर यात्रिकाओं/धर्मशालाओं/मुसाफिरखानों के निर्माण के उद्देश्य से पर्यटन विभाग ने 1978 में भारतीय यात्री आवास विकास समिति नामक एक पंजीकृत निकाय की स्थापना की थी।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान समिति की निम्नलिखित स्थानों पर यात्रिकाओं का निर्माण प्रारंभ करने की योजनाएं है :—

1. हिमाचल प्रदेश	—बाबा बालकनाथ
	—कांगड़ा
	—ज्वालामुखी
	—नैनादेवी
2. हरियाणा	—अगरोहा
3. जम्मू व कश्मीर	—अध कुआरी
	—बलताल
	—कटरा
	—पहलगाम
4. पंजाब	—अमृतसर

समिति ने उपर्युक्त राज्यों से यात्रिकाओं के लिए उपयुक्त भूमि का आवंटन करने के वास्ते अनुरोध भी किया है। अन्य राज्यों से प्रस्ताव अभी प्राप्त होने हैं।

राज्य सरकारों और राज्य पर्यटन विकास निगम के पास परिवहन यूनिटों के नेटवर्क हैं। ये तीर्थयात्रियों सहित जनसाधारण को अपने राज्य की तथा दूसरे राज्यों की यात्रा करने के लिए परिवहन सम्बन्धी आवश्यक सुविधाएं मुहैया करते हैं।

पर्यटन विभाग ने डीजल से चलने वाली आयातित कारें (वातानुकूलित), हिमाचल प्रदेश विकास निगम (3 कारें), हरियाणा पर्यटन विकास निगम (3 कारें), पंजाब पर्यटन विकास निगम (3 कारें), जम्मू व कश्मीर पर्यटन विकास निगम (5 कारें) और चंडीगढ़ पर्यटन विकास निगम (1 कार) को आबंटित भी की हैं।

वन भूमि की अनुपलब्धता के कारण लम्बित पड़ी परियोजनाएं

*240. श्री एस० जी० घोलप : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि सड़कों, स्कूलों और सिंचाई परियोजनाओं इत्यादि के लिए वन भूमि उपलब्ध न होने के कारण लगभग सभी राज्यों में पिछड़े क्षेत्रों का विकास रुका पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात की राज्य सरकारों द्वारा इसके संबंध में कितने मामले भेजे गए हैं; और

(ग) उनमें से कितने मामले स्वीकृति के लिये लम्बित पड़े हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : (क) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि को बदलने के लिए केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति लेनी होती है। प्रस्तावों को समय पर न भेजना, अपूर्ण प्रारम्भिक ब्यौरा, आवश्यक अतिरिक्त जानकारी न भेजना और अधिनियम का जान-बूझकर उल्लंघन करना आदि विलम्ब होने के मुख्य कारण हैं।

(ख) वर्ष 1983 और 1984 के दौरान केन्द्रीय सरकार को वन भूमि का गैर-वानिकी कार्यों के लिए उपयोग किये जाने के संबंध में महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात सरकार से क्रमशः 70,117 और 64 प्रस्ताव प्राप्त हुए।

आसाम में विदेशी राष्ट्रिकों की समस्या

*241. प्रो० मधु दंडवते
श्री अमर राय प्रधान } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम में विदेशी राष्ट्रिकों की समस्या को हल करने की दिशा में काफी प्रगति हुई है;

(ख) यदि हां, तो आसाम समस्या के किन-किन पहलुओं पर समझौता हुआ है; और

(ग) क्या आसाम समस्या को समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत हल करने और सामान्य परि-स्थितियों के अन्तर्गत आसाम में लोक सभा चुनाव कराने की संभावना है ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (ग) सरकार के प्रतिनिधियों और आंदोलन के नेताओं के बीच विचार-विमर्श की वर्तमान शृंखला के दौरान काफी मुद्दों पर सोच-विचार कर लिया गया है। जैसे ही समझौता हो जायेगा सरकार द्वारा और आगे उपायों पर विचार किया जायेगा।

इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों को प्रोत्साहन

* 242. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों से कोई प्रदूषण नहीं होता है;

(ख) क्या इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों को अधिकतम संभव सीमा तक प्रोत्साहन देने की सरकार की नीति है;

(ग) क्या उद्यमी कुछ जोखिमों के कारण इस क्षेत्र में निवेश करने में अब भी संकोच करते हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रॉनिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग में कुछ विनिर्माण-प्रक्रियाओं से प्रदूषण होता है।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं। इससे होने वाले खतरे वही हैं जो अन्य किसी उद्योग में होते हैं। सरकार द्वारा हाल ही में घोषित नीति के फलस्वरूप, नए उद्योग स्थापित करने में तथा वर्तमान इकाइयों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने में भी उद्यमकर्ताओं में काफी उत्साह पैदा हुआ है।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

अंटार्कटिका अभियानों के लिए बर्फ तोड़ने वाले उपकरण का आयात

2296. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंटार्कटिका अभियानों में प्रयुक्त पोत/बर्फ तोड़ने वाले उपकरण का आयात किया जाता है और यदि हां, तो इसका मूल्य कितना है और किस देश से इसका आयात किया जाता है;

(ख) क्या सरकार ने इस पोत/बर्फ तोड़ने वाले उपकरण का देश में निर्माण करने की संभावनाओं का पता लगाया है; और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए गये हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रॉनिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) चार भारतीय अंटार्कटिक अभियानों के दौरान अब तक उपयोग में लाए गए जहाज/हिम भंजक किराये पर लिए गए हैं परन्तु आयात नहीं किए गए हैं। पहले और दूसरे अभियानों के दौरान, सरकार ने नार्वे से 2.59 करोड़ रुपये की कुल लागत से जहाज किराये पर लिए थे। तीसरे और चौथे अभियानों के लिए फिनलैण्ड से एक जहाज 6.08 करोड़ रुपये की कुल लागत से किराये पर लिया गया था।

(ख) और (ग) विशिष्ट समुद्र वैज्ञानिक जहाज/हिम भंजक के निर्माण पर बड़ी मात्रा में पूंजी परिव्यय होगा तथा हमारे कुछ वर्तमान शिपयार्डों द्वारा अत्यन्त विशिष्ट एवं परिष्कृत जहाजों को देश के अन्दर बनाने के लिए अपनी जहाज निर्माण क्षमताओं का विस्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

पहाड़ी क्षेत्रों के लिए समेकित विकास योजना के अन्तर्गत आबंटन

2297. **श्री आनन्द पाठक** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहाड़ी क्षेत्रों के लिए समेकित विकास योजना के अन्तर्गत किये गये आबंटन का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न पहाड़ी क्षेत्रों के लिए वर्ष वार कितना आबंटन किया गया तत्संबंधी क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) विभिन्न पहाड़ी क्षेत्रों को धनराशि आबंटित करने का आधार क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत, जो पांचवीं पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से कार्यान्वित किया जा रहा है, नामित पहाड़ी क्षेत्रों को विशेष केन्द्रीय सहायता दी जाती रही है ताकि, इन क्षेत्रों में राज्यों के प्रयत्नों को बढ़ाया जा सके। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पांचवीं योजना में 170 करोड़ रु० की और छठी योजना में 560 करोड़ रु० की विशेष केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई। 1982-85 की अवधि में पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत धनराशि के आबंटन का एक विवरण संलग्न है जिसमें राज्य योजना धनराशि और विशेष केन्द्रीय सहायता शामिल है।

(ग) उत्तर प्रदेश, असम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के नामित पहाड़ी क्षेत्रों में विशेष केन्द्रीय सहायता का पारस्परिक आबंटन किया जाता है जिसमें क्षेत्र और जनसंख्या को समान रूप से तरजीह दी जाती है। पश्चिमी घाट के निर्धारित पहाड़ी क्षेत्रों में विशेष केन्द्रीय सहायता का आबंटन 75 प्रतिशत क्षेत्र के आधार पर और 25 प्रतिशत जनसंख्या के आधार पर किया जाता है।

विवरण

(करोड़ रु०)

	1982-83			1983-84			1984-85		
	राज्य योजना	विशेष केन्द्रीय सहायता	जोड़	राज्य योजना	विशेष केन्द्रीय सहायता	जोड़	राज्य योजना	विशेष केन्द्रीय सहायता	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(क) निम्नलिखित राज्यों के पहाड़ी क्षेत्र									
असम	17.00	13.70	30.70	21.00	17.11	38.11	25.59	22.95	48.54
तमिलनाडु	4.33	4.18	8.51	5.15	5.27	10.43	4.83	6.28	11.11
उत्तर प्रदेश	54.23	70.00	124.23	57.80	86.50	114.30	91.38†	104.17	195.55
पश्चिम बंगाल	8.80	6.00	14.80	11.55	6.28	17.83	10.67	6.71	17.38
(ख) पश्चिमी घाट									
केरल	*	3.46	*	*	4.44	*	*	5.42	*
महाराष्ट्र	*	4.45	*	*	5.82	*	*	6.93	*
तमिलनाडु	*	2.43	*	*	3.11	*	*	3.95	*
कर्नाटक	*	2.86	*	*	3.67	*	*	4.57	*
गोवा	*	0.73	*	*	0.88	*	*	1.11	*

†प्रस्थापित

*पश्चिमी घाट के संबंध में राज्य-योजना धनराशि का अनुमान संबंधित राज्य सरकार द्वारा नहीं लगाया गया है।

भारत में आणविक विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए भारत-सोवियत संघ के बीच सहयोग

2298. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ के साथ इस आणविक विद्युत संयंत्र के लिये रक्षा उपायों के स्वरूप के सम्बन्ध में कुछ चर्चा हुई है जिसे सोवियत संघ ने अपने आर्थिक सहयोग के रूप में भारत में स्थापित करने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भारत की नीति का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) सुरक्षोपायों के बारे में सरकार की यह नीति ज्यों की त्यों बनी हुई है कि यदि सुरक्षोपायों को प्रभावी बनाना है तो वे सर्वत्र भेदभाव रहित और युक्तिसंगत होनी चाहिए।

दंडकारण्य परियोजना

2299. **श्री के० प्रधानी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दण्डकारण्य विकास परियोजना समापन की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) उड़ीसा और मध्य प्रदेश सरकारों को क्या-क्या परिसम्पत्तियां अन्तरित की गई हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ हुए विचार विमर्श के परिणामस्वरूप उन्होंने दण्डकारण्य परियोजना के अन्तर्गत स्थापित परिसम्पत्तियों और संस्थानों को चरणबद्ध तरीके से लेना स्वीकार कर लिया है। 31 जुलाई, 1985 को उड़ीसा सरकार ने गांव में सड़कों, शिक्षा संस्थानों, ट्यूब वैलों और उमरकोट क्षेत्र में लघु सिंचाई योजनाओं को अपने हाथ में ले लिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने कोडा गांव और परालकोट क्षेत्रों में कृषि फार्म और सड़कें (ग्राम पंचायत सड़कों के अलावा) अपने हाथ में ले ली है।

रंगीन टेलीविजन के क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कम्पनियां

2300. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रंगीन टेलीविजन निर्माण की क्षमता पहले ही प्रतिवर्ष 10 लाख सैट को पार कर गयी है जबकि इसकी लाइसेंस शुदा क्षमता 150 सैट है जिसके कारण खरीददारों का बाजार की स्थिति पैदा हो गई है;

(ख) क्या भारतीय टेलीविजन निर्माता एसोसिएशन ने इस क्षेत्र में विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रवेश का विरोध करते हुए सरकार को कोई ज्ञापन दिया है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां। इसमें लघु क्षेत्र के लिए अनुमोदित उत्पादन क्षमता भी शामिल है।

(ख) जी, हां।

(ग) भारतीय दूरदर्शन विनिर्माता संघ ने सरकार को एक ज्ञापन दिया है जिसमें यह अनुरोध किया गया है कि चूंकि अनुमोदित उत्पादन क्षमता आवश्यकता से अधिक हो गई है, अतः किसी को भी नया लाइसेंस न दिया जाए, जिसमें बहुराष्ट्रिक कम्पनियां भी शामिल है। विद्यमान उद्योग को और विकसित होने का सुअवसर दिया जाना चाहिए तथा रंगीन दूरदर्शन या श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन के क्षेत्र में किसी भी स्थिति में विदेशी ब्राण्ड नाम से कोई भी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

टी० वी० सैटों का निर्माण

2302. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में श्वेत और श्याम टी० वी० सैटों और रंगीन टी० वी० सैटों की वार्षिक मांग कितनी है;

(ख) देश में प्रतिवर्ष अनुमानतः कितनी संख्या में श्वेत और श्याम तथा रंगीन टी० वी० सैटों का निर्माण होता है;

(ग) देश में रंगीन टी० वी० सैटों के निर्माण के टी० वी० के कितने प्रतिशत हिस्सों का आयात किया जाता है; और

(घ) रंगीन टी० वी० सैटों के निर्माण के लिए शत प्रतिशत हिस्से देश में ही बनाए जाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के लिए श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन सैटों और रंगीन दूरदर्शन सैटों की मांग नीचे दिए अनुसार है :

संख्या लाखों में

	1985-86	198(-87	1987-88	1988-89	1989-90
रंगीन दूरदर्शन	4.5	5.5	7.0	8.5	10.0
श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन	15.0	18.0	21.0	25.0	30.0

(ख) वर्ष 1984-85 के दौरान देश में उत्पादित श्याम तथा श्वेत और रंगीन दूरदर्शन सैटों की संख्या क्रमश: 10 लाख तथा 2.8 लाख है।

(ग) इस समय रंगीन दूरदर्शन रिसीवरों के सभी प्रमुख संघटक-पुर्जों का आयात किया जा रहा है। इनमें रंगीन पिक्चर ट्यूबें, रंगीन विक्षेपण संघटक-पुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक ट्यूनर, संचालन इकाइयां, डिले लाइन, एस० ए० डब्ल्यू फिल्टर, फोकस विभवमापी, एकीकृत परिपथ, विशेष ट्रांजिस्टर, सिरेमिक फिल्टर, कुछ संधारित्र तथा प्रतिरोधक शामिल हैं। स्थानीय रूप से उत्पादित ट्रांजिस्टर, प्रतिरोधक, संधारित्र, ध्वनिप्रवर्धक आदि जैसे संघटक-पुर्जों के क्षेत्र में व्यक्तिगत विनिर्माणकर्ताओं की आवश्यकता उनके स्वदेशीकरण के स्तर पर निर्भर करती है। रंगीन दूरदर्शन सैटों के आयात की मात्रा लगभग 120 अमरीकी डालर है।

(घ) रंगीन दूरदर्शन सैटों में प्रयोग आने वाले महत्वपूर्ण संघटक-पुर्जों में रंगीन पिक्चर ट्यूबें, विक्षेपण संघटक-पुर्जे, ट्यूनर डिले लाइन, एस० एम० पी० एस०, विद्युत आपूर्ति एकीकृत परिपथ तथा सेमीकण्डक्टर हैं। रंगीन दूरदर्शन सैट में प्रयुक्त होने वाले संघटक-पुर्जों की लागत में इनका कुल योगदान 80% के बराबर बैठता है। प्रतिरोधक, संधारित्र, स्विच, ध्वनिप्रवर्धक जैसे अन्य सामान्य उद्देश्य के संघटक-पुर्जों का स्थानीय रूप से उत्पादन किया जा रहा है, यद्यपि इनके ग्रेड उन्नयन की कुछ आवश्यकता होगी। हाल ही में दिए गए अनुमोदन के आधार पर रंगीन पिक्चर ट्यूबों का उत्पादन वर्ष 1987 में, विक्षेपण संघटक-पुर्जों, समस्वरित्रों (ट्यूनर), एस० एम० पी० एस० विद्युत आपूर्ति तथा डिले लाइनों का उत्पादन वर्ष 1986 तक और अधिकांश एकीकृत परिपथों तथा सेमीकण्डक्टर का भी उत्पादन वर्ष 1987 तक शुरू हो जाने की संभावना है। अत: यह आशा की जाती है कि वर्ष 1 88 तक रंगीन दूरदर्शन रिसीवरों में प्रयुक्त होने वाले वस्तुत: सभी संघटक-पुर्जों का स्वदेशीकरण हो जाएगा।

प्रमुख पर्यटक केन्द्रों पर महाकाव्यों के सन्देश लिखकर लगाना

2303. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :** क्या संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संस्कृति मन्त्रालय पर्यटन मन्त्रालय से मिलकर विविधता में एकता की संकल्पना को न्याय संगत ठहराने के लिए भागवत गीता के कुछ श्लोक, रामायण तथा महाभारत, महात्माबुद्ध, गुरूनानक, चैतन्य, जेसुस और कुरान के उपदेशों को भारतीय सन्देश और दर्शन के रूप में प्रमुख केन्द्रों में लिखने का प्रयास कर रहा है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) इस सुझाव पर सम्बन्धित मन्त्रालयों के साथ परामर्श करके विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

पर्यटकों का आगरा और वाराणसी देखने आना

2304. **श्री जैनुल बशर** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष आगरा और वाराणसी को देखने आने वाले पर्यटकों की संख्या कितनी है;

(ख) उनसे परिणामस्वरूप अनुमानतः कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान आगरा और वाराणसी के पर्यटन स्थलों की सैर करने वाले पर्यटकों का क्रमशः क्या प्रतिशत था;

(घ) इस अवधि के दौरान आगरा और वाराणसी के पर्यटन स्थलों के विकास पर खर्च की गई धनराशि की तुलना में इन्हें देखने आने वाले पर्यटकों से कितने प्रतिशत धनराशि अर्जित की गई है; और

(ङ) इन स्थलों के विकास पर खर्च की गई धनराशि का ब्योरा क्या है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (घ) विदेशी पर्यटक आगमनों और विदेशी मुद्रा आयों के आकलनों के आंकड़ों का स्थानवार या राज्यवार संकलन नहीं किया जाता तथापि, विदेशी पर्यटक सर्वेक्षण 1982-83 के अनुसार आगरा और वाराणसी में कम से कम एक रात बिताने वाले पर्यटकों का प्रतिशत क्रमशः 17.01 और 10.90 रहा।

(ङ) भारत पर्यटन विकास निगम सहित केन्द्रीय सरकार द्वारा पिछले 3 वर्षों के दौरान आगरा और वाराणसी के लिए खर्च की गई राशि का ब्योरा नीचे दिया गया है :

(लाख रुपयों में)

	1982-83	1983-84	1984-85
आगरा	17.07	3.05	97.82
वाराणसी	11.49	21.50	4.43

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल के लिए विशेष संघटक योजना

2305. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम बंगाल

के विशेष संदर्भ में, विशेष संघटक योजना की मुख्य रूपरेखा क्या है, जिसमें 1985-86 के लिए अनुसूचित जातियों के लाभ के लिए विकास के सामान्य क्षेत्रों के अन्तर्गत योजनाओं के चयन प्रत्येक क्षेत्र में सभी कार्यक्रमों के अन्तर्गत धनराशि निर्धारण और प्रत्येक क्षेत्र में इन कार्यक्रमों से लाभान्वित होने वाले परिवारों की संख्या की तुलना में लक्ष्य निर्धारण की परिकल्पना की गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : पश्चिम बंगाल सहित, राज्यों की अनुसूचित जातियों के लिए विशेष कम्पोनेंट योजनाएं, अनुसूचित जातियों के भौतिक और आर्थिक दृष्टि से विकास के लिए राज्य की योजनाओं के लाभों और परिव्यय उन तक पहुंचाने के लिए बनाई जाती है। इन योजनाओं में संयुक्त आय प्रजनन कार्यक्रमों के माध्यम से गरीब अनुसूचित जातियों के परिवारों को मदद की परिकल्पना की गयी है। इसके अतिरिक्त विशेष कम्पोनेंट योजनाओं का उद्देश्य, पेयजल, सम्पर्क सड़कों, मकान स्थलों और आवास सुधार, प्राथमिक स्कूल, स्वास्थ्य केन्द्र, पशु चिकित्सा केन्द्र, पंचायत घर, ग्रामीण विद्युतिकरण, संयुक्त कार्य स्थलों, संयुक्त सुविधा केन्द्रों इत्यादि जैसी सेवाओं की व्यवस्था करके अनुसूचित जातियों के परिवारों के रहन सहन के स्तर में सुधार करना है।

2. वर्ष 1985-86 के लिए पश्चिमी बंगाल की विशेष कम्पोनेंट योजना के मसौदे में 65.91 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों में अनेक योजनाएं आती हैं : —

1. कृषि और संबद्ध सेवाएं;
2. सहकारिता;
3. जल और विद्युत विकास;
4. उद्योग और खनिज;
5. परिवहन और संचार
6. सामुदायिक सेवाएं।

वर्ष 1985-86 के लिए परिव्यय को अभी अन्तिम रूप नही दिया गया है। अतः क्षेत्रवार परिव्यय बताना समय-पूर्व होगा।

3. आशा की जाती है कि वर्ष 1985-86 के लिए विशेष कम्पोनेंट योजना से बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति के परिवारों के रहन-सहन के स्तर में सुधार होगा। विशेष कम्पोनेंट योजना और पश्चिम बंगाल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास और वित्त निगम की स्कीमों से लगभग 3,06,0000 परिवारों को गरीबी रेखा पार करने में सहायता मिलने की आशा है।

महिलाओं के प्रति अपराध

2306. **श्री सैयद मसुदल हुसैन** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार-राज्यवार और क्षेत्र वार दहेज के कारण कितनी मौतें और बलात्कार के कितने मामले हुए; और

(ख) सरकार ने ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए क्या कार्यवाही की है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी जाती है।

(ख) आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 1983 (1983 का 43) और आपराधिक कानून (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1983 (1983 का 46) द्वारा भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में संशोधन किया गया है ताकि बलात्कार से संबंधित कानून को अधिक कड़ा बनाया जा सके और दहेज के कारण मौतों के मामलों तथा विवाहित महिला के प्रति निर्दयता के मामलों से कारगर ढंग से निपटा जा सके। इन अधिनियमों के उपबंधों का कार्यान्वयन राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के उत्तरदायित्व के क्षेत्र में आता है। दहेज के कारण मौत के मामलों से निपटने के लिए सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को निम्नलिखित अनुदेश जारी किए गए हैं :—

1. युवा विवाहित महिलाओं के विवाह के प्रथम दस वर्षों के दौरान उनके आत्महत्या के प्रयास अथवा संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु के सभी मामलों को पुलिस द्वारा गम्भीर समझा जाना चाहिए।

2. ऐसे मामलों की जांच-पड़ताल कम से कम पुलिस उप अधीक्षक के पद के अधिकारियों द्वारा की जानी चाहिए।

3. जहां शव परीक्षा की जाय, वहां शव परीक्षा दो डाक्टरों के एक दल द्वारा की जानी चाहिए।

4. पुलिस से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लिए बिना शव परीक्षा के बगैर शव के दाह संस्कार की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

5. पुलिस को अनापत्ति प्रमाण-पत्र तब तक नहीं देना चाहिए जब तक शव को माता पिता अथवा संरक्षकों अथवा परिवार के वधू पक्ष के अन्य निकट संबंधियों द्वारा न देख लिया गया हो।

विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	बलात्कार			दहेज के कारण मौतें		
	1982	1983	1984	1982	1983	1984
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	245	309	276	4	5	(जुलाई तक)

1	2	3	4	5	6	7
असम	198	168	272	शून्य	शून्य	1
बिहार	348	339	475	12	15	20
गुजरात	97	89	139	1	2	5
हरियाणा	90	85	114	42	71	56
हिमाचल प्रदेश	25	29	25	3	2	4
जम्मू और कश्मीर	115	146	142	शून्य	1	शून्य
कर्नाटक	60	85	97	8	31	45
केरल	78	103	124	शून्य	शून्य	शून्य
मध्य प्रदेश	1113	1221	1305	27	39	48
महाराष्ट्र	504	557	675	25	35	68
मणिपुर	20	9	12	शून्य	शून्य	शून्य
मेघालय	17	8	14	शून्य	शून्य	शून्य
नागालैंड	9	8	5	शून्य	शून्य	शून्य
उड़ीसा	137	146	166	5	6	22
पंजाब	53	56	59	51	47	47
राजस्थान	339	378	379	24	24	32
सिक्किम	4	4	7	शून्य	शून्य	शून्य
तमिलनाडु	169	191	207	3	4	18
त्रिपुरा	22	28	19	शून्य	शून्य	शून्य
उत्तर प्रदेश	773	700	897	151	160	202
पश्चिम बंगाल	489	4 8	594	7	18	16
संघ शासित क्षेत्र						
अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	—	4	3	शून्य	शून्य	शून्य
अरुणाचल प्रदेश	6	8	7	शून्य	शून्य	शून्य
चण्डीगढ़	5	3	—	2	2	1
दादरा तथा नगर हवेली	2	1	—	शून्य	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5	6	7
दिल्ली	69	78	102	40	41	45
गोवा दमन व दीव	—	10	7	शून्य	शून्य	शून्य
लक्षद्वीप	—	1	—	शून्य	शून्य	शून्य
मिजोरम	35	39	35	शून्य	शून्य	शून्य
पांडिचेरी	4	7	8	शून्य	शून्य	शून्य

टिप्पणी : आंकड़ों को अस्थायी समझा जा सकता है।

आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों के बेंच मार्क सर्वेक्षण के लिए धनराशि

2307. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों के बेंच मार्क सर्वेक्षण के लिए हरिजन एण्ड ट्राइबल रिसर्च-कम ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट भुवनेश्वर उड़ीसा को धनराशि प्रदान की थी ;

(ख) यदि हां, तो यह धनराशि कब स्वीकृत की गई, प्रति वर्ष कितनी धनराशि दी गई, कौन कौन से कार्यक्रम शुरू किए गए और उनकी अब तक की प्रगति क्या है;

(ग) क्या बेंच सर्वेक्षण का उद्देश्य पूरा हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और राज्य की आदिवासी उपयोजना में सुधार लाने के लिए किस प्रतिवेदन का उपयोग किया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) इस प्रयोजन के लिये कोई विशिष्ट धनराशि स्वीकृत नहीं की गई थी। आदिवासी उप योजना कार्यक्रमों के लिये राज्य के वित्तीय प्रयासों में योगात्मक राशि के रूप में राज्य को दी गई विशेष केन्द्रीय सहायता में से राज्य को यूनिवर्सल ट्राइबल बेंच मार्क सर्वेक्षण से संबंधित खर्च पूरा करने की सलाह दी गई थी। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य को कुल 6656.48 लाख रुपये की विशेष केन्द्रीय सहायता दी गई थी।

(ग) और (घ) यूनिवर्सल ट्राइबल बेंच मार्क सर्वेक्षण आदिवासी क्षेत्रों में आंकड़ों की कमी को पूरा करने और परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिये आधार की व्यवस्था करने और आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों के लिए योजना बनाने के लिये पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम भाग में शुरू किया गया था। इन आंकड़ों से बाद की योजनाओं में बनाए गए कार्यक्रमों के मूल्यांकन में भी सहायता मिलती है। बेंच मार्क सर्वेक्षण के आंकड़ों का परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और आदिवासी उप योजना क्षेत्रों के लिये योजना बनाने में उपयोग किया गया है।

पुलिस की हिरासत में व्यक्तियों की मौत

2308. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में मई, जून, जुलाई 85 के दौरान गिरफ्तारी के पश्चात् पुलिस की हिरासत में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई;

(ख) उनकी मौत के क्या कारण थे;

(ग) क्या गिरफ्तार व्यक्तियों से जानकारी हासिल करने के लिए पुलिस हिरासत में यातना देने के थर्ड डिग्री तरीकों का प्रयोग किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हो जाती है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजन के लिये कोई दिशा निर्देश अनुदेश दिए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) मई से जुलाई 1985 तक की अवधि के दौरान संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में पुलिस हिरासत में तीन व्यक्तियों की मृत्यु हुई।

(ख) मृत्यु के सभी तीन मामलों में संबंधित उप मण्डलीय मजिस्ट्रेटों द्वारा मरणोपरान्त जांच की जा रही है। उनके निष्कर्षों की प्रतीक्षा है।

(ग) से (ङ) पूछताछ के दौरान यातना देने के थर्ड डिग्री तरीके न अपनाने के विषय में सख्त निर्देश हैं। यातना देने के थर्ड डिग्री के तरीकों को न अपनाने और मामलों की जांच में वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समय-समय पर जांच करने वाले अधिकारियों को बताया जाता है।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से लकड़ी के शहतीरों के निर्यात का विरोध

2309. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से लकड़ी के शहतीरों के निर्यात का जनता द्वारा विरोध किए जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो द्वीप समूह में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए इन शहतीरों का उपयोग तैयार उत्पादों में करने हेतु क्या कार्रवाई करने का विचार है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को छोटा अंडमान और दिग्लिपुर में प्लाईवुड कारखाने लगाने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो प्लाईवुड कारखाने लगाने हेतु क्या कार्रवाई करने का विचार है, जिनसे द्वीप समूह में रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा हो सकते हैं और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) सरकार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से लकड़ी के शहतीरों के निर्यात का जनता द्वारा विरोध किए जाने की जानकारी है।

(ख) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिंदी]

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के संवर्ग में परिवर्तन

2310. **श्री जितेन्द्र सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय प्रशासनिक सेवा के उन अधिकारियों की संख्या कितनी है जिनके संवर्ग को अन्य राज्यों से बदल कर उनके अपने राज्य में किया गया है; और

(ख) उनका संवर्ग बदलने के कारण तथा इसका आधार क्या है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5(2) के उपबंधों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार 1982 के अंत तक निम्नलिखित कारणों से अन्त: संवर्गीय स्थानान्तरण की अनुमति देती रही थी :—

(i) लोक हित में;

(ii) जब भारतीय प्रशासनिक सेवा के विभिन्न संवर्गों के दो अधिकारी आपस में विवाह कर लेते हैं;

(iii) जब आबंटित राज्य की जलवायु अधिकारी अथवा उसके जीवन साथी अथवा आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है; और

(iv) प्रत्येक मामले के गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए अनुकम्पा के आधार पर।

तदनुसार, वर्ष 1982 के दौरान उपर्युक्त कारणों से भारतीय प्रशासनिक सेवा के नौ अधिकारी उनके मूल राज्यों में स्थानान्तरित किए गए थे। किन्तु जनवरी, 1983 में यह निर्णय किया गया था कि अत: संवर्गीय स्थानान्तरण की अनुमति वास्तविक कठिनाई के विरल मामलों में अथवा अखिल भारतीय सेवा के दो अधिकारियों के बीच विवाह को छोड़कर न दी जाए। वर्ष 1983 तथा 1984 की अवधि के दौरान भारतीय प्रशासनिक सेवा के दो अधिकारियों को उनके मूल राज्यों में स्थानान्तरित किया गया था क्योंकि ये वास्तविक कठिनाई के विरले मामले थे।

अप्रैल 1985 में अन्त:संवर्गीय स्थानान्तरण से संबंधी नीति की पुनरीक्षा की गई थी तथा यह निर्णय किया गया है कि विभिन्न संवर्गों के अखिल भारतीय सेवा के दो अधिकारियों के बीच विवाह हो जाने की स्थिति को छोड़ कर किसी भी अन्य मामले में अन्त:संवर्गीय स्थानांतरण की अनुमति बिल्कुल न दी जाए।

20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वृक्षारोपण

2311. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के 20-सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक कितने पेड़ लगाए गए हैं; और

(ख) यदि उन पेड़ों को बेचा जाए तो इनसे सरकार को कितना राजस्व प्राप्त होने की सम्भावना है और इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) नये 20-सूत्री कार्यक्रम के शुरू होने से 1984-85 तक लगभग 713 करोड़ पौधे वितरित कर लिए गए हैं।

(ख) इसके कारण सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व के बारे में अनुमान बताना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

न्यायालयों के विचाराधीन सी० बी० आई० मामले

2312. **श्री अमिताभ बच्चन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 4 वर्ष से अधिक अवधि से न्यायालयों में विचाराधीन सी० बी० आई० के कितने मामले हैं;

(ख) क्या सी० बी० आई० ने इस असाधारण विलम्ब को कम करने के लिए कोई सुझाव दिए हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) 30-6-1985 की स्थित के अनुसार न्यायालयों में कुल 797 मामले ऐसे हैं जो कि वर्ष से अधिक अवधि से बकाया पड़े हैं।

(ख) जी, हां। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने बिहार, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में, अपने मामले पर विचार करने के लिए विशेष/अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का सुझाव दिया था।

(ग) इस मामले पर संबंधित राज्य सरकारों के साथ सम्पर्क किया गया था। जबकि पश्चिम बंगाल सरकार उक्त न्यायालयों की स्थापना के लिए सहमत हो गई थी किन्तु अन्य राज्य सरकारें ऐसा करने के लिए अभी तक सहमत नहीं हुई हैं।

इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का विकास

2313. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में अन्य विकसित देशों की तुलना में बहुत ही पीछे है ; और

(ख) यदि हां, तो देश में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का विकास करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और इस क्षेत्र में अन्य देश/देशों से ली जा रही मदद/सहायता का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान आदि जैसे कुछ विकसित देशों के साथ यदि तुलना करें तो यह कहा जा सकता है कि भारत उत्पादन तथा प्रौद्योगिकी दोनों ही मामलों में इनसे काफी पीछे है। फिर भी, उत्पादन की दृष्टि से इलेक्ट्रॉनिकी में क्रमिक रूप से प्रगति हुई है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष (1989-90) में वृद्धि का लक्ष्य लगभग 10,000 करोड़ रु० रखा गया है। परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष आदि जैसे कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी भारत ने इलेक्ट्रॉनिकी की सूक्ष्म तथा जटिल किस्म की प्रौद्योगिकी की दृष्टि से अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है।

(ख) देश में इलेक्ट्रॉनिकी के उत्पादन की गति में तेजी लाने तथा इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के उद्देश्य से सरकार समय-समय पर अनेक नीतियों की घोषणा करती रही है। इलेक्ट्रॉनिकी से सम्बन्धित नई नीतियां तथा प्रोत्साहन योजनाओं की प्रमुख विशेषताएं नीचे दिये अनुसार हैं :—

(i) उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र को छोड़कर सभी प्रमुख क्षेत्रों में एकाधिकार प्रतिबन्धनकारी व्यापार पद्धति के प्रावधानों से छूट;

(ii) सभी क्षेत्रों में (जो लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं, उन्हें छोड़कर) तथा दूरदर्शन के क्षेत्र मे 40 प्रतिशत तक विदेशी साम्यापूंजी की अनुमति देने का प्रश्न विचाराधीन है।

(iii) सामग्रियों, संघटक-पुर्जों तथा उच्च प्रोद्योगिकी वाले दुर्लभ उत्पादों के मामलों में अधिकाधिक विदेशी साम्यापूंजी की अनुमति देना;

(iv) पर्वतीय क्षेत्रों में 50 लाख रु० तक की केन्द्रीय आर्थिक सहायता;

(v) पिछड़े क्षेत्रों के बारे में अधिक जोर न देकर सभी अनुमेय स्थापना-स्थलों में इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग की अनुमति देना;

(vi) खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत अनेक पूंजीगत वस्तुओं के आयात की अनुमति देना;

(vii) पूंजीगत वस्तुओं पर 25 प्रतिशत आयात शुल्क तथा कच्ची सामग्रियों पर 40 प्रतिशत अथवा उससे कम आयात शुल्क;

(viii) दूरदर्शन पिक्चर ट्यूबों तथा कम्प्यूटर उपान्त उपस्करों का सरणीबद्ध रूप से किए जाने वाले आयात को समाप्त करना;

(ix) कुछ वस्तुओं के मामले में एक ही लाइसेंस के अन्तर्गत अनेक वस्तुओं के विनिर्माण की लाइसेंसिंग नीति का उदारीकरण;

(x) लाइसेंस एक बार जारी कर देने के बाद लाइसेंसधारी को अपनी उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने की अनुमति देने का आश्वासन दिया जाएगा;

(xi) सरकार ऐसे इलेक्ट्रानिक संघटक-पुर्जों, सामग्रियों तथा अन्य दुर्लभ उच्च प्रौद्योगिकियों के विनिर्माण की सुविधाएं स्थापित करने के लिए विदेशी साम्यापूंजी वाली कम्पनियां (अर्थात् जिनकी विदेशी साम्यापूंजी 40 प्रतिशत से अधिक है) का स्वागत करेगी जिनके मामले में देश अनुसंधान तथा विकास के क्षेत्र में काफी पूंजीनिवेश नहीं कर सका है।

(xii) देश में इलेक्ट्रॉनिकी का एक समुचित आधार विकसित करने के लिए प्रौद्योगिकी के मुक्त आयात की अनुमति दी जाएगी।

(xiii) लाइसेंसिंग नीति का आम उदारीकरण, जिसमें विनियमन के बजाए संवर्धन पर अधिक जोर दिया गया है।

(xiv) समकालीन प्रौद्योगिकी के आधार पर कम लागत पर अधिक मात्रा में उत्पादन करना, यही एकमात्र मार्गदर्शी सिद्धान्त होगा।

हाथ में ली गई कुछ प्रमुख परियोजनाएं नीचे दिए अनुसार हैं जिनके लिए या तो विदेशी सहयोग को अन्तिम रूप दिया जा चुका है अथवा वे समझौता-वार्ता के अन्तिम दौर में हैं :

		प्रौद्योगिकी का आपूर्तिकर्ता
(i)	रंगीन दूरदर्शन पिक्चर ट्यूब	—फिलिप्स, तोशिबा।
(ii)	ई० पी० ए० बी० एक्स०	—ओ० के० आई०, जी० टी० ई०, जोमान्स स्नीडर।
(iii)	टेलीफोन उपकरण	— सीमेन्स, एरिक्सन, "फेस"।
(iv)	कम्प्यूटर मेन फ्रेम	—सी० डी० सी०, सी० आई० आई०-हनीवेल बुल।
(v)	सिलिकन	—हेमलॉक।
(vi)	बहुअभिगामी रेडियो टेलीफोन	—फुजित्सु।

होटल कनिष्क में एक रेस्टोरेंट का निर्माण

2314. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा इस समय नई दिल्ली स्थित कनिष्क होटल में एक रेस्टोरेंट का निर्माण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजन के लिए तीन "मंजिलें" खाली छोड़ दी गई हैं;

(ग) यदि हां, तो खाली छोड़े गए कमरों तथा उनके दैनिक किराये का ब्यौरा क्या है और इन कमरों को खाली छोड़ने से प्रतिदिन कितना नुकसान होने का अनुमान है और इस रेस्टोरेंट का निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की सम्भावना है;

(घ) क्या इस नुकसान को भारतीय पर्यटन विकास निगम के खाते में डाला जाएगा; और

(ङ) क्या सरकार का विचार भारतीय पर्यटन विकास निगम को हो रहे नुकसान को रोकने के लिए कुछ उपचारात्मक उपाय करने का है?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के०पी०सिंह देव) : (क) से (ग) कनिष्क होटल में 'रूफ टॉप' रेस्तरां का निर्माण फिलहाल प्रगति पर है। होटल में ऑफ सीजन की वजह से कम आकुपेंसी होने के कारण ऊर्जा के परिरक्षण को सुनिश्चित करते हुए होटल के 3 तलों को (13वें से 15वें तक) जिनमें 62 कमरे हैं, खाली रखा गया है। आवश्यकता पड़ने पर इन कमरों को काम में ले लिया जाएगा। इस प्रकार, होटल को कोई हानि होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

योजना संसाधनों का गैर योजना व्यय में परिवर्तन

2315. **श्री भोला नाथ सेन :** क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत पांच वर्षों के दौरान कुछ राज्यों ने योजना संसाधनों का प्रयोग गैर-योजना-व्यय के लिए किया है;

(ख) यदि हां, तो उस व्यय का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) योजना आयोग ने राज्यों को योजना संसाधनों की गैर-योजना व्यय के लिए प्रयोग करने से रोकने और/अथवा यह देखने के लिए क्या कदम उठाए हैं/उठाने का प्रस्ताव किया है कि राज्य अपना योजना-व्यय उपलब्ध वित्तीय संसाधनों की सीमा में रखें; और

(घ) छठी योजना अवधि में विभिन्न राज्यों के योजना-व्यय और गैर-योजना व्यय में कुल कितनी वास्तविक वृद्धि हुई तथा कितने प्रतिशत वृद्धि हुई ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) राज्यों की योजना के लिए 47204 करोड़ रु० का छठी योजना परिव्यय पूरी तरह 33242 करोड़ रु० के राज्यों के अपने संसाधनों की 13962 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता के आधार पर निधि प्राप्त थी। तथापि, पिछले 5 वर्षों के दौरान योजना व्यय को वित्त पोषित करने के लिए केन्द्रीय सहायता में पर्याप्त वृद्धि और मध्यावधि रखने की व्यवस्था के बावजूद राज्यों के संसाधनों में बड़ी कमियां आईं। राज्यों द्वारा अपने राजस्व में संगत वृद्धि के बिना गैर-योजना-व्यय में भारी वृद्धि, इसका मुख्य कारण थी। छठी योजना के दौरान योजना व्यय का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) योजना व्यय को उपलब्ध वित्तीय संसाधनों की सीमा में रखने की आवश्यकता के बारे में राज्यों को, उनकी सातवीं योजना को अन्तिम रूप दिए जाने के समय बताया गया है। इसके साथ, राज्यों को यह सलाह दी गई है कि वे गैर-योजना-व्यय में वृद्धि न होने दें तथा ओवर ड्राफ्ट से बचते हुए कड़े वित्तीय अनुशासन का पालन करें। प्राथमिकता प्राप्त और निर्धारित क्षेत्रकों में योजना व्यय की प्रगति का अनुमानित रूप से प्रबोधन प्रस्तावित है और केन्द्रीय सहायता दिए जाने का सम्बन्ध, निर्धारित क्षेत्रकों पर निधि के वास्तविक उपयोग से जोड़ा जाएगा। राज्यों को यह सुनिश्चित करने की भी सलाह दी गई है कि संसाधन जुटाने में लागत वृद्धि में समायोजन का निवल परिणाम शामिल हो ताकि सातवीं योजना के लिए वास्तविक रूप से संसाधन संरक्षित रहें।

(घ) राज्यों का छठी योजना परिव्यय, 1979-80 के मूल्यों पर 47204 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्तमान मूल्यों पर 47513 करोड़ रुपये किया गया—इस प्रकार 1 प्रतिशत से कम की वृद्धि हुई। विभिन्न राज्यों के गैर-योजना राजस्व व्यय के बारे में अनुमान है कि 1970-80 के मूल्यों पर 60452 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्तमान मूल्यों पर 79964 करोड़ रुपये किया गया --अर्थात् लगभग 32 प्रतिशत की वृद्धि हुई। चूंकि इस अनुमानों का आधार विभिन्न मूल्य हैं। इसलिए प्रतिशत वृद्धि यथार्थतः तुलनीय नहीं है।

विवरण

राज्यों की छठी योजना के परिव्यय के वित्त व्यवस्था की स्कीम

दिनांक 7 अगस्त, 1985 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2315

(करोड़ रु०)

राज्य	योजना परिव्यय	योजना परिव्यय की वित्त व्यवस्था के लिए मूल अनुमान		योजना परिव्यय की वित्त व्यवस्था के लिए अद्यतन अनुमान				
		राज्यों के अपने संसाधन	केन्द्रीय सहायता	योजना व्यय	राज्यों के अपने संसाधन	केन्द्रीय सहायता	मध्यावधि ऋण	1984-85 में घाटा*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. विशेष वर्ग राज्य								
1. असम	1115.00	287.98	827.02	1279.94	(—) 199.34	1270.38	127.43	81.47
2. हिमाचल प्रदेश	560.00	122 65	437.35	655.18	125.26	4[illegible]0.78	36.91	32.23
3. जम्मू और कश्मीर	900.00	(—) 109.00	1009.00	919.83	(—) 137.71	1057.54	—	—
4. मणिपुर	240.00	(—) 0.50	240.50	238.91	(—) 130.96	286 60	66.29	16.08

1		2	3	4	5	6	7	8	9
5.	मेघालय	235.00	39.00	196.00	251.78	(—) 11.46	248.54	16.41	(—) 1.71
6.	नागालड	210.00	0.50	209.50	223.48	(—) 121.41	291.20	21.96	31.73
7.	सिक्किम	122.00	2.50	119.50	132.23	(—) 4.40	136.63	—	—
8.	त्रिपुरा	245.00	40.87	204.13	283.91	(—) 8.26	266.95	30.72	(—) 5.50
	जोड़ (1)	3627.00	384.00	3243.00	3985.26	(—) 488.28	4018.62	299.72	155.20
2.	गैर-विशेष वर्ग राज्य								
1.	आन्ध्र प्रदेश	3100.00	2194.30	905.70	3229.06	1970.80	1007.52	18.95	231.79
2.	बिहार	3225.00	1964.50	1260.50	2989.64	1110.71	1434.64	366.68	77.61
3.	गुजरात	3680.00	3080.32	599.68	3849.38	3080.00	646.02	74.60	48.76
4.	हरियाणा	1800.00	1565.15	234.85	1632.09	1135.66	291.55	95.72	109.16
5.	कर्नाटक	2265.00	1725.80	539.20	2638.29	1813.87	564.27	4.84	255.31
6.	केरल	1550.00	1119.84	430.16	1580.47	756.32	482.98	136.19	204.98
7.	मध्य प्रदेश	3800.00	2786.61	1013.39	3869.85	2435.97	1084.43	115.15	174.31
8.	महाराष्ट्र	6175.00	5299.09	875.91	6484.27	5306.77	1068.98	81.40	27.12

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	उड़ीसा	1500.00	840.47	659.53	1556·88	648.86	658.08	75.43	84.51
10.	पंजाब	1957.00	1657.00	300.10	1900.13	1333.34	337.93	118.67	110.19
11.	राजस्थान	2025.00	1398.09	626.31	1851.37	783.38	723.51	332.17	12.31
12.	तमिलनाडु	3150.00	2485.20	664.80	3509.52	2610.76	757.36	55.78	85.62
13.	उत्तर प्रदेश	5850.00	3920.96	1929.04	6144.59	3457.94	2207.40	2.85	474.40
14.	पश्चिमी बंगाल	3500.00	2819.74	680.26	2292.02	930.86	762-15	414.43	184.58
	जोड़ (2)	43577.00	32857.67	10719.33	43527.67	27377.24	12126.81	1942.86	2080.65
	कुल जोड़ (1+2)	47204.00*	33241.67	13962.33	47512.82*	26888.96	16145.43	2242.58	2235.58**

* विशेष क्षेत्र योजनाओं के लिए परिव्यय शामिल नहीं है।

** ओवर ड्राफ्ट की रकम को मध्यावधि ऋण में परिवर्तित किया जाएगा।

आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण

2316. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार आरक्षण के वर्तमान उपबन्धों में परिवर्तन किए बिना, जैसी कि संविधान में व्यवस्था है, आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर रोजगार में और अधिक आरक्षण करने पर विचार कर रही है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : जी, नहीं।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं हेतु परिव्यय

2317. **श्री चिन्त मोहन** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं हेतु ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत भारी परिव्यय की मांग की है ;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश सरकार से आदिवासी उप-योजना हेतु परिव्यय में वृद्धि अथवा विशेष केन्द्रीय सहायता के लिए भी कोई निवेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) क्या सरकार इस समय चल रहे समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की असंतोषजनक प्रगति को ध्यान में रखते हुए और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों को शीघ्र गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए अनुकूल कदम उठाएगी ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के 1985-86 के लिए परिव्ययों और जन-जातीय उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता में वृद्धि करने के लिए अनुरोध किया था। संसाधनों की कठिनाइयों के कारण, परिव्ययों में वृद्धि करना सम्भव नहीं हुआ है।

(ग) सरकार को समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के रचनात्मक पहलुओं और कमियों की जानकारी है और इनके कार्यान्वयन में सुधार करने के लिए उपाय किये जा रहे हैं। वास्तव में, योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि उक्त कार्यक्रम में बताए गए 30 प्रतिशत के न्यूनतम समावेशन के मुकाबले कार्यक्रम में शामिल निदर्श लाभग्राहियों के लगभग 40 प्रतिशत लाभग्राही अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के थे।

बिना धुंए वाले चूल्हों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन

2318. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का, देश में बिना धुंए वाले चूल्हों को लोकप्रिय बनाने के लिए कुछ प्रोत्साहन देने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितनी राशि खर्च की जाएगी तथा अन्य क्या प्रोत्साहन दिए जाएंगे ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1985-86 में उन्नत प्रकार के चूल्हों के प्रचार एवं प्रसार के लिए 5 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है। उन्नत प्रकार के चूल्हों का कार्यक्रम पूरी तरह से केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता प्राप्त है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति तथा पहाड़ी क्षेत्रों के लाभार्थियों को चूल्हों के स्थिर नमूनों के लोहे वाले भाग के लिए 100 प्रतिशत आर्थिक सहायता उपलब्ध है। अन्य लाभार्थियों के लिए इस प्रकार के चूल्हों की लागत में 50 प्रतिशत तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके साथ ही परियोजना के रूप में उनको प्रशिक्षण कार्यक्रमों और स्थापन कार्यों की भी फीस दी जाती है। सफरी नमूनों के निर्माणकर्त्ताओं को 15 प्रतिशत और इससे अधिक क्षमता वाले नमूनों पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की छूट है। इस समय दिए जा रहे प्रोत्साहन इन चूल्हों के लिए पर्याप्त समझे जाते हैं।

विदेशों में स्थित पर्यटक कार्यालयों का रखरखाव

2319. **श्री मानवेन्द्र सिंह** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1984-85 (31 मार्च, 1985 तक) के दौरान विदेशों में स्थित पर्यटक कार्यालयों के रखरखाव पर किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) तत्सम्बन्धी देश-वार ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव : (क) 1984-85 के दौरान (31 मार्च, 1985 तक) विदेश स्थित पर्यटक कार्यालयों के रख-रखाव पर किया गया व्यय इस प्रकार है :—

स्थापना प्रभारों पर व्यय	प्रचार एवं संवर्धन पर व्यय (लाख रुपयों में)	कुल व्यय
111.93	447.57	569.50

(ख) विदेशों में पर्यटन के प्रचार और संवर्धन के उद्देश्य से विदेशी मार्केट को छः आपरेशनों में विभाजित किया गया है। ये हैं—"आपरेशन यूनाइटेड किंगडम, लन्दन, आपरेशन यूरोप, जनेवा; आपरेशन यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका, न्यूयार्क ; आपरेशन आस्ट्रेलेशिया, सिडनी ; आपरेशन पूर्व एशिया, टोकियो और आपरेशन पश्चिम एशिया, कुवैत। इनके रख-रखाव के लिए परिचालन-वार बजट-आबंटन किए जाते हैं। तद्नुसार, 1984-85 के दौरान खर्च के परिचालन-वार ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

आपरेशन का नाम	स्थापना प्रभारों पर व्यय	प्रचार एवं संवर्धन पर व्यय (लाख रु० में)	कुल व्यय
यूनाइटेड किंगडम, लन्दन	8·81	46.53	55.34
यूरोप, जनेवा	35.96	126.49	162.45
यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका न्यूयार्क	34.32	115.92	150.24
आस्ट्रेलेशिया, सिडनी	14.10	60.43	74.53
पूर्व एशिया, टोकियो	10.65	56.31	66.96
पश्चिम एशिया, कुवैत	8.09	41.89	49.98
जोड़—	111.93	447.57	559.50

उड़ीसा के जनजाति क्षेत्रों के लिये विशेष केन्द्रीय सहायता

2320. **श्री अनादि चरण दास** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य को राज्य उप-योजना के लिये कुल परिव्यय के अतिरिक्त विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार उड़ीसा में जनजाति/अनुसूचित जाति समुदाय का रहन-सहन और शिक्षा स्तर ऊंचा उठाने के लिये एक केन्द्रीय योजना स्वीकृत करने का है; और

(ग) क्या सरकार का विचार चालू और आगामी वर्ष के लिये उड़ीसा को विशेष केन्द्रीय सहायता की धनराशि में वृद्धि करने का है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) चालू वित्त वर्ष के लिए सभी टी० एस०पी० राज्यों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में 140.00 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है। प्रत्येक राज्य को किये गये अस्थायी आबंटन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान।

(ग) जी हां, श्रीमान।

विवरण

वर्ष 1985-86 के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता का अस्थायी आवंटन

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	आई० टी० डी० पी०	आदिम जनजाति	जनजाति बाहुल्य वाले खंड (एम० ए० डी० ए०) (लाख रुपयों में)	जोड़
1.	आन्ध्र प्रदेश	519.20	54.00	129.00	702.20
2.	असम	624.89	—	—	624.89
3.	बिहार	1681.39	56.00	208.00	1945.39
4.	गुजरात	993.25	10.00	115.00	1118.25
5.	हिमाचल प्रदेश	192.90	—	12.00	204.90
6.	कर्नाटक	123.13	5.00	—	128.13
7.	केरल	61.67	8.00	—	69.57
8.	मध्य प्रदेश	3312.00	110.00	502.00	3924.00
9.	महाराष्ट्र	822.92	55.00	62.00	939.92
10.	मणिपुर	244.21	5.00	—	249.21
11.	उड़ीसा	1661.23	55.00	168.00	1884.23
12.	राजस्थान	595.13	8.00	300.00	903.13
13.	सिक्किम	38.99	—	—	38.99
14.	तमिलनाडु	133.39	12.00	—	145.39
15.	त्रिपुरा	211.37	16.00	—	227.37
16.	उत्तर प्रदेश	13.34	10.00	4.00	27.34
17.	पश्चिम बंगाल	554.09	25.00	—	579.09
18.	अ० नि० द्वीप समूह	12.00	18.00	—	30.00
19.	गोआ, दमन और दीव	5.00	—	—	5.00
	कुल जोड़	11800.00	447.00	1500.00	13747.00
	आरक्षित	—	53.00	—	53.00
	कलैस्टर एपोच (रिजर्व)	—	—	—	200.00
		11800.00	500.00	1500.00	14000.00

केरल में "बकेलफोर्ट" और "कन्नानोर फोर्ट" को पर्यटक केन्द्र में परिवर्तित करना

2321. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार (केरल में) कासरगोड जिले में "बकेल फोर्ट" और कन्नानोर जिले में कन्नानोर फोर्ट" को, उनका स्वरूप कायम रखते हुए, पर्यटक महत्व के स्थलों के रूप में बदलने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : केन्द्रीय पर्यटन विभाग के पास कासरगोड जिले में बकेल फोर्ट और कन्नानोर जिले (केरल) में कन्नानोर फोर्ट को पर्यटक आकर्षणों के रूप में विकसित करने की कोई स्कीम विचाराधीन नहीं है। तथापि, राज्य सरकार के पास बकेल जिले को एक पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित करने का एक प्रस्ताव है।

महाराष्ट्र में पर्यटक केन्द्रों में आधारभूत सुविधाओं के विकास पर व्यय की गई राशि

2322. **श्री मुरली धर माने** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र राज्य में विभिन्न पर्यटक केन्द्रों में आधारभूत ढांचे तथा अन्य सुविधाओं के विकास के लिए सरकार द्वारा वर्ष-वार कुल कितनी राशि व्यय की गई; और

(ख) विकसित किए गए पर्यटक केन्द्रों का ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) अन्तिम तीन वर्षों के दौरान सेंट्रल सेक्टर में महाराष्ट्र राज्य में चालू की गई योजनाओं पर 82.20 लाख रुपये की धनराशि खर्च की गई है। इनका ब्यौरा निम्नलिखित है—

(लाख रुपयों में)

पर्यटन विभाग	1982-83	1983-84	1984-85
1	2	3	4
अजन्ता फुट हिल्स का विकास	—	2.85	—
ऐलिफैंटा में जेटी का निर्माण	—	—	8.00
मेलों और उत्सवों का संवर्धन	—	—	1·35
भारत पर्यटन विकास निगम			
बम्बई में होटल	0.45	—	—
औरंगाबाद में होटल	0.04	—	1.16

1	3	4	5
बम्बई में ट्रांसपोर्ट यूनिट	55.52	—	22.52
ड्यूटी फ्री शाप, बम्बई	—	—	1.22
औरंगाबाद में ट्रांसपोर्ट यूनिट	3.83	—	8.73
नागपुर में ट्रांसपोर्ट यूनिट	10.56	—	—
	70.40	2.85	42.98

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति की लेखा परीक्षा रिपोर्ट

2323. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक** : क्या प्रधान मन्त्री केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति की वित्तीय स्थिति के बारे में दिनांक 8 मई, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5730 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेखा परीक्षा रिपोर्ट अब तक प्रस्तुत कर दी गई है;

(ख) क्या लेखा परीक्षा रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों के परिणामस्वरूप कुछ उत्पादों की बिक्री बन्द कर दी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और ऐसा निर्णय करने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या इस सरकार का कोई दोषरहित उपाय खोजने का प्रस्ताव है जिसके अन्तर्गत केवल मानक उत्पाद ही खरीदे जाएं ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड ने अपने व्यापारिक कार्यकलापों की पुनरीक्षा करने के बाद तथा उन्हें सुचारू रूप देने के एक उपाय के रूप में अपेक्षतया कम मूल्य की कुछ मदों की खरीद तथा बिक्री बन्द कर दी है।

केरल में प्रदूषण

2324. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार जल और वायु प्रदूषण को रोकने के लिए केरल सरकार को कोई तकनीकी और वित्तीय सहायता दे रही है;

(ख) तरल पदार्थ और गैसों से काफी हद तक जल और वायुमण्डल को प्रदूषित करने वाले कारखानों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रदूषण को रोकने के लिए प्रत्येक कारखाने के सम्बन्ध में क्या उपाय किए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीर सेन) : (क) जी, हां।

(ख) जल प्रदूषक फैक्ट्रियां मुख्य रूप से ये हैं—ट्रावनकोर टिटेनियम प्रोडक्ट्स, ट्रावनकोर कोचीन कैमिकल्स, पुनालूर पेपर मिल्स, टाटा चाय, वांचीडाड लेदर्स, केरल स्पिनर्स एण्ड पोल्सन डिस्टिलरी। वायु प्रदूषक उद्योग मुख्य रूप से हैं— ट्रावनकोर टिटेनियम प्रोडक्ट्स, ट्रावनकोर कोचीन कैमिकल्स, फैक्ट कोचीन डिविजन, फैक्ट उद्योग मण्डल, कार्बन एण्ड कैमिकल्स, ग्वालियर रेयन्स, ट्रावनकोर इलैक्ट्रो कैमिकल्स तथा ट्रावनकोर सीमेन्ट।

(ग) उद्योगों को सहमति देते समय राज्य प्रदूषक नियंत्रण बोर्ड ने बहिस्राव गुणवत्ता मानक निर्धारित किए हैं। कुछ उद्योगों के विरुद्ध अनुपालन न करने के लिए कानूनी कार्रवाई भी की गई है। वायु प्रदूषण के लिए, वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्रों को अधिसूचित किया गया है तथा उद्योगों को सहमति के लिए आवेदन करने हेतु कहा गया है।

[हिन्दी]

मारे गए सेवारत होमगार्ड कर्मचारी

2325. **श्री लाला राम केन** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सेवारत होमगार्ड कर्मचारियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है जिनकी गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न सेवाओं में सेवा में रहते हुए मृत्यु हुई; और

(ख) प्रशासन/राज्य सरकारों/केन्द्रीय सरकार तथा अन्य एजेंसियों द्वारा मृत व्यक्तियों के आश्रितों को दी जा रही सहायता का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां): (क) चूंकि होम गार्ड्स के सदस्यों का राज्य सरकारों द्वारा उनसे संबंधित होम गार्ड्स अधिनियमों के अधीन नामांकन किया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है तथा ड्यूटी पर तैनात किया जाता है इसलिए केन्द्रीय सरकार हताहत होम गार्डों के आंकड़े नहीं रखती है।

(ख) मृत होमगार्डों के आश्रितों को वित्तीय तथा अन्य सहायता होमगार्ड्स अधिनियमों में निहित उपबन्धों और संबंधित राज्यों द्वारा जारी किए गए अन्य आदेशों द्वारा नियमित होती है। अप्रैल 1981 में केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से होमगार्डों को उसी आधार पर मृत्यु तथा जख्मी होने पर दिए जाने वाले लाभों की व्यवस्था करने के लिए कदम उठाने का अनुरोध किया था जिस पर उसी कार्रवाई में लगे पुलिस कार्मिक को दिए जाते हैं। यह भी कहा गया था कि मृत्यु व जख्मी होने पर दिए जाने वाले लाभों के संबंध में अदायगी उस अभिकरण द्वारा की जाएगी जिसके कहने पर होमगार्डों को ऐसी ड्यूटियों के लिए बुलाया जाता है। चूंकि ऐसी सहायता

स्वीकृत करने और इसको देने के लिए राज्य सरकारें संबंधित प्राधिकरण हैं इसलिए इसका रिकार्ड केन्द्रीय सरकार द्वारा नहीं रखा जाता।

[अनुवाद]

घटक राज्यों में पूर्वोत्तर परिषद के एकक खोलना

2326. **श्री एन० टोम्बी सिंह :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार घटक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की राजधानियों में पूर्वोत्तर परिषद एकक (प्रशासनिक) खोलने पर विचार कर रही है ताकि पूर्वोत्तर परिषद घटक एककों को समान लाभ प्रदान कर सकें;

(ख) यदि हां, तो कब और प्रस्तावित एककों की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार को यह जानकारी है कि वर्तमान व्यवस्था की प्राथमिक सीमाएं हैं; जिनके कारण घटक राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में असन्तोष व्याप्त है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) अधिक धन और अधिक योजनाओं की मांग और अत्यधिक दूर-दराज और दुर्गम क्षेत्रों में इसके वितरण के अलावा इसमें सम्मिलित राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों की राजधानियों में उत्तर पूर्वी परिषद इकाइयों के न खोलने के कारण असन्तोष का कोई समाचार नहीं मिला है।

बम्बई-लखनऊ-इलाहाबाद के बीच विमान सेवा

2327. **श्री गुरुदास कामत :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बम्बई और लखनऊ-इलाहाबाद के बीच विमान सेवा शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव को कब तक अन्तिम रूप दिए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) इस समय बम्बई और इलाहाबाद के बीच विमान सेवा उपलब्ध कराए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, लखनऊ, आगरा, कानपुर और वाराणसी से बम्बई को यातायात की संभावनाओं का पता लगाने के लिए

इंडियन एयरलाइन्स एक सर्वेक्षण कर रही है। आर्थिक व्यवहार्यता तथा अतिरिक्त विमान क्षमता उपलब्ध हो जाने पर, इंडियन एयरलाइन्स इनमें से किसी एक स्टेशन से बम्बई को सेवा आरम्भ करेगी।

गोलकुंडा किले का संरक्षण

2328. **श्री टी० बाला गौड** : क्या संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय स्मारकों को नष्ट होने और ह्रास से बचाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश में प्रसिद्ध गोलकुंडा किले को जो कि इस समय बहुत ही बुरी दशा में है नया रूप देने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे रखरखाव के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई है और ये राशियां इस कार्य के लिए किस एजेंसी के माध्यम से उपयोग में लाई जा रही है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) राष्ट्रीय स्मारकों को ह्रास और नष्ट होने से बचाने के लिए नियमित रखरखाव के अतिरिक्त, संरचनात्मक मरम्मत, रासायनिक संरक्षण और पर्यावरण संबंधी विकास कार्य शुरू किए गए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) 1985 86 के दौरान गोलकुण्डा किला परिसर के संरक्षण की एक समेकित परियोजना के लिए 1.20 लाख रुपये की राशि आबंटित की गई है। ये कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किए जाएंगे।

(घ) सातवीं योजना के दौरान, किले की दीवारों, नगीना बाग मस्जिद, बालाहिसार, असला खाना, भवन जिसे अक्कन्ना मदन्ना कहा जाता है, रानी महल परिसर, नक्कार खाना और तारामती मस्जिद के रासायनिक परिरक्षण सहित मुख्य संरचनात्मक मरम्मत कार्यों को, समेकित संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू करने का प्रस्ताव है।

अवैध निर्माणों को रोकना

2329. **श्री विलास मुत्तेमवार**
डा० गौरी शंकर राजहंस } : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 16 जून, 1985 के जनसत्ता में "वोट और पैसे की हवस कराती है अवैध निर्माण" शीर्षक से प्रकाशित हुए समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या उनका मन्त्रालय सरकारी भूमि पर अवैध निर्माणों और दिल्ली में अनधिकृत निर्माणों को रोकने के लिए कोई कदम उठा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) और (ग) सरकारी भूमि पर अतिक्रमण रोकने और अनधिकृत निर्माण से निपटने के लिए सरकार ने निम्नलिखित चार अधिनियम बनाए हैं—

(i) दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 1984

(ii) पंजाब नगर (दिल्ली संशोधन) अधिनियम, 1984

(iii) दिल्ली विकास (संशोधन) अधिनियम, 1984 तथा

(iv) सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत) दखलकारों की बेदखली) (संशोधन) अधिनियम 1984।

18 जून, 1985 को गृह मन्त्री ने एक उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई थी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ संबंधित स्थानीय, प्राधिकरणों, स्वायत्तशासी/अर्ध स्वायत्तशासी निकायों सरकारी विभागों के स्वामित्व/कब्जे/प्रबन्ध में भूमि के संरक्षण के संबंध में उनका उत्तरदायित्व निश्चित करने के निर्णय लिए गए। आगे कार्यवाही बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार प्रवर्तन अभिकरणों द्वारा की जाएगी।

विदेशों में रहने वाले भारतीयों की दशा में सुधार करना

2330. **श्री थम्पन थामस** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा संबंधित दूतावासों से अपर्याप्त सहायता प्राप्त होने के बारे में विदेशों में विभिन्न दूतावासों, विशेषकर यूरोप और संयुक्त अरब अमीरात में दूतावासों में अनेक शिकायतें दर्ज करायी गई हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि बहुत से भारतीय श्रमिक उचित मार्ग दर्शन न मिलने के कारण संयुक्त अरब अमीरात को छोड़कर आ गए हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) सरकार का विदेशों में रहने वाले भारतीयों की दशा में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है।

(ख) संयुक्त अरब अमीरात अथवा किसी भी अन्य देश से जाने वाले भारतीय श्रमिकों के बारे में सूचना एकत्र करने की कोई क्रियाविधि नहीं है। हमारी सूचना के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात में श्रमिकों के रोजगार में कमी आ रही है। आबूधाबी स्थित हमारा राजदूतावास तथा दुबई स्थित हमारा प्रधान कोंसलावास उन भारतीय श्रमिकों को ऐसी सभी संभव और उचित सहायता देता है जिन्हें अपने नियोजकों के साथ किसी तरह की समस्या का सामना करना पड़े और जब कभी जरूरत होती है तब तत्परता के साथ हर प्रकार की कोंसली सहायता भी दी जाती है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) आतिथेय सरकारें अपने-अपने देशों में कामकाज और रहन-सहन की परिस्थितियों के मानदंड और नियम निर्धारित करती हैं। हमारे राजदूतावास प्राप्त शिकायतों के आधार पर आतिथेय सरकारों का ध्यान इन मानदंडों और नियमों के उल्लंघनों की ओर आकृष्ट करते हैं ताकि ये शिकायतें सौहार्दपूर्ण ढंग से दूर हो जाएं। जहां कहीं आवश्यक होता है, श्रमिकों को श्रमिक अदालतों के जरिए अपनी शिकायतें दूर करवाने में मदद दी जाती है। जब कभी श्रमिक हमारे मिशनों में शिकायत लेकर आते हैं तो हमारे मिशन नियोजकों और कर्मचारियों के बीच संविदा की शर्तों से संबद्ध द्विपक्षीय विवादों को निपटाने में अपने सदभाव से भी काम लेते हैं।

चलती गाड़ियों में लूटमार और डकैतियों की घटनाओं में वृद्धि

2331. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चलती गाड़ियों में लूटमार/डकैती की घटनाओं में भारी वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो 1 जनवरी, 1985 से 30 जून, 1985 की अवधि के दौरान लूटमार/डकैती की कितनी घटनाएं हुई और इसकी तुलना में गत वर्ष कितनी घटनाएं हुई थीं ; और

(ग) इस प्रकार के अपराधों को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) अपराधों से संबंधित कानूनों को लागू करने के लिए राज्य सरकारें और संघ शासित क्षेत्र प्रशासन उत्तरदायी हैं। यह निष्कर्ष निकालने के लिए कोई विशिष्ट सूचना अथवा समाचार नहीं है कि देश में चलती हुई रेलगाड़ियों में लूटपाट/डकैतियों में वृद्धि हुई है।

(ग) रेलवे, रेल मार्गों पर अपराधों की घटनाओं को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय कर रहा है :

(1) गाड़ियों के चालकों को संकटकालीन सीटी बजाने के निदेश दिए गए हैं यदि गाड़ी अचानक असारिणीबद्ध रूप से रुकती है ताकि मार्ग रक्षक दल सचेत किया जा सके।

(2) कोच एटेंडेंटों को सतर्क रहने और आरक्षित डिब्बों में अनाधिकृत यात्रियों के प्रवेश को रोकने के निदेश दिए गए हैं।

(3) रेलवे के अनुसंधान, डिजाईन तथा मानक संगठन को डिब्बों के सरकबों किवाड़ों को ताला लगाने की व्यवस्था में सुधार करने, अनधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए प्रवेश द्वारों में सुधार करने और डिब्बों के भीतर तथा बाहर बेहतर प्रकाश सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए सुझाव देने की सलाह दी गई है।

सरकारी रेलवे पुलिस जो रेलों में यात्रा कर रहे यात्रियों और उनके सामान की सुरक्षा के लिए जिम्मेवार हैं, रेलों में मार्ग रक्षकों की व्यवस्था करके, अपराधियों पर निगरानी रखकर, विशिष्ट मामलों में उनको गिरफ्तार करके तथा उन पर मुकदमा चलाकर रेल मार्गों पर अपराधों पर नियंत्रण करने के लिए सभी प्रयास कर रही है। इस संबंध में रेलवे सुरक्षा बल सरकारी रेलवे पुलिस की सहायता कर रहा है।

कुतुबमीनार को जनता के लिए खोलना

2332. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :** क्या संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुतुब मीनार को जनता के लिए फिर से खोल दिया जाएगा जैसाकि दिनांक 7 जून 1985 के टाइम्स आफ इण्डिया में प्रकाशित हुआ था;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रवेश केवल प्रथम मंजिल तक ही सीमित किया जायेगा ; और

(ग) दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या सुरक्षा उपाय अपनाये गए हैं ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

15-फोटोवोल्टयिक पम्पों का आयात

2333. **श्री हरिहर सोरन :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने राज्य के विभिन्न जिलों में स्थापित करने के लिए कनाडा की सहायता से 15 फोटोवोल्टयिक पम्प आयात करने के लिए गैर-परम्परागत ऊर्जा साधन विभाग को एक प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र द्वारा उक्त प्रस्ताव को अभी तक मन्जूर न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) उस प्रस्ताव को मन्जूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलैक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग ने सिद्धान्त रूप में प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है और इसे आवश्यक स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए अन्य संबंधित सरकारी विभागों को भेज दिया है। सीमा शुल्क के भुगतान की देनदारी के संबंध में राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया है और उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

सेवा निवृत्ति पर अधिकारियों को विशेष कार्य सौंपा जाना

2334. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत से अधिकारियों को सेवानिवृत्ति पर विशेष कार्य सौंपे जाते हैं और उन्हें कुछ "मानदेय" दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) विशिष्ट प्रकृति के विशेष कार्यों के लिए सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों या गैर-सरकारी व्यक्तियों की परामर्शदाताओं के रूप में नियुक्ति की जाती है। इस प्रकार के परामर्शदाताओं को दिया जाने वाला पारिश्रमिक इस विभाग के दिनांक 29-8-1984 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 16014/6/84-स्था० (भत्ता) [प्रति संलग्न] के पैरा 2 में उल्लिखित विधि के अनुसार विनियमित किया जाता है।

[**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** — 1326/85]

पूंजीगत वस्तुओं के आयात में कमी लाने सम्बन्धी अध्ययन के लिये स्थायी दल का गठन

2335. **श्री पी० पेंचलैय्या** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूंजीगत वस्तुओं के आयात में कमी लाने और विभिन्न सरकारी उपक्रमों के लिए आवश्यक उपस्करों का निर्माण धीरे-धीरे देश में करने के सम्बन्ध में अध्ययन करने हेतु स्थायी दल का गठन किया है;

(ख) उस दल के विचारार्थ कौन-कौन से विषय हैं और वह अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत करेगा ; और

(ग) इसमें किन पक्षों के प्रतिनिधि शामिल किए जाएंगे ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) से (ग) जी, हां। सरकार ने योजना आयोग के सचिव की अध्यक्षता में नीति रूप-रेखा की सिफारिश और सरकारी क्षेत्र परियोजनाओं के लिए पूंजीगत वस्तुओं के आयात में कमी लाने से संबंधित अन्य मामलों पर विचारार्थ, सचिव दल की स्थापना की थी।

दल ने अपनी रिपोर्ट 23.3.1985 को प्रस्तुत की थी। दल के विचारार्थ विषय और गठन, योजना आयोग के दिनांक 12.5.1983 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एम०-12016/1/83-सी० डी० एन० में दिए गए हैं जिसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी है। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-1327/85**]

राष्ट्रीय परती भूमि विकास कार्यक्रम

2336. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार परती भूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत खेतों और बागान क्षेत्र बढ़ाने के लिए एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियों सहित बड़ी कम्पनियों को शामिल करने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या रिलाएन्स टेक्सटाइल्स, गरवारेज, हिन्दुस्तान लीवर जैसी कम्पनियों ने उक्त क्षेत्र में प्रवेश के लिए पहले ही सरकार की मंजूरी मांगी है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन्हें मंजूरी देने का निर्णय कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो हमारी कृषि अर्थ-व्यवस्था पर ऐसे सहयोगों का क्या प्रभाव पड़ेगा ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीर सेन) : (क) और (ख) सरकार ने एक राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड का गठन किया है। बोर्ड के उद्देश्य और कार्य अनुबन्ध में दे दिए गए हैं। बोर्ड बंजर भूमि के विकास के लिए उपयुक्त कार्यक्रम तैयार करेगा।

राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड ने अभी तक बंजर भूमि विकास कार्यक्रमों के लिए अधिक कम्पनियों को शामिल करने के प्रश्न की जांच नहीं की है। उल्लिखित कम्पनियों ने राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड से सम्पर्क नहीं किया है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

विवरण

राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड

भूमिका और कार्य : बोर्ड का प्रमुख उद्देश्य वनरोपण और वृक्ष लगाने के व्यापक कार्यक्रम के जरिए देश की परती भूमि को सार्थक प्रयोग में लाना होगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह निम्नलिखित प्रमुख कार्य करेगा—

(1) समग्र राष्ट्रीय नीति के अन्तर्गत देश की परती भूमि के प्रबन्ध और विकास के लिए संदर्भ योजना तथा कार्यक्रम बनाना।

(2) देश में परती भूमि का पता लगाना ताकि उसे बोर्ड के कार्यक्रम के तहत लाया जा सके।

(3) सरकार के भीतर तथा बाहर की विभिन्न एजेंसियों द्वारा परती भूमि के विकास के लिए हाथ में लिए गए कार्यक्रमों तथा योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करना।

(4) सरकारी तथा अन्य एजेंसियों के जरिए परती भूमि के विकास के लिए परियोजनाओं तथा योजनाओं की मंजूरी देना।

(5) परती भूमि के विकास के लिए समुचित एजेंसियों की परियोजनाओं तथा योजनाओं पर विचार करना और उन्हें धनराशि प्रदान करना।

(6) गैर-सरकारी संगठनों, स्वैच्छिक एजेंसियों और भूमिहीन व्यक्तियों समेत जनता के सक्रिय सहयोग से देश में परती भूमि के विकास को संवर्धन, प्रोत्साहन तथा वित्तीय सहायता प्रदान करना।

(7) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के विभागों, एजेंसियों, स्थानीय निकायों और स्वैच्छिक एजेंसियों के साथ सहयोग करना ताकि परती भूमि विकास कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित जनशक्ति, धनराशि तथा आदान जुटाए जा सकें।

(8) परती भूमि के विकास के लिए उचित टैक्नालाजी तथा प्रबंध पद्धतियों के विकास को प्रायोजित करना।

(9) परती भूमि के विकास के संबंधित पहलुओं पर विश्वसनीय आंकड़ा-आधार तथा प्रलेख पोषण केन्द्र का सृजन करना।

(10) उम्दा प्रमाणित रोपण सामग्री तथा बीजों की सप्लाई के लिए नर्सरियों तथा बीज बैंकों का संवर्धन करना।

(11) परती भूमि के ऐच्छिक विकास और उपयोग के लिए विभिन्न स्तरों पर कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों और प्रशिक्षण सामग्री का संवर्धन करना।

(12) बोर्ड तथा इसकी परती भूमि विकास योजनाओं के लिए बजट तैयार करना।

(13) परती भूमि विकास कार्यक्रमों को वित्तीय सहायता के लिए वित्तीय संस्थाओं के साथ मिलकर कारंवाई करना।

(14) खासतौर पर शिक्षा प्रणाली के माध्यम से परती भूमि के विकास के पक्ष में सामान्य जागृति पैदा करना।

(15) विशिष्ट योजनाओं पर परियोजनाएं /स्कीमें/दस्तावेज, रिपोर्टें आदि तैयार करने के उद्देश्य से अध्ययन करने का काम हाथ में लेना या विशेषज्ञ दल नियुक्त करना।

(16) समान हित के मामले में राष्ट्रीय भू-उपयोग तथा संरक्षण बोर्ड के सहयोग से काम करना।

(17) परती भूमि के विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक अन्य सभी उपायों पर विचार करना तथा उन्हें शुरू करना।

टेलीविजन निर्माण के क्षेत्र में बहुराष्ट्रिक और बड़े गृहों का प्रवेश

2337. **श्रीमती जयंती पटनायक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बहुराष्ट्रिक और बड़े गृहों को टेलीविजन निर्माण के क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति प्रदान कर दी है;

(ख) क्या बहुराष्ट्रिक और बड़े गृहों के टी० वी० निर्माण के क्षेत्र में प्रवेश का टी० वी० बनाने वाली छोटी इकाइयों के अस्तित्व पर प्रभाव पड़ेगा;

(ग) यदि हां, तो लघु क्षेत्र के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) (i) बहुराष्ट्रिक कम्पनियों को अभी तक अनुमति नहीं दी गई है ।

(ii) बड़े गृहों, जिनका तात्पर्य संगठित क्षेत्र की कम्पनियों से है, को दूरदर्शन के विनिर्माण के क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति दी गई है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

मृत्युदण्ड की सजा पाए हुए अपराधी

2338. **श्री एन० डेनिस** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मृत्युदण्ड की सजा पाए अनेक अपराधी फांसी पर चढ़ाये जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं;

(ख) राज्य-वार ऐसे अपराधियों की संख्या कितनी है; और

(ग) क्या भारत में मृत्युदण्ड समाप्त किया जायेगा ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान् ।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति से लेखन सामग्री आदि की खरीद

2339. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 14.7.81 के ज्ञापन संख्या 14/14/80-वेलफेयर के द्वारा यह अनिवार्य कर दिया गया है कि दिल्ली/नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालय, उनके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालय तथा सरकार द्वारा वित्त पोषित और/अथवा नियंत्रित अन्य संस्थानों द्वारा लेखन सामग्री, बिजली का सामान, सैनिटरी और अन्य वस्तुएं की खरीद केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति से ही की जाए;

(ख) क्या उनके मंत्रालय के अधीन सभी कार्यालय उक्त निर्देशों का पालन कर रहे हैं और इन वस्तुओं की खरीद समिति से कर रहे हैं;

(ग) यदि नहीं, उनके मंत्रालय के अधीन उन सभी कार्यालयों के नाम क्या हैं जिन पर उक्त आदेश लागू होते हैं; और

(घ) उक्त आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

प्रोग्राम इवेलूएशन आर्गनाइजेशन के इकानामिक इन्वेस्टीगेटरों की पदोन्नति में गतिरोध

2340. **श्री नरसिंह सूर्यवंशी** : क्या योजना मंत्री प्रोग्राम इवेलूएशन आर्गनाइजेशन के इकानामिक इन्वेस्टीगेटरो की पदोन्नति में गतिरोध के बारे मे 16 नवम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 440 के भाग (ग) के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपने चयन ग्रेड (775-1000 रु०) को लागू करने की सम्भावना की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो क्या गतिरोध की स्थिति पर पहुंचे इन्वेस्टीगेटरों को उक्त लाभ अब तक दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारतीय आर्थिक सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा बोर्डों ने यह महसूस किया है कि सरकार के सम्मिलित सभी मंत्रालयों/विभागों में भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा के ग्रेड 4 में पदोन्नति के लिए पोषक पद धारकों के लिए केवल एक ही ग्रेड होना चाहिए। इसलिए, आर्थिक अन्वेषकों को अभी तक प्रवरण ग्रेड का लाभ नहीं दिया गया है। लेकिन, क्योंकि सरकार द्वारा स्थापित चौथा केन्द्रीय वेतन आयोग मंत्रालयों/विभागों में विभिन्न श्रेणी के पदों से संबंधित

वेतनमानों में संशोधन के प्रश्न और सेवा से संबंधित अन्य मामलों पर विचार कर रहा है, इसलिए यह महसूस किया गया है कि आयोग की सिफारिशों की घोषणा होने के बाद इस मामले पर एक बार फिर गौर किया जा सकता है।

त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर पर्यटक यातायात

2341. श्री टी० बशीर : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितने यात्रियों ने त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे का उपयोग किया है, तत्संबंधी वर्ष-वार आंकड़े क्या हैं;

(ख) इनमें से कितने विदेशी पर्यटक हैं, तत्संबंधी वर्ष-वार आंकड़े क्या हैं;

(ग) ये पर्यटक किन-किन देशों से आये और उनकी, देश-वार संख्या क्या है;

(घ) त्रिवेन्द्रम से कौन-सी विमान कम्पनियां अपने विमानों का संचालन कर रही हैं और उनकी उड़ानों की संख्या क्या है तथा उनका गन्तव्य स्थल क्या है; और

(ङ) क्या निकट भविष्य में उड़ानों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) 1982-1983 और 1984 के दौरान त्रिवेन्द्रम् पर आने वाले और वहां से जाने वाले यात्रियों की संख्या निम्न प्रकार है :

वर्ष	यात्रियों की संख्या
1982	403145
1983	423585
1984	410573

(ख) त्रिवेन्द्रम विमान क्षेत्र पर आने वाले और वहां से जाने वाले कुल व्यक्तियों में से पिछले तीन वर्षों में विदेशी पर्यटकों की संख्या निम्न प्रकार है :

1982	13649
1983	14936
1984	13745

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

(ङ) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विवरण-1

क्षेत्र/देश	1982	1983	1984
1	2	3	4
उत्तरी अमरीका			
कनाडा	150	203	223
संयुक्त राज्य अमरीका	610	710	829
कुल	760	913	1052
मध्य तथा दक्षिण अमरीका			
अर्जेंटाइना	2	8	3
ब्राजील	6	4	9
चीले	—	1	1
कोलम्बिया	—	1	1
कोस्टारिका	—	—	—
क्यूबा	—	—	—
इक्वडोर	—	—	—
गोटेमाला	—	—	—
मैक्सिको	—	2	5
पनामा	—	—	—
पेरु	—	—	—
त्रिनिडाड	—	—	—
यूरुगुए	—	—	—
वेनेजुएअला	1	5	—
अन्य	—	—	—
कुल	9	21	19

1	2	3	4
पश्चिमी यूरोप			
आस्ट्रिया	88	129	148
बेल्जियम	47	105	70
डेनमार्क	99	121	103
फिनलैण्ड	17	3	23
फ्रांस	444	459	401
संघीय जर्मन जनवादी गणतंत्र	1,262	1,118	999
आइसलैण्ड	2	—	1
आयरलैण्ड	15	18	22
इटली	997	845	354
लक्सनबर्ग	3	5	5
नीदरलैंड्स	104	175	116
नार्वे	12	13	36
पुर्तगाल	4	4	6
स्पेन	83	87	47
स्वीडन	129	126	136
स्विटजरलैण्ड	409	369	315
इंग्लैण्ड	706	930	1,041
ग्रीक	1	10	3
अन्य	—	—	—
कुल	4,422	4,517	3,826
पूर्वी यूरोप			
जर्मन जनवादी गणराज्य	—	—	—
बुलगारिया	—	—	—

1	2	3	4
चैकोस्लोवाकिया	—	2	1
हंगरी	—	4	20
पोलैण्ड	43	30	26
रुमानिया	—	—	—
सोवियत संघ	—	—	2
यूगोस्लाविया	3	8	8
अन्य	—	—	—
कुल	46	44	57
अफ्रीका			
अलजीरिया	2	—	—
कांगो	—	—	—
इथोपिया	2	1	—
घाना	—	—	—
केनिया	3	9	3
लीबिया	—	—	—
मलावी	—	—	10
मारीशस	1	2	4
मोरक्को	—	1	2
मोजम्बिक	—	2	—
नाइजीरिया	9	27	58
सेशल्स	—	—	—
सोमालिया	1	—	10
दक्षिण अफ्रीका	30	30	[illegible]

1	2	3	4
दक्षिण रोडेशिया	—	—	—
सूडान	4	5	3
तंजानिया	23	11	9
तुनिसिया	1	1	1
यू० ए० आर०	1	1	3
युगांडा	—	—	—
जाम्बिया	3	2	2
अन्य	3	6	11
कुल	83	98	121
पश्चिमी एशिया			
अदन	—	—	—
बहरीन	5	11	6
साइप्रस	—	—	1
दुबई	64	146	162
ईराक	2	--	1
इजराइल	2	1	—
जोर्डन	—	9	5
कुवैत	28	33	29
लेबनान	7	2	1
ओमन	8	7	4
कतार	—	—	1
सऊदी अरबिया	1	6	8
तुर्की	12	16	3
सीरिया	1	1	1

1	2	3	4
यमन	1	3	2
अन्य	—	2	—
कुल	131	237	224
दक्षिण एशिया			
अफगानिस्तान	18	33	8
श्रीलंका	6,110	6,816	6,293
ईरान	166	168	76
नेपाल	3	—	—
अन्य	812	944	982
कुल	7,109	7,961	7,359
दक्षिण पूर्वी एशिया			
बर्मा	4	8	1
कम्बोडिया	—	—	—
इंडोनेशिया	3	—	3
लाओस	—	—	—
मलेशिया	192	113	83
फिलिपाइन्स	3	3	10
सिंगापुर	376	517	332
थाईलैण्ड	7	9	1
वियतनाम	—	—	3
अन्य	—	—	—
कुल	585	650	433
पूर्वी एशिया			
चीन	—	—	—

1	2	3	4
हांग-कांग	—	—	—
जापान	145	163	250
कोरिया	1	13	3
तिब्बत	—	1	—
ताइवान	2	—	—
अन्य	—	—	—
कुल	148	177	253
आस्ट्रेलिया			
आस्ट्रेलिया	297	254	328
फिजी	—	1	1
न्यूजीलैण्ड	59	63	72
अन्य	—	—	—
कुल	356	318	410
राज्यहीन			
कुल योग	13,649	14,936	13,745
त्रिवेन्द्रम् विमान क्षेत्र पर आगमन का प्रतिशत हिस्सा			
कुल विमान क्षेत्रों में	1.7	1.8	1.8
सभी पत्तनों पर	1.6	1.7	1.6

विवरण-2

1. इंडियन एयरलाइन्स : अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें

सप्ताह में चार उड़ानें

मार्ग— त्रिवेन्द्रम्-कोलम्बो-सप्ताह में दो।

त्रिवेन्द्रम्-माले।

अन्तर्देशीय मार्ग : दैनिक उड़ानें

मार्ग (क) त्रिवेन्द्रम्-बम्बई।

(ख) त्रिवेन्द्रम्-कोचीन-डबोलिम-दिल्ली।

(ग) त्रिवेन्द्रम्-त्रिची-मद्रास।

2. एयर इंडिया : प्रति सप्ताह आठ उड़ानें प्रचालित की जाती है :—

दिन	मार्ग
सोमवार	त्रिवेन्द्रम्-दुबई-कुवैत
मंगलवार	त्रिवेन्द्रम्-दोहूरान
बुधवार	त्रिवेन्द्रम्-आबू धाबी-दुबई।
वीरवार	त्रिवेन्द्रम्-शारजाह-आबूधाबी।
शुक्रवार	त्रिवेन्द्रम्-दुबई।
शनिवार	त्रिवेन्द्रम्-दुबई-आबूधाबी।
रविवार	त्रिवेन्द्रम्-आबूधाबी-दुबई।

3. मालदीव एयरवेज : सप्ताह में दो बार

दिन	मार्ग
शुक्रवार	त्रिवेन्द्रम्-माले
शनिवार	—वही—

4. एयर लंका : सप्ताह में चार उड़ानें

दिन	मार्ग
सोमवार	त्रिवेन्द्रम्-कोलम्बो
मंगलवार	—वही—
वीरवार	—वही—
शनिवार	—वही—

पर्यटन स्थलों के विकास की नीति में परिवर्तन

2343. श्री श्रीहरि राव : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पर्यटन स्थलों का विकास करने की सरकार की नीति में परिवर्तन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो नई नीति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने नई योजनाओं के अन्तर्गत विकसित किए जाने वाले नए स्थलों का चयन कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो नये स्थलों का चयन करने का क्या मानदंड है;

(ङ) इन पर्यटन स्थलों के विकास के लिए सातवीं योजना में कितनी राशि के प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ङ) अन्तर्राष्ट्रीय और स्वदेशी दोनों प्रकार के पर्यटकों के दृष्टिकोण से केन्द्रों की संभाव्यता को ध्यान में रखते हुए राज्य/संघ शासित प्रदेशों की सरकारों से परामर्श करके पर्यटक स्थलों का अभिनिर्धारण करना और सुविधाओं का विकास करना एक सतत् प्रक्रिया है। पर्यटक केन्द्रों का विकास चयनात्मक आधार पर किया जाता है ताकि केन्द्रीय और राज्य सेक्टरों में संस्थानों का फैलाव अति-छितराया हुआ न हो। सातवीं योजना में विभाग की उदार नीति भारतीय पर्यटन को विविधता प्रदान करने की होगी ताकि यह अन्य परंपरागत सदस्य के, सांस्कृतिक पर्यटन जिसके लिए कि भारत परंपरा से प्रसिद्ध है, से अलग, अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन के तेजी के साथ बढ़ते हुए घटकों विशेषतः "अवकाश और सावकाश पर्यटन" के अनुरूप हो सके।

विक्रमशिला विश्वविद्यालय के खुदाई किए गए स्थल का संरक्षण

2344. डा० गौरी शंकर राजहंस : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का बिहार में भागलपुर जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के खुदाई किये गये स्थल के संरक्षण हेतु क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ख) खुदाई का कार्य कब पुनः शुरू किए जाने की संभावना है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री श्री (के० पी० सिंह देव) : (क) उत्तर की ओर स्थित मुख्य स्तूप तथा मठ जैसे खुदाई किए गए अवशेषों का संरक्षण और रखरखाव पहले से ही किया गया है। निश्चित विशेष संरक्षण कार्य भी शुरू किए जा रहे हैं।

(ख) खुदाई कार्य को पुनः प्रारम्भ करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिंदी]

आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत "माइक्रो प्रोसेसर्स"

2345. श्री विष्णु मोदी : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने योजना आयोग की विभिन्न योजनाओं और देश की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों के सम्बन्ध में किए गए सरकारी सर्वेक्षणों के प्रतिवेदनों का आधुनिक कम्प्यूटर प्रणाली के माध्यम से समुचित प्रोसेसिंग सुनिश्चित कराने हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण प्रतिष्ठान के आंकड़ा प्रोसेसिंग केन्द्र में आंकड़ों की प्रोसेसिंग की जाती है और क्या इस आंकड़ा कार्ड प्रणाली की इस प्रोसेसिंग में अनेक अनियमितताएं पाई गई हैं जो गलत निष्कर्ष निकालने के लिए भी उत्तरदायी है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत "माइक्रो प्रोसेसर" के मामलों में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को इन मामलों में अभी तक कोई महत्वपूर्ण सफलता नहीं मिली है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी हां।

(ख) से (ङ) आंकड़ा प्रोसेसिंग अंशतः राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के समक्ष विधायन केन्द्र में और अंशतः सांख्यिकी विभाग के संगणक केन्द्र में की जाती है। कुछ अन्य संगणक केन्द्रों में उपलब्ध सुविधाओं का भी विशिष्ट कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। आंकड़ों में परिलक्षित अनियमितताएं परिणाम प्रकाशित करने से पूर्व ठीक कर ली जाती हैं। गलत निष्कर्ष निकालने के लिए उत्तरदायी ऐसी कोई भी अनियमितता सरकार के ध्यान में नहीं आई है।

आधुनिकीकरण के उद्देश्य से माइक्रो प्रोसैसर तथा आंकड़ा प्रविष्टि उपस्कर प्राप्त किए गए हैं और संस्थापित किए जा रहे हैं। इन उपस्करों को लगाने के परिणामों का मूल्यांकन इन्हें संस्थापित करने तथा प्रयोग में लाने के पश्चात ही किया जा सकता है।

[अनुवाद]

छठी योजना के दौरान जुटाए गए अतिरिक्त संसाधन

2346. श्री के० मोहनदास : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी योजना के दौरान विभिन्न राज्यों द्वारा जुटाए गए अतिरिक्त संसाधनों का

राज्य-वार ब्यौरा क्या है और प्रत्येक राज्य के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे; और

(ख) कराधान के माध्यम से अतिरिक्त संसाधन जुटाने के संबंध में चरम सीमा पर पहुंच गए राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाये जाने हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) प्रत्येक राज्य के लिए निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले छठी योजना में विभिन्न राज्यों द्वारा जुटाए गए अतिरिक्त संसाधनों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं :—

(ख) किसी विकासशील अर्थव्यवस्था में कराधान के जरिये अतिरिक्त संसाधन जुटाने के सम्बन्ध में, चरम सीमा की परिकल्पना कठिन है। अतिरिक्त संसाधन न केवल कर की दरों में वृद्धि करके जुटाये जा सकते हैं बल्कि कर सम्बन्धी नियमों को युक्तिसंगत बना कर, प्रशासनिक तंत्र को चुस्त करके और करों की चोरी में कमी करके, कर की दरों को युक्तियुक्त बनाने आदि जैसे अन्य उपायों के जरिए भी अतिरिक्त संसाधन जुटाए जा सकते हैं।

विवरण

छठी योजना 1980-85 में राज्यों द्वारा जुटाये गए अतिरिक्त संसाधन

(करोड़ रु०)

क्र० सं०	राज्य	छठी योजना के लक्ष्य	छठी योजना की उपलब्धि			
			कर उपाय	कर इतर उपाय	सरकारी उद्यम	जोड़
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	532.70	209.79	33.90	514.52	758.21
2.	असम	348.00	71.74	20.56	76.50	168.80
3.	बिहार	600.00	248.38	593.19	326.62	1168.19
4.	गुजरात	500.00	429.91	62.26	981.80	1473.97
5.	हरियाणा	416.11	94.33	37.50	239.01	370.84
6.	हिमाचल प्रदेश	53.12	26.57	9.70	47.32	83.59
7.	जम्मू और कश्मीर	137.47	51.75	70.67	24.26	146.68
8.	कर्नाटक	457.71	298.56	38.45	453.28	790.29
9.	केरल	310.91	94.15	11.26	265.88	371.29

1	2	3	4	5	6	7
10.	मध्य प्रदेश	600.00	113.73	433.44	620.29	1167.46
11.	महाराष्ट्र	900.00	615.87	33.38	1020.14	1669.30
12.	मणिपुर	15.03	3.24	5.35	1.54	10.13
13.	मेघालय	13.85	5.34	1.71	23.54	30.59
14.	नागालैंड	3.97	2.08	10.24	1.93	14.25
15.	उड़ीसा	350.00	140.24	99.29	184.04	423.57
16.	पंजाब	400.00	240.01	54.85	339.51	634.37
17.	राजस्थान	750.70	186.54	267.11	289.80	743.45
18.	सिक्किम	3.55	2.26	0.11	1.41	3.78
19.	तमिलनाडु	1101.65	927.06	—	558.75	1485.81
20.	त्रिपुरा	5.00	3.52	0.03	0.48	4.03
21.	उत्तर प्रदेश	1000.00	511.10	129.83	804.98	1445.91
22.	पश्चिमी बंगाल	512.33	387.02	2.50	348.16	737.68
	जोड़ : राज्य	9012.10	4663.19	1915.33	7123.76	13702.28

औषध व्यसन

2347. श्री नारायण चौबे : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में औषधों की बिक्री और इनके व्यसन में वृद्धि होती जा रही है; और

(ख) दिल्ली में ऐसे औषधों की बिक्री को समाप्त करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) दिल्ली पुलिस द्वारा इस बारे में कोई अध्ययन नहीं किया गया है। फिर भी 1-1-1985 से 31-7-1985 तक की अवधि के दौरान दिल्ली पुलिस को सूचित किए गए मामलों की संख्या, 1984 की इसी अवधि के दौरान मामलों की संख्या की अपेक्षा अधिक है।

(ख) राजधानी में नशीले पदार्थों की बिक्री से उत्पन्न संकट को दूर करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा अगले पृष्ठ पर लिखित कदम उठाए गये हैं :—

(1) ऐसे स्थानों का पता लगाने के लिये जहां हैरोइन/स्मैक बेची जाती है, पुलिस द्वारा छापे मारे जाते हैं।

(2) दिन-रात पैदल तथा वाहनों पर वाकी-टाकी सैटों सहित व्यापक गश्त लगाई जा रही है।

(3) आसूचना का विकास करके जिलों के विशेष दल दस्तों द्वारा अनधिकृत दवाई विक्रेताओं का पता लगाने के लिए सतत प्रयास किए जाते हैं।

(4) ऐसे अपराधों में लगे अपराधियों का पता लगाने के लिए वाहनों की नियमित आकस्मिक जांच की जाती है।

(5) हानिकारक औषधि अधिनियम के अन्तर्गत, बुरे चालचलन वाले व्यक्तियों तथा अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है।

[हिन्दी]

नागरिकों को पासपोर्टों का नवीकरण करते समय परेशान करना

2348. **श्री शांति धारीवाल** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के पासपोर्ट कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा नागरिकों के पासपोर्ट का नवीकरण करते समय उन्हें कई तरीकों से परेशान किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो जयपुर में स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के विरुद्ध सरकार को इस किस्म की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन शिकायतों पर कोई कार्रवाई की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि कोई कार्रवाई नहीं की गई तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी नहीं।

(ख) जयपुर स्थित पासपोर्ट कार्यालय द्वारा पासपोर्ट नवीकरण करने में विलम्ब के बारे में चार शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग) जी हां।

(घ) इन चार मामलों में 3 पासपोर्ट नवीकृत करके आवेदकों द्वारा दिये गये पतों पर रजिस्टर्ड डाक से भेज दिये गये थे और ये पासपोर्ट कार्यालय को वापस प्राप्त नहीं हुए। बाद में यह

मालूम हुआ कि प्रेषकों का पता बदल गया है या उन्होंने पहले गलत पता दे दिया था। डाक प्राधिकारियों से अवितरित पासपोर्टों की तलाश करने का अनुरोध किया गया है। चौथे मामले में आवेदन-पत्र के लिए शुल्क प्राप्त हो गया था परन्तु पासपोर्ट नवीकृत करने के लिए आवेदन-पत्र और पासपोर्ट प्राप्त नहीं हुए। आवेदक से बिना अतिरिक्त शुल्क दिये नया आवेदन-पत्र भेजने के लिये कहा गया है।

[अनुवाद]

भारत पर्यटन विकास निगम के आन्ध्र प्रदेश कार्यालय का बन्द होना

2349. **श्री विजय कुमार राजू** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत पर्यटन विकास निगम ने हाल ही में आंध्र प्रदेश में अपना कार्यालय बन्द कर दिया है;

(ख) भारत पर्यटन विकास निगम आन्ध्र प्रदेश राज्य में होटल और अन्य आधारभूत सुविधाएं स्थापित करने के लिए क्या कदम उठा रहा है; और

(ग) भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा अगले तीन वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश में पर्यटन के विकास के लिये आवंटित धन का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी सिंह देव) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम का हैदराबाद स्थित अशोक ट्रैवल्स एण्ड टूअर्स यूनिट दिसम्बर, 1984 में बंद कर दिया गया था।

(ख) और (ग) आन्ध्र प्रदेश पर्यटन विकास निगम के सहयोग से छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हैदराबाद में एक संयुक्त उद्यम होटल की स्थापना करने के भारत पर्यटन विकास निगम के प्रस्ताव को, राज्य सरकार के अनुरोध पर समाप्त कर दिया गया। जनवरी, 1985 में, भारत पर्यटन विकास निगम, मैसर्स वेंकटारमण होटल्स लिमिटेड के साथ, हैदराबाद में होटलों के निर्माण के दौरान तकनीकी सेवाएं प्रदान करने व उसके बाद इसका अशोक ग्रुप होटल श्रृंखला के अन्तर्गत संचालन और विपणन करने से सम्बन्धित एक करार में प्रविष्ट हुआ। इसके अतिरिक्त सातवीं योजना में संयुक्त उद्यम स्कीमों के लिये 5 करोड़ रुपयों की एक एकमुश्त व्यवस्था है। ऐसी स्कीमें आंध्र प्रदेश में भी राज्य सरकार/राज्य पर्यटन विकास निगम से परामर्श करते हुए संतोषजनक व्यवहार्यता-अध्ययन की शर्त पर तैयार की जा सकती है।

एशियाई खेलों और ओलम्पिक के लिए तैयारी

2350. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल** : क्या **युवा कार्य और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगले वर्ष एशियाई खेलों और सिओल में 1988 में होने वाले ओलम्पिक के लिये भारतीय दल को तैयार करने हेतु कदम उठाये जा रहे हैं;

(ख) क्या इसके लिए प्रशिक्षण शिविर लगाने शुरू कर दिये गये हैं; और

(ग) एशियाई खेलों के लिये प्राथमिकता सूची के आधार पर पता लगाये गये खेलों के नाम क्या हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

युवा कार्य और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) सरकार पहले ही एशियाई खेल 1986 और ओलम्पिक खेल 1988 में भाग लेने के लिये भारतीय टीमों को तैयार करने हेतु राष्ट्रीय खेल संघों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता दे रही है।

(ख) जी, हां।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

आगामी ओलम्पिक खेलों के लिए	आगामी एशियाई खेलों के लिए
एथलेटिक्स	एथलेटिक्स
हाकी (पुरुष)	बैडमिन्टन
कुश्ती	मुक्केबाजी
	घुड़सवारी
	गोल्फ
	हाकी (पुरुष)
	हाकी (महिला)
	रोइंग
	निशानेबाजी
	टेनिस
	कुश्ती
	भारोत्तोलन
	नौकायन
	वाटर पोलो

[हिन्दी]

विदेशी पर्यटकों की सुविधा के लिए नई प्रणाली

2351. श्री आर० एम० भोये : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशों से आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए एक नई प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया था जिससे कि हवाई अड्डों पर उनकी निकासी में विलम्ब न हो;

(ख) क्या इस प्रणाली के लागू करने से देश में पीत ज्वर की घातक बीमारी के आ जाने की कोई संभावना है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) नई प्रणाली को लागू किए जाने की स्थिति में क्या कठिनाइयां महसूस होंगी ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) नई कार्य-प्रणाली का अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों वाले हवाई अड्डों पर पहले ही कार्यान्वियन किया जा रहा है।

[अनुवाद]

अहमदाबाद हवाई अड्डे का अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकास

2352. श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अहमदाबाद हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो अहमदाबाद हवाई अड्डे के विकास कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है; और

(ग) अहमदाबाद हवाई अड्डे का अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में दर्जा बढ़ाने के लिए कितनी धनराशि खर्च की जानी है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) बम्बई विमान क्षेत्र पर भीड़-

भाड़ कम करने के उद्देश्य से सीमित संख्या में अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें आरम्भ करने के लिए अहमदाबाद हवाई अड्डे सहित अनेक अन्तर्देशीय हवाई अड्डों का विकास किये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इन हवाई अड्डों पर उपलब्ध सुविधाओं के विकास पर होने वाले व्यय तथा एयर इण्डिया अथवा इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा इन हवाई अड्डों से अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने की संभावित तारीख का प्रश्न सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लिये जाने के पश्चात ही उत्पन्न होगा।

विशेष आदिवासी विकास योजनाएं

2353. **श्रीमती ऊषा चौधरी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के क्या नाम हैं जिन्होंने विशेष आदिवासी विकास योजनाएं तैयार की हैं, और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) इन योजनाओं के लिए केन्द्र सरकार द्वारा किस सीमा तक वित्त पोषण किया गया है; और

(ग) उससे कितने आदिवासियों को लाभ प्राप्त हुआ है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) सभी 17 राज्य तथा 2 संघ शासित क्षेत्र (नाम संलग्न विवरण में), जो आदिवासी उप-योजना नीति के अन्तर्गत आते हैं, आदिवासियों के विकास के लिए वार्षिक उप-योजनाएं तैयार करते हैं। इन योजनाओं में विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, पशु-पालन, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, वानिकी, समाज-कल्याण इत्यादि सम्बन्धी योजनाएं सम्मिलित हैं।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान सभी उक्त राज्यों को 486.62 करोड़ रुपये की राशि की विशेष केन्द्रीय सहायता दी गई थी।

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान, उक्त योजनाओं से लगभग 39.67 लाख आदिवासी परिवार लाभान्वित हुए हैं।

विवरण

आदिवासी उप-योजना राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की सूची

1. आन्ध्र प्रदेश
2. असम
3. बिहार
4. गुजरात
5. हिमाचल प्रदेश

6. कर्नाटक

7. केरल

8. मध्य प्रदेश

9. महाराष्ट्र

10. मणिपुर

11. उड़ीसा

12. राजस्थान

13. सिक्किम

14. तमिलनाडु

15. त्रिपुरा

16. उत्तर प्रदेश

17. पश्चिम बंगाल

18. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह

19. गोवा, दमन और दीव

यूरेनियम अयस्क का संवर्धन

2354. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारे देश ने निम्न ग्रेड के यूरेनियम अयस्क की बेक्टेरियल परिष्करण प्रक्रिया का विकास किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या प्रक्रिया का उपयोग आरम्भ किया गया है और इसे यूरेनियम अयस्क के संवर्धन में प्रभावी पाया गया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) प्रयोगशालाओं में तथा प्रायोगिक स्तर पर किए गए परीक्षणों से यह पता चला है कि कम ग्रेड वाले यूरेनियम के कुछ अयस्कों को जीवाण्विक आक्सीकरण के द्वारा संसाधित किया जा सकता है। लेकिन इस प्रक्रिया में कई सप्ताह का समय लगता है। ऐसे परीक्षणों को औद्योगिक स्तर पर काम में लाने की कोशिश अभी नहीं की गई है।

नागपुर में एक विज्ञान संग्रहालय की स्थापना

2355. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर शहर (महाराष्ट्र) में एक विज्ञान संग्रहालय स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि उक्त संग्रहालय की स्थापना हेतु कुछ समय पूर्व एक सर्वेक्षण किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो सर्वेक्षण के निष्कर्ष क्या हैं और नागपुर शहर में उक्त संग्रहालय कब तक स्थापित हो जाएगा ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया था और प्रस्तावित विज्ञान संग्रहालय की स्थापना के लिए एक भूखण्ड भी निर्धारित कर लिया गया है। परियोजना के लिए एक प्रधान योजना भी तैयार की जा रही है और राज्य सरकार से अपेक्षित निधि और भूमि उपलब्ध होने पर कार्य शुरू किया जाएगा।

विदेशी पर्यटकों द्वारा दार्जिलिंग की यात्रा करने संबंधी प्रतिबन्ध

2356. **श्री सुधीर राय**
श्री अजय बिश्वास
श्री बसुदेव आचार्य } : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी पर्यटकों की जम्मू और काश्मीर यात्राओं पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है;

(ख) क्या यह सच है कि दार्जिलिंग और उससे लगे क्षेत्रों की यात्रा पर जाने के इच्छुक विदेशी पर्यटकों पर प्रतिबन्ध लगाए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार इन प्रतिबन्धों को समाप्त करने का है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जम्मू और कश्मीर के कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों को छोड़कर जम्मू और कश्मीर में विदेशी पर्यटकों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

(ख) और (ग) पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जिले को प्रतिबंधित क्षेत्र के रूप में घोषित

किया गया है और इसीलिए विदेशी पर्यटकों को दार्जिलिंग में और उसके आस-पास के अभिरुचि के स्थानों की यात्रा को परमिट जारी करते हुए विनियमित किया गया है।

(घ) विदेशियों के आवागमन पर लगे प्रतिबन्धों की सरकार समय-समय पर पुनरीक्षा करती रहती है और जहां आवश्यक हो वहां ढील देती है। अभी हाल ही में इस क्षेत्र में प्रवेश करने की कार्य प्रणाली में सरकार ने कुछ और ढील दी है।

[हिन्दी]

आई० ए० एस० और आई० पी० एस० अधिकारियों को बर्खास्त किया जाना

2357. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष वार कितने आई० ए० एस०, आई० पी० एस० और अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को, पृथक-पृथक बर्खास्त किया गया है; और

(ख) इनमें से कितने अधिकारियों को और किस तारीख से निलंबित किया गया है और इनमें से कितने अभी भी निलंबित हैं और इनमें से कितने अधिकारियों को दण्डित किया गया है और कितनों को नौकरी पर बहाल कर दिया गया है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान अखिल भारतीय सेवा के जिन अधिकारियों की सेवाएं समाप्त की गई थीं, उनकी संख्या इस प्रकार है—

वर्ष	भारतीय प्रशासनिक सेवा	भारतीय पुलिस सेवा	भारतीय वन सेवा
1982	3	2	—
1983	2	—	1
1984	2	1	—

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

फाजिल्का के लोगों का दूसरे राज्यों में बसना

2358. **श्री कमल नाथ** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब के फिरोजपुर जिले में फाजिल्का अबोहर क्षेत्र के लोगों ने साथ लगने वाले हरियाणा और राजस्थान राज्यों में बसना शुरू कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

नौकरी के मामलों में दबाव और प्रभाव

2359. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 जुलाई, 1985 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "आफिसियल्स मस्ट फोलो कन्डक्ट कोड" से प्रकाशिक शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को अपनी सेवा सम्बन्धी मामलों विशेष रूप से स्थानांतरणों और तैनातियों के सम्बन्ध में बाह्य दबाव और प्रभाव का प्रयोग करने के लिए आदेश जारी किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में जारी किए गए आदेशों की प्रतिलिपि और पिछले तीन वर्षों के दौरान सेवा सम्बन्धी मामलो और अनुशासन/आचरण के बारे में जारी किए गए आदेशों की प्रतिलिपियां सभा पटल पर रखी जाएंगी ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) भाग (ख) में उल्लिखित अनुदेश सामान्य जानकारी के लिए अपितु प्रशासनिक प्राधिकरणों के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के रूप में हैं। गत तीन वर्षों की अवधि के दौरान सेवा से संबंधित मामलों तथा अनुशासन/ आचरण के बारे में सामान्य जानकारी के प्रयोजन से जारी किए गए अनुदेश विभिन्न प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित संकलनों में उपलब्ध हैं।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए आवंटन

2360. **श्री राम प्यारे सुमन** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा देश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए अलग-अलग कितनी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं तथा केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को कितनी राशि दी गई और राज्य सरकारों ने अपने संसाधनों से अलग से कितनी राशि मंजूर की;

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने गत तीन वर्षों में उपरोक्त जातियों के लोगों के लिए कितनी राशि आबंटित की और किन मदों पर आबंटित राशि वर्ष वार खर्च की गई; और

(ग) क्या सरकार को यह पता है कि प्रशासन द्वारा दी गई राशि का उपयोग उचित रूप से नहीं किया जा रहा है तथा इन श्रेणियों के लोगों को वास्तविक रूप में लाभ नहीं हो रहा यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिए तथा निधि का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए तथा योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है तथा यदि कार्यवाही नहीं की जा रही है, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए एक नयी नीति तैयार की गयी थी। अनुसूचित जातियों के संबंध में विशेष कम्पोनेंट योजना, राज्यों की विशेष कम्पोनेंट योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता और अनुसूचित जाति विकास निगम के संयोजन से एक नई नीति बनती है; अनुसूचित जनजातियों के लिए आदिवासी उपयोजना और आदिवासी उपयोजनाओं के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता से सहायता का नया तरीका तैयार होता है। राज्यों और केन्द्रीय मन्त्रालयों की विशेष कम्पोनेंट योजनाओं मे मिश्रित आय उत्पन्न करने वाली योजनाओं के माध्यम से अनुसूचित जाति परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए ध्यान दिया गया है। इसके अतिरिक्त इन योजनाओं में मूल संरचनाएं जैसे पेयजल आपूर्ति, ग्रामीण विद्युतिकरण सम्पर्क सड़कों आदि के सुधार द्वारा अनुसूचित जातियों के रहन-सहन की स्थिति में सुधार करने का भी प्रयत्न किया गया है। अनुसूचित जाति की काफी जन संख्या वाले 20 राज्यों और 4 संघ शासित क्षेत्रों ने अपनी विशेष कम्पोनेंट योजनाएं तैयार की हैं। विशेष केन्द्रीय सहायता अनुसूचित जातियों के विकास के लिए राज्य की विशेष कम्पोनेंट योजनाओं और कार्यक्रमों में योगात्मक है। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में अनुसूचित जाति विकास निगमों में गरीब उद्यमियों और आर्थिक विकास की बैंक योग्य योजनाओं के सम्बन्ध में वित्तीय संस्थानों के बीच सम्पर्कों की व्यवस्था करने पर ध्यान दिया जाता है। अनुसूचित जातियों की काफी जन संख्या वाले 17 राज्यों और 2 संघ शासित क्षेत्रों (दिल्ली तथा चण्डीगढ़) ने ऐसे निगम स्थापित किए हैं। इसी प्रकार विशेष केन्द्रीय सहायता में लाभोन्मुख योजनाओं और मानव संसाधनों के विकास कार्यक्रमों द्वारा अनुसूचित जनजातियों के विकास पर बल दिया गया है। विशेष कम्पोनेंट योजना और विशेष जनजाति उप योजना के लिए राज्य योजना के सामान्य क्षेत्र से राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में क्रमशः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या की मात्रा के अनुपात में धन देने की आशा की जाती है। विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की विशेष कम्पोनेंट योजनाओं आदिवासी उप योजनाओं से संबंधित विचार विमर्श में कहा गया है कि विशेष कम्पोनेंट योजना/अनुसूचित जनजाति उपयोजनाओं के अधीन धनराशि की मात्रा का निर्धारण कुल मिलाकर राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में क्रमशः अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की जन संख्या की मात्रा के अनुपात में हुआ है। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के सम्बन्ध में विशेष कम्पोनेंट योजना, विशेष कम्पोनेंट योजना अनुसूचित जाति विकास निगम, अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता, अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत आबंटनों के विवरण सभा पटल पर रखा है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-1328/85]

(ग) पिछले पांच वर्षों के लिए विशेष कम्पोनेंट योजनाओं और अनुसूचित जनजाति उपयोजनाओं की समीक्षा करते समय यह देखा गया है कि योजनाओं की किस्म और उनके कार्यान्वयन में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। वित्तीय तथा भौतिक उपलब्धियों के रूप में पिछले पांच वर्षों में योजनाओं ने सामान्यत: अच्छी प्रगति की है।

[अनुवाद]

महाबलेश्वर की यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटकों को प्रोत्साहन

2361. **श्री प्रताप राव बी० भोंसले** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में महाबलेश्वर एक पर्यटन स्थल है;

(ख) यदि हां, तो महाबलेश्वर की यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटकों को सरकार द्वारा क्या प्रोत्साहन दिए गए हैं;

(ग) क्या विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए महाबलेश्वर का विकास करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (घ) महाबलेश्वर देश का एक जाना-पहचाना पर्वतीय केन्द्र है, जो पर्यटकों को आकर्षित करता है। विशिष्ट टाउन्ज की यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटकों को कोई विशेष प्रोत्साहन प्रदान नहीं किए जाते।

विभाग का, विशिष्ट रूप से, विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए महाबलेश्वर को विकसित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

भूख-पीड़ित माताओं द्वारा सन्तान की कथित बिक्री

2362. **श्री बी० तुलसी राम**
श्री कृष्ण प्रताप सिंह } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का ध्यान दिनांक 26 जून, 1985 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में "हंगरी मदर्स सैलिंग बेबीज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में उड़ीसा सरकार से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है और यदि हां, तो रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) उड़ीसा सरकार द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार, समाचार में लगाये गये आरोप बेबुनियाद हैं। इस मामले में की गयी जांच से पता चलता है कि एक नटवर प्रधान, टेलीग्राफ उप-निरीक्षक, जिसका कोई लड़का नहीं है ने जिला कालाबांधी के बोदन खण्ड के अन्तर्गत महाराजोर गांव की निवासी एक महिला के नवजात पुत्र को गोद लिया था। गोद लेने का पंजीकरण, दोनों दलों की उपस्थिति में उप-पंजीकार के कार्यालय में किया गया।

12 वर्षीय कन्या को बेचने की तथाकथित दूसरी घटना भी जांच करने पर बेबुनियाद पायी गयी।

पुलिस आयोग की सिफारिशों को लागू करने के संबंध में मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन

2363. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस आयोग की सिफारिशों को लागू करने में हुई प्रगति पर चर्चा करने के लिए सभी मुख्य मंत्रियों के साथ 23 जून, 1985 को अथवा उसके आस-पास सम्मेलन होने वाला था;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त सम्मेलन स्थगित कर दिया गया था और सम्मेलन को स्थगित किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त सम्मेलन अब कब होने की आशा है ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : (क) से (ग) 25 जून, 1985 का होने वाला मुख्य मंत्रियों का प्रस्तावित सम्मेलन प्रशासनिक कारणों से स्थगित कर दिया गया था और अभी तक आगे कोई और तारीख निर्धारित नहीं की गयी है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिये समिति

2364. **श्री अजय विश्वास** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक विकास विषयक समिति की पिछली बैठक दिल्ली में कब हुई थी; और

(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास की गति को तेज करने के लिए समिति ने क्या सिफारिशें की हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) उत्तर पूर्वी क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए मंत्रियों की समिति की अंतिम बैठक 31 अगस्त, 1984 को दिल्ली में हुई थी।

(ख) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

ता० 31.8.84 को हुई उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए मंत्रियों की समिति की 9वीं बैठक में निम्नलिखित सिफारिशें की गयी :

1. सामान के त्वरित यातायात के लिए गोहाटी के लिए बी० जी० लाइन को चालू किया जाना चाहिए।

2. 6 नई रेल लाइनों के निर्माण की प्रगति में सुधार किया जाना चाहिए।

3. राष्ट्रीय राजमार्ग-44 और 53 पर कार्य के लिए प्रत्येक वार्षिक योजना में धन की व्यवस्था, विशेष रूप से की जानी चाहिए।

4. लोकटक हाईडल और कोपली हाईडल परियोजनाओं से बिजली के भाग के लिए शुल्क दरों पर अंतिम निर्णय लिया जाना चाहिए।

5. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विद्युत प्रजनन उद्देश्यों के लिए उचित दर पर प्राकृतिक गैस उपलब्ध हो।

6. उत्तर पूर्वी क्षेत्र में वायुदूत हवाई सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए और निम्नलिखित हवाई क्षेत्रों में आवश्यक सुधार प्राथमिक आधार पर किए जाने चाहिए :

   (i) गोहाटी में रात्रि को विमान उतारने की सुविधा;

   (ii) दीमापुर को बोइंग एयर-क्राफ्ट उतरने के योग्य बनाना।

   (iii) एजवल (टूरियल) हवाई क्षेत्र में सुधार।

   (iv) इटानगर हवाई क्षेत्र की स्वीकृति और निर्माण कार्य प्रारम्भ करना।

7. क्षेत्र में प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी को ध्यान में रखते हुए उत्तर पूर्वी क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए आई० सी० ए० आर० कोटे में वृद्धि की जानी चाहिए। क्षेत्र में कृषि और पशु चिकित्सा कालेजों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

8. जोगीघोपा सीमेंट डम्प के अलावा भी सीमेंट डम्पों के संचालन के लिए उपाय किये जाने चाहिए। क्षेत्र के भीतर सीमेंट के लाने ले जाने के लिए केन्द्रीय इनलेंड जल यातायात सेवा की सेवाओं के प्रयोग को जारी रखने के प्रयत्न किए जाने चाहिए।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में होटलों का निर्माण

2365. श्री हरीश रावत : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में अप्रयुक्त पर्यटन क्षमता का उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है;

(ख) क्या इस क्षेत्र में होटलों का निर्माण करने की भारत पर्यटन विकास निगम की कोई योजना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस क्षेत्र में विदेशी पर्यटकों को आरामदेह आवास सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है।

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) सातवीं योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन का विकास करने संबंधी विशिष्ट स्कीमों पर राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार किया जाएगा गढ़वाल मंडल विकास निगम और कुमाऊं मंडल विकास निगम नामक दो विशिष्ट अभिकरण हैं जिन्हें उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों मे आधार-संरचनात्मक सुविधाओं का विकास करने और पर्यटकों/तीर्थयात्रियों की सहूलियत के लिए वाणिज्यिक कार्यकलाप हाथ में लेने का कार्य विशेष रूप से सौंपा गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) पर्यटन विभाग ने औली-जोशीमठ में 6 कुटीरों और एक रेस्तरां का निर्माण करने के लिए 20.90 लाख रु० की एक राशि मंजूर की है जिसके लिए वर्ष 1984-85 के दौरान गढ़वाल मंडल विकास निगम के जरिये निष्पादित कराने हेतु राज्य सरकार को 10.00 लाख रु० की एक राशि रिजीज की गई है।

[अनुवाद]

मिजो नेशनल फ्रंट के नेताओं के साथ बातचीत

2366. श्री जी० जी० स्वेल
श्री अनिल बसु
श्री अजय विश्वास
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही
श्री अनन्त प्रसाद सेठी
श्रीमती जयन्ती पटनायक
: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मिजो समस्या हल करने संबंधी बातचीत अन्तिम चरण पर पहुंच गई है;

(ख) प्रस्तावित समझौते की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या मिजो नेशनल फ्रंट में कुछ तत्व अभी भी विद्रोह पर उतारू हैं और वे क्षेत्र में विद्रोहात्मक गतिविधियों को और अधिक व्यापक और सक्रिय बनाने के लिए त्रिपुरा के ट्राइबल नेशनल वालंटीयर फोर्स और नागालैंड की नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल के साथ सम्पर्क कायम कर रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) मिजो नेशनल फ्रंट के नेताओं के साथ बातचीत अभी जारी है।

(ग) सरकार के ध्यान में इस प्रकार के कोई समाचार नहीं आए हैं।

वन सम्पदा की हानि

2367. **श्री के० जी० अदियोडी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में जून और जुलाई, 1985 में हुई भारी वर्षा के कारण कुल कितनी वन सम्पदा की हानि हुई; और

(ख) इदुक्की और वायोनाड जिलों में वन क्षेत्रों में हुए भू-स्खलन के कारण घाट मार्गों में कुल कितने (कि० मी०) लम्बे मार्ग को नुकसान हुआ ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) और (ख) केरल सरकार से जानकारी प्राप्त की जाएगी और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

महिलाओं के होस्टलों में सुरक्षा

2368. **श्री काली प्रसाद पाण्डेय**
श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक
श्रीमती उषा चौधरी } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजधानी में होस्टलों की असुरक्षित स्थितियों की जानकारी है जिनमें कामकाजी महिलाएं रह रही हैं;

(ख) क्या यह सच है कि ऐसे अनेक मामले आये हैं जिनमें इन महिला होस्टलों के यात्रियों को लूटा गया, उनके साथ बलात्कार और दुर्व्यवहार किया गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) राजधानी में महिलाओं के होस्टलों में सुरक्षा प्रबन्धों को मजबूत करने के लिए सरकार ने किन उपायों का सुझाव दिया है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) यह देखा गया है कि कामकाजी महिला होस्टलों को समुचित सुरक्षा व्यवस्था प्रदान नहीं की जाती है।

(ख) और (ग) जी नहीं, श्रीमान्। दिनांक 10.7.1985 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/376 के तहत लाजपत नगर पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 384 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया गया है। यह मामला कामकाजी महिला होस्टल, 21, रिंग रोड, लाजपत नगर-IV की निवासी 24 वर्षीय कुमारी भारती वेंकटरमन के संदेहास्पद अपराधिक आक्रमण (बलात्कार) तथा हत्या के बारे में है।

इस मामले में एक गिरफ्तारी की जा चुकी है।

(घ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृति को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गये हैं।

(i) उस क्षेत्र में, जहां ये होस्टल स्थित हैं, पुलिस गश्त कड़ी कर दी गयी है।

(ii) इन होस्टलों के प्रबन्धकों को अपनी निजी सुरक्षा प्रबन्ध को भी मजबूत करने के लिए कहा गया है।

अधिकतम और न्यूनतम विकास दर प्राप्त करने वाले राज्य

2369. **श्री राम भगत पासवान** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 में अधिकतम विकास दर प्राप्त करने वाले राज्य का नाम क्या है;

(ख) उक्त वर्ष के दौरान न्यूनतम विकास दर प्राप्त करने वाले राज्य का नाम क्या है; तथा उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त राज्यों में विकास की दर क्या थी ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) से (ग) राज्य सांख्यिकी ब्यूरो द्वारा तैयार किए गए राज्य के 1984-85 के लिए घरेलू उत्पादन के अनुमानों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इसलिए, वर्ष 1984-85 में अधिकतम और न्यूनतम विकास दरों वाले राज्यों के नाम और उनकी वास्तविक विकास दरें इस समय बताना संभव नहीं है।

सेलम में हवाई अड्डे का निर्माण

2370. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना में हवाई अड्डे के लिए शामिल किए जाने वाले स्थानों में सेलम का नाम प्रस्तावित किया गया है;

(ख) क्या राज्य सरकार हवाई अड्डे के निर्माण के लिए अपेक्षित भूमि देने के लिए तैयार है; और

(ग) हवाई अड्डे का निर्माण कब किया जाएगा ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) सेलम में एक स्टॉल हवाई अड्डे के विकास के लिए निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने के लिए तमिलनाडु सरकार से अनुरोध किया गया था। तथापि, अब तक उन्होंने कोई भूमि उपलब्ध नहीं कराई है।

(ग) राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराए जाने के बाद ही परियोजना की समय सारणी निर्धारित की जाएगी।

विज्ञान नगर

2371. श्री चिंतामणि पाणिग्रही : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका में रहने वाले अनिवासी भारतीयों ने भारत में एक विज्ञान नगर बनाने का प्रस्ताव रखा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का भारत में इस प्रकार का कोई "विज्ञान नगर" बनाने का विचार है;

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिए किसी स्थान का चयन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलैक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) संयुक्त राज्य अमरीका से अनिवासी भारतीयों के समूह ने कई अवसरों पर कई उच्च प्रौद्योगिकी वस्तुओं के उत्पादन के लिए कुछ स्थानों पर सुविधाओं की स्थापना के लिए प्रस्ताव किया है। उनमें से कुछ इन प्रस्तावों के बारे में सम्बन्धित राज्य सरकारों से बातचीत कर रहे हैं।

(ख) केन्द्र सरकार अपने तौर पर भारत में इस प्रकार के विज्ञान नगर की स्थापना करने का प्रस्ताव नहीं कर रही है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्राइवेट पार्टियों द्वारा विमान से माल भेजने के लिए प्राप्त आवेदन पत्र

2372. श्री जितेन्द्र बहादुर सिंह : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्राइवेट पार्टियों द्वारा विमान से माल परिवहन के लिए कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए;

(ख) यह ठेके किन्हें दिए गए और इसके क्या कारण हैं;

(ग) यात्रियों के अलावा अन्य लोगों का हवाई अड्डे में प्रवेश रोक देने के क्या कारण हैं; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप कितने राजस्व की हानि हो रही है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) मालवाही उड़ानों के प्रचालन के लिए दो गैर-अनुसूचित प्रचालकों से अनुरोध प्राप्त हुए थे।

(ख) मैसर्स ट्रांस इन्टरनेशनल, शारजाह, यू० ए० आई० ने मद्रास से न्यूयार्क के लिए एक अतिरिक्त मालवाही उड़ान के प्रचालन के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। क्योंकि अनुसूचित प्रचालकों से मद्रास में कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुए थे तथा मद्रास में निर्यात माल का जमाव लग गया था, इसलिए मैसर्स ट्रांस इन्टरनेशनल को एक विशेष मामले के रूप में, एक इकतरफा उड़ान प्रचालित करने की अनुमति दी गई थी। तथापि, मैसर्स ट्रांस इन्टरनेशनल ने इस उड़ान का प्रचालन नहीं किया। मियामी यू० एस० ए० की एक दूसरी पार्टी मैसर्स जेट कार्गो के आवेदन-पत्र को रद्द कर दिया गया था क्योंकि एयर इंडिया के पास अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध थी।

(ग) ऐसा सुरक्षा के हित में किया गया था।

(घ) चारों अन्तर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्रों पर इस सम्बन्ध में अनुमानित हानि प्रति माह 20 लाख रुपये थी। उस अवधि के दौरान जिस अवधि में यह प्रतिबंध लगाया गया था, अन्य विमान क्षेत्रों पर राजस्व की हानि 4.18 लाख रुपये थी।

मध्य प्रदेश में उद्योगों द्वारा खतरनाक रसायनों का प्रयोग

2373. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश राज्य में अनेक औद्योगिक एकक और सरकारी क्षेत्र के उपक्रम अभी भी ख रनाक रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के उन एककों के क्या नाम हैं; और

(ग) इस प्रकार के गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र के एककों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीर सेन) : (क) और (ख) भोपाल में 3 औद्योगिक इकाइयां हैं जो खतरनाक रसायनों का प्रयोग कर रही हैं। ये है—

(1) मध्य प्रदेश उद्योग लिमिटेड;

(2) रिलायन्स ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड।

(3) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड।

(ग) मध्य प्रदेश उद्योग लिमिटेड से रिलायन्स औषधि निर्माता कम्पनी के लिए बहिस्राव उपचार संयंत्र स्थापित करने के लिए कहा गया है। उपचार संयंत्र लगाया जा रहा है जबकि भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड में उपचार संयंत्र पहले से ही कार्य कर रहा है।

बिहार में बाराहाई हिल (गया), बोधगया और राजरप्पा का विकास

2374. **श्री राम स्वरूप राम : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में बाराहाई हिल (गया) बोधगया और राजरप्पा (हजारीबाग) आकर्षक पर्यटक स्थल हैं; और

(ख) यदि हां, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में इन स्थलों के विकास के लिए सरकार द्वारा क्या योजना तैयार की गई है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) केन्द्र, राज्य और प्राइवेट सेक्टर के मिश्रित संसाधनों द्वारा पर्यटन आधार-संरचनात्मक सुविधाओं का अवस्थाबद्ध विकास करने के लिए विभाग द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से निर्धारित 28 पर्यटक/केन्द्रों की सूची में गया, बोधगया और हजारी बाग को शामिल किया गया है।

(ख) सरकार ने इन स्थानों के विकास की जो योजनाएं तैयार की हैं वे इस प्रकार हैं :—

बाराबार पहाड़ी (गया) : राज्य सरकार की अलख बाबा गुफा से सिद्धिनाथ मन्दिर तक और पाताल गंगा से सिद्धिनाथ मन्दिर तक सीढ़ियों का निर्माण करने की योजनाएं हैं। मखदुमपुर से बाराबार तक और बेला से बाराबार तक सड़कों की मेटलिंग कराने, मौजूदा यूथ होस्टल के नवीकरण और एक मीडियम क्लास होटल की स्थापना करने सम्बन्धी स्कीमों को राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है।

बोधगया : बोध गया में गौतम वन का विकास करने के लिए केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने 20.00 लाख रुपये की मंजूरी दे दी है जिसमें से भारत पर्यटन विकास निगम को कार्य का निष्पादन करने के लिए 3.00 लाख रुपये रिलीज किए गए हैं। इसके अलावा, भारत पर्यटन विकास निगम बोध गया स्थित अपने यात्री गृह का 160 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर एक होटल के रूप में विस्तार कर रहा है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार बोध गया स्थित मौजूदा यूथ होस्टल का नीवकरण कर रही है और अपने पर्यटन बंगले के पीछे एक स्वीमिंग पूल का निर्माण भी कर रही है।

राजरप्पा (हजारीबाग) : राजरप्पा में एक धर्मशाला और अल्पाहार-गृह का निर्माण करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव हैं।

छुट्टी यात्रा रियायत सुविधाओं का दुरुपयोग

2375. **श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह जानकारी आई है कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी और

सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारी छुट्टी यात्रा रियायत सुविधाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं;

(ख) क्या यह सच है कि इस बात का पता लगाने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की आवश्यकता है कि जिस कर्मचारी ने छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ उठाया है, उसने वास्तव में इसका उपयोग किया है अथवा नहीं;

(ग) क्या योजना के वास्तविक कार्यकरण के फलस्वरूप लेखा प्रक्रिया और कार्य में अत्यधिक वृद्धि हुई है; और

(घ) क्या सरकार का विचार विद्यमान छुट्टी यात्रा रियायत प्रणाली को समाप्त करने और छुट्टी यात्रा रियायत के स्थान पर सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों/उपक्रमों के कर्मचारियों को चार वर्ष में एक बार एक मुश्त धनराशि मंजूर करने का है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) सरकार के ध्यान में यह जानकारी आई है कि कतिपय निजी परिवहन कम्पनियां कुछ सरकारी कर्मचारियों के सहयोग से अनाचार में शामिल थीं जिसके परिणामस्वरूप छुट्टी यात्रा रियायत का दुरुपयोग हो रहा था।

(ख) विभिन्न कार्यालयों में नियंत्रक प्राधिकारी, जो यात्रा भत्ता बिलों का अनुमोदन करने से पहले उनकी जांच करते हैं, वे छुट्टी यात्रा रियायत बिलों की भी जांच करते हैं।

(ग) छुट्टी यात्रा रियायत के दावों पर कार्रवाई करने की लेखा-प्रक्रिया वही हैं जो यात्रा भत्ते दावों के मामले में लागू हैं तथा छुट्टी यात्रा रियायत दावों का निपटान उन्हीं कर्मचारियों द्वारा किया जाता है जो यात्रा भत्ते दावों को निपटाते हैं।

(घ) वेतन के साथ कुछ राशि देकर किन्तु यात्रा की कोई भी शर्त लगाए बिना छुट्टी यात्रा रियायत की विद्यमान प्रणाली को बदलने के लिए एक सुझाव सरकार को प्राप्त हुआ है। इस सुझाव को चतुर्थ वेतन आयोग को भेज दिया गया है जो केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की परिलब्धियों के ढांचे तथा सेवा शर्तों के बारे में पहले ही विचार कर रहा है।

उड़ीसा के झाडिया कोंड और एरेंगा कान्ध कबीलों का उत्थान

2376. **श्री राधाकांत डिगाल** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा के विभिन्न जिलों में रहने वाले झाडिया कोंड तथा एरेंगा कान्ध कबीलों के उत्थान के लिए कोई योजना लागू की है;

(ख) यदि हां, तो उन योजनाओं को कब से कार्यान्वित किया गया है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान उन योजनाओं के कार्यान्वयन पर कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान उड़ीसा के फूलबनी जिले में उक्त समुदायों के कितने परिवार लाभान्वित हुए ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (घ) उड़ीसा सरकार का झाडिया कोंड और एरेंगा कोल्हा को विशेष कार्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए पता लगाए गए आदिम जनजाति समुदायों की सूची में सम्मिलित करने का प्रस्ताव था। इस प्रकार से सम्मिलित करने के लिए पूर्ण औचित्य न होने के कारण इसे स्वीकार नहीं किया गया। जनजाति-उपयोजना और गरीबी उन्मूलन के अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्राप्त लाभ सभी अनुसूचित जनजातियों को मिलते हैं। ऐसे लाभों के समुदाय-वार ब्यौरे नहीं रखे जाते।

बम्बई में प्रदूषण उत्पन्न करने वाले उद्योग

2377. श्री यशवंतराव गडाख पाटिल : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई में 3000 से अधिक प्रदूषण करने वाले उद्योग स्थापित हैं; और

(ख) यदि हां, तो बम्बई को खतरनाक गैसों के प्रदूषण से बचाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) जी नहीं, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार बम्बई में लगभग 141 मझोले/बड़े उद्योग हैं जो प्रदूषक स्वरूप के हैं;

(ख) महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बम्बई शहर को वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र अधिसूचित किया गया है तथा उद्योगों को कहा गया है कि वे वायु अधिनियम 1981 के प्रावधान के अनुसार सहमति के लिए आवेदन करें चूंकि वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन प्रमुख वायु प्रदूषणकारी हैं। अतः आटोमोबाईल-निकासों से प्रदूषण नियंत्रण के लिए भी एक कार्यक्रम चलाया गया है।

आंध्र प्रदेश के लिए वायुदूत सेवा

2378. श्री के० एस० राव : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रत्येक स्थानों पर धावन पथ (रनवे) बन जाने पर वायुदूत की कुछ नई सेवा प्रारम्भ करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो आन्ध्र प्रदेश के किन स्थानों के लिए वायुदूत सेवा आरम्भ किए जाने की संभावना है; और

(ग) क्या ये सेवाएं गैर-सरकारी क्षेत्र को चलाने की अनुमति देने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) जी, हां। आधारभूत सुविधाओं, विमान क्षमता तथा प्रचालनों की आर्थिक व्यवहार्यता के उपलब्ध होने पर ही इस वर्ष के अन्त तक वारंगल को हवाई सेवा के साथ जोड़ने की वायुदूत की योजना है।

(ग) जी, नहीं।

"नोएस इफैक्ट्स इअर आफ 8 आउट आफ 1000 इन कलकत्ता" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

2379. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान "नोएस इफैक्ट्स इअर आफ 8 आउट आफ 1000 इन कलकत्ता" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है (हिन्दुस्तान टाइम्स, दिनांक—2 जुलाई 1985);

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) अन्य बड़े शहरों में भी शोर होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीर सेन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

रिपोर्ट के अनुसार, कलकत्ता में औसतन यातायात शोर स्तर लगभग 75 डी० बी० ए० है। यह अध्ययन 22 स्थानों पर संग्रहीत आंकड़ों पर आधारित प्रतीत होता है। मोटर व्हीकल्स एक्ट, म्यूनिसिपैलटीय एक्ट, फैक्टरीज एक्ट आदि में उच्च ध्वनि वाले भोंपुओं को निषेधित करके, लाउडस्पीकरों पर प्रतिबंध लगाकर, साइलेन्सरों के अनिवार्य प्रयोग से तथा शहरी इलाकों की जोनिंग करके शोर के स्तर को विनियमित करने की व्यवस्था है। सड़क के किनारे वृक्षारोपण भी, शोर के अवरोधक का काम करता है।

[हिन्दी]

देश में मौसम कार्यालय

2380. **श्री के० एन० प्रधान** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने क्षेत्रीय मौसम कार्यालय हैं तथा वे कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) क्या यह सच है कि एक क्षेत्रीय कार्यालय बम्बई (महाराष्ट्र) में है जिसका क्षेत्राधिकार विदर्भ के अतिरिक्त महाराष्ट्र है और दूसरा क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर में है जिसमें विदर्भ के केवल आठ जिले हैं तथा पूरा मध्य प्रदेश इसके क्षेत्राधिकार में है; और

(ग) क्या मौसम विशेषज्ञ और कर्मचारी संघ केन्द्रीय सरकार के मौसम विभाग को गत अनेक वर्षों से लिखते रहे हैं कि भोपाल केन्द्र को क्षेत्रीय कार्यालय का दर्जा दिया जाना चाहिए और यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलैक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) देश में पांच क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र हैं। ये बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, नई दिल्ली एवं नागपुर में स्थित हैं।

(ख) क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र, बम्बई के क्षेत्राधिकार में महाराष्ट्र (विदर्भ क्षेत्र को छोड़कर) एवं गुजरात राज्य आते हैं। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र, नागपुर के क्षेत्राधिकार में विदर्भ क्षेत्र एवं समस्त मध्य प्रदेश आते हैं।

(ग) मौसम विज्ञान केन्द्र, भोपाल को क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र के रूप में अपग्रेड करना आवश्यक नहीं माना गया है, क्योंकि क्षेत्रीय केन्द्र नागपुर, एक अच्छी प्रकार से स्थापित केन्द्र है, तथा पर्याप्त रूप से मध्य प्रदेश के हितों का साधन कर रहा है।

[अनुवाद]

देश में वनरोपण

2381. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में वनरोपण के द्वारा वनों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई;

(ख) क्या केन्द्रीय विधान लागू करने से वनों की कटाई में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन राज्यों के नाम क्या हैं, जहां केन्द्रीय विधान लागू होने पर भी वनों की कटाई में कमी नहीं आई है?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान वनरोपण प्रयास के अन्तर्गत करीब 713 करोड़ पौद लगायी गयीं। इनमें से 380 करोड़ पौद वन क्षेत्र से बाहर फार्म भूमि, निजी जोतों और घरों के आस-पास लगायी गयीं। शेष पौद का रोपड़ उजड़े वन क्षेत्रों में किया गया। यद्यपि, इससे वनों के भीतर और बाहर के वृक्ष-क्षेत्र में वृद्धि हुई है, फिर भी वन क्षेत्र में प्रतिशत वृद्धि का ठीक-ठीक मूल्यांकन करना संभव नहीं है।

(ख) और (ग) 1952 और 1980 के बीच, अर्थात वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के

बनने से पूर्व, वन भूमि का गैर-वानिकी कार्यों के लिए उपयोग किए जाने के फलस्वरूप वन कटाई की दर प्रतिवर्ष 1.5 लाख हैक्टेयर थी। उक्त अधिनियम बनने के पश्चात 1980 और 1985 के बीच यह दर कम होकर प्रतिवर्ष करीब 6500 हैक्टेयर रह गई है। तथापि, अधिक्रमण और वनों की अवैध कटाई के कारण निर्वनीकरण की मात्रा के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(घ) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के बनने के पश्चात सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों के लिए उपयोग किए जाने से होने वाले निर्वनीकरण की दर में कमी आई है। तथापि, जम्मू एवं कश्मीर के सम्बन्ध में, जहां कि यह अधिनियम लागू नहीं है, कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

गंगा को शुद्ध करने के आबंटन में कटौती

2382. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा को शुद्ध करने के आबंटन में अत्यधिक कटौती की गई है जैसाकि दिनांक 16 जुलाई, 1985 के टाइम्स आफ इण्डिया में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) इस कटौती का योजना पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) क्या संसाधनों की कमी को अन्तर्राष्ट्रीय सहायता द्वारा पर्याप्त सीमा तक पूरा किया जाएगा ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीर सेन) : (क) गंगा कार्यवाही योजना के प्रथम चरण के कार्यान्वयन के लिए 250 करोड़ रुपये की प्रारम्भिक अनुमानित लागत के मुकाबले में, योजना आयोग ने 7वीं योजना अवधि के दौरान 80 करोड़ रुपये का परिव्यय सुलभ किया है।

(ख) संसाधनों का समग्र दबाव।

(ग) आशा है कि वित्तीय रुकावटों के कारण परियोजना को कोई क्षति नहीं होगी।

(घ) प्रस्तावों की जांच की जाएगी और प्रत्येक प्रस्ताव के गुण के आधार पर निर्णय लिए जायेंगे।

सार्वजनिक उपक्रमों में कार्य करने वाले पेंशन प्राप्त लोगों को पेंशन लाभ देना

2383. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावणि**
श्री काली प्रसाद पांडेय
: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्रालय ने 22 अक्तूबर, 1983 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ० 1-(3) इ० वी०-83 के द्वारा उन सभी पेंशनरों को पेंशन का लाभ दिया है जो 1 अप्रैल, 1979 से पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं परन्तु यह पेंशन लाभ उन पेंशनरों को नहीं दिया जिन्होंने सार्वजनिक उपक्रमों में नौकरी प्राप्त करने पर उनसे मांगा गया यह विकल्प स्वीकार कर लिया था कि उनके द्वारा केन्द्रीय सरकार में की गई पेंशन योग्य सेवा की पेंशन को पूर्ण परिवर्तित पेंशन कर दिया जाए; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उन पेंशनरों की वृद्धावस्था की दशा में सुधार करने के लिए जो सार्वजनिक उपक्रमों में लिए गए थे उन्हें यह पेंशन लाभ देने पर विचार करेगी ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) वित्त मंत्रालय के दिनांक 22 अक्तूबर, 1983 के का० ज्ञा० संख्या एफ० 1(3)-इ० वी०/83 का लाभ सभी पेंशन भोगियों को दिया गया था। तथापि, जिन व्यक्तियों ने केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों/स्वायत्त निकायों में स्थायी तौर पर अन्तर्लियत होने पर पूरी पेंशन का संराशीकरण करा लिया था, इस लाभ के हकदार नहीं हैं, क्योंकि वे अब पेंशन भोगी नहीं रहे हैं।

दीमापुर हवाई पट्टी का सुधार

2384. **श्री चिंगवांग कोनयक** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बोइंग उतरने के लिए वर्तमान दीमापुर हवाई अड्डे पट्टी में सुधार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त काम कब शुरू किया जाएगा ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) दीमापुर विमानक्षेत्र इस समय भारतीय वायु सेना के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है। इस विमान क्षेत्र को भारतीय वायु सेना से लेने का निर्णय किया गया है। नागर विमानन विभाग के सातवीं योजना प्रस्तावों में इस विमानक्षेत्र के विकास को शामिल किया गया है। स्थानान्तरण औपचारिकताएं पूरी होने के बाद विकास कार्य शुरू करने का प्रस्ताव है।

रामेश्वरम का पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास

2385. **श्री आर० अन्नानम्बी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने 6 वर्ष पूर्व रामेश्वरम को एक विश्व पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए केन्द्रीय सरकार को एक प्रस्ताव भेजा था; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) 1980 में तमिलनाडु सरकार ने, 28 करोड़ रुपयों की अनुमानित लागत का एक प्रस्ताव, जिसमें रामेश्वरम के विकास के लिए विश्व बैंक से वित्तीय सहायता मांगने के बारे में सुझाव दिया गया था प्रस्तुत किया था। वित्त मन्त्रालय ने, जिन्हें यह मामला भेजा गया था, यह राय दी कि इस परियोजना में विदेशी मुद्रा का कोई खास खर्च शामिल नहीं है, इसलिए विश्व बैंक से सहायता के लिए सम्पर्क करने से कोई लाभ न होगा।

तथापि, केन्द्रीय पर्यटन विभाग सैद्धांतिक रूप से, रामेश्वरम में एक स्वागत केन्द्र और एक धर्मशाला के निर्माणार्थ वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए रजामंद है। राज्य सरकार ने बताया है कि वह इन दो परियोजनाओं के लिए उपयुक्त स्थान का अभिज्ञान कर रही है।

राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी सूचना नेटवर्क की स्थापना करना

2386. **प्रो० रामकृष्ण मोरे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव देश में एक राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी सूचना नेटवर्क खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलैक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय सूचना प्रणाली को 1977 में आरम्भ किया गया था।

(ख) शुरू में मशीनी औजारों, चमड़ा, खाद्य प्रौद्योगिकी और औषधों और भेषजों के लिए चार क्षेत्रक सूचना केन्द्र और किस्टैलोग्राफी पर एक आंकड़ा केन्द्र स्थापित किए गए थे। सुदूर आंकड़ा आधारों के साथ युगपत संबंधों की आधुनिक प्रौद्योगिकियों और सूचना के कम्प्यूटर आधारित चयनित प्रसार का प्रदर्शन किया गया था। कई अल्पकालिक पाठ्यक्रम, संगोष्ठियां और प्रदर्शनियां आयोजित की गई थीं। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गतिविधियों को बढ़ाने और इस नेटवर्क का विकास करने का प्रस्ताव है।

राशिकृत पेंशन की एकमुश्त अदायगी राशि में वृद्धि

2387. **डा० वी० वेंकटेश** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी द्वारा पेंशन का राशिकरण कराने के कारण एकमुश्त अदायगी की राशि में पेंशन के प्रति रुपये पर 125 रुपये की वर्तमान दर में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या पेंशन के राशिकरण की वर्तमान दर में जो कई दशक पहले निर्धारित की गई थी, वर्तमान मुद्रास्फीति की दर को ध्यान में रखते हुए, संशोधन करने की आवश्यकता है; और

(ग) पेंशन भोगियों अथवा सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए और क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) पेंशन के संराशीकरण की विद्यमान दरों की पुनरीक्षा करने के एक प्रस्ताव की सरकार द्वारा कुछ समयपूर्व जांच की गई थी किन्तु फिलहाल इसमें कोई परिवर्तन करना उचित नहीं समझा गया।

(ग) जब कभी सेवारत केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मंजूर किया जाता है तभी केन्द्रीय सरकार के विद्यमान पेंशनभोगियों को राहत दी जा रही है। तथापि सेवारत केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं के मामले पर चतुर्थ वेतन आयोग द्वारा गौर किया जा रहा है।

विभिन्न परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त अनुरोध

2358. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष 1985-86 की पहली तिमाही में वन भूमि के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में जहां पेड़ों को गिराना पड़ेगा, सड़कों का निर्माण करने, पेयजल की सप्लाई के लिए पाइप लाइन बिछाने, सिंचाई साधन निर्मित करने और दूर संचार/बिजली के खंभे गाड़ने जैसी परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों से कई अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्यवार कितने मामलों में राज्य सरकारों को स्वीकृति दी गई है; और

(घ) अन्य मामलों को किस संभावित तिथि तक निपटा दिया जाएगा ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीर सेन) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) राज्य सरकारों द्वारा अपेक्षित जानकारी भेजने के पश्चात लम्बित पड़े मामलों में से 48 मामलों का निपटान कर लिया जाएगा। छह मामले, जिन पर कार्यवाही की जा रही है, आगामी कुछ सप्ताहों में निपटा लिए जायेंगे।

विवरण					
श्रेणी	कुल प्राप्तियां	स्वीकृत	अस्वीकृत	कारंवाई की जा रही है	राज्य सरकार से अतिरिक्त जानकारी प्राप्त होनी है
1	2	3	4	5	6
1. महाराष्ट्र					
(क) सड़कें	1	—	—	—	1
(ख) पेयजल आपूर्ति हेतु पाइप लाइन	2	2	—	—	—
(ग) सिंचाई की नालियां	5	—	—	3	2
(घ) टेलीफोन/बिजली के खम्भे	3	—	—	1	2
(ङ) अन्य	—	—	—	—	—
उप-योग (1)	11	2	—	4	5
2. उत्तर प्रदेश					
(क) सड़कें	4	1	—	—	3
(ख) पेयजल आपूर्ति हेतु पाइप लाइन	—	—	—	—	—
(ग) सिंचाई की नालियां	1	—	—	—	1
(घ) टेलीफोन/बिजली के खम्भे	1	1	—	—	—
(ङ) अन्य	1	—	1	—	—
उप-योग (2)	7	2	1	—	4

1	2	3	4	5	6
3. आंध्र प्रदेश					
(क) सड़कें	—	—	—	—	—
(ख) पेयजल आपूर्ति हेतु पाइप लाइन	—	—	—	—	—
(ग) सिंचाई की नालियां	—	—	—	—	—
(घ) टेलीफोन/बिजली के खम्भे	2	—	—	—	2
(ङ) अन्य	1	1	—	—	—
उप-योग (3)	3	1	—	—	2
4. तमिलनाडु					
(क) सड़कें	—	—	—	—	—
(ख) पेयजल आपूर्ति हेतु पाइप लाइन	1	1	—	—	—
(ग) सिंचाई की नालियां	—	—	—	—	—
(घ) टेलीफोन/बिजली के खम्भे	2	—	—	—	2
(ङ) अन्य	2	—	—	—	2
उप-योग (4)	5	1	—	—	4
5. कर्नाटक					
(क) सड़कें	1	—	1	—	—
(ख) पेयजल आपूर्ति हेतु पाइप लाइन	—	—	—	—	—
(ग) सिंचाई की नालियां	—	—	—	—	—
(घ) टेलीफोन/बिजली के खम्भे	1	—	—	—	1
(ङ) अन्य	1	—	—	1	—
उप-योग (5)	3	—	1	1	1

1	2	3	4	5	6
6. राजस्थान					
(क) सड़कें	—	—	—	—	—
(ख) पेयजल आपूर्ति हेतु पाइप लाइन	—	—	—	—	—
(ग) सिंचाई की नालियां	—	—	—	—	—
(घ) टेलीफोन/बिजली के खम्भे	1	—	—	—	1
(ङ) अन्य	1	—	—	—	1
उप-योग (6)	2	—	—	—	2
7. मध्य प्रदेश					
(क) सड़कें	—	—	—	—	—
(ख) पेयजल आपूर्ति हेतु पाइप लाइन	1	—	—	—	1
(ग) सिंचाई की नालियां	9	—	2	—	7
(घ) टेलीफोन/बिजली के खम्भे	1	—	—	—	1
(ङ) अन्य	5	—	—	1	4
उप-योग (7)	16	—	2	1	13
8. गुजरात					
(क) सड़कें	1	1	—	—	—
(ख) पेयजल आपूर्ति हेतु पाइप लाइन	—	—	—	—	—
(ग) सिंचाई की नालियां	5	—	—	—	5
(घ) टेलीफोन/बिजली के खम्भे	1	—	—	—	1
(ङ) अन्य	2	—	—	—	2
उप-योग (8)	9	1	—	—	8

1	2	3	4	5	6
9. सिक्किम					
(क) सड़कें	—	—	—	—	—
(ख) पेयजल आपूर्ति हेतु पाइप लाइन	—	—	—	—	—
(ग) सिंचाई की नालियां	—	—	—	—	—
(घ) टेलीफोन/बिजली के खम्भे	1	—	—	—	1
(ङ) अन्य	—	—	—	—	—
उप-योग (9)	1	—	—	—	1
10. बिहार					
(क) सड़कें	—	—	—	—	—
(ख) पेयजल आपूर्ति हेतु पाइप लाइन	—	—	—	—	—
(ग) सिंचाई की नालियां	1	1	—	—	—
(घ) टेलीफोन/बिजली के खम्भे	4	2	—	—	2
(ङ) अन्य	1	—	1	—	—
उप-योग (10)	6	3	1	—	2
11. मेघालय					
(क) सड़कें	—	—	—	—	—
(ख) पेयजल आपूर्ति हेतु पाइप लाइन	1	—	—	—	1
(ग) सिंचाई की नालियां	—	—	—	—	—
(घ) टेलीफोन/बिजली के खम्भे	—	—	—	—	—
(ङ) अन्य	—	—	—	—	—
उप-योग (11)	1	—	—	—	1

1	2	3	4	5	6
12. पश्चिम बंगाल					
(क) सड़कें	—	—	—	—	—
(ख) पेयजल आपूर्ति हेतु पाइप लाइन	1	—	—	—	1
(ग) सिंचाई की नालियां	—	—	—	—	—
(घ) टेलीफोन/बिजली के खम्भे	—	—	—	—	—
(ङ) अन्य	—	—	—	—	—
उप-योग (12)	1	—	—	—	1
13. पंजाब					
(क) सड़कें	—	—	—	—	—
(ख) पेयजल आपूर्ति हेतु पाइप लाइन	—	—	—	—	—
(ग) सिंचाई की नालियां	1	—	—	—	1
(घ) टेलीफोन/बिजली के खम्भे	—	—	—	—	—
(ङ) अन्य	—	—	—	—	—
उप-योग (13)	1	—	—	—	1
14. अरुणाचल प्रदेश					
(क) सड़कें	—	—	—	—	—
(ख) पेयजल आपूर्ति हेतु पाइप लाइन	—	—	—	—	—
(ग) सिंचाई की नालियां	—	—	—	—	—
(घ) टेलीफोन/बिजली के खम्भे	—	—	—	—	—
(ङ) अन्य	1	—	—	—	1
उप-योग (14)	1	—	—	—	1

1	2	3	4	5	6
15. त्रिपुरा					
(क) सड़कें	—	—	—	—	—
(ख) पेयजल आपूर्ति हेतु पाइप लाइन	—	—	—	—	—
(ग) सिंचाई की नालियां	—	—	—	—	—
(घ) टेलीफोन/बिजली के खम्भे	—	—	—	—	—
(ङ) अन्य	2	—	—	—	2
उप-योग (15)	2	—	—	—	2
कुल योग	69	10	5	6	48

पिक्चर ट्यूबों की कमी

2389. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाजार में पिक्चर ट्यूबों की कमी है जिसके कारण टी० वी० रखने वालों को कठिनाई हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा बाजार में इन्हें आसानी से उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

टी० वी० निर्माताओं को जारी आशय-पत्र

2390. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1 84 तक देश में रंगीन टी० वी० सैटों के निर्माताओं को कितने आशय-पत्र जारी किये गये हैं;

(ख) जिन कम्पनियों को आशय-पत्र जारी किये गये हैं उनमें से कितनी कम्पनियां इस समय टी० वी० का निर्माण कर रही हैं;

(ग) इन कम्पनियों की संख्या जिन्होंने आज तक अपनी यूनिटें नहीं लगाई हैं तथा क्या यह जानने के लिए कोई जांच की गई है कि उनके द्वारा यूनिटें न लगाने के क्या कारण हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यह सच है कि वे अपने आयात लाइसेंसों का दुरुपयोग कर रहे हैं यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम हैं तथा उनके खिलाफ क्या कार्यवाही का जा रही है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : संगठित क्षेत्र में रंगीन दूरदर्शन सैटों का विनिर्माण करने के लिए दिसम्बर, 1984 तक 92 आशय-पत्र जारी किए गए हैं।

(ख) उनमें से पन्द्रह कम्पनियां इस समय रंगीन दूरदर्शन सैटों का विनिर्माण कर रही हैं।

(ग) और (घ) अब तक 174 आशय-पत्र जारी किए गए। इनमें से 42 आशय-पत्रों को औद्योगिक लाइसेंस में परिवर्तित किया गया है। कार्रवाई न होने के कारण 32 आशय-पत्रों को रद्द कर दिया गया है।

(ङ) और (च) मुख्य नियंत्रक आयात तथा निर्यात को आवश्यक सूचना देने को कहा गया है। सूचना एकत्रित की जाने के बाद भेज दी जाएगी।

नैना देवी में यात्री सराय का निर्माण

2391. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री नैना देवी में यात्री सराय के निर्माण के बारे में 23 जनवरी, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 176 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में श्री नैना देवी में "यात्रिका" के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : ऊंचे टीले पर अवस्थित होने तथा भू-स्खलन-प्रवृत होने की आशंका के कारण पहले नैना देवी में यात्रिका के निर्माण के लिए आबंटित की गई भूमि उपयुक्त नहीं मानी गई।

इस उद्देश्य के लिए एक नए स्थान का चयन किया जा रहा है और जैसे ही इस भूमि की भारतीय यात्री आवास विकास समिति को हस्तान्तरित होने संबंधी औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी समिति द्वारा निर्माण-कार्य प्रारम्भ कर दिया जाएगा।

पर्यटन के चरणबद्ध विकास के लिए यात्रा सर्किट

2392. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री राजस्थान में

पर्यटकों की रुचि के स्थानों के विकास के बारे में 17 अप्रैल, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3411 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस प्रयोजन के लिए केन्द्र में/राज्य सरकार ने पर्यटन के चरणबद्ध विकास के लिए जिन 16 यात्रा सर्किटों तथा 441 केन्द्रों को चुना है, राज्यवार उनके नाम क्या हैं;

(ख) क्या 1985-86 की वार्षिक योजना के लिए विशेष रूप से जम्मू और काश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा हरियाणा में भी ऐसे यात्रा सर्किटों का चयन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं तथा तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) 441 केन्द्रों सहित 61 यात्रा परिपथों के नामों को दर्शाने वाला एक विवरण (राज्य-वार) संलग्न है।

(ख) और (ग) 1985-86 के दौरान संसाधनों की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर रहते हुए जम्मू व काश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा हरियाणा राज्यों को शामिल करते हुए कुछ चुनिंदा केन्द्रों पर राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों के परामर्श से आधारभूत-संरचना सुविधाएं प्रदान करने का प्रस्ताव है जिनके बारे में उनके साथ चर्चाएं की जा रही हैं।

विवरण

आन्ध्र प्रदेश

1. हैदराबाद—नागार्जुनसागर—इथीपोथला—श्रीशैलम—महानन्दी—गुड्प्पा—तिरुपति कालहस्ती—पुलीकिट झील—तिरुपति—हार्सली हिल्स—लिपाक्षी—अनन्तपुर—कर्नूल—हैदराबाद।
2. हैदराबाद—मेढक—हैदराबाद—भोंगीर—यादगिरिगुट्टा—वारांगल—रामप्पा—पक्खल (झील व इथुनगरम् वन्यजीव अभयवन)—वारांगल—अमरावती (चिराला)—विजयवाड़ा—सूर्यपेट—हैदराबाद।
3. विशाखापतनम्—भीमूनीपत्तनम्—बोर्रा गुफाएं—अनन्तगिरि—अरकू—विशाखापत्तनम्।

असम

1. गोहाटी—जंगलबालहू—काजीरंगा—शिवसागर।
2. गोहाटी—बारपेटा—बरोमा—मनास।

बिहार

1. पाटलिपुत्र (पटना)—नालन्दा—राजगीर—भीमबन्ध—गया—बोधगया—सासाराम—बक्सर—जगदीशपुर—मनेर—पाटलिपुत्र (पटना)।

2. पाटलिपुत्र (पटना) — वैशाली — मुजफ्फरपुर — अरेराज — मोतीहारी — बरहरवा — बेतिया — लौरिया — नन्दनगढ़ — बाल्मीकिनगर — रक्सौल — सीतामर्नी (जनकपुर) — मुजफ्फरपुर — पाटलिपुत्र (पटना)।

3. पटना — पावापुरी — तिलैया बांध — पारसनाथ — हजारीबाग — रांची — बेतला — नेतरहाट — रांची।

गुजरात

1. अहमदाबाद — राजकोट — जामनगर — द्वारका — पोरबन्दर — सासणगीर — सोमनाथ — जूनागढ़ — भावनगर — पालितना — अहमदाबाद।

2. अहमदाबाद — डकोर — बड़ोदा — शुक्लतीर्थ (भड़ोच के निकट) — सपुतारा — उक्काई — सूरत — अहमदाबाद।

3. अहमदाबाद — वांकानेर — भुज — माण्डवी समुद्रतट — भुज — राधनपुर पालमपुर — सिद्धपुर — पाटन — मोढेरा — अहमदाबाद।

हरियाणा

1. (दिल्ली) — सूरजकुंड — बड़खल — होडल — पलवल — सोहना — धारूहेड़ा — सुल्तानपुर — गुड़गांव — (दिल्ली)।

2. (दिल्ली) — रोहतक — पानीपत — करनाल — कुरूक्षेत्र — ताजेवाला — कालेसर — सिधौरा — नारायणगढ़ — पंचकुला — पिन्जौर — चण्डीगढ़।

हिमाचल प्रदेश

1. परवानु — चैल — कुफ्री — नरकण्डा — शिमला — परवानु।

2. मण्डी — कुल्लू — मनाली — कुल्लू — मणिकरण — कुल्लू — मण्डी।

3. डलहौजी — चम्बा — डलहौजी — नूरपूर — त्रिलोकपुर — गोगल — धर्मशाला — कांगड़ा — ज्वालामुखी — कांगड़ा — पालमपुर — जोगिन्दरनगर — भड़ोट — जोगिन्दरनगर — मण्डी — बिलासपुर — शिमला/बिलासपुर — नैनादेवी — (चण्डीगढ़)।

जम्मू और कश्मीर

1. जम्मू — कटरा — (वैष्णो देवी) — कुद — बटोत — किश्तवार — (केवल पदयात्रा)।

2. श्रीनगर — गंधरबल — कांगन — सोनमार्ग — द्रास — करगिल — मुलबेख — लामायूरू — लेह।

3. श्रीनगर — अवन्तीपुर — अनन्तनाग — अन्छबल — कौकरनाग — ढकसूम — अच्छबल — मार्तण्ड — पहलगाम — श्रीनगर।'

कर्नाटक

1. बेलगांव—बीजापुर— बदामी—पट्टाडकल – अइहोल—होसपेट—हम्पी—बेलगांव/(गोवा)।

2. बंगलौर—मैसूर—बांदीपुर—नागरहोल—हसन—(बेलूर, हालेबिड और श्रवणबेलगोला)—मर्कारा—मंगलौर और पश्चिमी समुद्रतट।

केरल

1. त्रिवेन्द्रम/कोवलम/वेली — वर्कला —क्विलोन—आरनमुला—कोट्टायम्—कुमरकम—तेक्कड़ी—मून्नार—कोचीन—त्रिवेन्द्रम।

2. कोचीन—त्रिचूर — गुरूवायूर— चेरूतुरूथी—मलमपुजा—कोट्टाकल—कोजीकोड—सुलतान बत्तेरी/मानन्दवाड़ी—कन्ननोर—एजुमलाई—कोचीन/मंगलौर।

मध्य प्रदेश

1. ग्वालियर — शिवपुरी — दतिया — ओरछा —खजुराहो— बान्धवगढ़—खजुराहो/जबलपुर।

2. भोपाल— सांची — विदिशा — उदयगिरि —भोपाल — (भीमबेटका, भोजपुर)—उज्जैन—इन्दौर—माण्डू—महेश्वर—मंडलेश्वर—ओंकारेश्वर—इन्दौर।

3. जबलपुर—भेड़ाघाट—चिराई—डोंग्री (मन कुण्ड)—माण्डला—कान्हा नेशनल पार्क ब्रह्मदेव—जबलपुर/रायपुर।

महाराष्ट्र

1. बम्बई—पुणे—अहमदनगर—औरंगाबाद (अजन्ता और एल्लोरा)— नासिक—बम्बई।

2. बम्बई—मुरूड/जंजीरा—गणपतिफुले—वेन्गुर्ला—बम्बई।

3. नागपुर—रामटेक—नागपुर—वर्धा (सेवाग्राम)—चन्द्रपुर (तड़ोबा नेशनल पार्क)—नागपुर।

मणिपुर

1. इम्फाल—मोइरंग—लोकतक झील—कीबुल— लमजाओ पार्क और वापस।

2. इम्फाल—उखरूल—इम्फाल।

नागालैण्ड

1. दीमापुर—कोहिमा—वोखा — मोकोकछंग — त्युनसंग—मोकोकछंग—जुनहेहोतो—कोहिमा।

2. दीमापुर—कोहिमा—फेक।

उड़ीसा

1. भुवनेश्वर—पुरी—कोणार्क — धौली —रत्नगिरि—ललितगिरि—उदयगिरि— भद्रक —चांदीपुर—खिचिंग—जोशीपुर (सिमलीपाल) और वापस।

2. भुबनेश्वर—चिलका झील—गोपालपुर समुद्रतट—तप्तपानी—कोरापुट—बोलनगीर—झरसुगुदा—अंगुल—टिकरपाड़ा—तलचेर—भुबनेश्वर।

पंजाब

1. चण्डीगढ़—झतबोर — पटियाला—सिरहंद — लुधियाना—तरनतारन—अमृतसर—बाबा बटाला—ब्यास—फगवाड़ा—रोपड़—आनन्दपुर साहिब—चण्डीगढ़।

2. लुधियाना—कपूरथला—कंजलि—अमृतसर—रोपड़—भाखड़ा—चण्डीगढ़।

राजस्थान

1. जयपुर—जोधपुर—ओसयां—पोखरण—जैसलमेर—बीकानेर—जयपुर।

2. (आगरा) भरतपुर—जयपुर—टोंक—सवाई माधोपुर—जयपुर—सरिसका—अलवर —(दिल्ली)।

3. जयपुर—अजमेर—पुष्कर—चित्तौड़— उदयपुर —ऋषभदेव—एकलिंगजी—नाथद्वार रनकपुर—माऊण्ट आबू—जयपुर—(अहमदाबाद)।

सिक्किम

1. (दार्जिलिंग)—नयाबाजार—पेमायांग्से— यकसूम—क्यूजिंग—नवांगला—तिमितरकू —शिरवानी (सिंगताम) — रूमतेक — गंगटोक— सिंगताम—रांग्पो—तीस्ता—(सिलिगुड़ी)।

2. नामची—नयाबाजार—छकुंग—सोरंग— बुरीखोप—बुरणे—हिले—ओत्रे—दनताम —बुरमियोक—लैगशिप—ततापानी—सिकिर—नामची।

तमिलनाडु

1. मद्रास—मामल्लापुरम्—तिरूकलिकुन्ड्रम—कांचीपुरम्—तिरूचिरापल्ली—तंजावुर—पुदुकोट्टाई—मदुरै—रामेश्वरम्—कन्याकुमारी—कुट्रालम—मद्रास/त्रिवेन्द्रम।

2. मद्रास—कृष्णगिरि—होगनक्कल— येरक्काड़—कोयम्बतूर— उदकमंडलम्—(बान्दीपुर—मैसूर—बंगलौर)—मद्रास।

3. रामेश्वरम् — मदुरै — कोडइकानल — पुदुकोट्टाई — तिरूचिरापल्ली—तंजावुर—मामल्लापुरम्—मद्रास।

उत्तर प्रदेश

1. वाराणसी — सारनाथ — गोरखपुर — कुशीनगर— फरेन्दा—सनौली—पिपरवा—(कपिलवस्तु)—नौगढ़—श्रावस्ती—गोंडा—अयोध्या—वाराणसी/लखनऊ।
2. (दिल्ली)—मुरादाबाद—काशीपुर—रामनगर—कॉर्बेट—रानीखेत—कॉर्बेट—दुधवा—लखनऊ—(दिल्ली)।
3. कपकोट—लोहारखेत—धापकुड़ी—खाती—द्वेली—फुरकिया—पिण्डारी ग्लेसियर और वापस।

पश्चिम बंगाल

1. कलकत्ता—कैनिंग—सुन्दरबन।
2. दार्जिलिंग—मनिभनजंग—टोंगलू—सन्दाकफू—रिमबिक—पलमजुआ—धोत्रे—दार्जिलिंग।
3. कलकत्ता—कमरपुकुर—जयरामबाटी—विष्णुपुर—बांकुड़ा—अयोध्या पहाड़ और वापस।

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह

1. पोर्ट ब्लेयर—वनदूर—ग्रबद्वीप—रेडस्किनद्वीप—जौलीब्वाय द्वीप—सिंक द्वीप—चिड़िया टापू—पोर्ट ब्लेयर।
2. पोर्ट ब्लेयर—रंगत—मायाबन्दर—पोर्ट ब्लेयर।

अरुणाचल प्रदेश

1. तेजपुर—भालुकपुंग—बमडीला—तवांग।

गोआ, दमन और दीव

1. पणजी—मंग्वेशी—फर्मागुडी—पोण्डा—बोरिमपुल—मरगांव—मोलम।
2. पणजी—मंग्वेशी—फर्मागुडी—पोण्डा—बोरिम पुल—मरगांव—पोलम।

मेघालय

1. जोरबाट नांगपोह बारापानी—शिलांग—मांगन—विलोई—जकरेम—विलोई—मौसिन्रम—शिलांग—चिरापुन्जी—उमत्यंगर—दौकी—जोवाई नरतियांग—जोवाई—पस्सी—गरमगानी—शिलांग हाफलांग।
2. बजेंगडोबा—रोंगरम—तुरा—रोंगरम—बोंगरगीर—सिजू—बागमारा बलपालरम—और वापसतुरा।

मिजोरम

1. एजल और उसके आसपास।

त्रिपुरा

1. अगरतला—सिपाहीजला— रूद्रसागर—उदयपुर—माताबाड़ी—अमरपुर--दुमबुर—गंडाछेडा—कुमारघाट/फटीकराय—उनकोटि—कैलाशहर।

2. कैलाशहर—उनकोटि--फटीकराय—जम्पुई—कैलाशहर।

कुल क्षेत्र संख्या—61

कुल पर्यटक स्थल संख्या—441

पठानकोट के लिए वायुदूत सेवाएं

2393. **प्रो० नारायण चन्द पराशर**: क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या पठानकोट को वायुदूत सेवा से जोडने का निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो ये सेवाएं किस तारीख से चलनी आरम्भ हो जाने की संभावना है तथा उड़ान की बारम्बारता और उसका समय क्या होगा ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव): (क) और (ख) पठानकोट को हवाई सेवा से जोड़ने सम्बन्धी प्रस्ताव पर वायुदूत विचार कर रहा है। तथापि, यह प्रचालनों की आर्थिक व्यवहार्यता तथा वहां उपलब्ध आवश्यक आधारभूत सुविधाओं पर निर्भर करेगा।

भारतीय खेल प्राधिकरण और राष्ट्रीय खेल संस्थान तथा भारतीय ओलम्पिक कमेटी के बीच समन्वय

2394. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी**: क्या **युवा कार्य और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अन्तर्राष्ट्रीय खेल-कूद गतिविधियों का संचालन अन्तर्राष्ट्रीय औलम्पिक समिति द्वारा किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय ओलम्पिक समिति को सरकारी हस्तक्षेप के बिना भारत में वही प्राधिकार प्राप्त है; और

(ग) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला और भारतीय खेल प्राधिकरण अपने

कार्यक्रम तय करने से पहले भारतीय ओलम्पिक संघ से अपनी गतिविधियों के संबंध में समन्वय स्थापित करते हैं ?

युवा कार्य और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) सरकार को जानकारी है कि अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति ओलम्पिक आन्दोलन को बढ़ावा देती है।

(ख) भारतीय ओलम्पिक एसोसिएशन एक स्वायत्त निर्वाचित निकाय है और सरकार का उनके कार्य में हस्तक्षेप करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) भारतीय ओलम्पिक एसोसिएशन, जिसे इस विषय पर लिखा गया था, ने सूचित किया है कि एन० एस० एन० आई० एम०, एस० ए० आई० और आई० ओ० ए० ऐसे खेल कार्यक्रमों का, जहां तक सम्भव है, समन्वय करते हैं जो देश में राष्ट्रीय खेल संघों और अन्य खेल संगठनों द्वारा अपनाए जाते हैं।

अनुसूचित जाति विकास निगमों को केन्द्रीय सहायता

2395. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार ने वर्ष 1985-86 के दौरान राज्यों में अनुसूचित जाति विकास निगमों को कितनी धनराशि जारी की है;

(ख) इस सहायता से निगमों को अपनी गतिविधियों का विस्तार करने और निष्क्रिय पड़े निगमों को सक्रिय बनने में कहां तक सहायता मिलेगी;

(ग) क्या केन्द्रीय स्तर पर इन निगमों के कार्यकरण पर कोई निगरानी रखी जाती है; और

(घ) यदि हां, तो किस प्रकार की ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) राज्य सरकारों के माध्यम से केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुसूचित जाति विकास निगम को धन दिया जाना अनुसूचित जाति विकास निगम को राज्य सरकार का हिस्सा देने, उनके कार्यक्रमों और कार्य निष्पादन पर निर्भर है। अनुसूचित जाति विकास निगमों द्वारा भारत सरकार को पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करने में किए गए विलम्ब के पिछले अनुभव की दृष्टि से गृह मंत्रालय द्वारा जून, 85 के महीने में पूर्ण प्रस्ताव भेजने के लिए राज्य सरकारों को पत्र लिखे गए हैं ताकि केन्द्रीय सरकार अनुसूचित जाति विकास निगमों को समय पर धन देने के लिए आवश्यक कार्यवाही कर सकें। राज्य सरकारों को विस्तृत दिशा निदेश भेजे गए थे ताकि निगमों को धन देने में विलम्ब से बचने के विचार से पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करने की सुविधा हो सके। राज्य सरकारों के उत्तरों की प्रतीक्षा है। भारत सरकार उनके कार्यक्रमों के प्राप्त होने के बाद और उनकी जांच होते ही उनको धन दे देगी। राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम का वर्ष 1985-86 के लिए वित्तीय सहायता का परिव्यय 15.00 करोड़ रु० है जैसा कि योजना आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया है और जो कुल

अदायगी का 49% है। शेष 51% का अंशदान संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

(ख) सभी अनुसूचित जाति विकास निगम सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। इन निगमों का मुख्य कार्य उत्प्रेरकों, प्रोन्नायकों, गारन्टरों के रूप में कार्य कर रहे अनुसूचित जातियों के उद्यमियों की आर्थिक विकास योजनाओं के लिए संस्थागत ऋण का संचालन करना है। राज्य निगमों द्वारा शुरू की गई योजनाओं की किस्म और मात्रा में धीरे-धीरे विकास हुआ है। केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई सहायता से निगमों को अपने कार्यों का विस्तार करने में सहायता मिलेगी।

(ग) और (घ) इन निगमों के कार्यों की भारत सरकार द्वारा लगातार समीक्षा की जा रही है। इस के अतिरिक्त राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के अनुसूचित जाति विकास निगमों के कार्य का प्रबोधन, समीक्षा और मूल्यांकन संबंधी कार्य कृषि वित्त निगम लिमिटेड के माध्यम से गृह मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।

उड़ीसा और गुजरात को 1985-86 के दौरान विशेष केन्द्रीय सहायता

2396. **श्री के० प्रधानी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग ने अपने तीसरे प्रतिवेदन (अप्रैल 1980 से मार्च 1981) में यह सिफारिश की थी कि गुजरात और उड़ीसा राज्यों के आदिवासी बहुल क्षेत्रों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता की धनराशि में पर्याप्त वृद्धि की जानी चाहिए, और

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और 1985-86 के दौरान उड़ीसा को कार्य आरम्भ करने के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है तथा सातवीं योजना में इस बारे में कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमन्।

(ख) सातवीं योजना के दौरान बढ़ी हुई कुल विशेष केन्द्रीय सहायता के आवंटन की कल्पना की गयी है। जैसे कि छठी पंचवर्षीय योजना के लिए 485.50 करोड़ रुपए के स्वीकृत परिव्यय के मुकाबले योजना आयोग ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 756.00 करोड़ रुपए के परिव्यय तथा वार्षिक योजना 1985-86 के लिए 140.00 करोड़ रुपए के परिव्यय के लिए सहमति दी। उड़ीसा के आदिवासी बहुल क्षेत्रों के लिए 1984-85 के दौरान 147.01 लाख रुपयों के मुकाबले 1985-86 के दौरान अस्थायी आवंटित राशि 168.00 लाख रुपए है। नये क्षेत्रों के बारे में राज्य के प्रस्ताव को अन्तिम रूप देने के बाद आदिवासी बहुल क्षेत्रों के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रावधान को अन्तिम रूप दिया जायेगा।

उड़ीसा में अनुसंधान कार्य के विकास के लिए एक क्षेत्रीय केन्द्र की स्थापना

2397. **श्री के० प्रधानी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के नियंत्रण की विभिन्न प्रयोगशालाओं के अनुसंधान और विकास संबंधी कार्यकलापों में तेजी लाने के लिए कुछ नये प्रोत्साहन देने का विचार है यदि हां, तो इसकी मुख्य रूपरेखा क्या है और इस पर कितनी धनराशि खर्च होगी ?

(ख) क्या वैज्ञानिक तथा तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए उच्च सुरक्षा संस्थानों में अनुसंधान और विकास क्षमता का विकास करने के लिए कुछ क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित करने का विचार है;

(ग) क्या इस प्रकार का कोई केन्द्र उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा, यदि हां, तो किस स्थान पर और उसमें कौन से विषय रखने का विचार है; और

(घ) प्रारम्भ में अन्य किन स्थानों पर ऐसे केन्द्र स्थापित किए जाएंगे ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलैक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी० एस० आई० आर०) प्रयोगशालाओं के कार्यक्रमों की समीक्षा निरंतर इस प्रकार की जा रही है कि अनुसंधान और विकास के लिए राष्ट्रीय प्राथमिकता के क्षेत्र हाथ में लिए जाते हैं। प्राथमिकता के कुछ क्षेत्र हैं :— कृषि के लिए नाशकमार सामग्री और संसाधन भंडारण से संबंधित पश्चफसल टेक्नोलॉजी, प्रक्रिया और संरक्षण, वैक्सीन और स्वास्थ्य के लिए औषध, कृषि और स्वास्थ्य के लिए आनुवंशिक इंजीनियरी और जैवटेक्नोलॉजी, सूक्ष्म इलेक्ट्रानिकी और उपकरी-करण और नवीन पदार्थ। राष्ट्रीय प्राथमिकता के लिए अनुसंधान की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्तमान प्रयोगशालाओं में सुविधाओं को आधुनिक बनाया जा रहा है। छठी पंचवर्षीय योजना अवधि में प्रारंभ की गई चार नवीन प्रयोगशालाओं को सातवीं योजना में और भी विकसित किया जा रहा है। सातवीं योजना में बताई गई व्यय की धनराशि रुपये 335 करोड़ है जिसमें से पूंजी का अंश लगभग 250 करोड़ रुपये किए जाने का विचार है

(ख) 39 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं को हल करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी० एस० आई० आर०) के 100 से अधिक क्षेत्रीय केन्द्र देश में पहले से ही चारों ओर फैले हुए हैं।

(ग) उड़ीसा राज्य में क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, भुवनेश्वर में पहले से ही कार्यरत है।

(घ) जैसा कि उत्तर के भाग (ख) में बताया गया है, पहले से ही पर्याप्त क्षेत्रों को शामिल किया हुआ है।

अन्दमान और निकोबार द्वीप समूहों में "कूपे होल्डरों" के लिए इमारती लकड़ी की रायल्टी दरें

2398. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्दमान और निकोबार द्वीप समूहों में "कूपे होल्डरों" के लिये इमारती लकड़ी की दरों में युक्तियुक्त वृद्धि को अन्तिम रूप दिये जाने में अत्यधिक विलंब होने के कारण उद्योगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) और (ख) एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें रायल्टी की दरों के निर्धारण में हुये विलम्ब के बारे में शिकायत की गई है, इन दरों को पूर्व तिथि से लागू करने को कहा है और बकाया राशि की अदायगी के लिये अधिक समय देने हेतु अनुरोध किया गया है। इस अभ्यावेदन पर विचार किया जा रहा है।

बिहार की परिवहन और संचार योजनाओं हेतु आवंटित की गई धनराशि

2399. **श्री प्रकाश चन्द्र** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार की परिवहन और संचार योजनाओं के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ख) उपर्युक्त योजनाओं के अन्तर्गत शामिल की गयी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) परिवहन क्षेत्रक के अन्तर्गत विकास मुख्यत: राज्य योजनाओं के अन्तर्गत होता है और इस क्षेत्र के अन्तर्गत बिहार राज्य की योजना के लिए पिछले तीन वर्षों अर्थात 1982-83 से 1984-85 तक कुल परिव्यय 181.03 करोड़ रुपये था। संचार, केन्द्र का विषय है और बिहार राज्य के लिए इसी अवधि के लिए इसके संबंध में आवंटन केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत 22 14 करोड़ रुपये था।

(ख) राज्य के परिवहन क्षेत्र के अन्तर्गत शामिल परियोजना में सड़कों और पुलों, सड़क परिवहन, अन्त: स्थलीय जल परिवहन, नागर विमानन और पर्यटन आते हैं।

संचार के संबंध में, कार्यालय भवनों का निर्माण, एक्सचेंज उपस्कर अथवा लाइनों को बदलना और विस्तार, नई लाइनें बिछाना और कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों के निर्माण जैसी अनेक बड़ी और छोटी परियोजनाएं शुरू की गई।

आदिवासियों का शोषण

2400. **श्री के० प्रधानी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात को देखते हुए कि आदिवासियों का उनकी अज्ञानता और अशिक्षा के कारण शोषण होता है सरकार का विचार शोषण को रोकने के लिए आदिवासी क्षेत्रों में उन्हें उचित प्रशासन देने का है;

(ख) यदि हां, तो ये प्रस्ताव क्या हैं;

(ग) उन्हें कब कार्यान्वित किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार को वर्तमान शोषण के विषय में बताने के लिए कोई एजेंसी है;

(ङ) उस एजेंसी के अनुसार कौन कौन से मुख्य क्षेत्रों में शोषण होता है; और

(च) इस शोषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) शोषण के उन्मूलन सहित विशिष्ट उद्देश्यों को शामिल करके एक आदिवासी उप-योजना नीति 1974-75 से चल रही है। कारगर प्रशासन के लिए आदिवासी क्षेत्रों को आई० टी० डी० पी०, एस० ए० डी० ए० और आदिम आदिवासी परियोजना क्षेत्रों में विभाजित किया गया है।

(घ) आदिवासियों के शोषण के बारे में सरकार को जानकारी देने वाले अभिकरणों में आदिवासी सलाहकार परिषदें, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना समितियां, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त/आयोग और राज्य स्तर पर अनुसूचित जनजाति कार्यक्रम आयुक्त और निदेशक शामिल हैं।

(ङ) और (च) शोषण के मुख्य क्षेत्रों में भूमि अन्तरण, शराब की बिक्री, महाजनी, वानिकी और बन्धक मजदूरी शामिल हैं। शोषण की समस्या का समाधान करने के लिए सरकार ने कई विधाई तथा प्रशासनिक उपाय किए हैं जिनमें संविधान की पांचवीं अनुसूची के अन्तर्गत विशेष कानून/विनियम पारित करना और आदिवासियों के शोषण के मामलों के शीघ्र निपटान के लिए विशेष न्यायालय स्थापित करना शामिल हैं।

भूतपूर्व प्रधान मन्त्रियों के बारे में वैद्यालिंगम प्रतिवेदन

2401. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत के भूतपूर्व प्रधान मन्त्रियों श्री मोरारजी देसाई और श्री चरण सिंह के परिवार के सदस्यों के विरुद्ध न्यायमूर्ति सी० ए० वैद्यालिंगम द्वारा प्रतिवेदन में बताए गए भ्रष्टाचार भाई-भतीजावाद और पद के दुरुपयोग के आरोपों को वापस लेने का फैसला किया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त फैसला करने के क्या कारण हैं ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) हालांकि न्यायमूर्ति

वैद्यालिंगम ने यह पाया था कि भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्री मोरारजी देसाई और भूतपूर्व गृह मन्त्री श्री चरण सिंह के परिवारों के सदस्यों के विरुद्ध आरोपों के सम्बन्ध में नियमित जांच करने के लिए प्रथम दृष्टया आधार बनता है, फिर भी मामले पर आगे कार्रवाई न करने का निर्णय लिया गया है क्योंकि सरकार राजनीतिक बैर में विश्वास नहीं रखती।

एशियाटिक सोसाइटी के कार्य की जांच करने के लिए पुनरीक्षा समिति

2402. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एशियाटिक सोसाइटी के गत 20 वर्षों के कार्य की जांच करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त पुनरीक्षा समिति का गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति की सेवा शर्तें क्या हैं और यह अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर देगी ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कला और संस्कृति के लिए धन-राशि का अभाव

2403. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि धनराशि के अभाव में देश में कला और संस्कृति मर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि मे राष्ट्रीय विरासत तथा मरणासन्न कला को बचाने के उद्देश्य से भावी पीढ़ियों के लिए सांस्कृतिक विरासत के सरक्षण, प्रलेखन और उसके संकलन के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) संसाधनों की उपलब्धता के समानुरूप, हमारी सांस्कृतिक सम्पदा के परिरक्षण के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान संस्कृति के परिरक्षण, संरक्षण और प्रसार से संबंधित चल रहे कार्यक्रमों को समुचित रूप से बढ़ाया जाएगा। इस दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण उपायों में से एक देश के विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना करने का प्रस्ताव है।

नीलांचल, उत्कल और कलिंग एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में यात्रियों पर हमला करने, उनके साथ मारपीट एवं दुर्व्यवहार करने और उनकी सम्पत्ति लूटने के मामले

2404. **श्री ब्रजमोहन महन्ती :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 के दौरान गुण्डा गर्दी करने वाले लोगों द्वारा दिल्ली और भुवनेश्वर के बीच चलने वाली अप और डाउन नीलांचल, उत्कल और कलिंग एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में यात्रियों पर हमला करने, उनके साथ मारपीट एवं दुर्व्यवहार करने जोर-जबरदस्ती से उनकी सम्पत्ति छीनने के कितने मामले हुए हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या चलती रेलगाड़ियों में सुरक्षा व्यवस्था की पर्याप्तता के सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया गया है, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या चलती रेलगाड़ियों में रेल रक्षा बल के कर्मचारियों द्वारा उदासीनता दिखाये जाने के कोई मामले हुए हैं, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) क्या चलती रेलगाड़ियों में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए कोई प्रयास किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ङ) "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" के विषय संविधान की 7वीं अनुसूचित की राज्य सूची में हैं। इसलिए संविधानिक रूप से अपराधों से संबंधित कानूनों को लागू करने की राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी है। विभिन्न स्थानों पर रेलों में यात्रा कर रहे यात्रियों पर हमला करने, उनके साथ मारपीट एवं दुर्व्यवहार करने और जोर-जबरदस्ती से उनकी सम्पत्ति छीनने के मामलों के बारे में अखिल भारतीय आधार पर कोई आंकड़े संकलित नहीं किए जाते हैं।

रेलवे, रेल मार्गों पर अपराधों की घटनाओं को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय कर रहा है :—

(1) गाड़ियों के चालकों को संकट कालीन सीटी बजाने के निर्देश दिए गए हैं यदि गाड़ी अचानक असारणीबद्ध रूप से रुकती है ताकि मार्ग रक्षक दल संचेत किया जा सके।

(2) कोच एटेंडेंटों को सतर्क रहने और आरक्षित डिब्बों में अनाधिकृत यात्रियों के प्रवेश को रोकने के निदेश दिए गए हैं।

(3) रेलवे के अनुसंधान, डिजाईन तथा मानक संगठन को डिब्बों के सरकवा किवाड़ों को ताला लगाने की व्यवस्था में सुधार करने, अनधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए प्रवेश द्वारों में सुधार करने और डिब्बों के भीतर तथा बाहर बेहतर प्रकाश सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए सुझाव देने की सलाह दी गई है।

सरकारी रेलवे पुलिस जो रेलों में यात्रा कर रहे यात्रियों और उनके सामान की सुरक्षा के लिए जिम्मेवार हैं, रेलों में मार्ग रक्षकों की व्यवस्था करके, अपराधियों पर निगरानी रखकर, विशिष्ट मामलों में उनको गिरफ्तार करके तथा उन पर मुकदमा चलाकर रेल मार्ग सम्बन्धी अपराधों पर नियन्त्रण करने के लिए सभी प्रयास कर रही है। इस सम्बन्ध में रेलवे सुरक्षा बल सरकारी रेलवे पुलिस की सहायता कर रहा है।

दहेज की मांग के लिए दिल्ली में दुल्हनों को पीटने/जलाने के मामले

2405. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में दहेज की मांग के लिए विशेष तौर से दिल्ली और अन्य उत्तरी राज्यों में दुल्हनों को पीटने/जलाने के बहुत अधिक मामले हुए हैं; और

(ख) क्या यह सच है कि कई बार भारतीय दण्ड संहिता की उपयुक्त धाराओं के अन्तर्गत मामलों को शीघ्र दर्ज करने में पुलिस पीड़ितों अथवा उनके माता-पिता की सहायता नहीं करती है?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) 1.1.85 से 30.6.85 तक की अवधि के दौरान दिल्ली पुलिस को सूचित दुल्हनों को पीटने/जलाने के मामलों में 1984 की इसी अवधि के आंकड़ों की तुलना में वृद्धि हुई है। अन्य उत्तरी राज्यों के सम्बन्ध में सूचना सहज उपलब्ध नहीं है और एकत्र की जा रही है।

(ख) जी नहीं श्रीमान्।

योजना में आवास को प्राथमिकता

2406. **श्री अनादि चरन दास** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने योजना में आवास को प्राथमिकता देने का निर्णय किया है अथवा करने का विचार है;

(ख) सरकार ने आवास के मामले में उड़ीसा जैसे पिछड़े राज्यों को क्या प्राथमिकता दी है; और

(ग) नगर और ग्राम आयोजना संगठनों और "हुडको" के माध्यम से राज्यों को दी जाने वाली सहायता का ब्यौरा क्या है?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) आवास के लिए सरकार के कार्यक्रम मुख्यतया समाज के कमजोर वर्गों के लिए हैं। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के आवासीय संघटक में ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को मकानों के लिए जमीन और मकान बनाने के लिए सहायता तथा गंदी बस्तियों के सुधार की व्यवस्था है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम है जिसके लिए परिव्यय निर्धारित कर दिए जाते हैं। 20-सूत्री कार्यक्रम भी एक

उच्च प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम है और इसमें प्रत्येक दो आवास स्कीमों के अतिरिक्त, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आवास उपलब्ध कराने की व्यवस्था शामिल है। उड़ीसा सहित सभी राज्यों में ये कार्यक्रम चल रहे हैं।

(ग) नगर और ग्रामीण आयोजना संगठन, छोटे और मझोले नगरों के समन्वित विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता की सिफारिश करता है, जिसका रिहायशी क्षेत्र विकास एक संघटक है। उड़ीसा के मामले में सहायता की सही राशि तभी जानी जा सकती है, जबकि स्कीम अनुमोदित हो चुकी हो और उसे अन्तिम रूप दिया जा चुका हो। "हुडको" ने, 1985-86 के लिए 10.57 करोड़ रुपये के आबंटन के मुकाबले 6.47 करोड़ रुपये की ऋण प्रतिबद्धता वाली स्कीमें उड़ीसा के लिए मन्जूर कर दी हैं।

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए आबंटन में कमी करना

2407. **श्री अजित कुमार साहा** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम आदि के लिए सातवीं योजना के आबंटन में भारी कटौती कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं; और

(ग) आयोग का अभी भी गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों की संख्या में किस प्रकार कमी करने का विचार है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) से (ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के ब्योरे जिसमें एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम आदि के लिए परिव्यय शामिल हैं, तैयार किए जा रहे हैं और इन्हें अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद् के समक्ष रखा जाएगा।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के नीति-पत्र में दिए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनुपालन करते हुए गरीबी दूर करने के कार्यक्रमों के पैकेज (समूह) का सातवीं योजना में तेज गति से जारी रखने का प्रस्ताव है।

बिहार में "ध्वनि और प्रकाश" कार्यक्रम

2408. **प्रो० के० के० तिवारी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1981 में बक्सर बिहार में महाकाव्य रामायण की गाथा पर आधारित एक "ध्वनि और प्रकाश" कार्यक्रम मन्जूर किया था;

(ख) क्या इस कार्यक्रम के लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो क्या योजना पूरी हो गई है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) बक्सर में ध्वनि व प्रकाश कार्यक्रम का कार्य प्रगति पर है और इसके शीघ्र ही पूरे होने की संभावना है।

भारतीय अभियान दल की उपलब्धियां और उसके द्वारा किया गया व्यय

2409. **श्री अय्यप्पु रेड्डी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "दक्षिणी ध्रुव" के लिए भारतीय अभियान दल द्वारा कितनी धनराशि व्यय की गई; और

(ख) इस अभियान से क्या उपलब्धियां और लाभ प्राप्त हुए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलैक्ट्रोनिक्स विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) "दक्षिणी ध्रुव" पर भारतीय अभियान अभी भेजा जाना है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

हैदराबाद से कुड्डापाह तक वायुदूत सेवा को स्थगित करना

2410. **श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद से कुड्डापाह तक वायुदूत सेवा को स्थगित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) वायुदूत सेवा के विमानों ने, इसके उद्घाटन की तारीख से, 1 जनवरी, 1985 तक कुल कितनी उड़ानें भरीं;

(घ) कितने लोगों ने इनमें यात्रा की; और

(ङ) क्या यात्रियों का अनुपात लागत की तुलना में लाभकारी है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां। 6 अप्रैल, 1985 को

हैदराबाद से कुड़प्पा को आरम्भ की गई वायुदूत सेवा को 25 मई, 1985 से निलम्बित कर दिया गया है।

(ख) हवाई अड्डे के खराब हो जाने के कारण कुड़प्पा को वायुदूत प्रचालन निलम्बित कर दिए गए थे।

(ग) 6 अप्रैल, 1985 से 25 मई, 1985 के बीच वायुदूत ने हैदराबाद से कुड़प्पा को 20 उड़ानें प्रचालित की।

(घ) उपरोक्त अवधि के दौरान वायुदूत ने हैदराबाद-कुड़प्पा-हैदराबाद सैक्टरों पर 350 यात्री वाहित किये।

(ङ) जी, नहीं। तथापि, यह अनुभव किया गया है कि चूंकि यह सेवा केवल एक अल्पावधि के लिए प्रचालित की गई थी, इसलिए इस प्रचालन की आर्थिक साध्यता का मूल्यांकन करने का अभी यह उपयुक्त समय नहीं है।

हवाई अड्डों पर प्रतिबन्ध

2411. श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्रियों के साथ आने वाले लोगों को हवाई अड्डा कम्पलैक्सों में प्रवेश करने पर प्रतिबन्ध है चाहे वे उनको विदा करने ही क्यों न आए हों;

(ख) क्या इससे यात्रियों को बोर्डिंग कार्ड आदि प्राप्त करने में भारी कठिनाई हो रही है; और

(ग) क्या यह प्रतिबन्ध उठा लिया जाएगा यदि नहीं, तो क्या यात्री के साथ सहायता के लिए कम से कम एक व्यक्ति को हवाई अड्डे तक जाने और सुरक्षा जांच तक उसकी सहायता करने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, नागर विमानन को गम्भीर खतरे को ध्यान में रखते हुए, 11 मई, 1985 से हवाई अड्डों के अन्तस्थ भवनों में आगन्तुकों के प्रवेश पर अस्थायी रोक लगाई गई थी। यह रोक 31 जुलाई, 1985 तक लागू रही, जिसके बाद इसे हटा लिया गया है।

परमाणु निरस्त्रीकरण में प्रगति न होने पर अप्रसन्नता

2412. डा० गौरी शंकर राजहंस : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा के महानिदेशक ने परमाणु निरस्त्रीकरण में प्रगति न होने पर अप्रसन्नता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि परमाणु अस्त्र प्रसार रोक संधि के माध्यम से प्रौद्योगिकी के अन्तरण और परमाणु निरस्त्रीकरण के सम्बन्ध में अनेक देशों द्वारा दिये गये आश्वासन अस्पष्ट और सामान्य है; और

(ग) उस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण के महानिदेशक ने अपने हाल ही के वक्तव्यों में इस बारे में कुछ चिन्ता व्यक्त की है कि जिन देशों के पास परमाणु हथियार हैं उनके ऐसे हथियारों के भंडारों को बढ़ने से रोकने के उपायों की प्रगति में कमी रही है।

(ख) हालांकि परमाणु अस्त्र प्रसार निरोध संधि में ही इस बात का उल्लेख है कि उस संधि पर हस्ताक्षर करने वाले सभी पक्षों को परमाणु ऊर्जा के उपयोगों के विकास के असंक्राम्य अधिकार प्राप्त हैं तथा संधि पर हस्ताक्षर करने वाले कुछ राष्ट्रों ने इस प्रकार के उपयोगों की सुविधा के लिए वायदे भी किये हैं। तथापि, परमाणु अस्त्र प्रसार निरोध संधि के आधार पर टैक्नोलाजी औरों को उपलब्ध कराने की दिशा में कोई अर्थपूर्ण प्रगति नहीं हो पाई है। इसी प्रकार निरस्त्रीकरण के संबंध में भी इस संधि को लागू करने के लिए कोई वास्तविक कदम नहीं उठाए गए हैं।

(ग) क्योंकि भारत ने परमाणु अस्त्र प्रसार निरोध संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं इसलिए यह प्रश्न उठता ही नहीं।

मंत्रालयों में सार्वजनिक शिकायत कक्ष

2413. **प्रो० पी० जे० कुरियन**
श्री वी० एस० विजय राघवन } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ मंत्रालयों में सार्वजनिक शिकायत सैल स्थापित किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन मंत्रालयों के नाम क्या हैं और तत्सम्बन्धी अन्य ब्योरा क्या है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) नीति तथा समन्वय से सम्बन्धित विषयों का कार्य —(i) सामान्य लोक शिकायतों और (ii) केन्द्रीय सरकारी अधिकरणों से सम्बन्धित शिकायतों के निवारण का कार्य, कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक

शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग को सौंपा गया है।

निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों के अलग लोक शिकायत/शिकायत एकक हैं:

वाणिज्य मंत्रालय

संचार मंत्रालय

(क) डाक विभाग

(ख) दूर संचार विभाग

रक्षा मंत्रालय

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय

(क) पर्यावरण विभाग

(ख) वन तथा वन्य जीवन विभाग

वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)

खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति मंत्रालय

(नागरिक आपूर्ति विभाग)

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय

उद्योग तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय

(भारी उद्योग विभाग)

श्रम मंत्रालय

रेल मंत्रालय

नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय

इस्पात, खान तथा कोयला मंत्रालय

(इस्पात विभाग)

पर्यटन तथा सिविल विमानन मंत्रालय

अन्य मंत्रालयों और विभागों में यह व्यवस्था की गई है कि लोक शिकायतों का कार्य अन्य अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले कार्य के एक अंग के रूप में निपटाया जाएगा।

राज्यों की राजधानियों को हवाई मानचित्र से जोड़ना

2414. **श्री सुखराम** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों की राजधानियों के नाम क्या हैं जिनके नाम देश के विमान मानचित्रों में नहीं हैं;

(ख) क्या इन शहरों को सातवीं योजना में विमान सेवा से जोड़ने का प्रावधान है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे प्रत्येक राजधानी शहरों के लिए क्या प्रस्तावित परिव्यय है और इन शहरों में हवाई अड्डों के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिय क्या तारीखें निर्धारित की गई हैं ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) नागालैंड, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश राज्यों की राजधानियां इस समय विमान सेवा से नहीं जुड़ी हुई हैं।

(ख) और (ग) चूंकि इंडियन एयरलाइन्स पहले से ही दीमापुर को विमान सेवाओं का प्रचालन कर रही है, अतः कोहिमा को जो कि दीमापुर के बिल्कुल नजदीक है, विमान सेवा उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है। शिमला और गंगतोक के हवाई अड्डों को चालू योजना अवधि में विकसित किये जाने की आशा है। जबकि गंगतोक में, जहां अभी स्थान का पता लगाया जाना है, हवाई अड्डे के विकास के लिए केवल सांकेतिक व्यवस्था ही की गई है लेकिन शिमला में हवाई अड्डे के निर्माण के लिए योजना के प्रारूप में 412 लाख रुपये की व्यवस्था शामिल की गई है। हालांकि गंगतोक में हवाई अड्डे के निर्माण के लिए निश्चित तारीख इस समय नहीं बताई जा सकती है, लेकिन शिमला में हवाई अड्डे के 1988 तक तैयार हो जाने की आशा है।

परिवार पेंशन की दर में वृद्धि

2415. **श्री विष्णु मोदी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने परिवार पेंशन की दर में कुछ महीने पहले वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो यह वृद्धि किस तारीख से की गई है;

(ग) क्या इस वृद्धि का लाभ परिवार पेंशन की सभी श्रेणियों को मिला है;

(घ) क्या इस वृद्धि का लाभ परिवार पेंशन योजना, 1964 के अन्तर्गत पेंशन पाने वालों को भी दिया जायेगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध उपबन्ध अधिनियम, 1952 के अधीन बनाई गई कर्मचारी कुटुंब पेंशन योजन, 1971 द्वारा शासित कुटुंब पेंशन भोगियों को सरकार ने पहली अप्रैल, 1985 से कुछ अतिरिक्त धनराशि मंजूर की है। इस योजना में औद्योगिक कामगारों के परिवार आते हैं।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। दोनों कुटुंब पेंशन योजनाएं अपने आपमें अलग-अलग हैं।

भारत पर्यटन विकास निगम का घाटे पर चल रहे अपने होटलों और रेस्टोरेन्टों को गैर-सरकारी क्षेत्रों को पट्टे पर देने का प्रस्ताव

2416. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह**
श्री लक्ष्मण मलिक } : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम ने घाटे पर चल रहे अपने होटलों और रेस्टोरेन्टों को गैर-सरकारी क्षेत्रों को पट्टे पर देने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन होटलों और रेस्टोरेन्टों को घाटा हुआ है और तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या इन एककों को हुए घाटे के कारणों का पता लगाने हेतु कोई जांच की गई है और इन्हें लाभदायक बनाने के लिए प्रयास किये गये हैं; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और उसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) निम्नलिखित होटल/रेस्तरां पिछले तीन वर्षों से निरंतर घाटे में चल रहे हैं :—

होटल :

1. होटल अशोक बंगलौर

2. होटल जम्मू अशोक

3. होटल खजुराहो अशोक

4. टेम्पल बे अशोक बीच रिसॉर्ट, महाबलीपुरम

5. होटल पाटलीपुत्र अशोक, पटना

6. होटल मदुरै अशोक

7. होटल सम्राट, नई दिल्ली

8. होटल जयपुर अशोक

रेस्तरां :

1. अजंता
2. एलोरा

} जून, 1984 में महाराष्ट्र सरकार को ट्रांसफर किए गए।

3. महाबलीपुरम—अभी एक सम्मेलन-हाल में परिवर्तित किया गया है।

4. आगरा

5. कुतब

6. हम्पी—राज्य सरकार द्वारा प्रबंध चालित।

इन होटलों में से कुछ होटलों में घाटे का प्रमुख कारण कुछ शहरों में अतिरिक्त होटल क्षमता का सृजन होना है। साथ ही कुछ होटलों और रेस्तराओं की अवस्थिति का निर्णय केवल संवर्धनात्मक कारणों से लिया गया था। इन होटलों में से एक होटल अपने जेस्टेशन-पीरियड में है।

(ग) भारत पर्यटन विकास निगम ने अपने होटलों के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए विभिन्न उपचारी उपाय किए हैं। इनमें ये शामिल हैं—विदेशी एयर लाइन्स और ट्रेवल एजेन्ट्स के साथ मार्किटिंग और रिजर्वेशन प्रतिबन्धनों में शामिल होना, स्वदेशी पर्यटन का संवर्धन करने के लिए विशेष पैकेज कार्यक्रमों की शुरूआत और विश्व-यात्रा व्यापार-मंचों में भागीदारी।

भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा गठित की गई एक उच्चाधिकार प्राप्त निरीक्षण समिति समय-समय पर अपनी विभिन्न यूनिटों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा करती है और उनके कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए उपचारी उपायों के सुझाव देती है।

आन्ध्र प्रदेश में पारिस्थितिकी सम्बन्धी क्षति

2417. श्री विजय कुमार राजू : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आन्ध्र प्रदेश के पश्चिमी उत्तर पूर्वी गोदावरी जिलों के विभिन्न भागों

में हुई पारिस्थितिकी सम्बन्धी क्षति की जानकारी है;

(ख) क्या इसका मूल्यांकन करने के लिए कोई सोवियत दल इस क्षेत्र में भेजा गया है; और

(ग) इस क्षेत्र में पारिस्थितिकी सम्बन्धी क्षति और वनों की कटाई को रोकने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

एयरो सर्विस केन्द्र को हैदराबाद से मद्रास ले जाना

2418. **श्री विजय कुमार राजू** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयरो सर्विस केन्द्र को हैदराबाद से मद्रास ले जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में इस केन्द्र के कुछ कर्मचारियों को पहले ही मद्रास स्थानांतरित कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसा करने के क्या कारण हैं?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

तिब्बत के साथ व्यापार

2419. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन ने भारत से पुराने परम्परागत थल मार्ग से तिब्बत के साथ व्यापार पुनः आरम्भ करने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) 1982 में चीन सरकार के साथ अधिकारी-स्तर की वार्ता के तीसरे दौर में चीन ने भारत और चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के

बीच सीमा व्यापार पुनः शुरू करने की सम्भावना का मामला उठाया था।

(ख) इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

वायुदूत सेवा

2420. श्री बाला साहिब विखे पाटिल : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायुदूत के कार्य-चालन अर्थात् इसकी वित्तीय स्थिति और जनता की मांग को पूरा करने की इसकी सक्षमता के बारे में कोई मूल्यांकन किया गया है।

(ख) आगामी पांच वर्षों में नये स्थानों को वायुदूत सेवा से जोड़ने के लिए इस सेवा का विस्तार करने की क्या योजनाएं हैं; और

(ग) क्या इस सेवा के लिए बेहतर विमान प्राप्त करने का कोई प्रस्ताव है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) वायुदूत के कार्य निष्पादन की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

(ख) वायुदूत पहले अपने विस्तार कार्यक्रम की पहली प्रावस्था के लिए पहले ही से चुने गए स्टेशनों को विमान सेवा से जोड़ने पर ध्यान देगी। अन्य स्टेशनों को विमान सेवा के प्रश्न पर बाद में विचार किया जाएगा।

(ग) जी, हां।

दुबई से त्रिवेन्द्रम तक का विमान किराया

2421. श्री थम्पन थामस : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया का दुबई से त्रिवेन्द्रम तक का किराया अन्य एयरलाइनों की तुलना में लगभग दुगना है;

(ख) क्या एयर इंडिया को प्राप्त होने वाले राजस्व का एक बड़ा भाग खाड़ी के देशों से प्राप्त होता है;

(ग) क्या अधिक किराया होने के कारण विदेशों में बसे अधिकांश भारतीय अन्य एयरलाइनों से यात्रा करना पसंद करते हैं और श्रीलंका होते हुए भारत पहुंचते हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार विमान किराये में संशोधन कर इसे अन्य एयरलाइनों के किराये के बराबर करने का है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

राज्यों में हिरासत में किये गये बलात्कारों की संख्या

2422. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दंड विधि (संशोधन) विधेयक 1983 के पारित किये जाने के बाद हिरासत में होने वाले बलात्कारों की संख्या क्या है;

(ख) कितने मामलों में मुकदमे चलाये गये;

(ग) कितने मामलों में दोष सिद्ध हुआ; और

(घ) कितने मामले विचाराधीन हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (घ) हिरासत में बलात्कारों से सम्बन्धित आंकड़े, ऐसे मामलो में मुकदमों दोषसिद्धों की संख्या और ऐसे विचाराधीन मामलों की संख्या अखिल भारतीय आधार पर संकलित नहीं की जाती, क्योंकि अपराधों से संबंधित कानून लागू करना प्राथमिक रूप से राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों का उत्तरदायित्व है।

सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो को कलकत्ता से अन्यत्र ले जाना

2423. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेंट्रल फिंगर प्रिंट ब्यूरो को कलकत्ता से अन्यत्र ले जाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि दिल्ली में पहले ही से केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अधीन फिंगर प्रिंट कक्ष के साथ एक सेंट्रल फोरेनसिक साइन्स लेबोरेट्री है तथा प्रत्येक राज्य का अपना

फिंगर प्रिंट ब्यूरो है, सरकार स्थानांतरण करने के निर्णय पर यदि यह पहले ले लिया गया है, पुनर्विचार करेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) सरकार द्वारा सेंट्रल फिंगर प्रिंट ब्यूरो को कलकत्ता से अन्यत्र ले जाने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

पश्चिम बंगाल में पर्यटक क्षमता का उपयोग

2424. **श्री सुधीर राय** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में पर्यटक क्षमता का पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की है;

(ख) क्या सरकार का दार्जिलिंग, कलीमपैंग, मिरिक आदि जैसे पर्यटक महत्त्व के क्षेत्रों को विकसित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) केन्द्र, राज्य और प्राइवेट सैक्टरों के मिश्रित संसाधनों द्वारा पर्यटन आधार-संरचना का अवस्थाबद्ध विकास करने के लिए विभाग ने राज्य सरकार के परामर्श से पश्चिम बंगाल में 15 पर्यटक केन्द्र निर्धारित किए हैं ताकि इसकी पर्यटक संभाव्यता का इस्तेमाल किया जा सके।

(ख) और (ग) छठी पंचवर्षीय योजना से पहले, विभाग ने राज्य सरकार की दार्जिलिंग में एक यूथ होस्टल और एक पर्यटक गृह की स्थापना करने में सहायता की थी। छठी योजना में विभाग ने मिरिक झील के लिए नौकाओं और ट्रेकिंग उपकरणों की खरीद करने के लिए वित्तीय सहायता दी थी। जिन अन्य स्कीमों के लिए वित्तीय सहायता दी गई, वे सुन्दरवन में मोटर लांच की व्यवस्था और फ्लोटिंग आवास के लिए बजरे का निर्माण, जल्दापारा में एक मिनी बस, विष्णुपुर मन्दिर पर प्रकाशपुंज व्यवस्था, संदकफू-फालूत क्षेत्र में पांच ट्रेकर्स हट्स और अयोध्या पहाड़ियों पर कुटीरों के निर्माण से सम्बन्धित हैं।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान यह प्रस्ताव है कि निम्नलिखित स्कीमों को केन्द्रीय सहायता से प्रारम्भ किया जाए :—

(1) दीघा में पर्यटक गृह और कुटीरों का निर्माण;

(2) दार्जिलिंग जिले के अन्तर्गत बिजनबाड़ी में पर्यटक सुविधाएं;

(3) रंगीत-टिस्टा नदियों में बड़ी नौकाएं (राफटिंग) और डोंगी (कनुइंग) चलाने जैसी श्वेत जल-क्रीड़ाएं प्रारम्भ करना;

(4) कलकत्ता में हुगली में लांच क्रूज प्रारम्भ करना;

(5) यात्री निवास का निर्माण;

(6) सुन्दरवन और हसाई में वन गृहों का निर्माण; और

(7) भारतीय यात्री आवास विकास समिति के जरिए धर्मशालाओं का निर्माण।

इलाहाबाद का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास

2425. **श्री अमिताभ बच्चन** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इलाहाबाद को एक प्रमुख पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने की आवश्यकता की जानकारी है जिससे कि उस शहर में और पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो उठाये जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस कार्य के लिए कौन-सी योजनाएं लागू की जाएंगी ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) इलाहाबाद में पर्यटन सम्बन्धी आधार संरचना में सुधार लाने के लिए राज्य सरकार से जब कभी भी विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त होंगे, केन्द्र सरकार उन पर विचार करेगी। अन्तर्राष्ट्रीय और स्वदेशी दोनों प्रकार के मध्यम आय वर्ग के पर्यटकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सस्ता आवास उपलब्ध कराने के वास्ते, इलाहाबाद में एक यात्री निवास की स्थापना का एक प्रस्ताव विभाग के विचाराधीन है। तथापि, इस सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्ताव राज्य सरकार से अभी प्राप्त होना है।

क्षेत्रीय परिषदों का कार्यकरण

2426. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय परिषद गठित है और समय-समय पर उनकी बैठकें होती हैं;

(ख) यदि हां, तो इनके कार्य क्या हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इनकी कितनी बैठकें हुई और उन्होंने क्या कार्य किया ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) क्षेत्र में राज्य/संघ शासित क्षेत्रों तथा राज्य/संघ शासित क्षेत्रों व केन्द्र के बीच सामान्य हितों के मामलों पर विचार-विमर्श करना तथा सिफारिशें करना।

(ग) वर्ष 1982 से 1984 के दौरान उत्तरी क्षेत्रीय परिषद तथा पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद प्रत्येक ने दो बार तथा दक्षिणी, पूर्वी तथा केन्द्रीय क्षेत्रीय परिषदों ने एक-एक बार बैठकें की हैं। आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रों में विकास से सम्बन्धित प्रमुख मुद्दों पर बातचीत हुई जैसे अन्तर्राज्यीय सड़कों, रेल मार्गों, सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाओं का निर्माण, उद्योग तथा कृषि के लिए प्रोत्साहन, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का कल्याण, आवास, मजदूरी, 20-सूत्री कार्यक्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि।

कोणार्क के सूर्य मंदिर का अनुरक्षण

2427. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि कोणार्क के सूर्य मन्दिर को मौसम और खाड़ी हवाओं से होने वाले नुकसान से बचाने की सख्त जरूरत है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रसिद्ध स्मारक के अनुरक्षण के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) क्या सरकार ने उक्त प्रयोजन के लिए संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन से सहायता मांगी है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, सूर्य मन्दिर पर हवाओं के प्रभाव को रोकने के लिए मन्दिर के बहिर्भाग पर रासायनिक संरक्षकों का प्रयोग करने तथा मन्दिर के चारों ओर कैजुआरीना और काजू का उपवन लगाने जैसे उपाय किए हैं।

(ग) जी, नहीं।

वन कटाई का परिमाण निर्धारित करने के लिए अध्ययन

2428. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान वन कटाई का परिमाण निर्धारित करने के लिए कोई अध्ययन किया गया है और यदि हां, तो ऐसे अध्ययन का क्या परिणाम निकला है; और

(ख) तेजी से क्षीण हो रहे वनों की कटाई की क्षतिपूर्ति करने के लिए सातवीं योजना में वन रोपण की क्या नीति अपनाये जाने की सम्भावना है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बीर सेन) : (क) वनों की कटाई और वन भूमि का गैर-वानिकी कार्यों में उपयोग करने के लिए स्वीकृत क्षेत्र की मात्रा के सम्बन्ध में गत तीन वर्षों की जानकारी उपलब्ध है। स्वीकृत क्षेत्र की मात्रा 20721.146 हैक्टेयर है। तथापि, वनों की अवैध कटाई से प्रभावित वन क्षेत्र के सम्बन्ध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) छठी योजनावधि के दौरान सघन खण्डों में वनरोपण की गति बढ़कर प्रति वर्ष 4.5 लाख हैक्टेयर हो गई है जबकि 1962 और 1980 के बीच यह प्रति वर्ष 1.27 लाख हैक्टेयर थी। इसके अतिरिक्त 1980 और 1985 के बीच फार्म भूमि, निजी जोतों और घरों के आस-पास पौध लगाने के लिए प्रति वर्ष करीब 75 करोड़ पौध वितरित की गई। सातवीं योजना में अधिसूचित वनों के भीतर और बाहर दोनों में, इन प्रयासों में और तेजी लायी जायेगी। एक राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड का गठन किया गया है जिसका उद्देश्य 50 लाख हैक्टेयर अवक्रमित भूमि को ईंधन की लकड़ी और वन रोपण के अन्तर्गत लाना है और इसके लिए एक जन आंदोलन तैयार करना है।

निजी कम्प्यूटरों का निर्माण

2429. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निजी कम्प्यूटरों के निर्माण के बारे में सरकार की नीति क्या है;

(ख) इनके निर्माण के लिए कितने लाइसेंस जारी किए गए हैं;

(ग) क्या उड़ीसा में कोई ऐसी परियोजना स्थापित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) वैयक्तिक कम्प्यूटरों के क्षेत्र को लघु कम्प्यूटर/सूक्ष्मसंसाधित्र पर आधारित प्रणालियों की व्यापक श्रेणी के अन्तर्गत रखा गया है। सरकार ने दिनांक 19 नवम्बर, 1984 को संशोधित कम्प्यूटर नीति की घोषणा की है जिसके अन्तर्गत सूक्ष्म/लघु (मिनी) कम्प्यूटर सहित कम्प्यूटरों के विनिर्माण सम्बन्धी पहलू को शामिल किया गया है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य नवीनतम प्रौद्योगिकी के आधार पर देश में ही अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर कम्प्यूटरों का विनिर्माण करना तथा आर्थिक व्यवहार्यता के अनुरूप स्वदेशीकरण की प्रक्रिया में क्रमश: वृद्धि करना है।

(i) सूक्ष्म/लघु कम्प्यूटरों, जिनमें वैयक्तिक कम्प्यूटर, सूक्ष्म कम्प्यूटर तथा बहुत बड़े पैमाने के एकीकरण पर आधारित और 32 बिट अथवा उसके समतुल्य चिपों पर आधारित लघु कम्प्यूटर (32 तथा उससे अधिक बिट वाले सुपर-मिनी/मिनफ्रेम की वास्तुकला

वाले कम्प्यूटरों को छोड़कर) शामिल है, का विनिर्माण करने की अनुमति पूर्ण स्वामित्व वाली किसी भी भारतीय कम्पनी को और निजी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र की किसी ऐसी कम्पनी को दी जाएगी जिसकी विदेशी साम्यापूंजी 40 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

(ii) विनिर्माण में वृद्धि करने के लिए उत्पादन क्षमताओं से सम्बन्धित कोई उच्चतम सीमा नहीं निर्धारित की गई है, प्रस्तावित मूल संरचना के आधार पर तथा स्वदेशीकरण की प्रक्रिया में पिछले कार्यनिष्पादन के आधार पर इकाइयों के विस्तार की अनुमति दी जाती है।

(iii) हार्डवेयर के विनिर्माण, प्रणाली तथा उपयोगी सॉफ्टवेयर के लिए तकनीकी जानकारी के उदार आयात की अनुमति दी जाती है ताकि विदेशों में उपलब्ध प्रौद्योगिकी के साथ कदम से कदम मिलाकर चला जा सके।

(iv) उपादानों पर उच्च संरक्षण शुल्क जैसे आर्थिक उपायों के माध्यम से स्वदेशी कम्प्यूटर उद्योग को संरक्षण प्रदान करना।

(v) विनिर्माण के लिए संघटक-पुर्जों, कल-पुर्जों तथा उपान्त उपस्करों के स्वदेशीकरण पर जोर देना तथा द्विभाषी (हिन्दी और अंग्रेजी) इनपुट-आउटपुट सुविधा को बढ़ावा देना है।

(ख) लघु (मिनी) कम्प्यूटर/सूक्ष्मसंसाधित्र (माइक्रोप्रोसेसर) पर आधारित प्रणालियों के विनिर्माण के लिए पहले भी संगठित/लघु उद्योग क्षेत्र की 158 पार्टियों को अनुमोदन प्राप्त किए जा चुके हैं, जिसके अन्तर्गत वैयक्तिक कम्प्यूटरों का विनिर्माण भी शामिल है।

(ग) जी, हां।

(घ) लघु कम्प्यूटरों/सूक्ष्मसंसाधित्र पर आधारित प्रणालियों/वैयक्तिक कम्प्यूटरों के विनिर्माण के लिए उड़ीसा राज्य में इकाइयां स्थापित करने के उद्देश्य से पिछले दिनों में इस विभाग को संगठित क्षेत्र की तीन पार्टियों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ये पार्टियां इस प्रकार हैं :—

1. मैसर्स इण्डस्ट्रीयल प्रोमोशन एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन ऑफ उड़ीसा लिमिटेड, भुवनेश्वर (मैसर्स पी० एस० आई० कलिंग लि०) इस इकाई के पास प्रतिवर्ष 2 करोड़ रुपये की उत्पादन क्षमता का औद्योगिक लाइसेंस उपलब्ध है।

2. संयुक्त राज्य अमेरिका के श्री लालतेन्दा महापात्र (प्रस्तावित कम्पनी-मैसर्स कमाण्डर कम्प्यूटर्स (इण्डिया) प्रा० लि०, जो अभी तक निगमित नहीं हुई है)। इस इकाई के पास प्रतिवर्ष 20 करोड़ रुपये की उत्पादन क्षमता के लिए आशय-पत्र उपलब्ध है। यह इकाई संयुक्त राज्य अमेरिका के मैसर्स कॉमोडोर के साथ विदेशी सहयोग का विचार कर रही है।

3. मैसर्स सी० आर० आई० डी० लिमिटेड, भुवनेश्वर - इस इकाई के पास लघुकम्प्यूटर/सूक्ष्मसंसाधित्र पर आधारित प्रणालियों के विनिर्माण के लिए प्रतिवर्ष 6 करोड़ रुपये की उत्पादन क्षमता का आशय-पत्र उपलब्ध है।

भुवनेश्वर हवाई अड्डे का विकास

2430. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर "एयर बस" तथा बोइंग 747 विमानों के उतरने और उड़ान भरने हेतु उसमें सुधार करने का अनुरोध किया है; और

(ख) इस दिशा में क्या कदम उठाये गए हैं और इस प्रस्ताव को कब क्रियान्वित किया जाएगा ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) फिलहाल, एयर इण्डिया बोइंग 747 प्रचालनों के लिए भुवनेश्वर हवाई अड्डे का विकास करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

गैर-आवासीय भारतीय पर्यटकों के लिए उदार वीसा नीति

2431. **श्री हरिहर सोरन :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर-आवासीय भारतीय पर्यटकों के लिए वीसा नीति को उदार बना दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय मूल के विदेशी नागरिक के बच्चों को कोई छूट दी गई है; और

(ग) गैर-आवासीय भारतीय पर्यटकों को दी गई छूट तथा उनके लिए प्रतिबन्धों में दी गई ढील का ब्योरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह निर्णय किया गया है कि पर्यटक वीसाओं को तीन प्रवेशों की बजाय बहु प्रवेशों के लिए बनाया जाए। भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों के 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को वीसा की अपेक्षा से छूट दी गई है और वे न बढ़ाए जाने वाले 90 दिनों के लैंडिंग परमिट की स्वीकृति के पात्र हैं। ये परमिट आप्रवासन प्राधिकारियों द्वारा जारी किए जाते हैं और शिक्षा संस्थाओं में दाखिले के लिए वैध नहीं है।

"रिच हाल आफ आइडल्स इन हरियाणा डिस्ट्रिक्ट" शीर्षक से समाचार

2432. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 25 जून, 1985 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "रिच हाल आफ आइडल्स इन हरियाणा डिस्ट्रिक्ट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) पुरातत्व और संग्रहालय विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा अन्वेषणों के परिणामस्वरूप ग्यारह मूर्तियों और एक शिलालेख का पता लगाया गया था।

(ग) ये वस्तुएं उक्त विभाग के पुरावशेष अनुभाग में परिरक्षित हैं।

पालम और पहाड़गंज क्षेत्रों में हैरोइन की बिक्री

2433. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक**
श्री एम० रघुमा रेड्डी } : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसी रिपोर्टें मिली हैं कि राजधानी में पालम क्षेत्र तथा पहाड़गंज में हैरोइन खुले आम बेची जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा अपराधियों के विरुद्ध क्या सख्त कार्यवाही की गई है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में नशीले पदार्थों की बिक्री को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं : —

(1) ऐसे स्थानों का पता लगाने के लिए जहां हैरोइन/स्मैक बेची जाती है, पुलिस द्वारा छापे मारे जाते हैं।

(2) दिन-रात पैदल तथा वाहनों पर वाकी-टाकी सैटों सहित व्यापक गश्त लगाई जा रही है।

(3) आसूचना का विकास करके जिलों के विशेष दस्तों द्वारा अनधिकृत दवाई विक्रेताओं का पता लगाने के लिए सतत प्रयास किए जाते हैं।

(4) ऐसे अपराधों में लगे अपराधियों का पता लगाने के लिए वाहनों की नियमित आकस्मिक जांच की जाती है।

(5) हानिकारक औषधि अधिनियम के अन्तर्गत, बुरे चाल-चलन वाले व्यक्तियों तथा अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है।

भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिवों की बैठक

2434. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक**
श्री एम० रघुमा रेड्डी } : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 28 जुलाई, 1985 को नई दिल्ली में भारत के शान्ति समझौते के प्रस्ताव और पाकिस्तान के अनाक्रमण संधि के प्रस्ताव पर चर्चा करने हेतु भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिवों की बैठक हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) विदेश सचिवों की बैठक में जिन विषयों पर विचार-विमर्श किया गया उनमें यह भी एक था। दोनों पक्षों ने और स्पष्टीकरण मांगे और इस विचार-विमर्श को जारी रखने पर सहमत हुए।

बर्मा के नेताओं के साथ वार्ता

2435. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक**
श्री एम० रघुमा रेड्डी } : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने जुलाई, 1985 के प्रथम सप्ताह में बर्मा की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो बर्मा के नेताओं के साथ हुई वार्ता की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इसके क्या परिणाम निकले ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां। मैं 6 से 8 जुलाई, 1985 तक रंगून की यात्रा पर गया था।

(ख) और (ग) अपनी इस यात्रा के दौरान मैंने बर्मा के राष्ट्रपति और प्रधान मन्त्री से

मुलाकात की तथा अन्तर्राष्ट्रीय और द्विपक्षीय मामलों पर विदेश मंत्री यू० चिट हलैंग के साथ व्यापक विचार-विनिमय किया। यह बातचीत मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई। इस बात पर सहमति हुई कि हमारे वाणिज्यिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के स्तर को बढ़ाने के लिए उपाय किए जाने चाहिए। दोनों पक्ष इस बात पर भी सहमत हुए कि उच्च स्तरीय यात्राओं के माध्यम से सावधिक सम्पर्क बनाए रखने चाहिए। यह यात्रा पड़ौसी देशों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध विकसित करने के लिए प्रधान मन्त्री की पहलकदमी के अनुसरण में की गई थी।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में अकबरपुर और फैजाबाद की हवाई पट्टियों पर "फ्लाइंग क्लब"

2436. **श्री राम प्यारे सुमन** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में अकबरपुर और फैजाबाद में हवाई पट्टियां हैं और यदि हां, तो क्या वहां किसी प्रकार का निर्माण कार्य चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार दोनों स्थानों पर "फ्लाइंग क्लब" स्थापित करने का है और यदि हां, तो उन पर अलग-अलग कितनी राशि व्यय की जा रही है और उनका किस प्रकार उपयोग किया जायेगा; और

(ग) क्या सरकार का विचार उचित रखरखाव के लिए हवाई पट्टियों की समूची भूमि का अधिग्रहण करने का है और यदि हां, तो यह कब तक किया जाएगा और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां। हवाई पट्टियां उत्तर प्रदेश सरकार की हैं। केन्द्रीय सरकार को किसी भी निर्माण कार्य की कोई जानकारी नहीं है।

(ख) इन स्थानों पर उड़ान क्लबों की स्थापना से सम्बन्धित कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

रोजगार के अवसर

2438. **श्री प्रताप राव बी० भोंसले** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आगामी दस वर्षों के दौरान रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए

कोई संघटक योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो देश में उपलब्ध जनबल का उपयोग करने के लिए रोजगार के कितने अवसर पैदा किए जाएंगे ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। सातवीं पंचवर्षीय योजना—1985-90 के नीति पत्र में अन्य बातों के साथ-साथ यह बताया गया है कि लाभकारी और उत्पादक रोजगार सृजन करना सातवीं योजना का एक प्रमुख उद्देश्य होगा और यह भी बताया गया है कि रोजगार नीतियों और कार्यक्रमों के सम्बन्ध में एक समन्वित और मिश्रित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।

पुणे हवाई अड्डे का विकास

2439. **श्री प्रताप राव बी० भोंसले** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुणे से हाल ही में विमान यातायात में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो पुणे हवाई अड्डे के विकास की क्या योजनाएं हैं ?

कार्मिक और प्रशिक्षण. प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) सातवीं योजनावधि के दौरान वर्तमान अन्तस्थ भवन, कार पार्क क्षेत्र और पहुंच पथों का विस्तार और सुधार करने का प्रस्ताव है। एयर बस विमानों के प्रचालन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इस हवाई अड्डे के धावन पथ और एप्रन को भी सुदृढ़ किया जाएगा।

अगरतला-कैलाशहर मार्ग पर वायुदूत सेवा समाप्त करना

2440. **श्री अजय विश्वास** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगरतला-कैलाशहर मार्ग पर वायुदूत सेवा समाप्त करने के क्या करण हैं;

(ख) क्या सरकार को पता है कि त्रिपुरा में संचार साधनों की कमी है और त्रिपुरा के लिए वायुदूत सेवा अनिवार्य है; और

(ग) क्या सरकार अगरतला-कैलाशहर मार्ग पर वायुदूत सेवा पुनः शुरू करने का विचार करेगी ?

कार्मिक और प्रशिक्षण प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंहदेव) : (क) कैलाशहर एयरपोर्ट का धावन-पथ क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण 1 दिसम्बर, 1982 से अगरतला-कैलाशहर-अगरतला मार्ग पर वायुदूत प्रचालन रोक दिए गए थे।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां।

पूर्वोत्तर क्षेत्रों में अभयारण्यों की स्थापना

2441. **श्री अजय विश्वास** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के वन्य जीवन की सुरक्षा के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान क्या कदम उठाए हैं;

(ख) क्या सरकार का पूर्वोत्तर क्षेत्र में अभयारण्यों की स्थापना का कोई विचार है; और

(ग) यदि हां, तो कौन-कौन से स्थानों को चुना गया है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीर सेन) : (क) से (ग) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में वन्य-जीव संरक्षण का संवर्द्धन करने के लिए हाल ही में किए गए मुख्य कार्य निम्न प्रकार हैं : –

(i) दो क्षेत्रों, अर्थात अरुणाचल प्रदेश में नमडफा राष्ट्रीय पार्क और असम में मानस आश्रयस्थल, को बाघ आश्रयस्थल का नाम दिया गया है और 'बाघ परियोजना" के अन्तर्गत विशेष सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। छठी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान भारत सरकार द्वारा इन दो क्षेत्रों के लिए 73.80 लाख रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई थी।

(ii) उपरोक्त के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा निम्नांकितों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई थी :—

(1) काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, असम

(2) कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क, मणिपुर

(3) सीजू वन्य-जीव आश्रयस्थल, मेघालय

(4) नोंगखाइलेम वन्य-जीव आश्रयस्थल, मेघालय

(5) असम राज्य चिड़ियाघर, गोहाटी

(6) मणिपुर और मेघालय में वन्य-जीव संरक्षण का संवर्द्धन करने के लिए प्रदर्शनियां।

छठी योजनावधि के दौरान सम्बन्धित राज्यों को उपरोक्त प्रयोजन के लिए कुल 45.34 लाख रुपए की धनराशि दी गई थी।

(iii) अन्तर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के एशियाई हाथी विशेषज्ञ दल ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के हाथियों की संख्या के स्तर और परिस्थितिकी के बारे में अध्ययन किया और उनके संरक्षण के लिए उपाय सुझाए हैं। भारत सरकार द्वारा सम्बन्धित राज्यो और संघ राज्य क्षेत्रों से यह अनुरोध किया जा रहा है कि वे वन्य-हाथियों के एक वन क्षेत्र से दूसरे वन क्षेत्र में सुरक्षित रूप से आने-जाने के लिए गलियारे उपलब्ध कराएं और हाथियों द्वारा की जा रही मानव के जान-माल की क्षति को रोकें।

(iv) असम के काजीरंगा और अन्य क्षेत्रों में ग्रेट इंडियन एकसिंगा गैंडे के संरक्षण के लिए तथा इसका चोरी-छिपे किए जाने वाले शिकार पर नियन्त्रण करने हेतु विशेष उपाय किए जाने की सिफारिश की गई है। इस प्रयोजन के लिए भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है और गैंडे के चोरी-छिपे किए जाने वाले शिकार पर नियन्त्रण के लिए एक नई योजना शीघ्र ही शुरू करने की सम्भावना है।

(v) विशेषज्ञ दल द्वारा कीबुल लामजाओ का दौरा करने के पश्चात मणिपुर ब्रो—एंटलर्ड हिरण (थामीन) के संरक्षण के लिए विशेष उपायों की सिफारिश की गई है। इस प्रयोजन के लिए भी भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जा रही है।

(vi) अरुणाचल प्रदेश और असम में क्रियान्वयन के लिए सफेद पंख वाली वुड डक के लिए एक रक्षित प्रजनन और संरक्षण योजना तैयार की गई है और भारत सरकार की वित्तीय सहायता से इस सम्बन्ध में कार्य शुरू हो चुका है।

(vii) इस समय 5 राज्यों और दो संघ राज्य क्षेत्रों, जिसमें उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र शामिल हैं, में 4 राष्ट्रीय पार्क और 18 आश्रयस्थल हैं। वन्य-जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत सम्बन्धित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा राष्ट्रीय पार्कों और आश्रयस्थलों की स्थापना की जाती है। तथापि, केंद्रीय सरकार अन्य बातों के साथ-साथ इस क्षेत्र में निम्नलिखित अतिरिक्त राष्ट्रीय पार्कों और आश्रयस्थलों की स्थापना करने के लिए प्रयास कर रही है :—

(1) बलफक्रम राष्ट्रीय पार्क, मेघालय

(2) नोक्रेक राष्ट्रीय पार्क, मेघालय

(3) मणिपुर और नागालैण्ड के ड्ज़ूके घाटी में आश्रयस्थल

(4) त्रिपुरा में एक आश्रयस्थल, जहां इस समय कोई आश्रयस्थल नहीं है।

तमिलनाडु में हवाई पट्टी के लिए स्थान

2442. **श्री एन० डेनिस** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार तमिलनाडु में किन-किन स्थानों पर हवाई पट्टी बिछाने का है; और

(ख) क्या हवाई अड्डा स्थापित करने के लिए कन्याकुमारी के सम्बन्ध में विचार किया जाएगा ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) स्थान उपलब्ध होने तथा प्रचालनों के वाणिज्यिक दृष्टि से साध्य होने पर सातवीं योजना अवधि के दौरान वायुदूत प्रचालनों के लिए सेलम, तंजौर तथा तूतिकोरिन विमान क्षेत्रों के विकास के प्रश्न पर सक्रियता से विचार किया जाएगा।

(ख) जी, नहीं।

[हिन्दी]

हिमालय क्षेत्र के किसानों को वन लगाने के लिए प्रोत्साहन

2443. **श्री हरीश रावत** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के हिमालय क्षेत्र के पर्यावरण के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार इस क्षेत्र के किसानों को वन लगाने के लिए प्रोत्साहन देने की योजना तैयार करने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस क्षेत्र में वनरोपण को एक व्यापक जन आंदोलन बनाने के लिए मन्त्रालय द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीर सेन) : (क) और (ख) निःशुल्क

अथवा नाममात्र लागत पर पौध उपलब्ध कराकर प्रोत्साहन दिया जाता है। निःशुल्क तकनीकी सलाह भी दी जाती है। वन रोपण के लिए जन आंदोलन विकसित किया जा रहा है।

प्राचीन संस्कृति की मूर्तियों की चोरी

2444. **श्री हरीश रावत** : क्या संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको यह जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के मन्दिरों में प्राचीन संस्कृति, धर्म और कलात्मक महत्व को चित्रित करने वाली काफी मूर्तियां हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या गत अवधि के दौरान इन मन्दिरों से बहुत सी मूर्तियों की चोरी हो गई थी; और

(ग) यदि हां, तो इन मूर्तियों की सुरक्षा हेतु क्या कदम उठाए जाने हैं ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार 1982 में छः (6) मूर्तियां, 1983 में एक (1) मूर्ति और 1984 में दो (2) मूर्तियां उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों से चुराई गई थीं।

(ग) पुरावशेषों की चोरियों को रोकने के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदम नीचे दिए गए हैं :—

(i) कुछ निश्चित श्रेणियों के पुरावशेषों (सभी माध्यमों की मूर्तियों और भित्ति चित्रों तथा सचित्र और रंगीन पांडुलिपियों) का पंजीकरण अधिकारियों के पास अनिवार्य पंजीकरण;

(ii) इस प्रकार के पंजीकृत पुरावशेषों की चोरियों के सम्बन्ध में पंजीकरण अधिकारी को सूचित किया जाएगा;

(iii) पुरावशेषों का व्यापार लाइसेंस प्राप्त व्यापारी ही कर सकेंगे।

(iv) पुरावशेषों के निर्यात पर प्रतिबन्ध;

(v) उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले के जागेश्वर और बैजनाथ सहित कुछ महत्त्वपूर्ण केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नियन्त्रणाधीन संग्रहालयों में पहरे और निगरानी की व्यवस्थाओं को कड़ा करने के अतिरिक्त सशस्त्र पहरेदारों की तैनाती; और

(vi) अबद्ध और उपेक्षित मूर्तियों को रखने के लिए मूर्ति-शेडों का निर्माण, उनका प्रलेखन और स्थल संग्रहालयों की स्थापना।

लोहाघाट (पिथौरागढ़, उत्तर प्रदेश) में एक कालेज भवन का निर्माण

2445. **श्री हरीश रावत** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को लोहाघाट (पिथौरागढ़, उत्तर प्रदेश) में एक कालेज भवन का निर्माण वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत करने के बारे में कोई प्रस्ताव स्वीकृति के लिए प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक अपेक्षित स्वीकृति दे दी जाएगी ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीर सेन) : (क) जी, हां। 21.2.85 को उत्तर प्रदेश सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, जिसमें पिथौरागढ़ जिले के लोहाघाट में एक डिग्री कालेज का निर्माण करने के लिए 3·86 हैक्टेयर वन भूमि का उपयोग करने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत पूर्व स्वीकृति मांगी गई है।

(ख) 2-3-85 को राज्य सरकार से कुछ आवश्यक ब्यौरा और स्पष्टीकरण मांगे गए थे, जो अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

[अनुवाद]

भारत में परमाणु उद्योग के लिए विदेशी सहायता

2446. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत का परमाणु कार्यक्रम क्या है;

(ख) देश में अपने आन्तरिक प्रयोग के लिए परमाणु ऊर्जा के विकास के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) इस सम्बन्ध में मिल रही विदेशी सहायता का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलैक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मन्त्री, (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) चौथी दशाब्दी में आरम्भ किए गए भारत के परमाणु ऊर्जा सम्बन्धी कार्यक्रम का मूल उद्देश्य यह है कि परमाणु ऊर्जा का विकास, नियन्त्रण और उपयोग भारत की जनता के कल्याण के लिए तथा अन्य शान्तिमय प्रयोजनों के लिये किया जाए। इस समय भारत में पांच परमाणु विद्युत रिएक्टर काम कर रहे हैं तथा

लक्ष्य यह है कि सन् 2000 तक 10,000 मेगावाट की क्षमता वाले परमाणु बिजलीघर लगा दिए जाएं। न्यूक्लियर टेक्नोलाजी तथा विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास-कार्य लगातार तेजी से चल रहे हैं। इस प्रकार के अनुसन्धानों के परिणामस्वरूप ऐसी बहुत सी सामग्री तथा मिश्र-धातुओं का विकास हुआ है जो इलेक्ट्रानिकी न्यूक्लियर उद्योगों आदि के काम में आती हैं। भारत बेरिलियम का उत्पादन करने वाला विश्व का तीसरा देश है। इस समय रेडियो आइसोटोपों का उपयोग आयुर्विज्ञान, उद्योगों तथा कृषि में किया जा रहा है। इसके अलावा, परमाणु बिजली सम्बन्धी कार्यक्रम के लिए आवश्यक ईंधन तथा भारी पानी जैसी सामग्री उपलब्ध कराने के लिए बहुत से औद्योगिक संयंत्र भी लगाये गए हैं।

कण त्वरकों, तप्त प्लाज्मा, निम्न तापमान पर होने वाले संलयन लेसरों आदि जैसी इक्कीसवीं शताब्दी की प्रौद्योगिकियों में आगे और विकास कार्य इंदौर में हाल ही में स्थापित किए गए "प्रगति प्रौद्योगिकी केन्द्र" में किया जाएगा।

भारत विश्व के इने-गिने ऐसे देशों में से एक है जिनके पास नाभिकीय ईंधन तैयार करने की पूर्णतः स्वदेशी सुविधा उपलब्ध है तथा जो परमाणु विद्युत रिएक्टरों को स्वयं अभिकल्पित करने और चलाने में, उन रिएक्टरों को ईंधन-युक्त करने में तथा उनका रख-रखाव करने में स्वयं सक्षम हैं।

इलैक्ट्रोनिक्स उद्योग में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक परिस्थिति

2447. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इलेक्ट्रोनिक उद्योग में अधिकांश श्रमिकों को विशेषरूप से महिलाओं को, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) सरकार का विचार इलेक्ट्रोनिक उद्योग में कार्यरत श्रमिकों विशेष रूप से उनमें कार्यरत महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या उपाय करने का है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मन्त्री, (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) दिनांक 7 नवम्बर, 1983 को लखनऊ के दैनिक स्वतन्त्र भारत में प्रकाशित एक प्रेस रिपोर्ट के अनुसार जो लखनऊ के औद्योगिक विष-विज्ञान अनुसन्धान केन्द्र द्वारा प्रकाशित "औद्योगिक विष-विज्ञान बुलेटिन" के 8 अगस्त, 1983 के अंक में छपे 'इलेक्ट्रोनिक उद्योग में स्वास्थ्य के लिये खतरे' नामक लेख पर आधारित था। इलेक्ट्रोनिकी उद्योग में श्रमिकों के स्वास्थ्य पर सीसा, केडमियम, एन्टिमनी जस्ता (जिंक) आदि सामग्रियां प्रतिकूल प्रभाव डालती है।

उस लेख के अध्ययन से पता चलता है कि यह मूलतः व्यावसायिक स्वास्थ्य के लिए खतरों से

सम्बन्धित विदेशी साहित्य की समीक्षा है, जो अत्यधिक घने औद्योगिक देशों जैसे संयुक्त राज्य अमरीका तथा कनाडा के इलेक्ट्रोनिक उद्योग में ही उत्पन्न हो सकते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि ये सभी मामलों में यही बातें हमारे इलेक्ट्रोनिक उद्योग पर सीधे लागू होती हों।

(ग) औद्योगिक विष-विज्ञान अनुसन्धान केन्द्र (आई० टी० आर० सी०) लखनऊ ने कुछ चुनिंदा इलेक्ट्रोनिक इकाइयों के अध्ययन/सर्वेक्षण का कार्य शुरू किया है जो इस प्रकार है :— (i) इलेक्ट्रोनिकी उद्योग में स्वास्थ्य के खतरों से सम्बन्धित विद्यमान मानदण्डों तथा नियमों/विनियमों की जांच करना; (ii) सुझाव देने/अपनाने के लिए नए मानदण्ड बनाना। दिसम्बर, 1985 तक इस अध्ययन/सर्वेक्षण कार्य के पूरा हो जाने की सम्भावना है। इस सर्वेक्षण के निष्कर्षों से सरकार को इस विषय पर भावी निर्णय लेने में मार्गदर्शन मिलेगा।

बम्बई में पायलटों का वाकआउट

2448. **श्री जी० जी० स्वैल** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुबई से आबुधाबी की एयर इण्डिया की उड़ान 911 के पायलट 29 जून को अपने काम को छोड़कर बाहर आ गए क्योंकि जब सुरक्षा जाँच चल रही थी तो उनकी ड्यूटी का समय समाप्त हो गया था; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में पायलटों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) कड़ी सुरक्षा जांच के दौरान, जिसमें काफी समय लग गया था, ड्यूटी पर तैनात कर्मीदल का उड़ान करने का ड्यूटी समय समाप्त हो चुका था, इसीलिए वे इस उड़ान को नहीं ले जा सके। वैकल्पिक कर्मीदल द्वारा इस उड़ान को प्रचालित करने के लिए व्यवस्था की गई थी।

(ख) चूंकि विमान चालकों का ड्यूटी समय समाप्त हो गया था, इसलिये विमानचालकों के विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं हुआ।

"सैटेलाइट डाटा एक्सचेंज" के विस्तार के लिए अमरीका से समझौता

2449. **श्री जी० जी० स्वैल** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और अमरीका मौसम की भविष्यवाणी में सुधार तथा अन्य प्रयोजनों के लिए "सैटेलाइट डाटा एक्सचेंज" के विस्तार के लिए सहमत हो गए हैं;

(ख) क्या अमरीका की "नेशनल एयरोनॉटिक्स एण्ड स्पेस एजेंसी (नासा) भारत के वर्षा

वाले वनों की प्रतिबिम्बिकी लेने के लिए भारत में निर्मित "नैरो बैंड कैमरा" उड़ाने के लिए सहमत हो गई है;

(ग) मौसम से सम्बन्धित प्रौद्योगिकियों के बारे में अमरीका के साथ सहयोग की क्या संभावनाएं हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलैक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष तथा संयुक्त राज्य अमरीका की नेशनल एयरोनॉटिक्स एण्ड स्पेस एजेंसी (नासा) के प्रशासक के बीच हाल ही में आयोजित बैठकों में अन्य मामलों के साथ-साथ, अन्तरिक्ष विज्ञान, भू-पर्यवेक्षण एवं संचार के क्षेत्रों में दोनों एजेंसियों के बीच भावी सहयोग से सम्बन्धित मामलों पर विचार विमर्श किया गया था।

भारत द्वारा निर्मित संकीर्ण बैण्ड सी० सी० डी० कैमरा, मौसम राडार सम्बन्धी अध्ययन और शटल राडारों के माध्यम से भारत की प्रतिबिम्बिकी के संभाव्य महत्व पर भी विचार-विमर्श किया गया। फिर भी, ये मदें अभी भी विचार-विमर्श के प्रारम्भिक चरणों में हैं और इस सम्बन्ध में अभी तक ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। जहां तक मौसम से संबंधित उपग्रह आंकड़ों के आदान-प्रदान का सम्बन्ध है, प्रचालनात्मक और अनुसंधान प्रयोजनों के लिए इन्सैट-1 मौसम सम्बन्धी प्रतिबिम्बिकियों की प्राप्ति के लिए अमरीकी सरकार/राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान और वायुमण्डलीय प्रशासन (एन० ओ० ए० ए०) से अनुरोध प्राप्त हुआ है और इस पर विचार किया जा रहा है।

जन जातीय उपयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता का आवंटन

2450. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जन जातीय उपयोजना की पृथक मांग करने वाले राज्यों तथा राज्य स्तर पर विभिन्न विभागों को विशेष केन्द्रीय सहायता आवंटित करने वाले राज्यों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने सातवीं योजना में जन जातीय उपयोजना सम्बन्धी नीति तैयार करते समय राज्यों की विभिन्न प्रक्रियाओं की समीक्षा की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, मणिपुर, उड़ीसा, त्रिपुरा, पश्चिमी बंगाल, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, केरल, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश राज्य धनराशियों को एक पृथक बजट शीर्ष के अन्तर्गत दर्शा रहे हैं।

(ख) और (ग) जी हां, श्रीमान। बजट में आंकड़े प्रदर्शित करने के दो तरीके अपनाये गये

हैं नामत: (1) सम्बन्धित क्षेत्रीय विभाग की संगत मांग के अन्तर्गत जनजाति उप-योजना के लिए मिल रही धन राशि को दर्शाने के लिए लेखा के उप-शीर्ष/मुख्य शीर्ष के अधीन एक लघु शीर्ष खोलना और (2) राज्य के जनजाति विकास विभाग द्वारा नियन्त्रित किसी एकल मांग के अन्तर्गत सभी क्षेत्रीय विभागों की सभी परिमाणित धन राशि दर्शाना। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुसूचित जनजातियों के विकास सम्बन्धी कार्य दल ने सुझाव दिया है कि सभी राज्यों द्वारा अपने-अपने बजट शीर्षों के अन्तर्गत क्षेत्रीय विभागों की जनजाति उपयोजना कम्पोनेंट दर्शाने का प्रथम तरीका अपनाया जाना चाहिए, इसके साथ विकास विभागों के सम्बन्धित सचिवों द्वारा धनराशि के उपयोग तथा योजनाओं की प्रगति के त्रिमासिक पुनरीक्षण करने के अतिरिक्त सचिव/आयुक्त, जनजाति विकास विभाग को ऐसे पुनरीक्षण करने चाहिए। उन राज्यों में जहां द्वितीय तरीका अपनाया जा चुका है, जनजाति उप-योजना कार्यक्रमों में विकास विभागों का सक्रिय रूप से शामिल करने के लिए पर्याप्त कदम उठाये जाने चाहिए।

आयोजना का विकेन्द्रीकरण

2451. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने आयोजना तन्त्र को सभी स्तरों पर मजबूत करने और सातवीं योजना के दौरान आयोजना का विकेन्द्रीकरण करने के लिए राज्यों को कोई मार्ग निर्देश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो उन मार्ग निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन राज्यों में इनका कार्यान्वयन किया गया है/इसके कार्यान्वयन की प्रक्रिया आरम्भ की गई है; और

(घ) राज्यों द्वारा राज्य-वार अब तक कितने क्षेत्रीय और जिला योजना बोर्डों का गठन किया गया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) राज्य स्तर पर आयोजना तन्त्र को मजबूत करने की एक स्कीम 1972 से ही चल रही है और जनवरी 1983 से इसे जिला स्तर तक लागू कर दिया गया है। पहले जून 1982 में राज्य सरकारों को कहा गया था कि वे कार्यात्मक और वित्तीय विकेन्द्रीकरण लाने के उपाय करें तथा योजना की प्रक्रिया को प्रभावशाली ढंग से विकेन्द्रीकरण करने के लिए, उपयुक्त बजट कार्य और समायोजन प्रतिक्रियाओं सहित, जिला स्तर पर समुचित आयोजना तन्त्र की स्थापना करें। राज्य सरकारों को सातवीं योजना अवधि में विकेन्द्रीकरण को कार्यान्वित करने की आवश्यकता के बारे में कहा गया है।

(ख) संक्षेप में, राज्य स्तर आयोजना तन्त्र को मजबूत करने के मार्ग निर्देशों में यह व्यवस्था है कि राज्य स्तर पर शीर्षस्थ निकाय हो जिसमें मुख्य मंत्री अध्यक्ष हों तथा वित्त मंत्री, योजना मंत्री और विभिन्न विभागों तथा विधाओं के प्रतिनिधि के रूप में तकनीकि विशेषज्ञ सदस्य हों।

मार्ग निर्देशों में, राज्य योजना विभागों और उनके कार्यात्मक पुनर्गठन को मजबूत करने की भी व्यवस्था है।

राज्य स्तर पर आयोजना तन्त्र को मजबूत करने पर जो अतिरिक्त व्यय होगा उसका दो तिहाई तक भारत सरकार द्वारा समायोजित किया जा सकेगा।

जिला स्तर पर आयोजना तन्त्र को मजबूत करने की स्कीम में यह व्यवस्था है कि जिला योजना के लिए अपेक्षित ज्ञान और कौशल वाले तकनीकि व्यक्तियों का सहयोग लिया जा सके। तथापि इस स्कीम में होने वाले व्यय को केन्द्र और राज्यों के बीच 50:50 के अनुपात में वहन किया जाए।

(ग) राज्य स्तर पर आयोजना तन्त्र को मजबूत करने की स्कीम, सिक्किम के अलावा, सभी राज्यों द्वारा कार्यान्वित की जा चुकी है। जिला स्तर तक यह कार्य आंशिक रूप से आंध्रप्रदेश गुजरात, जम्मू-कश्मीर, केरल और महाराष्ट्र में कार्यान्वित हुई है। अन्य राज्यों के विचार इन मार्ग निर्देशों को सातवीं योजना अवधि में कार्यान्वित करने का है।

(घ) इस सूचना का विवरण संलग्न है।

विवरण

राज्यों द्वारा गठित क्षेत्रीय/जिला योजना बोर्ड

	राज्य	योजना बोर्ड
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	जिला योजना बोर्ड
2.	असम	जिला विकास समिति
		(1) उप-मंडल विकास समिति
		(2) प्रत्येक उप-मंडल में समीक्षा बोर्ड
3.	बिहार	जिला योजना और विकास परिषदें
		प्रत्येक जिला योजना और कार्यान्वयन समिति
4.	गुजरात	जिला योजना बोर्ड
		कार्यकारी योजना समिति

1	2	3
5.	हरियाणा	जिला स्तर पर कोई योजना तंत्र नहीं है।
6.	हिमाचल प्रदेश	जिला विकास समितियां
7.	जम्मू और कश्मीर	जिला विकास बोर्ड
8.	कर्नाटक	जिला योजना परिषद् जिला विकास समिति
9.	केरल	जिला विकास परिषदें जिला योजना समितियां क्षेत्रीय योजना समितियां
10.	मध्य प्रदेश	जिला योजना बोर्ड जिला योजना समितियां
11.	महाराष्ट्र	जिला योजना और विकास परिषद, कार्यकारी समिति
12.	मणिपुर	(1) जिला योजना समिति (मैदानी क्षेत्र के लिए) (2) स्वायत्त पहाड़ी जिला परिषदें
13.	मेघालय	जिला योजना बोर्ड (1) समन्वय समितियां (2) स्वायत्त जिला परिषदें
14.	नागालैण्ड	जिला योजना बोर्ड (1) ग्राम विकास बोर्ड (2) उप-मंडल योजना बोर्ड
15.	उड़ीसा	जिला विकास बोर्ड जिला विकास समिति जिला विकास समिति की उपसमितियां

1	2	3
16.	पंजाब	जिला योजना बोर्ड
17.	राजस्थान	जिला योजना समिति (वर्तमान)
		जिला योजना परिषद् (प्रस्तावित)
		जिला योजना और कार्यकारी समिति (प्रस्तावित)
18.	सिक्किम	जिला योजना समितियां
19.	तमिलनाडु	जिला विकास परिषदें
		पंचायत संघ परिषद
20.	त्रिपुरा	राज्य में कोई जिला योजना तंत्र नहीं है।
21.	उत्तर प्रदेश	जिला योजना और निगरानी समिति
		(1) जिला योजना समन्वय और एवशन समिति
		(2) जिला स्तर पर कार्यकारी समिति मंडलीय समिति
22.	पश्चिमी बंगाल	जिला योजना और समन्वय परिषद
		(1) जिला योजना समिति
		(2) ब्लॉक योजना समिति

गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण

2452. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या का पता लगाने के लिए हाल ही में देश में कोई सर्वेक्षण किया था तथा उन विशेष क्षेत्रों के नाम क्या हैं जहां गरीबी की रेखा से नीचे के लोग अधिक हैं;

(ख) यदि हां, तो पांच वर्ष पहले किए गए सर्वेक्षण की तुलना में हाल में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार ऐसे लोग कितने हैं; और

(ग) इन क्षेत्रों का विकास करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) जी, नहीं। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन 1977-78 और 1983 में पंचवर्षीय पारिवारिक उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण करता रहा है। इन सर्वेक्षणों पर आधारित रिपोर्टों में व्यय की श्रेणी के अनुसार विभिन्न वस्तुओं की खपत और व्यय की श्रेणी के अनुसार परिवारों की संख्या उनकी संरचना सहित दी होती है। इन रिपोर्टों में दिए गए परिणामों का योजना आयोग द्वारा गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या और उनके प्रतिशत का अनुमान लगाने में उपयोग किया जाता रहा है। गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्ति सम्पूर्ण देश में फैले हुए हैं। इसलिए, ऐसे विशेष क्षेत्रों का निर्धारण करना सम्भव नहीं है जहां इन लोगों की बहुलता है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के सर्वेक्षण के अनुसार, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या वर्ष 1977-78 में 307.3 मिलियन (परिशोधित) और 1983-84 में 270.8 मिलियन (अनंतिम) होने का अनुमान लगाया गया है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। लेकिन, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम जैसे गरीबी दूर करने के अनेक कार्यक्रम, जो छठी पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वित किए गए हैं, का उद्देश्य परिसम्पत्तियों का सृजन और रोजगार उत्पन्न करके समाज के कमजोर वर्गों की आय में वृद्धि करना है। जैसाकि, सातवीं पंचवर्षीय योजना के नीति-पत्र में बताया गया है, इन कार्यक्रमों को सातवीं योजना में तेज गति से जारी रखा जाएगा।

भारत पर्यटन विकास निगम को घाटा

2453. श्री वी० शोमनाद्रीश्वर राव : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत पर्यटन और विकास निगम निरंतर घाटे में चल रहा है;

(ख) क्या सरकार कुछ स्थानों पर भारत पर्यटन विकास निगम के कार्यालयों को बन्द करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं तथा उन्हें बन्द करने के क्या कारण हैं;

(ग) भारत पर्यटन विकास निगम को 1985 की प्रथम छमाही (जनवरी 85 से, जून 85) में विगत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में यदि कोई घाटा हुआ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार भारत पर्यटन विकास निगम के नये कार्यालय खोलकर इसकी गतिविधियों में और विस्तार करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां नये कार्यालय खोलने की योजना है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी नहीं।

(ख) पर्याप्त परिवहन सुविधाएं उपलब्ध होने के कारण और या मांग की कमी के कारण भारत पर्यटन विकास निगम के पास इसकी भोपाल, कोवलम तथा भुवनेश्वर स्थित ट्रैवल एंड टूअर यूनिटों का परिचालन बन्द करने के प्रस्ताव हैं।

(ग) गत वर्ष की संगत अवधि में हुए 151.20 लाख रुपये के लाभ की तुलना में जनवरी से जून, 1985 के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम का अनुमानित लाभ 185.46 लाख रुपये था।

(घ) सम्बन्धित राज्य सरकारों/राज्य पर्यटन विकास निगमों के सहयोग से गुवाहाटी, रांची, पुरी, भोपाल, पांडिचेरी और इटानगर में संयुक्त—उद्यम होटल—परियोजनाओं की स्थापना करने के अतिरिक्त भारत पर्यटन विकास निगम की आगरा और गुलमर्ग में दो नये होटल खोलने की योजनाएं हैं।

[हिन्दी]

मंत्रालय में बेकार पड़े कम्प्यूटर

2454. श्री काली प्रसाद पांडेय : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में बहुत से मंत्रालयों में अनेक महंगे कम्प्यूटर बेकार पड़े हैं और वर्तमान में उनकी उपयोगिता नगण्य है;

(ख) क्या कम्प्यूटर प्रणाली लागू करने के लिए वर्ष 1983-84, 1984-85 और 1985-86 के दौरान कुछ धन राशि आबंटित की गई थी और यदि हां, तो कितनी राशि आबंटित की गई और वास्तव में उस पर कितनी राशि व्यय हुई; और

(ग) सरकार ने इन बेकार पड़े महंगे कम्प्यूटरों के उचित रीति से संचालन, उपयोग और रख-रखाव को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं और तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलैक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

क्षेत्रीय पर्यटन को बढ़ावा

2455. श्री चिंतामणि पाणिग्रही : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने क्षेत्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र के अन्य देशों के साथ विचार-विमर्श किया है और यदि हां, तो उनकी प्रतिक्रिया क्या है;

(ख) क्या क्षेत्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना तैयार की गई है;

(ग) क्या मध्यम वर्ग के लोगों के हित में कोई पैकेज कार्यक्रम तैयार किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) भारत, दक्षिणी एशिया के लिए विश्व पर्यटन संगठन आयोग और प्रशांत क्षेत्र यात्रा परिसंघ का एक सक्रिय सदस्य है तथा इन दोनों निकायों के तत्वावधान में समग्र क्षेत्र में पर्यटक यातायात संवर्धन के प्रस्तावों का समर्थन करता है। इसके परिणामस्वरूप, दक्षिण एशिया के लिए विश्व पर्यटन संगठन आयोग ने दक्षिण एशिया के लिए एक संयुक्त पोस्टर और फोल्डर तैयार किया है और लंदन, फ्रेंकफर्ट, पेरिस, न्यूयार्क, लॉस एन्जिलस, सिडनी और टोकियो जैसी विभिन्न पर्यटक सृजक मार्केटों में संयुक्त-संवर्धनों के लिए एक व्यापक योजना का अन्तिम रूप दिया जा रहा है। पाटा के तत्वावधान में यू० के० और जर्मनी में एक दक्षिण एशिया संयुक्त मार्केटिंग परियोजना विचाराधीन है।

हाल ही में, काठमाण्डु में हुए दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सम्मेलन में उक्त क्षेत्रों के देशों के बीच पर्यटक यातायात का संवर्धन करने के उपायों और साधनों पर विचार-विमर्श किया गया। बंगलादेश में होने वाली इसकी अगली बैठक में इसकी "मार्केटिंग उपायोग" की सिफारिशों पर कार्यान्वयन हेतु विचार किए जाने की सम्भावना है। भारत और पाकिस्तान के बीच समूह पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए एक प्रोतोकोल पर दोनों देशों द्वारा पहले ही हस्ताक्षर किए जा चुके हैं।

(ग) और (घ) इण्डियन एयरलाइन्स पड़ोसी देशों के बीच चुने हुए मार्गों पर 20 प्रतिशत डिस्काउंट ऑफर करता है। पड़ोसी देशों की यात्रा के लिए रुपया-भाड़ा, डॉलर-भाड़े की अपेक्षा कम भी है। इसके अलावा, पड़ोसी देशों की यात्रा के लिए पर्यटक 250 डॉलर की एक अतिरिक्त विदेशी मुद्रा एलाउंस का लाभ भी उठा सकते हैं। समूह पर्यटन पर भारत-पाक प्रोतोकोल के अन्तर्गत, भारत पर्यटन विकास निगम और पाकिस्तान पर्यटन विकास निगम, दोनों देशों के बीच समूह-यात्रा के लिए निश्चित यात्रावृत्तों पर एक सप्ताह के लिए 250 डॉलर पर एकमुश्त यात्राओं को संचालित करते हैं। बहुत से राज्यों और पर्यटन विकास निगमों ने भी 1-3 सप्ताह के सस्ते पैकेज-दौरे ऑफर किए हैं जो स्वदेशी और अन्तर्राष्ट्रीय बजट-पर्यटकों में लोकप्रिय हुए हैं।

अनुसूचित जनजातियों के विकास सम्बन्धी
कार्यकारी दल

2456. श्री के० प्रधानी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के सन्दर्भ में अनुसूचित जनजातियों के

विकास सम्बन्धी एक पृथक् कार्यकारी दल का गठन किया गया था और इस दल ने सातवीं योजना के दौरान जनजाति विकास के लिए एक योजना का सुझाव दिया था;

(ख) क्या उक्त दल द्वारा सुझाई गई योजना के कार्यान्वयन हेतु अब तक कोई कार्यवाही की गई है;

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और राष्ट्रीय स्तर पर आवश्यक कार्य योजना कब तक तैयार किये जाने की सम्भावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) से (घ) सातवीं योजना (1985-90) के लिए आदिवासी उप-योजना और वार्षिक योजना (1985-86) के सम्बन्ध में आदिवासी उप-योजना नीति में शामिल सभी 17 राज्यों और 2 संघ शासित क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श पूरा कर लिया गया है। उनको आदिवासी विकास के लिए कार्यकारी दल की रिपोर्ट की नीति के अनुसार अपने दस्तावेज संशोधित करने के अनुदेश दिये गए हैं। आदिवासी उप-योजना के दस्तावेजों को इस समय योजना आयोग अन्तिम रूप दे रहा है। प्रत्येक राज्य की कार्य योजना उनसे सम्बन्धित आदिवासी उप-योजना दस्तावेजों में निगमित की जाती है।

शिमला में हवाई अड्डे का निर्माण

2457. **श्री यशवंतराव गडाख पाटिल :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिमला में हवाई अड्डे के निर्माण कार्य में अत्यधिक विलम्ब हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) हवाई अड्डे का काम कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) सक्षम प्राधिकरण का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए शिमला हवाई अड्डे से सम्बन्धित परियोजना रिपोर्ट पर कार्रवाई की जा रही है, अतः निर्माण में विलम्ब का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) परियोजना यदि अन्तिम रूप से स्वीकृत हो जाती है तो इसके वर्ष 1988 के अन्त तक पूरा हो जाने की आशा है।

कम आमदनी वाले स्वदेशी पर्यटकों को सुविधाएं

2458. श्री वी० एस० विजय राघवन : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में विभिन्न पर्यटन केन्द्रों पर कम आमदनी वाले स्वदेशी पर्यटकों के लिए उपलब्ध सुविधाएं बहुत ही अपर्याप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो पर्यटकों के इस वर्ग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोई योजना तैयार की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) ऐसे भी कुछ पर्यटक केन्द्र हैं जहां लघु-बजट पर्यटकों के लिए उपलब्ध सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं।

(ख) और (ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वदेशी पर्यटन का संवर्धन करने और तेजी के साथ आगे बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

स्वदेशी तथा बजट-पर्यटकों के लिए इकॉनॉमी-क्लास-आवास प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों के साथ संयुक्त रूप से यात्री-निवासों तथा कम लागत वाले बजट-आवास के निर्माण का प्रस्ताव है। 1978 में पंजीकृत की गई एक समिति—भारतीय यात्री आवास विकास समिति चुने हुए तीर्थ-स्थानों पर यात्रिकाएं (धर्मशालाएं, सरायें) बना रही है। राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया गया है कि वे अपनी योजनाएं तैयार करते समय लघु-बजट वाले स्वदेशी पर्यटकों के लिए आधार संरचना की व्यवस्था करने पर अधिकाधिक बल दें।

भारतीय खेल टीमों का 1980 से लेकर अब तक का खेल प्रदर्शन

2459. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या युवा कार्य और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत की हॉकी, फुटबाल और बालीबाल की टीमों का 1980 से 1985 के दौरान एशियाई खेल, ओलम्पिक विश्व कप, एशिया कप टूर्नामेंट सहित प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में कैसा प्रदर्शन रहा है;

(ख) क्या देश में खेलों का स्तर सुधर रहा है अथवा गिर रहा है;

(ग) यदि स्तर गिर रहा है तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस बारे में क्या कदम उठाने का विचार है ?

युवा कार्य और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना सम्बन्धित भारतीय ओलम्पिक एसोसिएशन और राष्ट्रीय खेल संघों से एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

खेल परिसंघों में एक पद के लिए एक व्यक्ति हेतु मार्ग निर्देश

2460. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या युवा कार्य और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार करेगी कि एक व्यक्ति राष्ट्रीय खेल निकाय एक से अधिक खेलों का अथवा राज्य निकाय और राष्ट्रीय निकाय दोनों में ही एक ही खेल का पदाधिकारी हो सकता है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में मार्गनिर्देश कब जारी किए जाएंगे; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

युवा कार्य और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) राष्ट्रीय खेल संघ का केवल एक विषय से सम्बन्ध है। अतः राष्ट्रीय खेल संघ में एक व्यक्ति के एक विषय से अधिक का पदाधिकारी होने का प्रश्न ही नहीं है। जहां तक एक व्यक्ति का दोनो राज्य खेल एसोसिएशन और राष्ट्रीय खेल संघ में एक ही विषय में पदाधिकारी होने का सम्बन्ध है, राज्य एसोसिएशन और राष्ट्रीय संघ से यह मामला सम्बन्धित है। सरकार ने इस विशेष विषय पर कोई मार्गदर्शी रूपरेखाएं जारी नहीं की हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग

2461. श्री अमर सिंह राठवा : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लाखों लोग प्रतिवर्ष गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं और यदि हां, तो कितने लोग प्रतिवर्ष गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं जिससे प्रतिवर्ष आंकड़ों में वृद्धि होती जाती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि ऐसे अधिकांश लोग आदिवासी क्षेत्रों से, जो कि देश में सबसे अधिक पिछड़े क्षेत्र में, होते हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के कार्यकरण का मूल्यांकन करने तथा इन योजनाओं को 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रभावशाली ढंग से लागू करने का है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० ग्रार० नारायणन) : (क) जी, नहीं। गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या कम होती जा रही है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा 1977-78 (32वां दौर) 1983 (38वां दौर अनंतिम) में परिवार उपभोक्ता व्यय के संबंध में किये गये सर्वेक्षणों के अनुसार गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या वर्ष 1977-78 में 307.3 मिलियन (संशोधित) से कम होकर वर्ष 1983-84 में 270.8 मिलियन रह गई है।

(ख) जी, नहीं। यह बताना सम्भव नहीं है कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों में से कितने व्यक्ति आदिवासी क्षेत्रों के हैं। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि जनजातीय उप-योजना के अन्तर्गत जो 5वीं योजना के बाद से कार्यान्वित की जा रही है, अनुसूचित जातियों को अब सृजित करने वाली विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत पर्याप्त वित्तीय सहायता दी जा रही है ताकि वे गरीबी की रेखा को पार कर सकें। 27.59 लाख परिवारों के मुकाबले छठी योजना में 43.58 लाख अनुसूचित जाति के परिवारों को आर्थिक सहायता दी गई।

(ग) ग्रामीण विकास और गरीबी दूर करने के कार्यक्रमों के वर्तमान प्रशासनिक प्रबन्धों की समीक्षा करने और उपयुक्त संरचनात्मक तंत्र की सिफारिश करने के लिए डा० जी० वी० के० राव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति स्थापित की गई है ताकि इन कार्यक्रमों की समुचित तरीके से योजना और इनका प्रभावी रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के सम्बन्ध में योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने पहले ही अपना अध्ययन पूरा कर लिया है और अपनी रिपोर्ट योजना आयोग को प्रस्तुत कर दी है जिस पर सम्बन्धित विभागों द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के सम्बन्ध में कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन एक अध्ययन कर रहा है और इससे सम्बन्धित अपनी रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करेगा।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम दोनों ही कार्यक्रम 20-सूत्री कार्यक्रम के भाग हैं और सभी राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र इन कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहे हैं और योजना आयोग को इनके सम्बन्ध में प्रगति रिपोर्टें नियमित रूप से भेज रहे हैं।

वन नीति की समीक्षा

2462. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन नीति की समीक्षा के लिए एक पेनल बनाने का विचार है जैसा कि 15 जुलाई,

1985 के हिन्दुस्तान टाइम्स में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह पेनल वन्य जीवों सहित पारिस्थिति की रक्षा के समग्र प्रयास के भाग के रूप में वन नीति पर विचार करेगा;

(ग) क्या यह आदिवासी जीवन पर वन नीति के प्रभाव पर भी विचार करेगा; और

(घ) यदि हां, तो इस पेनल के निर्देश-पदों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

रंगीन टी० वी० के पिक्चर ट्यूबों के लिए मूल्य नियत करने का फार्मूला

2463. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टी० वी० निर्माताओं ने इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार प्रौद्योगिकी और विकास निगम का रंगीन पिक्चर ट्यूबों के मूल्य नियत करने के फार्मूले की पुनरीक्षा करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो निगम की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या पिक्चर ट्यूबों का आयात सरकारी एजेंसी के माध्यम से किया जाना समाप्त कर दिया जाने के बाद भी निगम द्वारा टेलीविजन निर्माताओं को कहा जा रहा है कि वे रंगीन टी० वी० ट्यूबें उनके आयात से ही खरीदें ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) इलेक्ट्रॉनिकी ट्रेड एण्ड टेकनोलॉजी डेवलपमेंट कार्पोरेशन ने रंगीन दूरदर्शन पिक्चर ट्यूबों की कीमतें नियत करने की दृष्टि से प्रस्ताव सरकार के पास भेजा है, जो कि विचाराधीन है।

(ग) इलेक्ट्रॉनिकी ट्रेड एण्ड टेकनालॉजी डेवलपमेंट कार्पोरेशन ने आयात किया है तथा सरणीकरण आधार पर किए जाने वाले आयात को बन्द करने से पहले उद्योग द्वारा पेश की गई मांग के आधार पर, रंगीन पिक्चर ट्यूबों की खरीद के लिए ठोस कदम भी उठाए हैं। भारतीय दूरदर्शन विनिर्माता संघ वादे के अनुसार स्टॉक उठाने के लिए सहमत हो गया है। इसके उपरान्त उद्योग आई० टी० सी० नीति के अनुसार पिक्चर ट्यूबों का आयात कर सकेगा।

"हालीडे टूरिज्म" और "लेजर इंडस्ट्री" को बढ़ावा देना

2464. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन कार्यक्रम के विविधीकरण के भाग के काम में, सरकार का विचार "हालीडे टूरिज्म" और "लेजर इंडस्ट्री" को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाने का है;

(ख) क्या सरकार का पर्यटकों को आकर्षित करने के कार्यक्रम के भाग के रूप में सम्मेलनों के आयोजन के लिए तटीय सैरगाहों का विकास करने, ट्रैकिंग और पर्वतारोहण का आयोजन करने और शीतकालीन खेलों का आयोजन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) अवकाश तथा सावकाश पर्यटन का संवर्धन करने के लिए सातवीं योजना संबंधी अपनी कार्य-नीति के एक भाग के रूप में, गोआ और त्रिवेन्द्रम में चार्टर उड़ानों के उतरने की अनुमति सहित विभाग द्वारा समुद्र तट विहार-स्थलों पर सुविधाओं का सृजन करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। जल क्रीड़ाएं प्रारम्भ करने और पहाड़ों पर ट्रैकिंग के सुविधाओं की व्यवस्था करने के प्रयास किए जाएंगे। विभाग उपर्युक्त स्कीमें प्रारम्भ करने के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से सम्पर्क बनाए हुए हैं। हिम क्रीड़ाओं का संवर्धन करने की अपनी नीति के एक हिस्से के रूप में गुलमर्ग स्थित हिम भारती (इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एण्ड माउंटेनियरिंग) शीत ऋतु के दौरान हिम क्रीड़ा पाठ्यक्रमों और ग्रीष्म ऋतु के दौरान जल स्कीम पाठ्यक्रमों का संचालन करता है।

हवाई अड्डों पर विदेशी पर्यटकों को नाजायज तंग करना

2465. **श्री गुरुदास कामत** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हवाई अड्डों पर विदेशी पर्यटकों को नाजायज तंग करने की शिकायतें सरकार के पास आई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने शिकायतों की जांच की है; और

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों के सुरक्षा जांच तथा अन्य औपचारिकताओं को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) जी हां।

(ग) सुरक्षा के पहलुओं को जोखिम में डाले बिना स्कैनर्ज, मैटल-डिटैक्टर्ज तथा अन्य उपस्करों का उपयोग करते हुए सुरक्षा जांच तथा अन्य औपचारिकताओं को शीघ्रतापूर्वक पूरा करने तथा साथ ही साथ कार्य-प्रणाली आदि को आसान बनाने का सरकार का प्रस्ताव है।

वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून को अन्तर्राष्ट्रीय संस्थान में परिवर्तित करना

2466. डा० के० जी० आदियोडी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, मनीला ने वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून को एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्थान के रूप में परिवर्तित करने के लिए सहायता देने की पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत महोत्सव के लिए कलाकार

2467. श्री रणजीत सिंह गायकवाड : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत महोत्सव में भेजे गए कलाकारों को उनकी सामान्य व्यवसायिक फीस दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस महोत्सव से कौन से उद्देश्य प्राप्त किये जाने की सम्भावना है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) फ्रांस में भारतोत्सव के उद्घाटन के लिए पेरिस भेजे गए कलाकारों को निम्नानुसार भुगतान किया गया :—

(i) पूर्वाभ्यास भत्ता : 10 व्यक्तियों तक के दल के लिए 1,000/- रु०, 10 से अधिक व्यक्तियों के दल के लिए 2,000/- रु० ।

(ii) निजी उपकरण भत्ता :

500/- रु० प्रति कलाकार

(iii) पोशाक नवीकरण एवं संगीत वाद्यों की देखभाल भत्ता :

10 व्यक्तियों के दल के लिए 2,000/- रु०, 10 से अधिक व्यक्तियों के लिए 3,000/- रु० ।

(iv) भारत में व्यवसायिक आय के घाटे के लिए प्रति व्यक्ति 1,000/- रु० ।

(v) प्रति कलाकार 20/- डालर (लगभग 250/- रु० के बराबर) का हवाई यात्रा भत्ता ।

अमेरिका में भारतोत्सव के उद्घाटन के लिए वाशिंगटन भेजे गए कलाकारों को निम्नानुसार भुगतान किया गया : अमेरिका में भारतोत्सव के उद्घाटन पर श्रीकलामंडलम् कृष्णनन् नायर, श्रेष्ठतम कत्थकली नर्तक को उनके प्रदर्शन के लिए 12,000/- रु० दिये गये । दल के लिये 5,000/- रु० दिये गये । श्री रवि शंकर, श्री अली अकबर खान और उनके तबला साथियों ने, जिन्होंने अमेरिका में भारतोत्सव-1 के उद्घाटन पर प्रदर्शन किया, अपनी सेवाओं के लिये कोई शुल्क नही लिया ।

(ग) अमेरिका और फ्रांस में आयोजित भारतोत्सवों में अमेरिकियों तथा फ्रांसीसियों के बीच अधिक जागरूकता को बढ़ाने के उद्देश्य से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की अद्वितीय और अभूतपूर्व जानकारी की परिकल्पना की गई है और इस तरह भविष्य में और अधिक स्थायी आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर विनिमयों के लिए सद्भावना एवं सूझबूझ का उपयुक्त वातावरण बनाया जा सकेगा । यह उत्सव भारत में समकालीन विकासों पर ध्यान केन्द्रित करके पर्यटन के विकास को बढ़ाने के साथ-साथ प्रौद्योगिकी, वाणिज्य एवं उद्योग के क्षेत्रों में और अधिक निवेश एवं सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करेगा ।

सातवीं योजना में इलेक्ट्रोनिक्स का उत्पादन लक्ष्य

2468. श्री हरिहर सोरन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सातवीं योजना में इलेक्ट्रोनिक्स के उत्पादन के लिए निर्धारित प्रस्तावित लक्ष्य क्या है;

(ख) इलेक्ट्रोनिक्स के क्षेत्र में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के बाद इलेक्ट्रोनिक्स उत्पादों के आयात में कमी हो जाएगी; और

(घ) इलेक्ट्रोनिक्स उत्पादों का उत्पादन तेज करने और आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में अर्थात् वर्ष 1989-90 में इलेक्ट्रॉनिकी के उत्पादन का लक्ष्य 10,860 करोड़ रुपये रखा गया है।

(ख) और (घ) देश में इलेक्ट्रोनिकी के उत्पादन की गति में तेजी लाने तथा इस क्षेत्र में आत्म-निर्भरता हासिल करने के उद्देश्य से सरकार समय-समय पर अनेक नीतियों की घोषणा करती रही है। इलेक्ट्रोनिकी से सम्बन्धित नई नीतियों तथा प्रोत्साहन योजनाओं की प्रमुख विशेषताएं नीचे दिए अनुसार हैं :—

(i) उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र को छोड़कर सभी प्रमुख क्षेत्रों में एकाधिकार प्रतिबंधकारी व्यापार पद्धति के प्रावधानों से छूट;

(ii) सभी क्षेत्रों में (जो लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं, उन्हें छोड़कर) तथा दूरदर्शन के क्षेत्र में 40 प्रतिशत तक विदेशी साम्यापूंजी की अनुमति देने का प्रश्न विचाराधीन है;

(iii) सामग्रियों, संघटक-पुर्जों तथा उच्च प्रौद्योगिकी वाले दुर्लभ उत्पादों के मामलों में अधिकाधिक विदेशी साम्यापूंजी की अनुमति देना;

(iv) पर्वतीय क्षेत्रों में 50 लाख रुपये तक की केन्द्रीय आर्थिक सहायता;

(v) पिछड़े क्षेत्रों के बारे में अधिक जोर न देकर सभी अनुमेय स्थापना-स्थलों में इलेक्ट्रोनिकी उद्योग की अनुमति देना;

(vi) खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत अनेक पूंजीगत वस्तुओं के आयात की अनुमति देना;

(vii) पूंजीगत वस्तुओं पर 25 प्रतिशत आयात शुल्क तथा कच्ची सामग्रियों पर 40 प्रतिशत अथवा उससे कम आयात शुल्क;

(viii) दूरदर्शन पिक्चर ट्यूबों तथा कम्प्यूटर उपान्त उपस्करों का सरणीबद्ध रूप से किए जाने वाले आयात को समाप्त करना;

(ix) कुछ वस्तुओं के मामले में एक ही लाइसेंस के अन्तर्गत अनेक वस्तुओं के विनिर्माण की लाइसेंसिंग नीति का उदारीकरण;

(x) लाइसेंस एक बार जारी कर देने के बाद लाइसेंसधारी को अपनी उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने की अनुमति देने का आश्वासन दिया जाएगा।

(xi) सरकार ऐसे इलेक्ट्रोनिक संघटक-पुर्जों, सामग्रियों तथा अन्य दुर्लभ उच्च प्रोद्योगिकियों के विनिर्माण की सुविधाएं स्थापित करने के लिए विदेशी साम्यापूंजी वाली कम्पनियों (अर्थात् जिनकी विदेशी साम्यापूंजी 40 प्रतिशत से अधिक है) का स्वागत करेगी जिनके मामले में देश अनुसंधान तथा विकास के क्षेत्र में काफी पूंजी निवेश नहीं कर सका है।

(xii) देश में इलेक्ट्रोनिकी का एक समुचित आधार विकसित करने के लिए प्रोद्योगिकी के मुक्त आयात की अनुमति दी जाएगी।

(xiii) लाइसेंसिंग नीति का आम उदारीकरण, जिसमें विनियमन के बजाए संवर्धन पर अधिक जोर दिया गया है।

(xiv) समकालीन प्रोद्योगिकी के आधार पर कम लागत पर अधिक मात्रा में उत्पादन करना, यही एकमात्र मार्गदर्शी सिद्धान्त होगा।

इन उपायों के फलस्वरूप यह आशा की जाती है कि इससे इलेक्ट्रोनिकी के द्रुत विकास की गति में तेजी आएगी और देश इस क्षेत्र में आत्म-निर्भर हो जाएगा।

(ग) जी, हां।

उत्तर केरल से उत्तर भारत को सीधी विमान सेवा

2469. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान विमान सेवा सारणी में उत्तरी केरल के अनेक जिलों से लोगों को, जो अपने नजदीकी हवाई अड्डे मंगलौर से विमान में जाना चाहते हैं, उत्तर भारत के लिए सीधी विमान सेवा की व्यवस्था नहीं है; और

(ख) क्या सरकार का विचार वर्तमान त्रिवेन्द्रम —कोचीन गोवा— दिल्ली विमान सेवा को मंगलौर तक बढ़ाने का है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। दिल्ली—गोवा—कोचीन- त्रिवेन्द्रम सैक्टरों पर वर्तमान बोइंग सेवा उच्च सीट आधार पर प्रचालित की जा रही है तथा इसे इस समय मंगलोर पर रोकना सम्भव नहीं होगा।

केरल में परती भूमि को कृषि योग्य बनाया जाना

2470. श्री टी० बशीर : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में अनुमानत: कितनी परती भूमि उपलब्ध है जिसको कृषि योग्य बनाया जा सकता है;

(ख) केरल में एक एकड़ भूमि को कृषि योग्य बनाने पर अनुमानत: कितनी लागत आती है; और

(ग) सातवीं योजना के दौरान केरल में कितनी भूमि को कृषि योग्य बनाया जाना है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीर सेन) : (क) भूमि उपयोग वर्गीकरण के अनुसार आंशिक रूप में उत्पादक/अनुत्पादक गैर-वन भूमि के वर्तमान अनुमान नीचे दिए गए हैं :—

क्रम सं०	भूमि की किस्म	क्षेत्र हैक्टेयर में
1	2	3
(1)	बंजर तथा अकृष्य भूमि	86,000
(2)	स्थायी चरागाह तथा अन्य चरागाह भूमि	5,000
(3)	कृषि योग्य बेकार भूमि	1,30,000
(4)	चालू परती के अतिरिक्त पड़ती भूमि	27,000
	योग :	2,48,000
		2.5 लाख हैक्टेयर

आंशिक रूप में उत्पादक/अनुत्पादक वन भूमि के अनुमान नीचे दिये गये हैं : —

क्रम सं०	भूमि की किस्म	क्षेत्र हैक्टेयर में
1	2	3
(1)	खुले वन	217,600
(2)	झाड़ी	122,400
	योग :	340,000

(ख) भूमि विकास और वन रोपण के माध्यम से परती भूमि को सुधार की लागत काफी भिन्न-भिन्न होती है, जो क्षेत्र के स्वरूप, उसके अवक्रमण की मात्रा आदि पर निर्भर करती है।

(ग) सातवीं योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

नर बलि

2471. श्री अनन्त प्रसाद सेठी : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान नर बलि के कुछ मामले सरकार की जानकारी में लाए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) "सार्वजनिक व्यवस्था" तथा "पुलिस" संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची के विषय हैं, इसलिए संवैधानिक रूप से अपराधों से सम्बन्धित कानूनों को लागू करना राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों का उत्तरदायित्व है। नर बलि के आंकड़ों को अखिल भारतीय स्तर पर संकलित नहीं किया जाता है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पोलैंड के साथ सहयोग

2472. प्रो० रामकृष्ण मोरे : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए पोलैंड के साथ हाल ही में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलैक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अखिल भारतीय सेवा परीक्षाओं में आधुनिक भारतीय भाषाओं का प्रयोग

2473. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली अखिल भारतीय सेवा की लिखित परीक्षाओं में साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के प्रयोग पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का प्रस्ताव मणिपुर जैसे कुछ भाषा समूहों के दावों पर विचार करने का है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) सिविल सेवा परीक्षा योजना के अनुसार, जिसके माध्यम से भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और विभिन्न समूह "क" और समूह "ख" की केन्द्रीय सेवाओं में नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों का चयन किया जाता है, उम्मीदवारों को सामान्य अध्ययन और वैकल्पिक विषयों से सम्बन्धित प्रश्न-पत्रों का उत्तर अंग्रेजी में अथवा संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में से किसी एक भाषा में लिखने का विकल्प रहता है। सरकार को हाल ही में सिविल सेवा परीक्षा के प्रश्नपत्रों के उत्तर लिखने के प्रयोजन से सूचीबद्ध भाषाओं में शामिल किए जाने के लिए मणिपुरी जैसे कतिपय भाषा समूहों के दावों पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने का मौका मिला था। संघ लोक सेवा आयोग ने सरकार को सूचित किया कि मणिपुरी स्नातक और स्नातकोत्तर स्तरों पर शिक्षा का माध्यम नहीं है और यहां तक कि मणिपुर राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में भी मणिपुरी परीक्षा का माध्यम नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग ने यह भी उल्लेख किया कि जिन मुख्य प्रादेशिक भाषाओं को पहले ही सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम के रूप में मान्यता दी जा चुकी है, उनके सम्बन्ध में भी शैक्षिक दृष्टि से उपयुक्त स्तर के द्विभाषिक परीक्षक प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उपयुक्त द्विभाषिक परीक्षकों की इस कमी के कारण उम्मीदवारों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करने में एक समान स्तर कायम रखने में कठिनाई हो रही है। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से यह निर्णय किया है

कि सिविल सेवा परीक्षा के प्रश्न-पत्रों का उत्तर देने के प्रयोजन से मणिपुरी तथा ऐसी अन्य भाषाओं को, जो संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं हैं, मान्यता देने पर आगे कार्रवाई न की जाये।

गुजरात में नये पर्यटन-स्थल

2474. श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावणि : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा चालू वर्ष के दौरान गुजरात में कितने नये स्थलों का पर्यटन के लिये विकास किया जा रहा है और उन पर कितना व्यय होने का अनुमान है;

(ख) जूनागढ़ में शेरों को देखने के लिए गत वर्ष कितने लोग गिर गये थे; और

(ग) क्या दर्शकों की संख्या गत दो वर्षों की तुलना में बढ़ रही है; सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने स्थलों का विकास किए जाने की सम्भावना है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) विभाग को चालू वर्ष में गुजरात में नए स्थलों का विकास करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

राज्य सरकार के अनुसार, 1984 के दौरान 27105 पर्यटकों ने गिर वन की यात्रा की; इस प्रकार पिछले दो वर्षों की तुलना में 88% और 91% की वृद्धि हुई।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में राज्य सरकार से परामर्श करते हुए गुजरात राज्य में अभिनिर्धारित किये गए 24 केन्द्रों में से कुछ केन्द्रों पर आधार-संरचनात्मक सुविधाएं शुरू की जाएंगी।

इस्लाम विकास बैंक का भारत के इस्लामी स्कूलों को वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव

2475. श्री बाला साहिब विखे पाटिल : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 जून, 1985 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर आकृष्ट हुआ है कि इस्लाम विकास बैंक ने भारत के इस्लामी स्कूलों को आगामी पांच वर्षों के लिए वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव किया है;

(ख) क्या सरकार ने मामले को स्पष्ट किया है अथवा क्या बैंक ने उससे इस विषय में पहले ही परामर्श कर लिया था;

(ग) क्या सरकार ने भारत में विभिन्न धार्मिक समुदायों के कल्याण/शिक्षण के लिए विदेशी एजेंसियों द्वारा अनुदान देने के सम्बन्ध में किसी नीति की घोषणा की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां श्रीमान।

(ख) से (घ) इस्लामिक विकास बैंक (आई० डी० बी०) जेदा ने भारत में कुछ मुस्लिम शिक्षण संस्थाओं को धन देने का प्रस्ताव किया है और इस प्रयोजन के लिए बैंक ने भारत के ग्यारह व्यक्तियों का एक केन्द्रीय पैनल बनाया है, इसकी सूचना इस मन्त्रालय में प्राप्त हुई थी। केन्द्रीय पैनल के पत्र व्यवहार की लागत और इसके सदस्यों की यात्रा के खर्चे को पूरा करने के लिए 5,000 पौण्ड देने की अनुमति के लिए आई० डी० बी० से एक अनुरोध भी प्राप्त हुआ था। विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम 1976 में दान दाताओं पर कोई शर्त नहीं लगी है किन्तु अधिनियम प्राप्त कर्त्ता एसोसिएशनों/संगठनों पर लागू होता है। प्राप्तकर्ता एसोसियेशनों/संगठनों के लिए या तो स्वयं को केंद्रीय सरकार के पास पंजीकृत करवाना अथवा विदेशी अंशदान की स्वीकृति के लिए पूर्व अनुमति मांगना आवश्यक है। तदनुसार, यह सलाह दी गई थी कि केन्द्रीय पैनल स्वयं को विदेशी अभिदान विनियमन अधिनियम के अधीन पंजीकृत करवाने और केन्द्रीय/क्षेत्रीय पैनल जिनको यह वित्तीय सहायता दिए जाने की आशा है, आई० डी० बी० जेदा से विदेशी अंशदान की स्वीकृति के लिए केवल ऐसी एसोसिएशनों/संस्थानों का पता लगाएं जो केन्द्रीय सरकार के पास पंजीकृत किए गए हों। अन्यथा, ऐसी ऐसोसिएशनों को पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी। मामला यहीं तक है।

"देश में अम्लीय प्रदूषण"

2474. श्री चिन्त मोहन : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में तेजी से बढ़ने वाले अम्लीय प्रदूषण के बारे में जानकारी है और यदि हां, तो क्या प्रभावी कदम उठाये गए हैं/उठाने का विचार है;

(ख) क्या भारत "सीमा पर लम्बी दूरी तक वायु प्रदूषण" के सम्बन्ध में हुए अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सहयोगी है;

(ग) क्या बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता और अन्य औद्योगिक क्षेत्र जैसे जमशेदपुर, बंगलौर, बोकारो, भिलाई आदि में वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है और यदि हां, तो उसके लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या एक लाख और उससे अधिक की आबादी वाले सभी शहरों की वायु प्रदूषण के सम्बन्ध में जांच की गई है, और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम प्राप्त हुये हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीर सेन) : (क) किए गए अध्ययनों के अनुसार, अम्लीय प्रदूषण का तेजी से बढ़ोतरी का कोई संकेत नहीं है।

(ख) जी नहीं।

(ग) कुल मिलाकर इन शहरों में प्रदूषण, निर्धारित सीमा में है। तथापि, औद्योगिकीय इलाकों में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां वायु प्रदूषण अधिक है। वायु प्रदूषण (निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 की प्रावधानों के अन्तर्गत आवश्यक निवारण एवं नियन्त्रण उपाय उठाये गए हैं।

(घ) जी नहीं।

छठी योजना के दौरान पश्चिम बंगाल का कार्य निष्पादन

2477. श्री भोलानाथ सेन : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नये बीस सूत्री कार्यक्रम में शामिल किए गए चार कार्यक्रमों अर्थात् समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम और भूमि सुधार के सम्बन्ध में छठी योजना के दौरान अन्य राज्यों के कार्य निष्पादन की तुलना में पश्चिम बंगाल सरकार का कार्य निष्पादन कैसा था; और

(ख) उपरोक्त भाग (क) सम्बन्धी स्थिति में राज्यों/संघशासी क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल का क्या दर्जा था ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) परिशोधित 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा 14-1-1982 को की गई थी और इसका कार्यान्वयन 1982-83 से शुरू किया गया था। इस प्रकार छठी पंचवर्षीय योजना के केवल तीन वर्षों अर्थात् 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के लिए सूचना उपलब्ध है। उक्त तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के सिवाय जिसकी सूचना केवल 1984-85 के लिए उपलब्ध है, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम और भूमि सुधार जो कि परिशोधित 20-सूत्री कार्यक्रम के भाग हैं, दूसरे राज्यों के मुकाबले पश्चिम बंगाल के निष्पादन से सम्बन्धित चार विवरण संलग्न हैं।

(ख) इन वर्षों के दौरान राज्यों में पश्चिम बंगाल का दर्जा निम्न प्रकार से है :

	1982-83	1983-84	1984-85
आई० आर० डी० पी०	21	15	7
एन० आर० ई० पी०	5	11	18
आर० एल० ई० जी० पी०	—	—	19
भूमि सुधार	9	12	15

विवरण-1

20-सूत्री कार्यक्रम – एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम

(आई० आर० डी० पी०)

(लाख परिवार)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य/क्षेत्र	1982-83			1983-84			1984-85		
		लक्ष्य	उपलब्धि	प्र० श०	लक्ष्य	उपलब्धि	प्र० श०	लक्ष्य	उपलब्धि	प्र० श०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	2.00	2.84	142.1	1.98	2.30	116.2	1.98	2.70	136.5
2.	असम	0.80	0.49	66.5	0.80	0.70	87.7	0.80	1.70	211.0
3.	बिहार	3.52	3.62	102.4	3.52	4.30	122.1	3.52	6.02	170.9
4.	गुजरात	1.30	1.64	126.2	1.31	1.55	118.9	1.31	1.53	117.3
5.	हरियाणा	0.62	0.94	150.9	0.56	0 88	157.2	0.56	0.81	144.8
6.	हिमाचल प्रदेश	0.41	0.48	110.5	0.41	0.43	104.3	0.41	0.42	102.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	जम्मू और कश्मीर	0.45	0.27	59.3	0.68	0.27	39.2	0.68	0.26	38.6
8.	कर्नाटक	0.85	1.78	187.9	1.35	1.97	145.7	1.05	1.83	173.9
9.	केरल	0.86	1.20	139.0	0.91	1.18	130.1	0.91	0.93	102.1
10.	मध्य प्रदेश	2.86	2.85	99.9	2.75	3.19	115.9	2.75	3.10	112.6
11.	महाराष्ट्र	2.37	2.20	92.7	1.78	2.19	123.6	1.78	1.95	109.6
12.	मणिपुर	0.16	0.08	52.2	0.12	0.06	53.9	0.12	0.11	93.6
13.	मेघालय	0.14	0.07	50.0	0.18	0.02	5.6	0.18	0.04	19.7
14.	नागालैण्ड	0.73	—	—	0.12	0.08	66.4	0.13	0.08	62.8
15.	उड़ीसा	1.88	2.05	109.1	1.88	2.13	113.3	1.88	2.14	113.6
16.	पंजाब	0.94	0.98	104.7	0.71	0.73	100.3	0.71	0.74	104.7
17.	राजस्थान	1.41	1.78	126.5	1.42	1.63	114.8	1.42	1.58	111.8
18.	सिक्किम	0.02	0.03	131.6	0.024	0.026	110.7	0.02	0.03	147.7
19.	तमिलनाडु	2.26	2.72	120.2	2.26	2.78	123.7	2.27	2.33	102.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	त्रिपुरा	0.10	0.05	50.0	0.14	0.10	100.0	0.10	0.06	60.0
21.	उत्तर प्रदेश	5.31	4.45	83.8	5.32	6.09	112.9	5.32	6.33	118.9
22.	पश्चिमी बंगाल	2.00	0.58	29.2	2.01	2.04	101.3	2.01	2.68	133.4
	जोड़ (संघ राज्य क्षेत्र)	0.50	0.47	94.4	0.34	0.29	85.3	0.36	0.36	100.0
	कुल जोड़	31.00	31.79	102.5	30.54	34.86	114.1	30.27	37.74	124.7

विवरण-2

20-सूत्री कार्यक्रम—राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

(एन० आर० ई० पी०)

(लाख श्रमदिवस)

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1982-83			1983-84			1984-85		
		लक्ष्य	उपलब्धि	प्र० श०	लक्ष्य	उपलब्धि	प्र० श०	लक्ष्य	उपलब्धि	प्र० श०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	325.0	336.08	103.4	298.5	228.9	76.7	235.0	277.6	118.2
2.	असम	80.0	41.0	51.3	65.7	56.7	85.9	58.4	88.7	152.0
3.	बिहार	484.0	399.11	82.5	405.5	368.5	90.8	430.0	50.6	117.8
4.	गुजरात	122.0	216.53	177.5	86.7	120.5	139.0	85.3	91.5	107.2
5.	हरियाणा	18.3	13.72	75.8	15.7	14.2	90.4	16.6	13.0	78.2
6.	हिमाचल प्रदेश	15.0	18.22	121.5	9.4	14.2	152.3	12.8	13.6	106.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	जम्मू और कश्मीर	26.0	10.90	41.9	18.0	8.8	48.8	22.0	10.8	49.3
8.	कर्नाटक	254.0	271.22	106.8	175.4	222.2	126.7	195.3	413.4	211.6
9.	केरल	75.0	107.32	143.1	121.3	105.7	87.2	134.0	148.5	110.8
10.	मध्य प्रदेश	262.9	224.85	85.5	252.0	257.1	102.0	200.0	219.8	109.9
11.	महाराष्ट्र	500.0	189.43	37.9	295.0	183.6	62.2	251.0	253.9	101.3
12.	मणिपुर	3.0	3.02	100.7	1.8	2.3	127.9	3.0	2.59	86.4
13.	मेघालय	2.8	2.28	81.4	4.8	0.35	7.3	3.04	1.58	52.0
14.	नागालैंड	3.4	2.70	79.4	1.5	4.7	313.3	4.3	2.4	55.8
15.	उड़ीसा	160.0	176.61	110.4	182.0	132.3	72.7	175.0	158.4	90.3
16.	पंजाब	52.0	28.29	54.5	27.5	17.4	63.5	15.24	17.06	111.9
17.	राजस्थान	31.2	48.13	154.3	67.8	67.4	99.4	61.1	97.7	159.9
18.	सिक्किम	1.9	2.14	112.6	0.9	3.3	365.5	3.5	2.63	75.1
19.	तमिलनाडु	196.0	474.75	242.2	305.0	341.3	111.5	325.0	366.7	112.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	त्रिपुरा	13.6	12.32	90.6	9.9	11.4	115.4	16.5	3.4	20.7
21.	उत्तर प्रदेश	660.0	343.38	52.0	550.4	414.7	75.4	495.3	512.8	103.3
22.	पश्चिमी बंगाल	237.0	309.54	136.6	311.0	285.0	91.6	332.5	211.5	63.7
	जोड़ (संघ राज्य क्षेत्र)	9.0	11.85	128.0	9.5	17.8	187.0	16.2	19.9	123.4
	कुल जोड़ :	3532.4	3315.88	93.9	3215.5	2879.2	89.5	3091.3	3434.5	111.1

विवरण-3

20-सूत्री कार्यक्रम

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम

(000 श्रम दिवस)

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1984-85 लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत
1.	आंध्र प्रदेश	23111	19900	86.1
2.	असम	6338	3566	56.3
3.	बिहार	39215	33094	84.4
4.	गुजरात	9371	8213	98.1
5.	हरियाणा	1535	612	39.9
6.	हिमाचल प्रदेश	1703	1507	88.5
7.	जम्मू और कश्मीर	1731	524	30.3
8.	कर्नाटक	16916	17844	105.5
9.	केरल	10792	4606	40.8
10.	मध्य प्रदेश	24376	23218	95.3
11.	महाराष्ट्र	30984	31484	101.6
12.	मणिपुर	255	369	147.7
13.	मेघालय	433	शून्य	—
14.	नागालैण्ड	—	—	—
15.	उड़ीसा	17560	6751	38.4
16.	पंजाब	2041	2095	102.6
17.	राजस्थान	6222	6611	106.3
18.	सिक्किम	204	43	21.1
19.	तमिलनाडु	29816	31443	105.0
20.	त्रिपुरा	967	626	64.7
21.	उत्तर प्रदेश	45634	50562	110.8
22.	पश्चिमी बंगाल	30102	8000	26.6
	जोड़ : संघ राज्य क्षेत्र	1605	1040	63.0
	कुल जोड़ : (राज्य और संघ राज्य क्षेत्र)	300000	251913	84.0

विवरण-4

20-सूत्री कार्यक्रम

भूमि सुधार

"000 एकड़"

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1982-83			1983-84			1984-85		
		लक्ष्य	उपलब्धि	प्र० श०	लक्ष्य	उपलब्धि	प्र० श०	लक्ष्य	उपलब्धि	प्र० श०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	12.6	22.5	178.6	71.8	13.1	18.2	50.0	22.2	44.3
2.	असम	87.4	8.0	9.2	11.0	20.3	184.8	11.0	11.2	101.8
3.	बिहार	54.1	8.3	15.3	25.0	22.7	90.7	27.8	20.4	73.1
4.	गुजरात	42.6	14.3	33.6	10.0	29.0	290.0	12.0	12.9	107.9
5.	हरियाणा	4.2	3.1	74.8	3.5	2.3	66.1	2.0	2.9	145.5
6.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	जम्मू और कश्मीर	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8.	कर्नाटक	114.0	97.6	85.6	55.0	6.3	11.5	7.0	6.7	94.9
9.	केरल	2.5	2.6	103.6	5.0	2.2	43.7	3.0	3.6	119.7
10.	मध्य प्रदेश	58.6	8.1	13.7	15.0	5.4	35.9	8.0	2.0	25.0
11.	महाराष्ट्र	0.6	0.4	70.0	9.9	7.4	74.7	10.0	13.2	132.0
12.	मणिपुर	—	—	—	0.4	0.3	72.7	0.3	0.35	138.0
13.	मेघालय	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14.	नागालैंड	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15.	उड़ीसा	32.7	8.4	25.7	8.7	10.9	124.1	9.0	9.6	106.6
16.	पंजाब	11.4	5.5	48.6	2.0	2.7	134.5	0.9	1.0	110.8
17.	राजस्थान	10.0	17.8	178.0	12.0	24.6	205.1	12.0	24.1	200.7
18.	सिक्किम	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19.	तमिलनाडु	10.0	11.9	119.0	10.0	11.4	114.7	5.0	5.1	101.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	त्रिपुरा	0.2	0.3	160.0	0.2	0.09	45.0	0.1	0.11	110.0
21.	उत्तर प्रदेश	16.6	4.8	29.1	5.0	6.9	138.2	6.0	5.0	90.0
22.	पश्चिमी बंगाल	38.9	23.6	60.6	38.9	24.9	56.3	35.0	17.8	50.8
	जोड़ : संघ राज्य क्षेत्र	3.3	7.0	20.9	0.7	0.6	85.5	0.6	0.2	33.3
	कुल जोड़ : (राज्य और संघ राज्य क्षेत्र)	530.7	253.0	47.7	284.2	190.1	67.7	198.7	158.3	79.6

दक्षिण कोरिया के साथ समझौते

2478. **श्री मानवेन्द्र सिंह** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण कोरिया के विदेश मन्त्री की हाल की यात्रा के दौरान दक्षिण कोरिया के साथ कृषि उत्पाद, इंजीनियरिंग के सामान, कपड़ा सामग्री आदि के सम्बन्ध में कोई समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) कोरिया गणराज्य (दक्षिण कोरिया) के विदेश मन्त्री की हाल की यात्रा के दौरान कृषि उत्पाद, इंजीनियरी के सामान, कपड़ा आदि के सम्बन्ध में कोई करार सम्पन्न नहीं हुआ था।

प्रदूषण नियन्त्रण उपायों का कार्यान्वयन

2479. **श्री अनादि चरण दास** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सुनिश्चित करने हेतु कि प्रदूषण नियन्त्रण उपायों का सख्ती से कार्यान्वयन किया जाता है, क्या कदम उठाए गए हैं, और इस प्रयोजन के लिए राज्यों को कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है; और

(ख) नदियों के किनारे बसे शहरों और महत्त्वपूर्ण मन्दिरों के परिसरों में स्थित सरोवरों/तालाबों को जल प्रदूषण नियन्त्रण के अन्तर्गत लाने के लिए क्या उपाय किये गए हैं और कटक तथा जाजपुर शहरों के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीर सेन) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केरल में प्रदूषित वातावरण

2480. **श्री सुरेश कुरुप** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल में त्रिवेन्द्रम उद्योग मण्डल और कोचीन के वायु मण्डल में कार्बन मोनो आक्साइड, कार्बन डाइआ क्साइड और सल्फ्यूरिक गैसों की प्रतिशतता क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीर सेन) : विशिष्ट स्थानों पर वातावरण में केवल सल्फर डाईआक्साइड के सम्बन्ध में ही अनुमान लगाया गया है। उद्योग मण्डल में सल्फर डाईआक्साइड संकेन्द्रणों की अधिकतम प्रतिदिन औसत की मात्रा-44 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर तथा एर्नाकुलम, कोचीन में 23 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर है। त्रिवेन्द्रम के सम्बन्ध में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

विदेशों से हैलीकाप्टर किराये पर लेना

2481. **श्री अनादि चरण दास** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान तेल खोज और अन्य प्रयोजनों के लिए (अलग-अलग) हैलीकाप्टर किराए पर लेने हेतु विदेशों को कुल कितनी धनराशि का भुगतान किया गया; और

(ख) हैलीकाप्टरों की खरीद / निर्माण के लिए क्या कार्यवाही की गई है / करने का विचार है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के बेरोजगार उम्मीदवारों की प्रतियोगी परीक्षा के लिए शिक्षा देना

2482. **श्री अनादि चरण दास** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सामान्य रूप से और उड़ीसा जैसे पिछड़े राज्यों को विशेष रूप से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को विभिन्न प्रतियोगी भर्ती/प्रवेश परीक्षाओं के लिए शिक्षा देने/तैयारी कराने के लिए कितनी सहायता दी जाती है और इस बारे में गत तीन वर्षों के आंकड़े क्या हैं तथा भावी योजना क्या है ?

(ख) क्या सरकार का विचार उड़ीसा में, विशेषकर उड़ीसा में आरक्षित संसदीय चुनाव क्षेत्रों से आरम्भ करके वर्तमान हाई स्कूलों का उपयोग करने तथा उक्त समुदायों के व्यक्तियों को इस प्रकार का प्रशिक्षण देने के लिए कुछ अध्यापकों को अंशकालिक भत्ता देकर उन्हें इस कार्य के लिए प्रशिक्षित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों के इन समुदायों के व्यक्तियों को जिनकी वित्तीय हालत के कारण शहर जाकर इस प्रकार का पूर्व प्रशिक्षण प्राप्त करने में बहुत दिक्कतें आती हैं; प्रशिक्षण देने सम्बन्धी भावी योजना क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) गृह मन्त्रालय के "अनुशिक्षण तथा सम्बद्ध योजना" के केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोगों और अन्य भर्ती निकायों द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं/चयन परीक्षाओं के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को तैयार करने के लिए देश के विभिन्न भागों में परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र खोले गए हैं। इन केन्द्रों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को निःशुल्क अनुशिक्षण देने के अतिरिक्त

भोजन तथा आवास के खर्चे आदि पूरा करने के लिए उनको वजीफा दिया जाता है। मार्च, 1982 में 46 और मार्च, 1981 में 30 के मुकाबले इस समय ऐसे केन्द्रों की संख्या 60 से अधिक है। विद्यमान केन्द्रों में से 2 केन्द्र उड़ीसा राज्य में स्थित हैं।

(ख) जी नहीं, श्रीमान।

(ग) प्रश्न नहीं उठता। नये केन्द्र स्थापित करने के प्रस्तावों पर क्षेत्र की आवश्यकता और आवश्यक मूल संरचनात्मक सुविधा की उपलब्धता के अनुसार विचार किया जाता है।

[हिन्दी]

होमगार्ड संगठन का पुनर्गठन

2483. **श्री लालाराम केन** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागरिक सुरक्षा संगठन उन उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सका है जिसके लिए इसकी स्थापना की गई थी;

(ख) क्या नागरिक सुरक्षा/होमगार्ड संगठन की रचना एक राज्य में दूसरे राज्य से भिन्न है;

(ग) क्या सरकार इस संगठन को भंग अथवा पुनर्गठित करना चाहती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी नहीं श्रीमान्।

(ख) जहां तक नागरिक सुरक्षा संगठन का सम्बन्ध है, यह पूरे देश में एक जैसा है क्योंकि इसका प्रबन्ध केन्द्रीय नागरिक रक्षा अधिनियम, 1968 के द्वारा किया जाता है। इसके विपरीत होमगार्ड संगठन भिन्न-भिन्न राज्य सरकारों के राज्य होमगार्ड अधिनियमों द्वारा संचालित किए जाते हैं। इसलिए इस संगठन में कुछ मामूली भिन्नताएं हैं।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

विदेशी विमान कम्पनियों द्वारा अदा किया गया यात्री शुल्क/कर

2484. **श्री भोलानाथ सेन** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में हवाई अड्डों पर उतरने वाली विदेशी एयर लाइनों को यात्री फीस/कर/अथवा अन्य प्रभार अदा करने होते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत में विभिन्न हवाई अड्डों से यातायात की उड़ान के लिए एयरोफ्लॉट बंगलादेश विमान और अन्य विदेशी विमान कम्पनियों द्वारा अदा किए गए यात्री शुल्क/कर और/अथवा अन्य प्रभारों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) किसी विदेशी विमान कम्पनी के मामले में यदि कोई छूट/रियायत दी जाती है तो क्या है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) भारत में विमान क्षेत्रों पर अवतरण करने वाली सभी विदेशी एयर लाइनों को अवतरण, पार्किंग, हाउसिंग और मार्ग दिक्चालन सुविधा प्रभारों का भुगतान करना पड़ता है परन्तु उन्हें कोई यात्री सेवा शुल्क नहीं देना पड़ता है।

(ख) सूचना देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) किसी भी विदेशी एयरलाइन्स को कोई रियायत/छूट नहीं दी जाती है।

विवरण

I. **अवतरण प्रभार**

(क) **बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास स्थित अन्तर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्रों पर**

(विमान का कुल भार)	(प्रत्येक अवतरण के लिए प्रभार)
10,000 किलो ग्राम से अनधिक	29 रुपये 40 पैसे प्रति 100 किलोग्राम
10,000 किलोग्राम से अधिक परन्तु 20,000 किलो से अनधिक	294 रु० और 10,000 किलो से अधिक प्रति 1000 किलो पर 43 रुपये 75 पैसे
20,000 किलो से अधिक परन्तु 50,000 किलो से अनधिक	731 रु० 50 पैसे और 20,000 किलो से अधिक प्रयेत्क 1000 किलो पर 87 रुपए 45 पैसे
50,000 किलो से अधिक परन्तु 100,000 किलो से अनधिक	3355 रुपए तथा 50,000 किलो से अधिक प्रति 1000 किलो पर 102 रुपये
100,000 किलो से अधिक	8455 रुपये तथा 100,000 किलो से अधिक प्रति 1000 किलो के लिए 116 रुपये 45 पैसे

(ख) अन्य विमान-क्षेत्र

10,000 किलो से अनधिक	18 रुपए 50 पैसे प्रति 1000 कि० ग्राम
10,000 किलो से अधिक परन्तु 20,000 किलो से अनधिक	185 रु० तथा 10,000 कि० ग्राम से अधिक प्रति 1000 कि० ग्राम के लिए 27 रुपए 80 पैसे
20,000 किलो ग्राम से अधिक परन्तु 50,000 कि० ग्राम से अनधिक	463 रु० तथा 20,000 कि० ग्राम से अधिक प्रति 1000 कि० ग्राम के लिए 55 रु० 55 पैसे
50,000 किलो ग्राम से अधिक परन्तु 100,000 कि० ग्रा० से अनधिक	2129 रु० 50 पैसे तथा 50,000 कि० ग्रा० से अधिक प्रति 1000 कि० ग्रा० के लिए 64 रु० 80 पैसे
100,000 कि० ग्रा० से अधिक	5369 रु० 50 पैसे तथा 100,000 कि० ग्रा० से अधिक प्रति 1000 कि० ग्राम के लिए 74 रु० 5 पैसे

II. हाउसिंग प्रभार

(क) बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता तथा मद्रास स्थित अन्तर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र

1. 40,000 कि० ग्रा० तक	1 रुपया प्रति घण्टा प्रति 1000 किलो ग्राम
2. 40,000 किलो ग्राम से अधिक परन्तु 100,000 किलो ग्राम से अनधिक	40 रुपए तथा 40,000 किलो ग्राम से अधिक प्रति 1000 किलो ग्राम के लिए प्रति घण्टा 2 रुपए
3. 100,000 किलो ग्राम से अधिक	160 रुपए तथा 100,000 किलो ग्राम से अधिक प्रति 1000 कि० ग्रा० के लिए 3 रुपए प्रति घण्टा।

(ख) अन्य विमान-क्षेत्र

40,000 किलो ग्राम तक	1.00 रुपया प्रति घण्टा 1,000 किलो ग्राम
40,000 रुपए से अधिक परन्तु 100,000 से अनधिक किलो ग्राम	40 रुपए तथा 40,000 किलो ग्राम से अधिक प्रति 1,000 किलो ग्राम के लिए प्रति घण्टा 2/- रु०
100,000 कि० ग्रा० से अधिक	160.00 तथा 100,000 कि० ग्राम से अधिक प्रति 1,000 किलो ग्राम के लिए प्रति घण्टा 3/- रु०

III. पार्किंग प्रभार

(क) बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास स्थित अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन

जब विमान को खुले स्थान पर पार्किंग किया जाए तो ऊपर II (क) में निर्दिष्ट हाउसिंग प्रभार के आधा वसूल किया जाएगा। तथापि शुरू के तीन घण्टों के लिए कोई पार्किंग प्रभार नहीं वसूल किया जाएगा। सम्पर्क वाले स्टैण्डों पर निःशुल्क पार्किंग के पहले 3 घण्टों के बाद अगले दो घंटों के लिए सामान्य पार्किंग प्रभार की वसूली की जाएगी। पार्किंग के 5 घण्टों के बाद प्रभार सामान्य प्रभार से दुगने होंगे।

(ख) अन्य विमान-क्षेत्र

6 घण्टे के निःशुल्क पार्किंग के बाद 2 (ख) में निर्दिष्ट हाउसिंग प्रभार के आधा।

I. मार्ग दिक्चालन सुविधाएं प्रभार

बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास स्थित अन्तर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र कलकत्ता और मद्रास

(विमान का कुल भार)	(प्रत्येक अवतरण के लिए प्रभार)
1	2
2,000 कि० ग्रा० से अनधिक	रु० 30/-
2,000 कि० ग्रा० से अधिक किन्तु 5,000 कि० ग्रा० से अनधिक	रु० 75/-

1	2
5,000 कि० ग्रा० से अधिक किन्तु 10,000 कि० ग्रा० से अधिक	रु० 285/-
10,000 कि० ग्रा० से अधिक किन्तु 15,000 कि० ग्रा० से अनधिक	रु० 450/-
15,000 कि० ग्रा० से अधिक किन्तु 30,000 कि० ग्रा० से अनधिक	रु० 938/- .
30,000 कि० ग्रा० से अधिक किन्तु 60,000 कि० ग्रा० से अनधिक	रु० 1688/-
60,000 कि० ग्रा० से अधिक किन्तु 100,000 कि० ग्रा० से अनधिक	रु० 3375/-
100,000 कि० ग्रा० से अधिक किन्तु 165,000 कि० ग्रा० से अनधिक	रु० 4200/-
165,000 कि० ग्रा० से अधिक	रु० 4600/-
(ख) अन्य विमान-क्षेत्र	
2,000 कि० ग्रा० से अनधिक	रु० 10/-
2,000 कि० ग्रा० से अधिक किन्तु 5,000 कि० ग्रा० से अनधिक	रु० 25/-
5,000 कि० ग्रा० से अधिक किन्तु 10,000 कि० ग्रा० से अनधिक	रु० 95/-
10,000 कि० ग्रा० से अधिक किन्तु 15,000 कि० ग्रा० से अनधिक	रु० 150/-
15,000 कि० ग्रा० से अधिक किन्तु 30,000 कि० ग्रा० से अनधिक	रु० 342·50

1	2
30,000 कि० ग्रा० से अधिक किन्तु 60,000 कि० ग्रा० से अनधिक	रु० 562.50
60,000 कि० ग्रा० से अधिक किन्तु 100,000 कि० ग्रा० से अनधिक	रु० 1125.00
100,000 कि० ग्रा० से अधिक किन्तु 165,000 कि० ग्रा० से अनधिक	रु० 1400.00
165,00 कि० ग्रा० से अधिक	रु० 2000.00

भारत में पोलिश एयरलाइन्स "लाट" सेवा को फिर से शुरू करना

2485. श्री भोला नाथ सेन : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में पोलिश एयरलाइन्स "लाट" सेवा को फिर से शुरू करने तथा दमदम हवाई अड्डे पर उतरने के समझौते की शर्तों पर बातचीत करने के लिए पोलैंड सरकार के उच्चाधिकार प्राप्त शिष्टमण्डल ने हाल ही में भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) उक्त समझौते को अन्तिम रूप न दिये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) पोलिश अधिकारियों के सुझाव क्या थे; और

(ङ) इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, नहीं। तथापि, पोलिश एयरलाइन्स "लाट" से एक प्रतिनिधिमण्डल ने 25-26 जुलाई, 1985 को एयर इंडिया के साथ एयरलाइन्स-स्तर पर बातचीत करने के लिए बम्बई का दौरा किया था।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

विज्ञान संग्रहालय की स्थापना

2486. श्री बाला साहेब विखे पाटिल : क्या संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की यह नीति है कि युवकों में विज्ञान की शिक्षा/ज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए जिला मुख्यालयों में विज्ञान संग्रहालय स्थापित किए जाएं; और

(ख) सातवीं योजना में बनाई गई योजनाओं के अनुसार महाराष्ट्र में ऐसे कितने संग्रहालय स्थापित किये जाएंगे ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् (एक स्वायत्त संगठन) की विभिन्न जिला मुख्यालयों में विज्ञान संग्रहालयों की स्थापना की एक नीति है, जो निधि की उपलब्धता पर निर्भर है।

(ख) सातवीं योजना के दौरान नागपुर में एक विज्ञान संग्रहालय की स्थापना का प्रस्ताव है।

31 मार्च, 1979 से पूर्व के सेवानिवृत्तों की पेंशन के मामलों का निपटारा

2487. **श्री विजय कुमार मिश्र**
श्री एस० एम० गुरड्डी : क्या प्रधान मन्त्री 31 मार्च, 1979 से पूर्व सेवानिवृत्तों की पेंशन के मामलों का निपटारा के बारे में 3 मई, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5224 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए 31 मार्च, 1985 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या वर्तमान सेवानिवृत्त कर्मचारी केन्द्रीय सरकार के पेंशन भोगी की परिभाषा के अन्तर्गत आते हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार 10 वर्ष के बाद संराशिकृत पेंशन को बहाल करने का है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जो सरकारी कर्मचारी 31-3-1979 को या इसके बाद सेवानिवृत्त हुए हैं उनकी पेंशन पहले से ही, 1-4-1979 से लागू किये गये उदारीकृत पेंशन फार्मूले के अधीन आती है। इसलिए, इनकी हकदारी की गणना करने के लिए अलग से कोई प्रक्रिया निर्धारित नही की गई है, जैसा कि 31 मार्च, 1979 से पहले के पेंशन भोगियों के मामले में आवश्यक थी।

(ख) जी, हां।

(ग) यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

हिन्द महासागर के मामले पर अमरीका नेताओं के साथ चर्चा

2488. **श्री भोला नाथ सेन** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही के संयुक्त राज्य अमरीका के दौरे के समय और अमरीका नेताओं के साथ हुई बैठकों में प्रधान मन्त्री ने हिन्द महासागर में सैन्यीकरण और हमारे पड़ोस में अति आधुनिक हथियारों के जमा होने के सम्बन्ध में अपने विचारों को स्पष्ट किया था।

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अमरीका सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) अमरीका हिन्द महासागर में अपनी स्थिति को बड़ी शक्तियों के सन्दर्भ में प्रस्तुत करता है। जहां तक हमारा सम्बन्ध है हमने अपने पड़ोस में यह प्रतिद्वन्दिता शुरू होने पर चिन्ता व्यक्त की है। हमें इस क्षेत्र में सैनिक अड्डों की स्थापना के प्रति आशंका है और हिन्द महासागर के सैन्यीकरण का और अपने पड़ोस में अत्युन्नत हथियार आने का हम पर सीधा दुष्प्रभाव पड़ता है। हमने अमरीकी प्रशासन को बताया है कि पाकिस्तान को अत्युन्नत हथियारों की सप्लाई की वजह से विकास के लिए पहले से ही अल्प-मात्रा में उपलब्ध संसाधनों को अन्यत्र लगाना पड़ता है और इससे हथियारों की होड़ पनपती है।

स्थानीय खरीदारी केन्द्रीय भण्डार से करने सम्बन्धी आदेशों का वापस किया जाना

2489. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1981 में जारी किए गये आदेश, जिनके अन्तर्गत सरकारी कार्यालयों के लिए केन्द्रीय भण्डार से लेखन सामग्री, बिजली और सेनेटरी का सामान और अन्य आवश्यक वस्तुएं खरीदना अनिवार्य था, वापस ले जाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और क्या इस निर्णय को सभी मंत्रालयों का अनुमोदन प्राप्त है, जिन्होंने सभी स्थानीय खरीदारी केन्द्रीय भण्डार के माध्यम से करने का निर्णय किया था;

(ग) क्या उक्त भंडार से लेखन सामग्री की खरीदारी बन्द कर दिये जाने से समिति को भारी नुकसान होगा; और

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त भंडार से उच्च वस्तुओं की खरीदारी बन्द करने सम्बन्धी निर्णय का पुनरीक्षण करने और केन्द्रीय भंडार के कार्यकरण को सुधारने का कोई प्रस्ताव है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) यह प्रश्न ही नहीं उठते।

तथापि केन्द्रीय भण्डार ने अपने व्यापारिक कार्यकलापों की पुनरीक्षा करने के बाद उन्हें सुचारू रूप देने का निर्णय किया है तथा अपेक्षतया कम मूल्य की कुछ मदों की बिक्री बन्द कर दी है।

रहस्यमय परिस्थितियों में हुई महिलाओं की मृत्यु की जांच करने के बारे में आदेश

2490. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने विवाह के पांच वर्षों के भीतर रहस्यमय परिस्थितियों में मरने वाली प्रत्येक महिला की मृत्यु की जांच के लिए पुलिस को आदेश जारी कर दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि उन आदेशों का उल्लंघन किया जा रहा है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) महिलाओं के प्रति अपराधों को रोकने के अभियान के रूप में युवा विवाहित महिलाओं को अप्राकृतिक मृत्यु के सभी मामलों में उठाये जाने वाले कदमों के बारे में 22-7-1980 को सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को विस्तृत अनुदेश जारी किये गये थे। इन अनुदेशों के अनुसार राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को युवा विवाहित महिलाओं के विवाह के प्रथम पांच वर्षों के दौरान उनके आत्महत्या के प्रयास अथवा संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु के सभी मामलों को गम्भीर समझने की जरूरत है। ऐसे सभी मामलों की कम से कम पुलिस उप-अधीक्षक के पद के अधिकारियों द्वारा जांच-पड़ताल करनी जरूरी है। जहां शव-परीक्षा की जाती है, वहां यह अपेक्षित है कि यह दो डाक्टरों के एक दल द्वारा की जाए। पुलिस से "अनापत्ति प्रमाण पत्र" के बिना शव का दाह संस्कार न किया जाये। पुलिस को "अनापत्ति प्रमाण पत्र" तब तक नहीं देना है जब तक शव को वधु के माता-पिता अथवा संरक्षक अथवा उसके परिवार पक्ष के निकट संबंधियों द्वारा न देख लिया जाए। उपर्युक्त पांच वर्ष की अवधि को बाद में 13-8-1982 को बढ़ाकर दस वर्ष कर दिया गया था।

चूंकि "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में हैं,

इसलिए अपराधों से संबंधित कानून लागू करना राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों का उत्तरदायित्व है।

[हिन्दी]

बम्बई में लीला पेन्टा होटल

2491. **श्री विष्णु मोदी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बम्बई में विदेशी पूंजी से लीला पेन्टा होटल के निर्माण हेतु मैसर्स होटल लीला वेन्चर लिमिटेड से एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था;

(ख) यदि हां, तो क्या होटल के प्रबंधकों ने होटल की ऊंचाई नियत करने के लिए सरकार से अनुरोध किया था;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि सरकार ने होटल की ऊंचाई के बारे में होटल के प्रबंधकों के साथ किये गये निर्णय के विपरीत आदेश जारी किये हैं कि होटल की ऊंचाई को पहले नियत की गई ऊंचाई से कम रखा जाए;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(च) क्या सरकार इस विषय पर पुनर्विचार कर रही है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, हां। होटल के मैनेजमेंट ने होटल की ऊंचाई माध्य समुद्र-तल (मीन सी लेवल) से अधिक 154' तक होटल की ऊंचाई निश्चित करने के लिए सरकार से अनुरोध किया था।

(घ) से (च) जी नहीं। आरंभ में मार्च, 1985 में महानिदेशक नागर विमानन ने माध्य समुद्र-तल से अधिक 114.7 तक की ऊंचाई तक होटल निर्माण करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया था। परन्तु इसके बाद, विलम्ब से प्राप्त अभ्यावेदन के आधार पर और उपलब्ध ताजी सूचना को ध्यान में रखते हुए, मामले की पुनः जांच की गई और माध्य समुद्र-तल से अधिक 147' की ऊंचाई तक होटल के निर्माण करने की अनुमति प्रदान करते हुए 'अनापत्ति" प्रमाण-पत्र 1 अगस्त 1985 को जारी किया गया।

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों आयुक्त का पद

2492. **श्री गंगा राम :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त का पद 1 नवम्बर 1981 से रिक्त पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो किन परिस्थितियों के अन्तर्गत अब तक इस पद को नहीं भरा गया है; और

(ग) आयुक्त, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, भारत सरकार के 1981-82, 1982-83 और 1983-84 वर्षों के प्रतिवेदन यदि सरकार को पेश किये गये थे तो उनको संसद के सभा पटल पर न रखे जाने के विशिष्ट कारण क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) दिनांक 23 नवम्बर 1981 को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आयुक्त के पद के पिछले पदधारक के सेवानिवृत्त होने के बाद सरकार ने आवश्यक कार्रवाई शुरू की। सरकार ने अब इस पद के लिए योग्य व्यक्ति का चुनाव कर लिया है और उन्होंने पद भार संभालना स्वीकार कर लिया है। वे शीघ्र ही पदभार संभाल लेंगे।

(ग) प्रतिवेदन प्रस्तुत करने तथा इन्हें सभा पटल पर रखने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि नवम्बर 1981 से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई आयुक्त नहीं है।

आतंकवादियों द्वारा सीमा पार करने के बारे में पाकिस्तान से बातचीत

2493. **श्री सुधीर राय :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान को यह बताया गया है कि 1 जनवरी 1985 के बाद 33 आतंकवादियों को सीमा पार करते हुए सीमा सुरक्षा बल ने गिरफ्तार किया है;

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तान का इस बारे में क्या उत्तर है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस मुद्दे पर पाकिस्तान से बात-चीत करने का है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) उग्रवादियों को पाकिस्तान द्वारा सहायता दिए जाने के सम्बन्ध में सरकार ने पाकिस्तान को विभिन्न अवसरों पर

अपनी चिन्ता से अवगत कराया है। लेकिन तथ्य विपरीत ही है और उनका उत्तर संतोष-जनक नहीं है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय एकता परिषद् का पुनर्गठन

2494. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की वर्तमान एकता परिषद् के सदस्यों के नाम क्या हैं और गत दो वर्षों के दौरान उसकी कितनी बैठकें हुई और उनमें क्या निर्णय लिए गए; और

(ख) क्या सरकार का विचार उसका पुनर्गठन करने और इसमें प्रतिष्ठित विद्वानों, विभिन्न धर्मों के विद्वानों, युवा दलों के नेताओं आदि को शामिल करने का है जिससे कि यह प्रभावी भूमिका अदा कर सके ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) वर्तमान राष्ट्रीय एकता परिषद जो 1980 में पुनर्गठित की गई थी के सदस्यों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है। परिषद के पुनर्गठन पर सरकार इस समय विचार कर रही है।

राष्ट्रीय एकता परिषद, की बैठक पिछले दो वर्षों के दौरान, एक बार, 21 जनवरी, 1984 को नई दिल्ली में हुई थी। इस बैठक में परिषद ने सभी प्रकार की हिंसा और विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों के प्रति हिंसा की एकमत से निन्दा की थी। परिषद ने, प्रेस से मामलों की रिपोर्टिंग में संयम बरतने और इस संबंध में अधिक रचनात्मक भूमिका निभाने का अनुरोध किया। इस बात पर भी सहमति हुई कि सभी राज्यों को साम्प्रदायिक सौहार्दता के मध्य विरोधियों का पता लगाना चाहिए और इस प्रकार के विरोधियों के उन्मूलन के लिए उपाय करने चाहिए। शिक्षा और जन-संचार माध्यमों के मार्फत राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय एकता की भावना लोगों के मन में बैठाने पर विशेष जोर दिया गया।

विवरण

राष्ट्रीय एकता परिषद के सदस्यों की सूची

1. प्रधान मंत्री (अध्यक्ष)

केन्द्रीय मन्त्री

2. गृह मन्त्री
3. शिक्षा मंत्री

4. सूचना और प्रसारण मंत्री

राज्यों के राज्यपाल और मुख्य मंत्री

5. मुख्य मंत्री, असम
6. मुख्य मन्त्री, मध्य प्रदेश
7. मुख्य मन्त्री, महाराष्ट्र
8. मुख्य मन्त्री, मेघालय
9. मुख्य मन्त्री, हरियाणा
10. गवर्नर, पंजाब
11. मुख्य मन्त्री, केरल
12. मुख्य मन्त्री, राजस्थान
13. मुख्य मन्त्री, पश्चिमी बंगाल
14. मुख्य मन्त्री, नागालैंड
15. मुख्य मन्त्री, उड़ीसा
16. मुख्य मन्त्री, बिहार
17. मुख्य मन्त्री, तमिलनाडु
18. मुख्य मन्त्री, जम्मू व कश्मीर
19. मुख्य मन्त्री, गुजरात
20. मुख्य मन्त्री, आन्ध्र प्रदेश
21. मुख्य मन्त्री, सिक्किम
22. मुख्य मन्त्री, त्रिपुरा
23. मुख्य मन्त्री, कर्नाटक
24. मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश
25. मुख्य मन्त्री, उत्तर प्रदेश
26. मुख्य मन्त्री, मणिपुर

राजनैतिक पार्टियों के नेता

27. श्री चित्त बसु (फार्वर्ड ब्लाक)
28. श्री त्रिदिब चौधरी (रिवोल्यूशनरी समाजवादी पार्टी)

*29. श्री वाई० बी० चव्हाण, कांग्रेस (यू०)—बाद में कांग्रेस (आई)

30. श्री एम० करुणानिधि (डी० एम० के०)

*31. श्री बी० डी० खोबरागडे (रिपब्लिक पार्टी आफ इन्डिया)

32. श्री इब्राहिम सुलेमान सेट (मुस्लिम लीग)

33. श्री चन्द्र शेखर, (जनता पार्टी)

34. श्री चरण सिंह (लोक दल)

35. श्री अटल बिहारी वाजपेयी (भारतीय जनता पार्टी)

36. श्री जगजीवन राम, (कांग्रेस जे०)

37. श्री योगेन्द्र शर्मा, (भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी)

38. श्री के० सी० पन्त (अब केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री)

प्रमुख व्यक्ति

39. बेगम आबिदा अहमद

40. फ्रेंक अन्थोनी

41. श्री एस० ए० डांगे

42. श्री होकिश सेमा

43. श्री कृष्ण कृपलानी

44. फील्ड मार्शल एस० एच० एफ० जे० माणेकशा

45. स्वामी रंगनाथन

46. श्री स्वर्ण सिंह

47. कर्नल बी० एच० जेदी

व्यापारिक उद्योगों के प्रतिनिधि

48. श्री के० के० बिरला

49. श्री जे० आर० डी० टाटा

आयोगों के अध्यक्ष

50. चेयरमैन, अल्पसंख्यक आयोग

51. चेयरमैन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग।

52. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त।

53. अध्यक्ष अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग

प्रसिद्ध शिक्षा विद

54. श्री एस० हमीद

55. श्री सतीश चन्द्र

56. श्री हरि डांग*

(*अब इनकी मृत्यु हो चुकी है)

[अनुवाद]

भारत-ब्रिटेन के बीच हुई बैठक के परिणाम

2495. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वव्यापी आतंकवाद और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय और द्विपक्षीय सम्बन्धों और दक्षिण एशियाई क्षेत्रों की स्थिति पर चर्चा करने के लिए पिछले महीने लंदन में भारत-ब्रिटेन की एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो चर्चा के क्या परिणाम रहे ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां। भारत और यू० के० के विदेश सचिवों ने 18 और 19 जुलाई, 1985 को लंदन में बातचीत की और उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय और द्विपक्षीय मामलों पर विचार-विमर्श किया।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय और द्विपक्षीय मामलों पर विचारों का सामान्य आदान-प्रदान किया गया था। यू० के० में उग्रवादियों की बढ़ती हुई भारत विरोधी गतिविधियों के बारे में भारत की चिन्ता की ओर ब्रिटिश प्राधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया गया। ब्रिटिश प्राधिकारियों ने कहा है कि वे इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने की ईमानदारी से भरपूर कोशिश करेंगे।

[हिन्दी]

एयर इंडिया विमान "कनिष्क" के मलबे का मिलना

2496. **श्री काली प्रसाद पांडेय**
श्री कमल नाथ } : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दुर्घटनाग्रस्त भारतीय विमान "कनिष्क" के "ब्लैक बाक्स" और अब तक प्राप्त अन्य उपकरणों, अब तक प्राप्त किए गए मलबे और अभी प्राप्त किए जाने वाले मलबे का ब्योरा क्या है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : काकपिट वायस रिकार्डर एवं फ्लाइट डाटा रिकार्डर समुद्र से निकाल लिए गए हैं। मलबे के हल्के हिस्से मुख्य रूप से हानिकाम्ब और फाइबर ग्लास से बने हिस्से जैसे कि स्पाइलर्स कुछ सीटें और सीट गद्दियां फ्लोर बोर्ड और बैगेज बिन्स भी प्राप्त हो गए हैं। फ्यूजलेज, पंख, लैंडिंग गियर, इंजिन आदि जैसे मुख्य हिस्से, जो भारी हैं, अभी निकाले जाने हैं।

[अनुवाद]

उड़ीसा अनुसूचित जाति वित्त सहकारी निगम द्वारा दी गई सहायता

2497. **श्री राधाकांत डिगाल** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में स्थापित अनुसूचित जाति वित्त सहकारी निगम आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य योजनाएं शुरू करने में अनुसूचित जाति के लोगों की सहायता कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा अनुसूचित जाति वित्त सहकारी निगम द्वारा दी गई सहायता राशि का ब्यौरा क्या है और उड़ीसा अनुसूचित जाति वित्त सहकारी निगम द्वारा कार्यान्वित की गई विभिन्न योजनाओं से कितने अनुसूचित जाति के लोगों को लाभ हुआ है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां श्रीमान्। अनुसूचित जाति विकास निगमों की 17 राज्यों (उड़ीसा सहित) और दो संघ शासित क्षेत्रों में स्थापना की गई है। इन निगमों का मुख्य कार्य उत्प्रेरकों, प्रोन्नयकों और गारन्टरों के रूप में कार्य कर रहे अनुसूचित जाति के गरीब उद्यमियों की आर्थिक विकास योजना के लिए संस्थागत ऋण का संचलन करना है। ये आर्थिक रूप से व्यवहार्य योजनाएं आरम्भ करने में अनुसूचित जाति परिवारों की सहायता कर रहे हैं।

(ख) उड़ीसा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास वित्त सहकारी निगम लिमिटेड 1979 में उड़ीसा सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना अवधि अर्थात वर्ष 1980-85 के दौरान राज्य सरकार ने अपने शेयर पूंजी अंशदान के रूप में 140.00 लाख रुपये दिए थे जबकि भारत सरकार ने अपने शेयर पूंजी अंशदान के रूप में 143·70 लाख रुपये दिए थे।

छठी योजना अवधि के दौरान निगम ने गरीबी की रेखा पार करने के लिए 75000 से अधिक अनुसूचित जाति परिवारों की वित्तीय सहायता की। योजना अवधि के पहले चार वर्षों में 3,56,00,000 रुपये (तीन करोड़ छप्पन लाख रुपये) से अधिक धन राशि निगम द्वारा सीमान्त धन ऋण के रूप में वितरित की और 13,91,00,000 रुपये (तेरह करोड़ और इक्यानवें लाख रुपये) से अधिक बैंक ऋण की व्यवस्था की। निगम ने इस प्रकार गरीबी की रेखा पार करने के लिए उड़ीसा के गरीब अनुसूचित जाति परिवारों की सहायता करने में लाभदायक सेवा की।

धार्मिक और ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा

2498. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी :** क्या संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गैर-सरकारी निकायों के न्यासों के नियन्त्रणाधीन भारत के प्रमुख सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक स्मारकों का सम्पूर्ण प्रबन्ध अपने हाथ में लेने का है जिससे उनकी सम्मान और गरिमा से सुरक्षा की जा सके ; और

(ख) क्या सरकार का विचार कलकत्ता के महाजाती सदन, मुर्शिदाबाद का हाजारदबारी महल, एशियाटिक सोसाइटी, नेताजी रिसर्च ब्यूरो और ठाकुर रामाकृष्ण के दक्षीनेश्वर मन्दिर का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने का है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) केवल हाजारदबारी महल, मुर्शिदाबाद का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने का प्रस्ताव है।

अन्तर्राष्ट्रीय तैयारी समिति के पास भारत का पंजीकरण

2499. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महासागर विधि सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय तैयारी समिति से अन्तिम रूप से वचनबद्धता प्राप्त कर ली है ताकि यह हिन्द महासागर में उन स्थानों का खनन कर सके जो इसने समिति के साथ पंजीकृत किए थे;

(ख) यदि हां, तो सागर तल का खनन प्रारम्भ करने के लिए क्या प्रारम्भिक कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या हाल ही में हिन्द महासागर में रुचि रखने वाले देशों का कोई सम्मेलन कोलम्बो में हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो क्या भारत ने इसमें भाग लिया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं श्रीमान।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय समुद्र-तल प्राधिकरण के प्रारम्भिक आयोग द्वारा भारत को एक खान स्थल आबंटित किए जाने के पश्चात, पर्यावरणीय आंकड़ों के एकत्रीकरण सम्बन्धी कार्य सहित पिंडों (नाड्यूल्स) के खनन से सम्बन्धित अन्वेषण और विकास कार्य आरम्भ किया जाएगा।

(ग) जी हां, श्रीमान।

(घ) जी नहीं, श्रीमान।

केन्द्रीय सरकार के पास स्वतन्त्रता सेनानियों की पेंशन के लिए लम्बित पड़े आवेदन

2500. **श्री टी० बशीर** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के पास इस समय पेंशन के लिए राज्यवार स्वतन्त्रता सेनानियों के कितने आवेदन लम्बित पड़े हैं;

(ख) तीन वर्षों से अधिक समय से लम्बित पड़े आवेदन पत्रों की संख्या कितनी है;

(ग) लम्बित पड़े आवेदनों के शीघ्र निपटाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार द्वारा इस बारे में कोई निर्देश जारी किए गए हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना के अन्तर्गत आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 31-3 1982 थी और इसलिए संलग्न विवरण में उल्लिखित लगभग सभी आवेदन पत्र 3 वर्ष से अधिक समय से लम्बित पड़े हैं ।

(ग) और (घ) केन्द्र/राज्य स्तर पर मामलों के शीघ्र निपटान के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं : --

(i) गृह मन्त्रालय के अनुरोध पर अधिकांश राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों ने, वरिष्ठ अधिकारियों के पर्यवेक्षण में अलग से स्वतन्त्रता सेनानियों के आवेदन पत्रों पर कार्रवाई करने के लिए विशेष एकक गठित किए हैं। उन्हें सभी लम्बित पड़े मामलों को निपटाने के लिए अभियान चलाने की भी सलाह दी गई है।

(ii) सरकार ने, महत्वपूर्ण नीति मामलों जैसे सम्मान पेंशन देने के प्रयोजन से क्षेत्रीय आन्दोलनों/विद्रोहों को मान्यता देने के प्रश्न पर विचार करने के लिए केन्द्रीय स्तर पर एक गैर-सरकारी परामर्शदात्री समिति का गठन भी किया है।

(iii) गृह मन्त्रालय की सलाह पर, विभिन्न राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों ने, वास्तविक स्वतन्त्रता सेनानियों की पहचान करने और यातनाओं के दावों के सत्यापन के लिए राज्य सरकारों की मदद के लिए वरिष्ठ स्वतन्त्रता सेनानियों की राज्य/जिला स्तरीय समितियां गठित की हैं।

(iv) जिन राज्यों में लम्बित मामलों की अपेक्षाकृत संख्या अधिक है, उन राज्यों में स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन मामलों का निपटान कर रहे अधिकारियों की एक बैठक राज्य मन्त्री

द्वारा 13-6-85 को की गई थी और लम्बित मामलों का जल्दी निपटान करने के लिए बैठक में ही विभिन्न सुझाव दिए गए थे।

(v) 8-7-85 को राज्यों के मुख्य मन्त्रियों/संघ शासित क्षेत्रों को, लम्बित आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में सत्यापन रिपोर्ट शीघ्र भेजने के लिए पत्र लिखा गया था।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

विवरण

प्रत्येक राज्य में स्वतन्त्रता सेनानियों के लम्बित पड़े आवेदन पत्रों का राज्य-वार विवरण (30-6-85 को)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या
1	2
आन्ध्र प्रदेश	4676
असम	6707
बिहार	23466
गुजरात	—
हरियाणा	258
हिमाचल प्रदेश	10
जम्मू व कश्मीर	567
केरल	7960
कर्नाटक	3211
मध्य प्रदेश	—
महाराष्ट्र	8695
मणिपुर	19

1	2
मेघालय	—
नागालैंड	10
उड़ीसा	2918
पंजाब	1318
राजस्थान	53
सिक्किम	—
तमिलनाडु	503
त्रिपुरा	225
उत्तर प्रदेश	2001
पश्चिमी बंगाल	29844
संघ शासित क्षेत्र	
अण्डमान और निकोबार	—
चंडीगढ़	18
अरुणाचल प्रदेश	4
दादरा व नगर हवेली	—
दिल्ली	—
गोआ	303
लक्षद्वीप प्रशासन	—
पांडिचेरी	24
मिजोरम	—
आजाद हिन्द फौज के मामले	3367
जोड़	96207

हैदराबाद में परमाणु इंधन कम्प्लैक्स से भारी खतरा

2501. **प्रो० रामकृष्ण मोरे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैदराबाद में परमाणु ईंधन कम्प्लैक्स में "सेफ्टी कल्चर" में काफी रिसाव हो रहा है जिसकी वजह से इसके कर्मचारियों/स्थानीय लोगों को भारी खतरा पैदा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संवेदनशील संयंत्र में लापरवाही बरतने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलैक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता

2502. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेवा निवृत्त कर्मचारियों को अपनी पेंशन प्राप्त करते समय महंगाई भत्ते की राशि उन नियमित कर्मचारियों के समान नहीं मिलती जिनका वेतन पेंशन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की पेंशन राशि के समान है;

(ख) यदि हां, तो सेवाओं की विभिन्न श्रेणियों में मंहगाई भत्ते में कितना अन्तर है; और

(ग) पेंशन पाने वालों को कम महंगाई भत्ता देने के क्या कारण हैं ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ऐसे सेवारत सरकारी कर्मचारी जो 400.00 रुपये प्रति मास तक मूल वेतन प्राप्त कर रहे हैं उन्हें अखिल भारतीय श्रम-जीवी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की वार्षिक औसत की 8 प्वाइंट वृद्धि पर 4 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त महंगाई भत्ते की स्वीकृति दी जाती है और जो कर्मचारी 400.00 रुपये प्रति मास से अधिक मूल वेतन प्राप्त कर रहे हैं उन्हें मूल्य सूचकांक में इसी प्रकार की वृद्धि पर 3 प्रतिशत प्रति मास की दर से अतिरिक्त महंगाई भत्ता स्वीकृत किया जाता है किन्तु इसकी न्यूनतम तथा अधिकतम राशि की एक सीमा होती है। केन्द्रीय सरकार के पेंशन भोगियों को उनकी पेंशन की राशि पर ध्यान दिए बिना मूल्य सूचकांक के वार्षिक औसत में प्रत्येक 8 प्वाइंट की वृद्धि पर पेंशन की राशि के $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत की दर से अतिरिक्त राहत का भुगतान किया जा रहा है किन्तु राहत की यह रकम प्रति माह कम से कम 2.50 रुपये और अधिक से अधिक 12.50 रुपये होती

है। पेंशन भोगियों को भुगतान किये जाने वाली महंगाई राहत की राशि तृतीय वेतन आयोग की सिफारिश पर आधारित है जिसे सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। आयोग ने पेंशन-भोगियों को उसी दर से महंगाई राहत की मंजूरी की सिफारिश नहीं की थी, जो सेवारत कर्मचारियों के लिए अनुज्ञेय क्योंकि पेंशनभोगी के परिवार तथा अन्य उत्तरदायित्व उसी प्रकार के नहीं समझे गए थे जैसे कि किसी सेवारत सरकारी कर्मचारी के होते हैं।

इमारती लकड़ी के उत्पादन के सम्बन्ध में भारत और अमरीका के बीच करार

2503. **श्री बी० तुलसीराम** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में इमारती लकड़ी के उत्पादन के संबंध में भारत और अमेरिका के बीच कोई करार हुआ है;

(ख) उक्त करार कितनी धनराशि के लिए है;

(ग) यह धनराशि किन-किन राज्यों में उपयोग की जाएगी;

(घ) क्या उक्त धनराशि का कुछ भाग आन्ध्र प्रदेश में उस इमारती लकड़ी के उत्पादन हेतु राज्य सरकार को दिया जायेगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) से (ग) इमारती लकड़ी के उत्पादन के संबंध में कोई करार नहीं किया गया है। तथापि, सामाजिक वानिकी परियोजनाओं की सहायता के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास की संयुक्त राज्य एजेंसी तथा विश्व बैंक/यू० एस० ए० आई० डी० के साथ करार किए गए हैं। विदेशी वित्तीय सहायता तथा राज्यों के ब्यौरे, जहां इसका उपयोग किया जाएगा, संलग्न विवरण में दे दिए गए हैं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) इन करारों के अन्तर्गत आंध्र प्रदेश नहीं लिया गया है।

विवरण

विभिन्न राज्यों में विदेशी एजेंसी करार की तारीख तथा विदेशी
वित्तीय सहायता को प्रदर्शित करने वाला विवरण

क्र० सं०	राज्य जहां परियोजना चल रही है।	विदेशी एजेंसी	करार की तारीख	विदेशी वित्तीय सहायता (दस लाख अमरीकी डालर में)
1.	मध्य प्रदेश	यू० एस० ए० आई० डी०	30 सितम्बर 1981	25
2.	महाराष्ट्र	यू० एस० ए० आई० डी०	31 अगस्त, 1982	30
			योग :	55
3.	राष्ट्रीय सामाजिक वानिकी परियोजना			
	(क) उत्तर प्रदेश चरण-2	विश्व बैंक/ यू० एस० ए० आई० डी०	करार संबंधी समझौता हो गया है परन्तु अभी हस्ताक्षर किए जाने हैं।	84
	(ख) गुजरात चरण-2	विश्व बैंक/ यू० एस० ए० आई० डी०	—तदेव—	84
	(ग) राजस्थान	—तदेव—	—तदेव—	22
	(घ) हिमाचल प्रदेश	—तदेव—	—तदेव—	33
			उप-योग	223
			कुल योग	278

टेलीफोनों के निर्माण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ सहयोग

2504. श्री मुरली धर माने : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर-सरकारी निर्माताओं को टेलीफोन बनाने के लिए लाइसेंस जारी किए हैं;

(ख) क्या सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों के साथ सहयोग करने के बारे में भी कुछ शर्तें रखी हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलैक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) : जी, हां। सरकार ने विदेशी सहयोग के संबंध में जो शर्त लगाई है, वह यह है कि यदि विदेशी-सहयोग की आवश्यकता पड़ी तो वह सरकार द्वारा चुनी गई प्रौद्योगिकियों में से किसी एक प्रौद्योगिकी के लिए होगा और ऐसा समन्वित खरीद के जरिए किया जाएगा।

(ग) सरकार ने निम्नलिखित तीन विदेशी सहयोगकर्ताओं का पता लगाया है जिनसे निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र दोनों ही प्रौद्योगिकी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे :—

(i) सीमेंस (पश्चिम जर्मनी);

(ii) आई० टी० टी० फेस (इटली); तथा

(iii) ब्रिकसन (स्वीडन)।

———

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : ममता जी, आपका क्या व्यवस्था का प्रश्न है ?

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, मुझे कल के समाचार-पत्रों से पता चला है कि ब्रिटिश एयरवेज ने कलकत्ता हवाई अड्डे से अपनी उड़ानें रद्द करने का निर्णय किया है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने कोई सूचना दी है? (व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : यह अत्यन्त भावुकतापूर्ण मामला है और यदि उन्होंने अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं, तो कलकत्ता में थोड़ी प्रतिकूल प्रतिक्रिया हो सकती है, क्योंकि कलकत्ता व्यस्त शहर है और एक अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अतः सरकार को ब्रिटिश एयरवेज के साथ बातचीत करनी चाहिए कि वह कलकत्ता से अपनी उड़ानें रद्द न करे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए मैं उनसे पूछ रहा हूं। मैडम, क्या आपने इसकी कोई सूचना दी है।

कुमारी ममता बनर्जी : जी हां, मैंने आज 377 के अधीन सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, आपने कोई मामला लम्बित नहीं रखा है। आप पहले आधा मिनट मेरा निवेदन सुनिए। जब मैंने धारावी स्लम सुधार योजना के बारे में प्रश्न उठाया था जिसमें हमें पता चला है कि भूमि के पट्टे के अन्तरण के बारे में गलत निर्णय लिया गया है तब आपने उस मामले को महाराष्ट्र सरकार को सौंपने की कृपा की थी। शायद उन्होंने वह मामला केन्द्र में निर्माण और आवास मन्त्रालय को भेज दिया था। उन्होंने मुझे एक कार्यालय ज्ञापन दिया है। मैं केवल यही बात आपको बताना चाहता हूं : महोदय, केवल उन चार बातों पर विचार कीजिए जो ज्ञापन से उठती हैं।(व्यवधान)। उन्होंने कार्यालय ज्ञापन में बताया है कि यह योजना केन्द्रीय योजना नहीं है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह केन्द्र द्वारा वित्तपोषित योजना है। (व्यवधान) दूसरे, वे यह कह कर महानगर आयुक्त पर उत्तरदायित्व डाल रहे हैं कि वह टेंडर मांगने के बारे में निर्णय लेने की कोशिश कर रहा था; उससे कहा गया है कि वह ऐसा न करें। परन्तु महोदय, कोई भी अफसरशाह मुख्य मन्त्री और अन्य मन्त्रियों की राय के बिना काम करने की हिम्मत नहीं कर सकता। इसकी जांच की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : उससे मैं आश्वस्त नहीं हूं, श्रीमन्। हम विचार करेंगे।

प्रो० मधु दण्डवते : तीसरे, क्या केन्द्र सम्बन्धित अनियमितताओं की जांच करने के लिए कोई आयोग नियुक्त करेगा ताकि केन्द्रीय सरकार का कोई दुरुपयोग न हो सके ?

अध्यक्ष महोदय : हम देखेंगे, जी। आप मेरे पास आइये, मुझे आश्वस्त कीजिए।

प्रो० मधु दण्डवते : जी, हां। मैंने विस्तृत उत्तर दे दिया है। कृपया इसे अपने मन में रखें और इसे लम्बित रखें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहाट) मैंने मन्त्रिमण्डल के आवश्यक सेवा अधिनियम को और चार वर्षों तक लागू रखे जाने के निर्णय के समाचार के बारे में ध्यानाकर्षण या किसी अन्य चर्चा के लिए सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसका पता लगाऊंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यदि वे चाहें तो वे निश्चय ही ऐसा कर सकते हैं क्योंकि उनके पास ऐसा करने की शक्ति है परन्तु यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है जिस पर सभा में चर्चा की जानी चाहिए। संसद की स्वीकृति के बिना···

अध्यक्ष महोदय : मैं तथ्यों का पता लगाऊंगा और फिर आपके समक्ष आऊंगा और यह तय करूंगा कि हम इस पर चर्चा कर सकते हैं या नहीं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपको याद होगा कि जब पहली बार यह अधिनियम लाया गया था तो देश में कितना बड़ा आन्दोलन हुआ था। अधिनियम में यह कहा गया है कि इसकी अवधि चार वर्षों के बाद समाप्त हो जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा।

(**व्यवधान**)

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : 1,000 करोड़ रुपये की विदेशी-मुद्रा के घोटाले का मामला है।

अध्यक्ष महोदय : मैं तथ्यों का पता लगाऊंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इससे देश में सभी हड़तालों पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगता है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, 80,000 यूनिट हड़ताल के कारण बन्द नहीं पड़े हैं। इस पर चर्चा होनी चाहिए। यूनिटों को बन्द नहीं किया जा सकता। इस कठोर कानून को और चार वर्षों तक बढ़ाने का इस अधिनियम में उपलब्ध नहीं है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : महोदय, मैंने दो जहाजों के लापता होने के बारे में सूचना दी थी। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : हमारे पास कुछ जानकारी है। इस पर न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा जांच चल रही है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : इस पर न्यायिक जांच नहीं चल रही है।

अध्यक्ष महोदय : इसकी दण्डाधिकारी द्वारा जांच हो रही है। मुझे और जानकारी प्राप्त कर रहा हूं।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : हम और जानकारी प्राप्त कर रहें हैं। इस समय जो जानकारी हमें मिली है वह यह है कि इसकी दण्डाधिकारी द्वारा जांच की जा रही है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसके बारे में मुझमें भी आक्रोश है। मैं इसकी जांच करूंगा।

श्री हरूभाई मेहता (अहमदाबाद) : महोदय, मैं दो बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने इसकी कोई सूचना दी है ?

श्री हरूभाई मेहता : यह मेरे पास है। मुझे दो बातें बतानी हैं। एक है, केरल में नायर सर्विस सोसाइटी द्वारा संचालित एक स्कूल में कुछ छात्रों ने जन गण मन को राष्ट्र-गान के रूप में अस्वीकृत कर दिया है……

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी जांच करूंगा।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैंने नोटिस दिया था कि देश के लिए सुरक्षा के सामान बनते हैं…।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने तथ्यों का पता लगाने के लिए लिख दिया है। मैं इस पर कार्यवाही कर चुका हूं।

अब, पत्र सभा पटल पर रखे जायेंगे।

12.06 म० प०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

[अनुवाद]

अतारांकित प्रश्न संख्या 5609 के 8 मई, 1985 को दिये गये उत्तर में शुद्धि करने वाला एक विवरण, रिपैट्रिएट्स कोआपरेटिव फाइनेंस एण्ड डवलपमेंट बैंक लिमिटेड, मद्रास, का वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन और उसके कार्यकरण की समीक्षा

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा): मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखती हूं—

[श्रीमती राम दुलारी सिन्हा]

(1) (एक) बिहार के शरणार्थी परिवारों को भूमि के आवंटन के बारे में श्री आनन्द पाठक के अतारांकित प्रश्न संख्या 5609 के 8 मई, 1985 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला, और (दो) उत्तर में शुद्धि करने में विलम्ब होने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1269/85]

(2) (एक) रिपैट्रिएट्स कोआपरेटिव फाइनेंस एण्ड डवलपमेंट बैंक लिमिटेड, मद्रास, के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रिपैट्रिएट्स कोआपरेटिव फाइनेंस एण्ड डवलपमेंट बैंक लिमिटेड, मद्रास, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब होने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1270/85]

12.07 म० प०

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त हुए निम्न सन्देश की सूचना देनी है :—

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के अनुसरण में मुझे इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय विधेयक, 1985, जिसे राज्य सभा ने 5 अगस्त 1985 को हुई अपनी बैठक में पारित किया था, कि प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय विधेयक, 1985

(राज्य सभा द्वारा यथापारित)

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मैं इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय विधेयक, 1985, राज्य सभा द्वारा यथापारित, सभा पटल पर रखता हूं।

———

12.08 म० प०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

तीसरा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री एम० तम्बि दुराई (धर्मपुरी) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का तीसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

———

12.09 म० प०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण

[अनुवाद]

देश में हेरोइन तथा अन्य स्वापक ओषधियों की तस्करी में वृद्धि होने तथा उसके हमारे समाज, विशेषकर युवा पीढ़ी, पर कुप्रभाव पड़ने के समाचार

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : मैं वित्त मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

[श्री मूलचन्द डागा]

"देश में हेरोइन तथा अन्य स्वापक औषधियों की तस्करी में वृद्धि होने तथा उसके हमारे समाज, विशेषकर युवा पीढ़ी, पर कुप्रभाव पड़ने के समाचार तथा इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही।"

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : महोदय, हम सभी ने यह प्रस्ताव रखा है। परन्तु मुझे बैलट के बारे में मालूम नहीं है। हममें से अधिकतर सदस्यों की इस विषय में रुचि है।

अध्यक्ष महोदय : मैं तो सदा यही कहता रहा हूं। यदि आपके पास पूरी चर्चा करने का समय है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : हिरोइन (नायिका) में तो अनेक सदस्यों की रुचि है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : हमने हर सप्ताह अपने प्रस्ताव रखे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे लिए इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। या तो सभा पूर्ण चर्चा के लिए सहमत हो या ध्यानाकर्षण हो। इसके लिए और कोई उपाय नहीं है। मैं तो आप पर निर्भर करता हूं। मैं बाध्य हूं। मैं सभा की इच्छाओं के विरुद्ध नहीं जा सकता।

श्री मूलचन्द डागा : महोदय, मंत्री को वक्तव्य देने दें।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप अधिक समय देते हैं तो मैं ऐसा कर सकता हूं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ वर्षों से औषध-द्रव्यों, विशेष रूप से हेरोइन और कैन्नाबीस रेसिन के अवैध-व्यापार में वृद्धि हुई है। यह वृद्धि मुख्यतया इस तथ्य के कारण हुई है कि निकट और मध्य पूर्वी क्षेत्र, खास तौर पर पाकिस्तान, हाल के वर्षों में, स्वापक द्रव्यों और कैन्नाबीस रेसिन का उत्पादन करने वाला और सप्लाई करने वाला एक मुख्य देश बन गया है। भारत को विगत कुछ समय से स्वापक-द्रव्यों का भारत के रास्ते किए जाने वाले अवैध-व्यापार की समस्या का अधिकाधिक सामना करना पड़ रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय नार्कोटिक्स नियंत्रण बोर्ड की हाल ही की रिपोर्टों से भी यह स्पष्ट है। बोर्ड ने वर्ष 1984 की अपनी रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ-साथ यह अभिमत भी व्यक्त किया है कि, "स्वापक द्रव्यों और कैन्नाबीस को विश्व के अन्य भागों में पहुंचाए जाने के लिए भारत का इस्तेमाल एक मार्गस्थ देश के रूप में अधिकाधिक किया जा रहा है और ऐसी रिपोर्ट मिली है कि इन मादक-द्रव्यों के लिए नई दिल्ली और बम्बई सबसे अधिक महत्वपूर्ण निर्गम स्थल हैं।" उक्त बोर्ड ने वर्ष 1984 की अपनी रिपोर्ट में यह भी मत व्यक्त किया कि, "वर्ष 1984 के पहले सात महीनों में उत्तरी अमेरिका में पकड़ी गई हेरोइन का आधे से अधिक भाग और पश्चिमी यूरोप में पकड़ी गई हेरोइन का लगभग 70% भाग निकट तथा मध्य-पूर्वी क्षेत्रों के मूल का था।"

भारत में वर्ष 1983 में पकड़ी गई हेरोइन के मामले के विश्लेषण के आधार पर, पकड़ी गई हेरोइन की 138.7 किलोग्राम की कुल मात्रा में से लगभग 98 किलोग्राम हेरोइन पाकिस्तान मूल की थी। वर्ष 1984 में पकड़ी गई 202.6 किलोग्राम हेरोइन में से 116.6 किलोग्राम हेरोइन पाकिस्तान मूल की थी। वर्ष 1985 के प्रथम छः महीनों में पकड़ी गई 70.7 किलोग्राम हेरोइन की कुल मात्रा में से 27 किलोग्राम हेरोइन पाकिस्तान मूल की थी। वर्ष 1983, 1984 और जून, 1985 तक की अवधि में पकड़ी गई शेष मात्रा अफगानिस्तान, बर्मा, नेपाल आदि से आई थी।

प्रवेश प्वाइंटों पर कैन्नाबीस रेसिन (चरस) के अभिग्रहणों में भी पिछले तीन वर्षों में अत्यधिक वृद्धि हुई है और बड़ी मात्रा में अभिगृहीत की गई चरस पाकिस्तान मूल की थी। अभिगृहीत की गई कैन्नाबीस की मात्रा वर्ष 1983 में 1017 किलोग्राम से बढ़कर वर्ष 1984 में 2416 किलोग्राम हो गई और वर्ष 1985 के पहले छह महीनों में यह और बढ़कर 2811 किलोग्राम हो गई है। प्रवेश प्वाइंट पर, वर्ष 1983, 1984 और 1985 के प्रथम छह महीनों में अभिगृहीत की गई 1017 किलोग्राम, 2416 किलोग्राम और 2811 किलोग्राम कैन्नाबीस रेसिन की कुल मात्रा में से क्रमशः 938 किलोग्राम, 2158 किलोग्राम और 2785 किलोग्राम की कैन्नाबीस रेसिन पाकिस्तान मूल की बताई गई है।

भारत में अफीम और कैन्नाबीस (गांजा) का दुरुपयोग, औषध-द्रव्य का पारम्परिक रूप में दुरुपयोग सीमित तौर पर होता रहा है। कुछ मनःप्रभावी पदार्थों के दुरुपयोग की सूचना समय-समय पर मुख्य रूप से महानगरों से भी मिली है। ऐसे भी कुछ संकेत मिले हैं कि कुछेक महानगरों और अन्य स्थानों के कुछ हिस्सों में हेरोइन का नशीले पदार्थ के रूप में लघु स्तर पर दुरुपयोग किया जा रहा है। तथापि, इस समस्या का परिमाण केवल समाज और महिला कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए विस्तृत सर्वेक्षण के पूरा हो जाने पर ही लग सकेगा। वर्ष 1986 के मध्य तक अध्ययन के पूरा हो जाने की सम्भावना है।

इन मादक द्रव्यों की तस्करी को रोकने के लिए नार्कोटिक द्रव्यों तथा मनःप्रभावी द्रव्यों के सिलसिले में संसद में पेश किए जाने हेतु एक व्यापक कानून के प्रारूप को बिल्कुल अन्तिक रूप दिया जा रहा है। इस कानून के द्वारा, अन्य व्यवस्थाओं के साथ-साथ, कड़ी सजा दिए जाने की भी व्यवस्था मौजूद होगी।

तस्करी, जिसमें नार्कोटिक-द्रव्यों की तस्करी भी शामिल है, को रोकने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय सतर्क बने रहते हैं। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के सम्बन्धित प्राधिकारियों के साथ तालमेल स्थापित करके तस्करी-निवारण हेतु उचित उपाय किये जाते हैं। स्वापक द्रव्यों की तस्करी को रोकने के लिए सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों के साथ भी निकट सहयोग रखा जाता है।

मादक द्रव्यों के दुरुपयोग को रोकने सम्बन्धी कार्यवाही के बारे में समन्वय का कार्य समाज तथा महिला कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। जन संचार माध्यम से प्रचार द्वारा और शिक्षा-प्रधायी प्रचार के लिए स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान देकर मादक द्रव्यों के दुरुपयोग की बुराइयों के बारे में जनता को शिक्षित करने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं। शराब पीने और मादक द्रव्यों

[श्री जनार्दन पुजारी]

के दुरुपयोग के बारे में संदेशों के प्रचार के लिए "नया सवेरा" और "आखिर क्यों" शीर्षक से प्रायोजित रेडियो कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। समाज और महिला कल्याण मंत्रालय द्वारा विश्वविद्यालयों में और नौ-क्षेत्रीय दूरदर्शन केन्द्रों में दूरदर्शन नाटक प्रतियोगिताएं प्रायोजित की गई हैं। प्रत्येक क्षेत्र में पुरस्कार जीतने वाली तीन टीमों को 5,000/-रु०, 3,000/-रु० और 2,000/-रु० के मूल्य के नकद पुरस्कारों की पेशकश की गई है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक मेजबान विश्वविद्यालय को 5,000/-रु० के सहायता-अनुदान दिए जाने की पेशकश की गई है।

[हिन्दी]

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : अध्यक्ष जी, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने एक बड़े महत्वपूर्ण विषय को मंजूर किया है। माननीय मंत्री जी ने भी बड़ा कष्ट किया है कि बहुत लम्बा-चौड़ा जवाब दिया है।··· (व्यवधान)

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : आपका··· (व्यवधान) ताल्लुक है।

श्री मूल चन्द डागा : आपका इस अवस्था में ताल्लुक नहीं है हेरोइन से।··· (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री भागवत झा आजाद : आपकी किस 'हेरोइन' में दिलचस्पी है? मैं आपकी आयु के मामले में आपकी प्रशंसा कर रहा हूं।

[हिन्दी]

कमाल की बात है, आप तो उल्टा ही बोलने लगे हैं।··· (व्यवधान)

श्री मूल चन्द डागा : हेरोइन ने कितनी जिन्दगियों को तबाह कर दिया है। यह एक नशीला पदार्थ है। इसमें गांजा, अफीम और अनेक तरह के मादक पदार्थ सम्मिलित हैं। बड़ी तेजी से इसने युवा पीढ़ी को··· (व्यवधान)

अभी तो आप पर स्मैक का असर नहीं है, लेकिन आप उसको जानते हैं। इस वक्त आप पर स्मैक का असर नहीं है। स्मैक के नशे में आदमी बहुत जोर से बोलता है और मैं तो बहुत धीरे बोल रहा हूं।

मंत्री जी यह बहुत गम्भीर विषय है। पिछले दिनों विश्वविद्यालयों में इसका एक सर्वेक्षण किया गया था जबकि आपके समाज कल्याण मंत्रालय की ओर से अभी तक कोई सर्वेक्षण नहीं हुआ है। भारत के एक लाख नौजवान इन मादक पदार्थों के शिकंजे में कस लिए गए हैं और इसके कारण उनकी जिन्दगी नरक बनकर रह गई है। किसी भी देश का भविष्य उसकी युवा पीढ़ी से आंका जाता है और

विश्वविद्यालयों में किए गए सर्वेक्षण से यह पता लगा है कि केवल दिल्ली में ही, विश्वविद्यालयों के लगभग 15 प्रतिशत विद्यार्थी हेरोइन और स्मैक जैसे पदार्थों का उपभोग करते हैं। आप शायद मुझसे ज्यादा अच्छा नाम जानते हैं। गांजे का उपयोग होता है। इस बीमारी से उनको कैसे मुक्त किया जा सकता है, इसके बारे में सरकार को गम्भीरता से सोचना चाहिए।

अब यह बीमारी केवल विश्वविद्यालयों तक ही सीमित नहीं रह गई है, उसके परिसरों में ही सिमट कर नहीं रह गई है, उससे आगे बढ़कर हमारे धार्मिक स्थानों पर भी उसका प्रभाव दिखाई देने लगा है। हिन्दुस्तान में पुरी जैसे पवित्र धार्मिक स्थान में भी भगवान के सामने पुजारी लोग चरस और गांजे का मजा लेते हैं, उसको उड़ीसा के लोग अच्छी तरह जानते हैं। वाराणसी में भी आज साधु लोग मन्दिरों में भगवान के सामने "बम-बम भोले नाथ" का नाद करते हुए दम लगाते हैं। वाराणसी में आप कहीं भी देख लीजिए, आपको यही मिलेगा। कोई धार्मिक जगह आज इन पदार्थों के प्रयोग से अछूती नहीं रह गई है। राजस्थान में अजमेर की भूमि को पवित्र माना जाता है, वहां भी हर महीने लगभग 15 लाख का स्मैक उपभोग किया जाता है। दूसरा पवित्र स्थान पुष्करराज है, जिसके तालाब में नहाने मात्र से आदमी निर्मल बन जाता है, वहां भी कुछ बाहर के लोगों ने आकर, अपने नापाक कदम रखकर कहते हैं :--

[अनुवाद]

सभी प्रकार के मादक पदार्थ और अन्य वस्तुएं भी उपलब्ध हैं।

[हिन्दी]

आपकी हंसी से ऐसा मालूम पड़ता है कि आप इन सारी बातों से पूरी तरह वाकिफ हैं। आपके चेहरों से पता चलता है कि आप इन चीजों को गहराई से समझते भी हैं।

श्री विलास मुत्तेमवार (चिमूर) : वहां तो सिर्फ एक ही ब्रह्मा का मन्दिर है, पुष्कर राज में, इसलिए हम हंसे थे···

श्री मूल चन्द डागा : आप भी बचे हुए नहीं हैं, कलकत्ता के तारकेश्वरी के मन्दिर में भी इन लोगों का पदार्पण हो चुका है। वहां भी क्या होता है, उससे आप अनजान नहीं हैं। अब विश्वविद्यालयों के 15 प्रतिशत लड़के और लड़कियां एक घंटे में बैठकर धुआं उड़ाते हैं, वहां हेरोइन को बीड़ी में पीया जाता है, सिगरेट के कागज में पीया जा सकता है, पानी में घोल कर पीया जा सकता है और जब इसकी एक बार आदत पड़ जाती है तो उपभोग करने वाला मजबूर हो जाता है और मजबूरी का नाम लत है। इस तरह लत उस पर सवार हो जाती है। श्रीमन् क्या आप बताएंगे कि इस लत से बचाने के लिए आपके समाज कल्याण विभाग ने अब तक क्या काम किया है। आपने हेरोइन को पकड़ने में बड़ी कसरत तो की है लेकिन आपको मालूम है, हेरोइन और स्मैक की रोक-थाम का तरीका क्या है। देश में यह बीमारी कैसे मिटेगी, इस प्रवृत्ति को कैसे रोका जा सकता है, काबू में किया जा सकता

[श्री मूल चन्द डागा]

है ? श्रीमन्, आप मुझे क्षमा करें, पंजाब के अन्दर यह आपने ठीक कहा, आपकी रिपोर्ट खुद कहती है—

[अनुवाद]

> "अन्तर्राष्ट्रीय नार्कोटिक्स नियंत्रण बोर्ड ने वर्ष 1984 के अपने प्रतिवेदन में अन्य बातों के साथ-साथ इस बात का भी उल्लेख किया है कि स्वापक द्रव्यों और कैन्नाबीस को विश्व के अन्य भागों में पहुंचाए जाने के लिए भारत का इस्तेमाल एक मार्गस्थ देश के रूप में अधिकाधिक किया जा रहा है। इन मादक द्रव्यों के लिए नई दिल्ली और बम्बई सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण निर्गम स्थल बताए जाते हैं।"

[हिन्दी]

बम्बई की बात अमिताभ जी से सुनो, क्योंकि उन्होंने ज्यादा दिन वहां निकाले हैं और वे भारत के एक प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित अभिनेता हैं। लेकिन मैं अपनी बात कहना चाहता हूं कि दिल्ली के पहाड़गंज या लाजपत नगर, रामनगर, इन सब नगरों में अंधेरी रात में क्या होता है, यह सब आप जानिए। अंधेरी रात में चमकती हुई स्मैक को लोग किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं, यह सब आप जानते ही हैं।

पंजाब के अन्दर क्या होता है, इसको भी आप देखिएगा। यह नहीं मिट सकता है। श्रीमन्, ये बीमारी है। इसके लिए अगर मजबूती से कदम नहीं उठाए गए, तो यह समाप्त नहीं हो सकती है। धीरे-धीरे कार्यवाही करने से या धीरे-धीरे कदम उठाने से कार्य नहीं हो सकता है। कारगर ढंग से कदम नहीं उठाएंगे, तब तक यह काम नहीं हो सकता है। पंजाब बॉर्डर के बारे में लोग कहने लगे हैं।

[अनुवाद]

> "पंजाब में सीमा सुरक्षा बल को···"

[हिन्दी]

इसे होम मिनिस्टर बड़े गौर से सुनेंगे, आपका नाम रोशन किया है,

[अनुवाद]

> "पंजाब में सीमा सुरक्षा बल को आमतौर से सीमा तस्करी बल कहा जाता है।"

[हिन्दी]

यह पंजाब की पुलिस की हालत है। वहां के पुलिस आयुक्त महोदय कहते हैं कि 3 हजार

लोग इस काम में लगे हुए हैं। उसमें औरतें भी पीछे नहीं हैं। भारत में नारी भी बराबर आदमी के साथ चलती है और तेजी से चलती है। जितनी भी स्मगलिंग होती हैं, इसमें नारी ने अपनी निर्णायक भूमिका अदा की है। किन-किन शरीर के हिस्सों में नारी हेरोइन और स्मैक रखकर लाती हैं, उनका नाम मत लो। नाम लेने में आपकी इच्छाएं जागेंगी, मैं नहीं चाहता हूं कि उनका नाम बतलाऊं। लेकिन आजकल कैसे यह हेरोइन पड़ोसी देशों से भारत की भूमि पर आती है, ये सब जानकारी आपको होगी। बार्डर का एरिया बाड़मेर जहां से वृद्धिचन्द्र जी जैन सांसद हैं, वे जानते होंगे कि किस प्रकार से रेगिस्तानी क्षेत्र में रात्रि में चमकती हुई चांदनी में ये स्मैक और हेरोइन भारत भूमि में प्रवेश करती है, किस तरह से आती है, ये सब जानकारी आपको होगी। भारत के जवानों को लत पड़ गई है इन चीजों की। वे इनको पान में खाते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं।

श्रीमन्, ये जो स्मगलिंग होती है, ये बिना पुलिस की सहायता के नहीं हो सकती है। इस स्मगलिंग में पुलिसकर्मी भी इनके साथ मिले हुए हैं। पुलिसकर्मियों की मिलीभगत के बिना यह काम नहीं हो सकता है। उनके साथ गठबन्धन के बिना ये लाखों की हेरोइन और स्मैक की स्मगलिंग नहीं हो सकती है। इस धन्धे में अब टैररिस्ट्स और आतंकवादी भी लग गए हैं। अब तो इन आतंकवादियों ने भी यह धन्धा अपना लिया है। क्या मुझे इसका कारण बता सकते हैं कि आज से हेरोइन और नापाक स्मैक के कदम इतने कैसे बढ़ गए हैं कि यह मन्दिरों में, पवित्र स्थानों में, बड़े-बड़े प्रतिष्ठानों में क्यों और कैसे पहुंच गई, इसका कारण क्या है? क्या ये बीमारी इस देश से मिट पाएगी? मेरा आपसे अनुरोध है कि इसमें राजनेताओं का संरक्षण है। मैं कैनेथकोंडा के काम की प्रशंसा करूंगा क्योंकि उनके एक मिनिस्टर की पत्नी ने स्मगलिंग में काम किया, उस मिनिस्टर को ही हटा दिया। जब तक हमारे देश में राजनेताओं, चाहे वह लोक सभा का सदस्य हो, राज्य सभा का सदस्य हो, या विधान सभा का सदस्य हो, अगर वे इस कार्य में संलिप्त पाए जाएं, तो उनको उनकी सदस्यता से डिस्क्वालिफाई नहीं किया जाता है, उनकी गर्दनें नहीं झुकाई जाती हैं, तब तक इस पर रोक लगने वाली नहीं है।

मान्यवर, आपने घंटी बजा दी है, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आप अमिताभ जी से बम्बई की बात सुनने के लिए ज्यादा उत्सुक दिखाई देते हैं। बम्बई के बारे में तो वे ही कहेंगे क्योंकि बम्बई तो बड़े अपराध की नगरी है। वहां तो पुलिस और तस्कर का सम्बन्ध चोली और दामन का है। इस बारे में तो आपको अमिताभ जी बताएंगे कि कैसा सम्बन्ध है। लेकिन श्रीमन्, थोड़ी सी हमारी बात भी सुन लीजिए। पुलिस वाले सब जानते हैं कि कौन तस्कर है। जितने भी पुलिस कर्मचारी हैं वे लगभग सभी जानते हैं कि कौन तस्कर है। आप रात में दिल्ली के किसी नगर में चले जाइए, आपको इसका पता लग जाएगा। ये राजपथ उजला नहीं है। आप पहाड़गंज में जाइए, आपको सारी बातें मालूम हो जाएंगी कि वहां क्या-क्या और कैसे होता है। वहां पर रेस्टोरेण्ट या होटेल्स में सारी जगहों पर हेरोइन और स्मैक बिकती है। जिस प्रकार से आप छापे मारते हैं और पकड़ते हैं तथा बताते हैं कि हमने इतना हेरोइन और इतना स्मैक पकड़ लिया, इससे कोई विशेष तस्करी रुकने वाली नहीं है, जब तक कि आप मजबूती से और कारगर कदम बार्डर से इन चीजों के प्रवेश पर रोक लगाकर नहीं करते हैं।

[श्री मूल चन्द डागा]

माननीय अध्यक्ष महोदय ने समय को ध्यान में रखते हुए बात कम करने की आज्ञा दी है। मैं उसे मानते हुए कुछ ख्याल रखना चाहता हूं।

पहला सवाल यह है कि क्या यह ड्रग एक्ट जो कि 1933 का बना हुआ है जिसमें 2 साल की सजा नहीं, उसमें भी जुर्माना और बेलेबल औफेन्स है, क्या आप उसे बदलेंगे ? दिल्ली के पुलिस कमिश्नर श्री वेद मरवाह ने कहा है कि 200 अपराधी छूट गए हैं। क्यों छूट गए हैं, इसलिए कि गवाह नहीं मिलता है।

12.26 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

क्या आप यह बताएंगे कि यह ड्रग एक्ट कब बना है और क्या इस कानून में और कड़े कदम उठाये जाएंगे ? कड़े कानून और कड़ी सजा से ही इस जुल्म को रोक सकते हैं। सिंगापुर, मलेशिया में इस तरह के जुल्म में फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जाता है और यहां पर क्या सजा है ?

मंत्री महोदय बताएं कि 1980 से लेकर 1985 तक कितने आदमियों को प्रत्येक वर्ष कंविक्शन हुई और कौन-कौन पकड़ा गया ?

नाम नहीं हैं, अरे साहब ! यहां तो सरकारी कर्मचारी यह काम करते हैं। राजपाल, पूरनचंद पकड़े गये बंगला साहब के पास, वह तो 31 जनवरी, 85 को ही पकड़े गये। ईश्वर कुमार 4 करोड़ की हेरोइन ले आया। वह बड़ी शानदार हेरोइन थी, देखकर तबियत खुश हो जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय, कभी-कभी इन चीजों को आप भी देखा करें। क्योंकि स्मैक, हेरोइन, चरस और गांजा यह भी बड़ी चीजें हैं। इनसे लोगों का क्या हो रहा है, यह पता लगेगा।

मेरा पहला क्वेश्चन यह है कि आप इस कानून को कब बना लेंगे ? क्या आर्डिनेन्स निकाल कर इसको पास कर देंगे कि लोगों को गिरफ्तार किया जाए, शिकंजे में बन्द किया जाए, नान-बेलेबल औफेन्स बनाया जाये और कड़ी से कड़ी सजा दी जाये ?

आप 1933 का कानून लेकर बैठे हुए हैं। क्या आपके पास इस तरह के ड्रग्ज हैं जो पहचान सकें कि उनके कपड़ों में हेरोइन छिपी हुई है ? वह उसको ऐसी जगह छिपाते हैं कि उनको यहां बताना अच्छा नहीं है।··· (व्यवधान) ···क्योंकि यह हेरोइन है, इसको आप जानते हैं, मैं इससे जानकार नहीं हूं।

आप हमें यह बताएं कि यह सब मादक पदार्थ कहां से आये ? "टाइम्स आफ इंडिया" में इसके बारे में जो लिखा है, उसको मैं यहां उद्धृत करना चाहूंगा :

[अनुवाद]

"राज्य पुलिस, केन्द्रीय जांच ब्यूरो, वित्त मंत्रालय के सीमा-शुल्क और उत्पाद-शुल्क, राजस्व आसूचना और तस्करी विरोधी तथा मादक पदार्थ स्कंध—इनका आकार तो इतना बड़ा है किन्तु इन सभी में समन्वय की भारी कमी है।"

[हिन्दी]

कस्टम वाला कहता है कि मैं पहाड़गंज में छापा नहीं डाल सकता, इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, साधन नहीं हैं, क्या आप उनको साधन उपलब्ध कराएंगे? क्या आप मुझे यह बताएंगे कि कितने लोगों और अधिकारियों ने मिलकर यह स्मगलिंग करवाया और उनमें से कितनों को नौकरियों से बर्खास्त किया? बम्बई जैसे महानगरों में यह स्मगलिंग बहुत अधिक होती है। महोदय, मैं आपको यह बता देना उचित समझता हूं कि यह तस्करी उच्च अधिकारियों द्वारा ही होती है। ··

(व्यवधान)

ऊपर क्या होता है, यह तो भगवान ही जानता है।

आपने कितने लोगों को, चाहे वह कितना ही उच्च अधिकारी क्यों न हो, अरैस्ट करके सजा दी। मैं मानता हूं कि आपका यह काम कुछ रुका है, लेकिन इसको पूरी तरह से रोकना होगा।

आजकल टैररिस्ट लोग, जो कि पाकिस्तान से आते हैं, वह भी इस काम में लगे हैं। उनमें से कितने आतंकवादियों को आपने पकड़ा है? आपने 15 देशों का सम्मेलन किया, सारे देशों को यहां पर इकट्ठा किया, अधिकारी आये, उन्होंने निर्णय लिया कि स्मगलिंग को रोकना चाहिए, यह एक बहुत बड़ा अपराध है, फिर भी यह अपराध रुक नहीं पाया।

उपाध्यक्ष महोदय, नेपाल के बार्डर में 40 चौकियां हैं, जिसमें काफी अधिकारी कार्यरत हैं और उन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। वह खुलेआम रिश्वत लेते हैं, इसी कारण वह मालोमाल हो चुके हैं।

मैं चाहता हूं कि आप युवाओं को जो कि कालेजों में पढ़ते हैं, उनको इन मादक पदार्थों के सेवन से बचाएं और शीघ्र ही कोई कारगर कदम उठाएं। अगर इसको नहीं रोका गया और कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया तो युवा पीढ़ी का भविष्य खतरे में पड़ जायेगा। मैं आशा करता हूं कि आप मेरे इन सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे।

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, मैं श्री डागा सहित माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे सभा में अपने विचार अभिव्यक्त करने का अवसर दिया। माननीय सदस्य, श्री डागा ने अपने वक्तव्य में ठीक ही कहा है कि देश में इस प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं और इन पर कोई नियंत्रण नहीं है।

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी (कुरनूल) : श्री डागा ने कहा कि दिल्ली में 50 प्रतिशत छात्र इनसे प्रभावित हैं। क्या आप इससे सहमत हैं ?

श्री जनार्दन पुजारी : मैं बारी-बारी सभी बातों को लूंगा। महोदय, यह मामला राष्ट्रीय मामला बन गया है और जैसा कि माननीय सदस्य श्री डागा जी ने कहा है, अधिक-से-अधिक लोग व्यसनी बनते जा रहे हैं। यह बीमारी न केवल विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में ही बल्कि बाजारों और कारखानों में भी पाई जाती है। जैसाकि कल श्रीमती वैजयन्तीमाला ने कहा, यह कुछ हद तक सही है कि अधिक-से-अधिक महिलाएं भी नशे की लत का शिकार बनती जा रही हैं। इसे रोकना और दण्ड देना सरकार की मूल जिम्मेदारी है। इसे नियंत्रित करना और यह सुनिश्चित करना भी सरकार की जिम्मेदारी है कि यह उपलब्ध न की जा सके। यहां मैं निवेदन कर दूं कि यह सुनिश्चित करना भी अभिभावकों की भी जिम्मेदारी है कि उनके बच्चे इस प्रकार के व्यसन के शिकार न बनें। मैं जानता हूं कि दलगत विचारधारा की परवाह न करते हुए सभी सदस्यों ने इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया है। वास्तव में, हम माननीय सदस्यों से भी अनुरोध करते हैं कि वे अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को इस बारे में शिक्षित करें और उनसे कहें कि वे ऐसी आदतें न डालें। मैं यही कह सकता हूं कि स्थिति बहुत ही खतरनाक होती जा रही है।

माननीय सदस्य, श्री डागा जी ने एक बात कही है कि हमारी भावी पीढ़ियां प्रभावित होंगी और जब तक हम कोई कदम नहीं उठाते हैं, तब तक हम इसे रोक नहीं सकेंगे। सरकार ने कदम उठाए हैं और हमने जो कदम उठाए हैं, मैं उनका उल्लेख करना चाहता हूं।

इस बीच मैं यह कहना चाहता हूं कि वर्ष 1983 में लगभग 1761 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था और उन पर मुकदमा भी चलाया गया था। वर्ष 1984 में 1248 लोगों को विभिन्न खतरनाक औषध सम्बन्धी अपराधों के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया। यदि माननीय सदस्य ब्यौरेवार जानना चाहें तो मैं ब्यौरा दे सकता हूं। वर्ष 1983 में, 694 व्यक्तियों पर अफीम के अन्तर्गत मुकदमा चलाया गया।

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : क्या ये अखिल भारतीय आंकड़े हैं ?

श्री जनार्दन पुजारी : जी हां, श्रीमान। मार्फीन के अन्तर्गत वर्ष 1983 में 200 लोगों पर और वर्ष 1984 में 332 लोगों पर मुकदमे चलाये गये। हेरोइन के अन्तर्गत वर्ष 1983 में 122 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उन पर मुकदमे चलाए गए और वर्ष 1984 में 100 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

श्री पी० कुलन्दईवेलू (गोबिचेट्टिपालयम) : उनका परिणाम क्या निकला ? आपने उनको गिरफ्तार किया और मुकदमे चलाए। परन्तु उनमें से कितने व्यक्तियों के दोष सिद्ध हुए ?

श्री जनार्दन पुजारी : आप कृपया धीरज रखिए।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : इस दौरान लोग रोगी बनते जा रहे हैं।

श्री जनार्दन पुजारी : वर्ष 1985-86 में 544 मामलों का पता लगाया गया और 566 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये। महोदय, माननीय सदस्य दोष सिद्धि के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं, वास्तव में मैं भी दोष सिद्धि के बारे में जानने के लिए आतुर हूं। जैसाकि माननीय सदस्यों को पता है, यह राज्य का विषय है और हम आंकड़े एकत्र कर रहे हैं। मैंने निर्देश दे दिए हैं और जैसे ही ये मुझे प्राप्त होंगे मैं आपको प्रस्तुत कर दूंगा और जहां तक··· **(व्यवधान)**

श्री पी० कुलन्दईवेलू : वे 1984-85 और 1983-84 की बात कर रहे हैं परन्तु उन मामलों का क्या हुआ **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अन्य सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं दे सकता। केवल उन्हीं सदस्यों को अनुमति दी जा सकती है जिन्होंने अपने नाम दिए हैं।

श्री पी० कुलन्दईवेलू : वे मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : वे आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं। वे श्री डागा के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं··· **(व्यवधान)**

श्री जनार्दन पुजारी : हमें देश के विभिन्न भागों से आंकड़े प्राप्त करने पड़ते हैं···

(व्यवधान)

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : ये आंकड़े सभा पटल पर रखे जाने चाहिएं, न कि प्रस्तुत किये जाने चाहिए··· **(व्यवधान)**

श्री जनार्दन पुजारी : ये आंकड़े मुझे जैसे ही प्राप्त होंगे और राज्य सरकारों से उपलब्धता के अध्यधीन मैं उन्हें यथा सम्भव सभा पटल पर रखूंगा। जैसे ही वे हमें भेजेंगे, निश्चय ही मैं उन्हें सभा के समक्ष रख दूंगा। यद्यपि यह राज्य का विषय है फिर भी मैंने अपने लोगों को भी निर्देश दे दिए हैं। जहां तक गिरफ्तारी और अन्य बातों का सम्बन्ध है, हमारा उनसे कोई सम्बन्ध नहीं है। गिरफ्तारी और मुकदमे चलाने का काम राज्य सरकारों का है और वे ही इसकी निगरानी भी करती हैं और यही बात मुकदमों के बारे में है। इसमें कुछ समय लगता है। यह तो सदा चलता ही रहता है। हम राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों को इन मामलों को यथासम्भव तेजी से निपटाने की सलाह देंगे।

अब मैं उन कदमों का उल्लेख करता हूं, जो सरकार ने नजरबन्दी के बारे में उठाए हैं—हम लोगों को 'कोफेपोसा' के अन्तर्गत भी गिरफ्तार कर सकते हैं। वर्ष 1983 में हमने 67 व्यक्तियों को 'कोफेपोसा' के अन्तर्गत गिरफ्तार किया था और वर्ष 1984 में हमने 103 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था।

अब मैं माननीय सदस्य श्री डागा जी द्वारा दिए गए सुझाव की बात करता हूं। मुझे कहीं से पता चला है कि वे यह जानने के बहुत उत्सुक हैं कि जहां तक विधान का सम्बन्ध है, हम क्या कदम

[श्री जनार्दन पुजारी]

उठाये जा रहे हैं। जैसा कि मुख्य प्रश्न के मेरे उत्तर में बताया गया है, एक व्यापक विधेयक लाया जाएगा और कड़ा दण्ड दिया जाएगा। श्री डागा के सभी सुझावों पर ध्यान दिया जाएगा और उन पर उस समय विचार किया जाएगा और हम इस पर यथाशीघ्र अन्तिम निर्णय ले लेंगे। श्री डागा जी ने एक बहुत संगत बात कही है। हम इस बारे में बहुत गम्भीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं और हम इस पर ध्यान देंगे।

जब तक सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का सम्बन्ध है, सीमा-शुल्क विभाग और सीमा-सुरक्षा बल हमारे देश में स्वापक औषधियों की तस्करी रोकने के लिए हमारी सीमा पर कड़ी निगरानी कर रहे हैं। राज्यों और केन्द्रीय सरकार के विभिन्न प्रवर्तन अभिकरण स्वापक औषधियों को भारत में आने से रोकने के लिए हमेशा सचेत रहे हैं। अतः यहां भी हम राज्य सरकारों से सम्पर्क बनाए रखते हैं। हमने राज्य सरकारों को भी लिखा है और उनसे अनुरोध किया है कि जहां तक मामलों को पकड़ने, पता लगाने और मुकदमे चलाने का सम्बन्ध है, वे प्रभावशाली कार्यवाही करें··· (व्यवधान)

श्री हरि कृष्ण शास्त्री (फतेहपुर) : अनुरोध करने से उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

श्री जनार्दन पुजारी : यदि हम हस्तक्षेप करेंगे तो यह कहा जाएगा कि हम राज्यों के काम में हस्तक्षेप कर रहे हैं जो अनुमत्य नहीं है। हम केवल उनको सलाह दे सकते हैं। हम राज्यों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। माननीय सदस्य जानते हैं कि हमारी क्या-क्या सीमाएं हैं। यदि हम उस सीमा से बाहर जाते हैं, तो हस्तक्षेप करने पर हमारी निन्दा की जाएगी। अतः हम उस सीमा तक नहीं जा सकते हैं। इसके लिए संवैधानिक निषेध भी है। हमें संविधान के भीतर रह कर ही कार्य करना होगा।··· (व्यवधान)

स्वापक औषधियों को गैर-कानूनी रूप से भारत में लाये जाने को रोकने के लिए विभिन्न प्रवर्त्तन अभिकरणों में प्रभावी समन्वय बनाए रखा जाता है। परिचालन और सामरिक महत्त्व की आसूचना एकत्र करने और प्रसारण तथा भारत में, भारत के माध्यम से और भारत से स्वापक औषधियों के अवैध आवागमन की जांच हेतु अनुवर्ती कार्यवाही के मामले में अनेक देशों के साथ समन्वय और सम्पर्क बनाए रखा जाता है।

स्वापक औषधियों के अवैध आवागमन को रोकने के कार्य में लगे प्रवर्त्तन कार्मिकों को प्रशिक्षण देने पर अपेक्षित ध्यान दिया जाता है। केवल यही नहीं, भारत सरकार के समाज कल्याण विभाग ने एक सर्वेक्षण करने के आदेश भी दिए हैं। सर्वेक्षण किया जा रहा है और जैसा मैंने प्रश्न के मुख्य उत्तर में कहा है, उसकी रिपोर्ट निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रस्तुत की जाएगी। यह मई, 1986 में प्रस्तुत की जानी है।

देश में स्वापक पदार्थों की तस्करी पर निगाह रखने के लिए प्रमुख हवाई अड्डों और बन्दरगाहों पर विशेष स्वापक पदार्थ कोष्ठों (सैलों) का भी गठन किया गया है। दिल्ली हवाई अड्डे पर एक

श्वान कोष्ठ (डॉग सैल) का भी गठन किया गया है और देश में अन्य हवाई अड्डों पर इस प्रकार के कोष्ठ आरम्भ करने के लिए अधिक कुत्तों को प्रशिक्षित किया जा रहा है।

नई-नई स्थितियों से निपटने के लिए सीमा-शुल्क (स्वापक औषधियां) विभाग के निवारक तथा आसूचना तंत्र को सुदृढ़ बनाने के कदम उठाए जा रहे हैं।

यद्यपि उन क्षेत्रों में सीमा-शुल्क संगठनों के लिए पहले ही बेतार दूरसंचार की व्यवस्था की जा चुकी है जो विशेषकर तस्करी की दृष्टि से नाजुक हैं तथापि पोस्त उपजाने वाले क्षेत्रों के लिए बेतार दूर संचार की व्यवस्था करने हेतु एक प्रस्ताव तैयार किया गया है।

बम्बई तथा दिल्ली हवाई अड्डों पर आने वाले यात्रियों की जांच पड़ताल संगणक द्वारा की जाती है। हम इन तस्करी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों के बारे में आंकड़े एकत्र कर रहे हैं; और यह अनुभव किया गया है कि जब ही वे आएंगे तो इस संगणक द्वारा सूचना प्राप्त कर लेंगे, और हम इस तैयार सूचना को प्राप्त कर रहे हैं और हम इसके आधार पर कार्यवाही कर रहे हैं।

मेटाथीलीन, जो हाल ही में भारत से तस्करी के एक महत्वपूर्ण मद के रूप में उभरी है, के आयात, विनिर्माण तथा बिक्री आदि पर एक अधिसूचना द्वारा प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

यदि इसे पुनरावृति न कहा जाये, तो मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान दिये हुये है। पहले ही हमने पग उठाये हैं। व्यापक विधेयक, जिसे हम संसद में पेश करने जा रहे हैं, को अन्तिम रूप देते समय सभी पहलुओं पर विचार किया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय श्री सुभाष यादव उपस्थित नहीं हैं। अब श्री अमिताभ बच्चन बोलेंगे।

श्री अमिताभ बच्चन (इलाहाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आरम्भ में अवश्य ही अपने देश में मादक द्रव्यों की इस गम्भीर समस्या, और इससे भी अधिक विशेष रूप से हमारे युवकों पर इसके होने वाले गम्भीर प्रभावों की ओर इस सभा का ध्यान आकर्षित करने का मुझे अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।

किन्तु क्या मैं इस विषय पर बोलने से पूर्व आप की अनुमति से अपने एक सहयोगी और साथी-सांसद, श्री ललित माकन के, जिन्हें हमने बहुत ही दुःखद परिस्थितियों में खो दिया है, सम्बन्ध में कुछ क्षण बोलना चाहता हूं और जो, जैसाकि मुझे स्पष्ट रूप से स्मरण है, माननीय सदस्य श्री स्वैम तथा मेरे साथी इस समस्या को ही उठाने के लिए प्रायः खड़े हो जाते थे। आज हम उनकी अनुपस्थिति को महसूस कर रहे हैं।

मैं संसद के लिए नया हूं। मैं श्री ललित माकन के लिए भी नया था। किन्तु उनमें एक विशेष गुण था जो किसी को उनके—उनके साहस आत्म विश्वास के प्रति आकर्षित कर देता था। ये गुण थे

[श्री अमिताभ बच्चन]

जिनका इस संसद में हम नये सदस्य अनुकरण करना चाहते थे। और यह बहुत ही दु:खद बात है कि जब आज वह हमारे साथ नहीं हैं तो वास्तव में हमारे पास कोई व्यक्ति नहीं है जिससे हम प्रेरणा प्राप्त कर सकें।

फिर भी मैं जिस व्यवसाय से हूं, वहां हमें सदैव यह सिखाया जाता रहा है कि काम अवश्य ही जारी रहना चाहिए और यह जारी रहेगा।

मंत्री महोदय ने माननीय सदस्य, श्री डागा द्वारा उठाये गये बहुत से प्रश्नों का उत्तर बहुत ही विस्तृत रूप से दिया है। उस पर निर्भर रहने की कोई बात नहीं है। कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में मैं कहना चाहता हूं। भौगोलिक रूप से भारत दो क्षेत्रों के, जो स्वापक औषधों तथा इसके उत्पादन के लिए ज्ञात है, बीच में है। अन्तर्राष्ट्रीय शब्दावली में उन्हें सामान्यतय: स्वर्ण अर्द्ध-चन्द्र (गोल्डन क्रेसेंट) और स्वर्ण त्रिकोण (गोल्डन ट्राएंगल) कहा जाता है और यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि भारत को इन दो क्षेत्रों के बीच में जुड़ना पड़ा है और इसे विश्व के अन्य भागों में सभी प्रकार की अवैध औषधों को ले जाने के लिए इस देश के द्वारा गुजरने के लिए मार्ग बनना पड़ा है। यह भी आरोप लगाया गया है कि पाकिस्तान इस अवैध औषध का एक बहुत बड़ा उत्पादक है और चूंकि हमारी बहुत बड़ी सीमा अपने पड़ोसी देश के साथ लगती है, इसलिये पाकिस्तान में विधि-विरोधी कार्य चल रहे हैं और इस पर नियंत्रण करने के लिए कुछ पग उठाने होंगे।

हाल ही में पिछले महीने हुई भारत पाक संयुक्त आयोग की बैठक में इस बात पर सहमति हुई थी कि दोनों देश स्वापक द्रव्यों को जब्त करने के बारे में सूचना एक दूसरे को देंगे और इस खतरे का मुकाबला करने के लिये आसूचना विकसित करेंगे। इस सम्बन्ध में दोनों पक्षों द्वारा कार्य-विधियों के बारे में सहमत हो जाने के बारे में सूचना का आदान-प्रदान आरम्भ किया जाना है। मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि क्या कार्य विधियों के बारे में आगे कोई प्रगति हुई है और कब तक उनके पूरा किये जाने की सम्भावना है क्योंकि ये कार्य-विधियां तैयार करने में जितना समय बर्बाद होगा उतनी ही हेरोइन और औषधों की अवैध तस्करी जारी रहेगी।

विश्व भर में विभिन्न कड़े दण्ड दिये जाते हैं और कुछ देशों में मौत का दण्ड दिया जाता है। कुछ देशों में आजीवन कारावास के दण्ड का प्रावधान है। किन्तु हमारे देश में, मेरे विचार में अधिकतम दण्ड तीन वर्ष का है। मेरा विचार है कि इस सम्बन्ध में कुछ और भी किये जाने की आवश्यकता है।

मंत्री महोदय ने एक-दो दिन पहले सभा में कहा था और हमें जानकारी दी थी कि एक विधेयक पारित करने के लिए व्यापक उपाय किये जा रहें हैं ताकि इन कार्यों को रोका जा सके। मेरा विचार यह है कि मेरी बायीं ओर बैठे माननीय सदस्य श्री अजय मुशरान ने भी कहा था कि सामान्यत: एक विधेयक को लागू होने में एक वर्ष लग जाता है। क्या हम वास्तव में एक वर्ष तक प्रतीक्षा करें और यह देखें कि ऐसे और कदाचार होते रहें। मैं जानता हूं कि चिन्ताजनक दर से तस्करी

की जा रही है। किन्तु अत्यन्त चिन्ता जनक बात तो वह ढंग है जिससे इन औषधों को हमारे देश में लाया जा रहा है।

श्री डागा ने ठीक ही कहा है कि मैं सम्भवतः बम्बई के बारे में अधिक जानकारी दे सकता हूं और मैं ठीक वही आपको बताना चाहता हूं। बम्बई नगर में हमारे स्कूलों के बाहर इसे बेचा जा रहा है। संदिग्ध तरीकों से छोटे-छोटे भोले-भाले बच्चों को स्वापक द्रव्यों की ओर लाया जा रहा है। जब किसी स्कूल में आधी छुट्टी का समय होता है और ये छोटे बच्चे आईसक्रीम अथवा खाने-पीने की अपनी मनभावन वस्तुएं खरीदने के लिए बाहर आते हैं, तो इन्हें इन आईसक्रीम विक्रेताओं द्वारा घेर लिया जाता है, जो 'स्मैक' 'ब्राउन शूगर के सांकेतिक नाम से इन घातक औषधों को तथा अत्यन्त घातक 'ऐंजिल डस्ट' को आईसक्रीम अथवा लोली पोप के साथ चोरी छिपे मिला देते हैं। इन मिठाइयों, जो ये बच्चे खरीद रहे होते हैं, पर ये स्वापक द्रव्य रगड़ कर मल दिये जाते हैं और ये मिठाइयां इन बच्चों को दे दी जाती हैं। अधिकांश मामलों में बच्चों को इन आईस-क्रीमों तथा मिठाइयों की मुफ्त देने की पेशकश करके फुसलाया जाता है। स्थायी रूप से इसमें फंसने के लिए किसी बच्चे के लिए तीन खुराकों से काम चल जाता है और बच्चों को इतनी हानि पहुंचती है कि उसे ठीक नहीं किया जा सकता। मैं इसके परिणामों, इन बच्चों को होने वाले नुकसान का आपके समक्ष वर्णन नहीं कर सकता हूं। इन बच्चों को बहुत छोटी आयु में, उनमें से कुछ 10 से 12 वर्ष आयु वर्ग के होते हैं घर बाहर निकलने और समाज के लिये खतरा बनने से रोकने के लिए घर में फर्नीचरों के साथ रस्सी से बांध दिया जाता है। जब उन्हें ये मादक दवाएं नहीं मिलती हैं, तो वे पैसे चुराते हैं। वे मादक दवाएं खरीदने के लिए अपने घरों की कीमती चीजें बेच देते हैं। वे हिंसक बन जाते हैं, वे समाज को ही नहीं अपने माता-पिता से भी गाली-गलौज करते हैं। मेरे विचार से किन्हीं माता-पिता अथवा बच्चे के लिए यह सहन करना भयावह स्थिति है। और मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को उन स्कूलों, जिनमें हमारे बच्चे आपके, मेरे और इस सभा के अन्य सदस्यों के बच्चे पढ़ने जाते हैं, के बाहर चल रही ऐसी गतिविधियों की जानकारी है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री मुझे इन प्रश्नों का उत्तर दें और मुझे सूचित करें कि तत्काल क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक वक्तव्य में कहा था कि समाज और महिला कल्याण मंत्रालय द्वारा किए जाने वाले व्यापक सर्वेक्षण के पूरा होने पर ही समस्या की गम्भीरता का पता चल सकेगा। यह अध्ययन 1986 के मध्य तक पूरा हो पाएगा और फिर यह अध्ययन 1986 के मध्य तक यहां प्रस्तुत किया जाएगा। मैं मंत्री महोदय से पूछता हूं कि तब तक हमारे बच्चे क्या करेंगे।

उन्होंने यह भी कहा था कि स्वापक पदार्थों पर एक व्यापक विधान अन्तिम चरणों में है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया थोड़ा सा और कुछ कहें और मुझे बताएं कि अग्रिम स्थिति का अर्थ क्या है क्योंकि हमारे बच्चे, जो प्रतिदिन, प्रतिपल हमारे स्कूलों में परेशान हो रहे हैं, उनका प्रत्येक पल कीमती है।

प्रो० मधु दण्डवते : वह प्रायः अधिक बोलते हैं।

श्री अमिताभ बच्चन : मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता। इस गरिमायुक्त सभा में यह मेरा प्रथम प्रयास है। मैं अन्त में एक बात और कहना चाहता हूं।

[श्री अमिताभ बच्चन]

यह एक तथ्य है कि तस्करी की रोकथाम करने वाले प्रवृत्तन अभिकरणों की बहुलता के कारण कार्यवाही में व्यवधान पड़ता है और यदि हां, तो क्या सरकार का इस प्रक्रिया को सुचारू बनाने का विचार है ताकि शीघ्र कार्यवाही की जा सके ? यह केवल एक सुझाव है जो मैंने दिया है और मैं चाहता हूं माननीय मंत्री अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें।

आंकड़ों आदि के बारे में वह अधिक जानकार हैं। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि एक दो वर्ष पूर्व हम आंकड़े अंगुलियों पर गिन सकते थे परन्तु अब उनकी संख्या लाखों में पहुंच गई हैं। इसमें अधिक जाने कोई लाभ नहीं है। परन्तु उपचार और पुनर्वास की सुविधाएं बहुत कम हैं। इन बच्चों को बहुत अधिक सहायता की जरूरत है। वे युवा हैं, मासूम हैं, जब वे इन दवाओं के चंगुल में फंस जाते हैं तो उनका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रह जाता है और उनकी बहुत अधिक देख-भाल करनी होती है।

मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री मुझे यह बताएं कि इन बच्चों को उपचार और पुनर्वास की क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं। क्योंकि कुछ माता-पिता ही अपने बच्चों को घर में रख पाने में सफल हो पाते हैं। परन्तु अन्य माता पिता ऐसा नहीं कर पाते हैं और वे बच्चे समाज में जाते हैं तो समाज के लिए खतरा बन जाते है। वे एक बुराई हैं क्योंकि वे वास्तव में वे क्या हैं यह नहीं रह पाते। वे लगभग पशु के समान बन जाते हैं और वे समाज के लिए खतरा बन जाते हैं और उन पर नियन्त्रण रखना आवश्यक है। यह मेरा माननीय मंत्री से यह मेरा उत्कट आग्रह है और मैं आभारी होऊंगा यदि वे मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर दें।

अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं एक छोटी-सी बात कहना चाहता हूं जिसका इससे कोई सरोकार नहीं है उसका सरोकार विपक्ष के माननीय सदस्यों से है, जो मेरे बारे में अत्यधिक बोलते रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कोई आवश्यकता नहीं है।··· (व्यवधान)

श्री अमिताभ बच्चन : अच्छे परिणामों की आशा करते हुए मैं उसका उल्लेख नहीं करूंगा।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं माननीय सदस्य को बम्बई में व्याप्त स्थिति के बारे में विस्तृत तथा सुस्पष्ट स्थिति के बारे में बताने के लिए धन्यवाद करता हूं। हमने इस बारे में समाचार पत्रों में भी देखा है। समाचार पत्रों में भी इन औषधों के खतरे के बारे में प्रकाश डाला है और वास्तव में मैंने जब माननीय सदस्य को सुना तो मुझे अधिक विस्तार से मालूम हुआ है।

यहां एक ऐसी स्थिति व्याप्त है, जैसाकि मैंने अपने प्रारम्भिक उत्तर में बताया है कि हर एक को इस बारे में चिंतित होना चाहिए क्योंकि एक खतरा है।

1.00 म० प०

अब उसके बारे में कहूंगा जिसे माननीय सदस्य ने उठाया है कि क्या हम भारत-पाक संयुक्त आयोग, जिसकी 2 जुलाई से 4 जुलाई 1985 तक दिल्ली में बैठक हुई थी, द्वारा उसमें दिये गये सुझावों को कार्यान्वित करेंगे।

माननीय सदस्य ने पूछा है कि यह विधान कब लाया जाएगा। मैं माननीय सदस्य को केवल यह आश्वासन दे सकता हूं कि हम इस सत्र में ही विधान लाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि ऐसा न किया गया तो हम निश्चित रूप से इसे आगामी सत्र में लायेंगे। किन्तु मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन दे सकता हूं कि मैं व्यक्तिगत रूप से इस ओर ध्यान दूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि इसी सत्र में ही इसे पुर:स्थापित किया जाये।

इस खतरे को नियंत्रित करने के बारे में उठाये जाने वाले कदमों के बारे में, मुझे आशा है कि राज्य सरकारें भी इस बारे में सतर्क रहेंगी। वे इस खतरे के बारे में इस सभा के अन्दर तथा बाहर व्यक्त चिन्ता की ओर ध्यान देंगे। मैं सम्बन्धित राज्य सरकारों को इन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही क्योंकि हम अब तक की गयी कार्यवाही से बिल्कुल ही सन्तुष्ट नहीं हैं। इस ओर ध्यान दिया जाये और राज्य सरकारों को कड़ी कार्यवाही करने के लिए कहा जाना चाहिए।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : वह इसे राज्य सरकारों पर डाल रहे हैं। यह मूलत: सीमा के पार रोकने का प्रश्न है।

श्री जनार्दन पुजारी : यदि मैं विस्तार से बताने लगूं, तो इसमें कई घन्टे लग जायेंगे। प्रत्येक राज्य में इस खतरे को नियन्त्रित करने तथा अपराधियों के विरुद्ध मुकदमे दायर करने के लिए भी कानून बने हुए हैं। वे दण्डात्मक कार्यवाही भी कर सकते हैं। केन्द्रीय सरकार तो केवल तस्करी के मामले से सम्बंधित है।

माननीय सदस्य ने किशोर अवस्था के लड़कों की न केवल कालेजों प्रत्युत गलियों में दुर्दशा के बारे में कहा है। यदि राज्य सरकारें इन बातों की ओर ध्यान दें, तो निश्चय ही हम इन अवैध गति विधियों का दमन करने में काफी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मैं माननीय सदस्यों से पुन: अनुरोध करता हूं कि वे इन लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के लिए अपनी-अपनी राज्य सरकारों से अनुरोध करें।

1.02 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 म० प० बजे तक के लिए स्थगित हुई।

2.06 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2 बजकर 6 मिनट म० प० पर पुन: समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[हिन्दी]

श्री धर्मपाल सिंह मलिक (सोनीपत) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को डागा जी ने अपने पुराने तजुर्बे के आधार पर और बच्चन जी ने अपने बम्बई की रिहाइश के आधार पर बहुत ही मनोरंजक बना दिया है। आज का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव बहुत ही गम्भीर और चिंताजनक है। हेरोइन और दूसरी नशीली दवाओं के सेवन करने से देश की तमाम सामाजिक और आर्थिक हालत पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। नौजवान लड़कों और लड़कियों की सेहत खराब होती जा रही है। कुछ नशीले पदार्थ जैसे गांजा, भांग वगैरह हिन्दुस्तान में ही पैदा होते हैं। कुछ राजस्थान के जिलों में ओपीयम भी पैदा होती है। लेकिन सबसे ज्यादा हमारे देश के अन्दर नशीली चीजों का प्रभाव स्मगलिंग के आधार पर है। माननीय मंत्री जी ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि हमारे देश के अन्दर हेरोइन, हशीश और अफीम वगैरह की स्मगलिंग पाकिस्तान से बहुत हुई है। मैं तो इस मामले में यह कहना चाहूंगा कि भारत के नागरिकों विशेष तौर से नवयुवकों को नशीली चीजें खाने के आदी बनाकर तथा उनको बर्बाद करके इक्कीसवीं सदी के भारत को नष्ट करने का यह एक अन्तर्राष्ट्रीय षडयन्त्र है। यदि हम इस बुराई से नहीं उभरे तो देश एक मुर्दा-लाश की तरह हो जाएगा। आप सबको पता है कि 17वीं और 18वीं शताब्दी में जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था तब उन्होंने साजिश की थी। चीन में हेरोइन और अन्य नशीली चीजों की बड़ी मात्रा में स्मगलिंग की थी। चीन के लोगों को इन चीजों का आदी बना दिया और आहिस्ते-आहिस्ते तमाम चीजों पर कैपचर कर लिया था। हमारे देश में सोशल वैलफेयर डिपार्टमेंट द्वारा एक सर्वे किया गया था। इस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के अनुसार यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले लड़के-लड़कियों के नशीले पदार्थों के सेवन में काफी वृद्धि हो रही है। इनका सेवन पहले अमीर लोग करते थे। लेकिन अब ये बुराइयां आम आदमी तक पहुंच चुकी हैं। हमारी राजधानी का शायद ही कोई एरिया ऐसा हो जहां पर ये चीजें न मिलती हों। डागा जी ने कुछ एरियाज के बारे में मेंशन किया था। लेकिन दिल्ली का तमाम एरिया इन चीजों के प्रभाव में है। दूसरा स्थान हिन्दुस्तान में बम्बई का आता है। यहां सबसे ज्यादा स्मगलिंग की नशीली चीजें आती हैं। पिछले तीन माह में दिल्ली के अन्दर छह करोड़ रु० की हशीश, हेरोइन और स्मैक पकड़ी गई। हालांकि यह आंकड़ा सही नहीं है क्योंकि सही मायनों में जितनी स्मगलिंग में नशीली औषधियां आती हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा दस प्रतिशत दिखाया जाता है बाकी पुलिस और दूसरे अधिकारी मिलकर साफ कर देते हैं।

अभी कुछ दिन पहले दयाल सिंह कालेज के एक प्रोफेसर हरभजनलाल गुलाटी के पास से 10-12 लाख रुपए की हेरोईन पकड़ी गई थी जो विशेष किस्म की थी और जो थाइलैंड पावडर के नाम से प्रसिद्ध है। इन्वेस्टीगेशन के दौरान उन्होंने बताया कि उन्हें यह हेरोईन मि० कोहली नाम के एक व्यक्ति से मिली जो उनके मकान में कुछ दिनों से रहते थे। उन्होंने प्रोफेसर हरभजन लाल गुलाटी से कुछ पैसा उधार लिया और उस पैसे के बदले हेरोइन दे दी। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि प्रोफेसर गुलाटी को जब आपने गिरफ्तार कर लिया है और उन पर केस भी चलाया जा रहा है, लेकिन मि० कोहली के विरुद्ध क्या कार्यवाही की, जिनके बारे में कहा गया कि उन्होंने ही हेरोइन

सप्लाई की थी। यदि उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही हुई है तो मंत्री महोदय स्पष्ट करें कि उनसे क्या बरामद हुआ और आगे क्या सोर्स मिला है।

राजस्थान के कुछ सीमावर्ती जिले : जैसलमेर, बाड़मेर और गंगानगर, एक तरह से भारत और पाकिस्तान के तस्करों के अड्डे बने हुए हैं और वहां पर दरअसल में पुलिस का शासन नहीं है बल्कि तमाम सीमा पर इन तस्करों का शासन है। अभी कुछ समय पहले हमारे बी० एस० एफ० के जवानों ने बड़े अच्छे और नाटकीय ढंग से 1870 करोड़ रुपए की लगभग 321 किलो ग्राम हेरोईन तस्करों से पकड़ी थी और दूसरी ओर पाकिस्तान के इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर जिलों से भारत में भारी मात्रा में हेरोइन आदि पदार्थों की स्मगलिंग होती है परन्तु अफसोस की बात यह है कि कई मामलों मे हमारे अधिकारी-गण और विशेषकर पुलिस वाले इन तस्करों से मिल जाते हैं। वे माल तो पकड़ लेते है लेकिन तस्करी करने वाले लोगों को भागा हुआ दिखा देते हैं। मैं जानना चाहूंगा कि जब आपके इतने अधिकारी, इतने पुलिस वाले सीमाओं पर तैनात हैं, और वे स्मगलिंग का माल तो पकड़ लेते हैं, लेकिन स्मगलर्स को नहीं पकड़ पाते, इसके पीछे कारण क्या है? क्या सरकार ने कभी यह जानने की कोशिश की है। यह साफ तौर पर पुलिस वालों की तस्करों के साथ मिली भगत है। वे स्मगलर्स को छोड़ देते हैं और कोई कार्यवाही उनके विरुद्ध नहीं करते। इसके अलावा मैं मन्त्री महोदय के ध्यान में लाना चाहूंगा कि इंटरनेशनल कण्ट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार भी भारत नशीली औषधियों की तस्करी का बड़ा भारी अड्डा बनता जा रहा है और यहां यह धन्धा बहुत जोरों से चलता है। इन हालात को देखते हुए, मन्त्री महोदय कृपया मेरे चार-पांच प्रश्नों का उत्तर देने का कष्ट करें :

(1) सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि कुछ सालों से भारत में नशीले पदार्थों की तस्करी की मात्रा में लगातार वृद्धि होती जा रही है, इस तथ्य को स्वयं मन्त्री महोदय ने स्वीकार किया है, उसके बावजूद सरकार की ओर से ढील बरते जाने के क्या कारण हैं। जब सरकार को पता था कि पिछले कई सालों से नशीले पदार्थों की तस्करी बढ़ती ही जा रही है तो सरकार ने उसके विरुद्ध सख्त कदम क्यों नहीं उठाए।

(2) दूसरा प्रश्न मैं जानना चाहूंगा कि तस्करी समाप्त करने के लिए इंटर पोल स्टेशन डिवीजन, जिसका हैडक्वार्टर्स पेरिस में है और जिसका कार्य तस्करी को रोकना है, की सरकार ने कोई सहायता ली है या नहीं। यदि कोई सहायता ली है तो इंटरपोल की इत्तला के आधार पर कितने केसेज पकड़े गए और उनकी सूचना पर हमारी पुलिस या अधिकारियों ने कितने केसेज को नहीं पकड़ा, और उसके क्या कारण थे।

(3) तीसरा प्रश्न मैं जानना चाहता हूं कि सी० बी० आई० के नार्कोटिक्स विंग को सुदृढ़ करने के लिए, सरकार क्या कोई कदम उठा रही है? यदि हां तो उसके स्टाफ में कितनी वृद्धि की गई है।

(4) चौथा प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं कि उन पुलिस कर्मचारियों या अधिकारियों के विरुद्ध आज तक क्या कार्यवाही की गई जिनकी गलती से अधिकतर मामलों में तस्कर बच कर निकल जाते हैं और जो कर्मचारी या अधिकारी तस्करों से मिलकर तस्करी के

[श्री धर्मपाल सिंह मलिक]

कार्य को बढ़ावा दे रहे हैं। इस तरह के कितने केसेज प्रकाश में आए हैं और कितने अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है;

(5) पांचवां प्रश्न मैं जानना चाहता हूं कि विषय की गम्भीरता को देखते हुए क्या सरकार ने कोई सर्वे करवाया है कि इन नशीली चीजों का भारत के नागरिकों पर क्या प्रभाव पड़ा है, कुल भारतवर्ष में कितने प्रतिशत लोग इससे प्रभावित हैं; और

(6) अन्तिम प्रश्न मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार द्वारा शिक्षा मन्त्रालय को ऐसे कोई दिशा-निर्देश दिए गए हैं ताकि विद्यार्थियों पर इस बुराई का असर कम हो और इसके साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूं कि—क्या सरकार नशीली दवाइयों को खाने की आदत छुड़ाने के लिए कोई मेडीकल सेण्टर स्थापित करने का विचार रखती है, या नहीं ?

इन शब्दों के साथ, मैं मन्त्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि जो तमाम प्रश्न मैंने अपने भाषण में उठाए हैं, उनके बारे में वे अपनी सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण दें और इस विषय को बहुत गहराई से न लेकर, इस पर डागा जी ने अपने भाषण में जो विचार व्यक्त किया है कि इसके लिए कानून जल्दी बनना चाहिए, कोई कानून बनाने पर क्या वे विचार कर रहे हैं। मैं डागा जी की बातों की ताईद करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए अधिकांश प्रश्नों के उत्तर मैं पहले ही दे चुका हूं।

शिक्षा विभाग द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में भी मैं मुख्य उत्तर में बता चुका हूं।

माननीय सदस्य ने अन्तर्ग्रस्त अधिकारियों के बारे में पूछा है। वह सूचना मेरे पास उपलब्ध नहीं है। अन्तर्ग्रस्त अधिकारियों तथा पुलिस के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। यदि विशिष्ट उदाहरण हमें बताए जाएं, तो निश्चित रूप से हम कार्यवाही करेंगे।

जहां तक विधान का सम्बन्ध है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसे लाया जायेगा।

रोगियों को दिए गए उपचार के बारे में हमारे यहां समाज कल्याण विभाग और स्वास्थ्य विभाग है जो इसकी जांच कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग से जिला अस्पतालों तथा मेडिकल कालेजों के मनोविकृति-सम्बन्धी विभागों में विभिन्न व्यसन छुड़ाने के केन्द्र स्थापित करने का पहले ही अनुरोध किया जा चुका है। छात्रों की शिक्षा के सम्बन्ध में विद्यालयों को नाटक प्रतियोगिताओं को आयोजित करने के लिए कहा गया है। उस कार्यक्रम के विवरण भी मुख्य उत्तर में दिए गए हैं। प्रो० गुलाटी से पकड़ी गई हेरोइन के बारे में, पुलिस जांच कर रही है। इसके विवरण मेरे पास नहीं है। बहुत से

मामले हैं जैसा कि आप जानते हैं कि हम हेरोइन और अन्य खतरनाक औषधों के पकड़ने में लगे हुए हैं। सरकार ने इन बातों की ओर गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिया है। विभिन्न एजेंसियों द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में पहले ही बताया जा चुका है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो राज्य एजेंसियों तथा हमारे स्वापक आयुक्त कार्यवाही कर रहे हैं, जिसके बारे में विवरण मैं पहले ही दे चुका हूं।

अतः महोदय, मेरे विचार में ऐसी कोई बात नहीं है जिसके बारे में मैंने न बताया हो। धन्यवाद।

[हिन्दी]

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि यह प्राब्लम बहुत ही सीरियस है। मन्त्री जी ने जिस तरह से इस विषय को लिया है, उससे ऐसा नहीं लगता है कि ये सीरियस है। मेरे पास तो उपाध्यक्ष महोदय, बहुत डाकुमेंट्स हैं, और मैं उनके आधार पर कहना चाहता था, लेकिन आपने कहा है कि मैं जल्दी समाप्त करूं, इसलिए ज्यादा विस्तार में न जाते हुए यह कहना चाहता हूं कि इंडियन कौंसिल आफ मैडीकल रिसर्च का कहना है कि केवल दिल्ली में ही 35 परसेंट स्टूडेंट्स ये ड्रग्स लेते हैं। दूसरे शहरों में 25 परसेण्ट स्टूडेंट्स लेते हैं। लेकिन अकेले दिल्ली में ही 35 परसेण्ट स्टूडेंट ड्रग्स ले रहे हैं।

आप लोगों ने शायद किसी ड्रग्स पेशेंट को नही देखा है इसलिए आप उनकी व्यथा को नहीं जान सकते हैं, लेकिन मैंने तीन-चार ऐसे पेशेंटों को देखा है। वे किस तरह तिल-तिल कर मर रहे हैं, अपने स्वास्थ्य को खराब कर रहे हैं, जिससे उनकी पत्नी और उनके परिवार पर क्या बीतती है, यह मैंने देखा है। मैं यह कहूंगा कि समस्या बहुत ही सीरियस और गंभीर है, इसको पूरी गम्भीरता से लेना चाहिए।

माननीय मन्त्री जी ने राज्य सभा के पिछले सैशन में कहा था कि वह बिल लाएंगे, अभी भी उन्होंने कहा कि बिल लाएंगे। मैं जानना चाहता हूं कि वह बिल इंट्रोड्यूस करेंगे या इस सैशन में पास भी कराएंगे ?

इस समस्या की स्टडी के लिए एक गोपालन समिति बैठी थी। क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि उस गोपालन कमेटी के मेन रिकमैंडेशन्ज क्या थे और जो लैजिस्लेशन बनेगा, उसमें उस गोपालन कमेटी के रिकमैंडेशन्ज को इन-कारपोरेट किया जाएगा ?

मेरे मित्र डागा साहब ने सारी बातें कही हैं, अमिताभ बच्चन जी ने, मलिक साहब ने बहुत सारी बातें कही हैं, उसके बाद कहने को क्या रह जाता है ? लास्ट स्पीकर के साथ यह मिस-फारचून होती है। मैं यही कहूंगा कि श्री अमिताभ बच्चन जी ने जो प्रश्न उठाए और जिसमें आपने कहा कि अगले साल के मिडिल तक स्टडी होगा, फिर बताएंगे, यह बड़ी सीरियस बात है, आप इसे सुनिये, आपने कहा कि —

[डा० गौरी शंकर राजहंस]

[अनुवाद]

"कुछ महा नगरों तथा अन्य स्थानों, कुछ भागों में छोटे पैमाने पर से हेरोइन के दुरुपयोग के औषध के रूप में आविर्भाव होने का कुछ संकेत मिलता है। यद्यपि व्यापक सर्वेक्षण के, जिसे समाज कल्याण तथा महिला कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया है, पूरा हो जाने पर ही इस समस्या के आकार के बारे में पता चलेगा। ये अध्ययन 1986 के मध्य तक पूरे किए जाने की सम्भावना है।"

[हिन्दी]

इससे क्या लगता है ? इससे नहीं लगता है कि आप बहुत कैजुअली ले रहे हैं ? या आपने जो कहा है—

[अनुवाद]

"हेरोइन के दुरुपयोग के औषध के रूप में आविर्भाव होने का कुछ संकेत मिलता है।"

[हिन्दी]

यह स्माल-स्केल नहीं है, बहुत बड़े स्केल पर है।

मैं माननीय मन्त्री जी को यही कहता हूं कि मेरे साथ चलें, मैं बताऊंगा। मैं भी दिल्ली में गैस्ट हाउसेज में जाता हूं, मैं 20 में से 20 में हेरोइन पकड़वा दूंगा, यह दावे के साथ कहता हूं। मन्त्री जी को पता नहीं है, यह समस्या बड़ी गम्भीर है।

श्री अमिताभ बच्चन जी ने बड़ी सीरियस बात कही कि इंडिया सेंडविच हो गया है ट्राइ-एंगिल एण्ड गोल्डन क्रीसेंट में। ट्राइएंगल में आता है बर्मा, थाइलैंड और ताइवान और गोल्डन क्रीसेंट में आता है ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। यहां से ये ड्रग्ज इंडिया में आते हैं और यहां से होकर फिर दूसरे देशों में जाते हैं।

जब रूस अफगानिस्तान में चला आया तो रशियन लाज इतने कठिन हैं कि ड्रग-एब्यूज अफगानिस्तान में नहीं हो पा रहा है। यह सारी चीजें पाकिस्तान को ट्रांसफर हो गईं। उधर ईरान में इस्लामी ला आ गया तो ईरान में भी यह नहीं हो पा रहा है और वह पाकिस्तान में आ गया। यह बहुत गम्भीर समस्या है।

नेपाल में ओपियम की खेती खुले आम होती है, वहां यह लीगल है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। नेपाल में एक किलो ओपियम का दाम 2,000 रुपए होता है, भारत आकर वह 30,000 रुपए हो जाता है और अमेरिका जाकर वह 3 लाख हो जाता है। यह कितने बड़े स्केल पर चल रहा है, आपको पता नहीं है।

आप जानते हैं, आप कहते हैं कि आपने पकड़ा, एक तो बहुत फैजुअली कह रहे हैं कि थोड़ा-बहुत पकड़ा। आपने जो पकड़ा वह टाप आफ दी आइसवर्ग पर नहीं है। हमारा सारा समाज इससे दूषित हो रहा है।

अगर दिल्ली में कोलरा फैल जाए तो आप एक्शन लेंगे या नहीं। बिहार में और बंगाल में एक जगह पुरुलिया है, अब तो बंगाल में चला गया है, यहां लैंपोरेसी बहुत होता था, अब होता है या नहीं, मुझे पता नहीं। पुरुलिया का नाम लेते हुए ही लोग कांप जाते थे। कुछ दिनों के बाद दिल्ली में लोग अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहेंगे, वह दिल्ली का नाम लेकर कांप जाएंगे क्योंकि हरेक कालेज और स्कूल में बच्चे ड्रग्स लेते हैं और हम लाचार होकर यह सब देखते रहेंगे।

हमारे एक मित्र ने ठीक कहा है कि जिसने चीन का इतिहास पढ़ा होगा उसको मालूम होगा कि किस तरह अंग्रेजों ने चीन के लोगों को अफीमची बना दिया। महोदय, यह कहानी आपने पढ़ी ही होगी कि कैसे स्फेअर ऑफ इनफ्लूयेंस बना दिया। 1949 में चीन को आजादी मिली, उससे पहले उसकी क्या हालत थी, यह तो आप जानते ही हैं।

मैं मन्त्री महोदय से 1-2 बातें और पूछना चाहता हूं कि वह यह बताएं कि 1986 के पहले हमारे बच्चे क्या करें ? दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आप कृपा कर भगवान के लिए यह मत कहें कि यह स्टेट का जिम्मा है। जब हम अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाते हैं और यह बात कहते है कि यह मामला स्टेट देखेगा तो लोग कहते हैं कि आप वोट दिल्ली से ले आइए। आज किस स्टेट की हिम्मत है कि आप डायरेक्शन दें और वह काम न करे। आपने जिस तरह कस्टम का, गोल्ड का सेंटर लैजिस्लेशन बनाया, वैसा आप इसमें भी बनाएं।

हमारे देखने में यह भी आया है कि कभी कोई स्मगलर पकड़ में आ जाता है तो 10 हजार रुपये देकर उसकी जमानत हो जाती है और वह रिहा हो जाता है। इतनी देर तक उस पर मुकदमा चलता है, जिसका कोई हिसाब नहीं है। यदि अमेरिका जैसा देश सख्त कानून बना सकता है कि कोई अगर नारकोटिक्स और ड्रग्स में डील करेगा तो उसको 18 साल की सजा होगी, तो क्या हम नहीं कुछ कर सकते। पिछले साल इंग्लैंड ने भी ऐसा कानून बनाया है कि जो नारकोटिक्स और ड्रग्स में डील करेगा तो उसको लाइफइम्प्रीजमेंट मिलेगा।

अब मैं एक और जबर्दस्त बात बताना चाहता हूं जो कि लोगों को मालूम नहीं है। भारत और नेपाल के बार्डर में और भारत और पाकिस्तान के बार्डर में जो स्टेट्स इंडिया में हैं, जैसे बिहार, यू० पी०, राजस्थान, वहां पर अफीम की खेती होती है। एक स्टडी के अनुसार 750 टन अफीम हर साल यहां पैदा होती है। मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या मन्त्री जी को इसके बारे में पता है ? यदि पता है तो उन्होंने इस बारे में क्या कार्यवाही की ?

मणिपुर और बर्मा के बार्डर पर 40 किलोमीटर ऐसी जगह है, जहां आदिवासी खुले आम आ और जा सकते हैं। वहां बर्मा से ड्रग्स इण्डिया में आती हैं और वह ड्रग्स औरतें लाती हैं। क्या मंत्री जी को इसका पता है ? यदि पता है तो उन्होंने इस बारे में क्या किया ?

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, माननीय सदस्य ने व्यापक विधेयक लाये जाने के बारे में पूछा है। मैंने न केवल डागा जी, बल्कि श्री अमिताभ बच्चन के द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर दिया था। मुझे मालूम नहीं है कि माननीय सदस्य उस समय उपस्थित थे।

डा० गौरी शंकर राजहंस : मैं उपस्थित था।

श्री जनार्दन पुजारी : तब तो उन्होंने मेरा उत्तर सुना होगा। मैंने स्पष्ट कहा है कि ऐसा हो सकता है कि वह मेरे उत्तर से सन्तुष्ट न हुए हों। मैंने बताया था कि व्यापक विधेयक इस सत्र में लाया जाएगा। मैं इसे लाने का प्रयास करूंगा। यदि मेरे भरसक प्रयासों के बावजूद यह सम्भव न हुआ, तो आगामी सत्र में लाया जाएगा। मैने पहले ही स्पष्ट रूप से कह चुका हूं। मैं भरसक प्रयास करूंगा। मैं व्यक्तिगत रूप से इस ओर ध्यान दूंगा।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : उन्होंने पहले यह आश्वासन दिया कि इसी सत्र में ही इसे लाया जाएगा। अब वह इस प्रश्न का लाभ उठा रहे हैं और वह कुछ और ही कह रहे हैं। आपको अवश्य ही इस सभा की रक्षा करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा था "इसी सत्र में ही लाया जायेगा।" यदि वह ऐसा करने में असमर्थ रहते हैं, तो वह ऐसा आगामी सत्र में करेंगे। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय कृपया बैठ जाइए। माननीय सदस्य की शंका इसलिए है क्योंकि इसी प्रकार की चर्चा राज्य सभा में भी हुई थी। अतः उनकी शंका यह है कि क्या उसी प्रकार यह स्थगित होता रहेगा।

श्री जनार्दन पुजारी : मैंने इसे बहुत ही स्पष्ट कर दिया है कि मैं इसमें व्यक्तिगत रूप से रुचि लेता रहूंगा, और माननीय सदस्य द्वारा दिये गए सुझावों की ओर भी ध्यान दिया जाएगा। न केवल यही, बल्कि गोपालन समिति तथा अन्य समितियों के प्रतिवेदनों का, जिनका हवाला दिया गया है, भी देखा जाएगा; सभी बातों पर विचार किया जाएगा। हम इस बारे में बिना विचार किए शीघ्रता नहीं कर सकते। न केवल यही, बल्कि अन्तर - मन्त्रालय गुट भी है, जिसे इन सभी पहलुओं पर विचार करने हेतु गठित किया गया है। अतः सरकार ने इसे बहुत ही गम्भीरता पूर्वक लिया है। मैंने यह बताया है। अपने पूर्व उत्तरों में मैंने बताया है कि सरकार ने इसे हल्के-फुल्के रूप से नहीं लिया है। हमने इसकी ओर गम्भीरता पूर्वक ध्यान दिया है।

कार्यान्वयन के बारे में, मैंने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह एक राज्य विषय है। जहां तक मुकदमे दायर करने तथा अन्य बातों का सम्बन्ध है, राज्य कानून बने हुए हैं जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जाना होता है। जहां तक औषध अधिनियम का सम्बन्ध है, यह समस्त देश पर लागू होता है।

जहां तक देश में तस्करी तथा अन्य देशों को अवैध निर्यात का सम्बन्ध है, सरकार ने सभी प्रकार की सतर्कताएं बरती हैं। दण्डात्मक तथा निवारक उपाय पहले ही किये जा चुके हैं। मैंने की गई कार्यवाहियों के बारे में विस्तृत रूप से पहले ही बता दिया है। कई बार कुछ माननीय सदस्यों के सन्देहों को दूर करना बहुत ही कठिन लगता है। यदि मेरे माननीय सदस्य मेरे पास आने के लिए कुछ कष्ट करेंगे तो मैं अपने कार्यालय में भी विस्तारपूर्वक उनसे विचार-विमर्श करूंगा। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि उनके सुझावों की ओर ध्यान दिया जाएगा। मैं इसमें व्यक्तिगत रूप से रुचि ले रहा हूं। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि यदि माननीय सदस्य मेरे चैम्बर में भी आएं, तो मैं उनका स्वागत करूंगा और हम विचार-विमर्श कर सकते हैं।

2.32 म० प०

लोक सभा तथा विधान सभाओं के लिए चुनावों के दौरान मारे गए व्यक्तियों के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 216 के दिनांक 27 मार्च, 1985 को दिये गए उत्तर में शुद्धि करने और इस शुद्धि में विलम्ब के कारणों के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : दिनांक 27 मार्च, 1985 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 216 के उत्तर में लोक सभा पटल पर रखे गए विवरण के अनुच्छेद 30 में कहा गया कि :—

"3. भारत के चुनाव आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार मतदान केन्द्रों की राज्य-वार संख्या, जहां लोक सभा चुनाव के दौरान मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने के कारण फिर से चुनाव के आदेश दिए गए थे, इस प्रकार है :—

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	संख्या
1. आंध्र प्रदेश	29
2. बिहार	155
3. मणिपुर	2
4. पश्चिम बंगाल	2
5. हरियाणा	3
6. जम्मू-कश्मीर	30
7. उत्तर प्रदेश	38

[श्री एस० बी० चव्हाण]

पिछले पृष्ठ पर दिए उत्तर में बिहार तथा उत्तर प्रदेश के सामने दिखाए गए क्रमश: : आंकड़े "155" तथा "38" को क्रमश: "159" तथा "37" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाये।

शुद्धि विवरण तैयार करने में विलम्ब चुनाव आयोग से बाद में संशोधित आंकड़े प्राप्त होने के कारण हुआ है।

2.33 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

(एक) बिजली की टूटी हुई चालू तारों का पता लगाने और विद्युतमारण की घटनाओं को रोकने के लिए लैम्प पोस्टों और भूमिगत तारों की नियमित जांच करने की आवश्यकता

श्रीमती किशोरी सिंह (वैशाली) : महोदय, दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान की लापरवाही के परिणामस्वरूप बिजली की नंगी तारों के छू जाने से लोगों की मृत्यु होने की अनेक घटनाएं हुई हैं। 30 जुलाई को ही ऐसी दो मृत्यु होने के समाचार मिले हैं। प्राय: ऐसी नंगी तारें किसी झाड़ी के नीचे छिपी या सड़क पर पड़ी हुई शिकार का इन्तजार कर रही होती हैं। दिल्ली और नई दिल्ली में लैम्प पोस्टों में जाने वाली तारें प्राय: टूटी हुई सड़कों पर पड़ी हुई देखी जा सकती हैं।

असावधान जनता को इन खतरों से बचाने के लिए कुछ तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है और दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को ऐसे सभी छेदों और पहुंच मार्गों को बन्द करने के निदेश देने चाहिए जहां से नंगी तारें जाती हों। लैम्प पोस्टों और भूमिगत तारों की भी नियमित जांच की जानी चाहिए। इस मामले को गम्भीरता से लिया जाना चाहिए।

(दो) आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने हेतु तेलुगुगंगा जल परियोजना के क्रियान्वयन में केन्द्रीय सरकार द्वारा हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी (हिन्दुपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जब तेलुगु-देशम सरकार ने कुडप्पा और कुरनूल जिलों में सिंचाई के लिए पानी देने का निर्णय किया तो पानी के लिए तरसते रायलसीमा के सभी लोगों ने यह महसूस किया कि इस क्षेत्र का कुछ भाग का तो विकास होगा, और उनके कुछ स्वप्न पूरे होंगे। तमिलनाडु के मुख्य मंत्री ने तत्कालीन प्रधान मन्त्री के माध्यम से आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री की उपस्थिति में रायलसीमा के लोगों की खुशहाली के लिए 30 करोड़ रुपये का एक चेक भेंट किया था।

हाल ही में, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक की सरकारों के बीच गलतफहमी पैदा हो गई है। सैंकड़ों टी० एम० सी० पानी व्यर्थ समुद्र में जा रहा है। तेलुगु-गंगा परियोजना के लिए केवल 29 टी० एम० सी० पानी की आवश्यकता होती है। व्यर्थ समुद्र में जाने वाली पानी की मात्रा की तुलना में यह भाग बहुत कम है। परन्तु इतनी कम मात्रा में पानी द्वारा 2.75 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई करके रायलसीमा के लोगों के स्वप्न पूरे करने में काफी अधिक समय लगेगा। इससे इस अकालग्रस्त क्षेत्र को बहुत सहायता मिलेगी। बचावत अवार्ड के बारे में बाल की खाल निकालने की बजाय कर्नाटक सरकार को इस अकाल ग्रस्त क्षेत्र के बारे में सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए।

यही वह उपयुक्त समय है जबकि केन्द्र को हस्तक्षेप करके इस विवाद को शान्तिपूर्वक सुलझाना चाहिए और रायलसीमा के आधे भूखे दरिद्रनारायणों को भूख और भुखमरी से बचाना चाहिए।

[हिन्दी]

(तीन) उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले की मलीहाबाद तहसील में एक मण्डी स्थापित करने और वहां से आमों का निर्यात करने के लिए समुचित व्यवस्था करने की आवश्यकता

श्री जगन्नाथ प्रसाद (मोहनलाल गंज) : उपाध्यक्ष महोदय, जिला लखनऊ में मलीहाबाद तहसील और हसनगंज, जिला उन्नाव का आम पूरे भारत देश और विदेशों में ख्याति प्राप्त है। लखनऊ में मलीहाबाद से लेकर काकोरी तक और उन्नाव में औरास से लेकर हसनगंज तक का क्षेत्र आम का क्षेत्र, मैंगो बेल्ट के नाम से पुकारा जाता है। इस मैंगो बेल्ट में आम के उत्पादकों को सुविधा पहुंचाने के बहुत वायदे सरकार की ओर से किए गए किन्तु उनकी पूर्ति नहीं हो पाती है।

इस क्षेत्र में आवागमन के साधन न होने के कारण आम को मलीहाबाद लाने में बड़ी कठिनाई होती है बेंता नाले के दोनों उत्तर और दक्षिण में यह बेल्ट है, जिस पर कम से कम दस पुलियों की आवश्यकता जगह-जगह पर है। इनका निर्माण प्राथमिकता के आधार पर किए जाने की परम आवश्यकता है। आम के बागान की सिंचाई के लिए विशेष साधनों की आवश्यकता है।

मलीहाबाद में आम की मण्डी की आवश्यकता है। आम के निर्यात एवं विदेशों को भेजने में बड़ी कठिनाई का सामना उत्पादकों को करना पड़ता है। फलत: आम सस्ता बेचना पड़ता है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि मलीहाबाद में आम की मण्डी स्थापित करने और आम के निर्यात की समुचित व्यवस्था करने की कृपा करें।

[अनुवाद]

(चार) प्राकृतिक आपदाओं से हुई हानि के लिए केरल जैसे राज्यों को मुआवजा देने के मानदंडों में संशोधन करने की आवश्यकता

डा० के० सी० अदियोडी (कालीकट): महोदय, प्राकृतिक आपदाओं से हुई हानि के लिए

[डा० के० सी० प्रावथियोडी]

हमारे देश में केरल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, असम और अन्य राज्यों के लिए मुआवजा निर्धारित करने के सम्बन्ध में वर्तमान मानदंड अपर्याप्त हैं। विशेषरूप से केरल में भूमि की स्थलाकृति को अपनी ही विशेषता है, जिसमें समुद्र के स्तर से नीचे की भूमि है जो लगभग नौ सौ वर्ग किलोमीटर तक फैली हुई है और जहां मध्य देश की एक पट्टी है, जहां पानी कृषि और आबादी है और भूमि की एक तीसरी पट्टी है जो औसतन समुद्र के स्तर से लगभग 2,500 फुट ऊंची है। केरल ही एक ऐसा राज्य है जहां देश में उगाई जाने वाली सभी फसलें उगाई जा सकती हैं, क्योंकि वहां पर जलवायु सम्बन्धी स्थितियों में विभिन्नता है। भूमि के चप्पे-चप्पे पर खेती की जाती है। नारियल, सुपारी, काली मिर्च, कौफी, चाय, रबर और इलायची जैसी दीर्घावधि नगद फसलों की लगातार देखभाल करनी पड़ती है और उनसे उत्पाद लेने में तीन से आठ वर्ष का अधिकतम समय लग जाता है। यहां पर कृषि कार्यों पर अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है और आदानों पर भारी व्यय करना पड़ता है। फसलों की बहुलता के कारण ही यहां विदेशी व्यापार हो पाता है।

भू-स्खलन, चक्रवात, बाढ़ आदि से जब मूल्यवान नगद फसलें जड़ से उखड़ जाती हैं, क्षतिग्रस्त हो जाती है और बर्बाद हो जाती हैं, तो पुन: पौधे लगाने पर भारी व्यय आता है और यह हानि कई वर्ष तक की हो जाती है। इन सब बातों पर ध्यान देते हुए पौधे पुन: लगाने और आदानों के लिए दीर्घावधि सहायता की आवश्यकता होती है। किसानों को हानि और दु:ख से बचाने के लिए प्राकृतिक आपदाओं के बाद पूरी अवधि के लिए आदानों हेतु पूरा पूरा मुआवजा देना न्याय संगत बनता है।

राष्ट्र के लिए स्थायी परिसम्पत्तियों का सृजन करने हेतु एक विशेषज्ञ तकनीकी दल सहित दीर्घावधि परिप्रेक्ष्य वाली एक आवृत्ति स्थायी विधि का निर्माण करना किसानों हमारे देशकी रीढ़—की आवश्यकता है। अत: मैं सरकार से इसके सम्बन्ध में तेजी से कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूं।

(पांच) बम्बई नगर के विकास के लिए महाराष्ट्र सरकार को केन्द्रीय सहायता देने की आवश्यकता

प्रो० रामकृष्ण मोरे (खेड) : महाराष्ट्र सरकार ने योजना आयोग से बम्बई, जो महाराष्ट्र की राजधानी के अलावा देश की वित्तीय और वाणिज्यिक राजधानी भी है, के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपये का अनुदान देने का अनुरोध किया था।

योजना आयोग महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री से विचार विमर्श करने के बाद इस तथ्य के बावजूद कि वित्त आयोग ने बम्बई जैसे महानगरों में शहरी भीड़-भाड़ की समस्या पर ध्यान देते हुए सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की सिफारिश की है, सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बम्बई के विकास के लिए 50 करोड़ रुपये की धनराशि देने के लिए सहमत हो गया है।

1981 की जनगणना के अनुसार बम्बई की जनसंख्या 82.37 लाख राज्य की कुल शहरी आबादी का 37.45 प्रतिशत है। इस शहर में राज्य के बाहर से लोगों का आना जारी है और लगभग 400 वर्ग किलोमीटर के इस क्षेत्र में अधिक जन संख्या जमा हो जाने से जल प्रदाय, स्वास्थ्य, शिक्षा, मल-व्ययन, परिवहन आदि, आदि जन सुविधाओं पर भारी बोझ पड़ रहा है। अपनी वित्तीय क्षमता में आवश्यक मूल सेवाएं और जन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करने हेतु इतना अधिक निवेश करना महाराष्ट्र सरकार के बूते के बाहर की बात है। यह कहना आवश्यक न होगा कि केन्द्रीय सरकार इस शहर से आय कर, उत्पाद शुल्क, सीमा-शुल्क आदि के रूप में भारी आय अर्जित करती है जबकि राज्य सरकार को मूलभूत आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने पर भारी व्यय करना पड़ता है।

इन परिस्थितियों में, मैं सरकार से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने और जैसा कि राज्य सरकार ने अनुरोध किया है बम्बई के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता देने का आग्रह करूंगा।

(छः) तन्जोर में खड़ी फसलों को बचाने के लिए कर्नाटक से तमिलनाडु को कावेरी नदी का 10 टी० एम० सी० पानी दिलाने और अनिर्णीत पड़े कावेरी जल विवाद को हल करने की आवश्यकता

श्री पी० कुलनदईवेलू (गोबिचेट्टिपालयम) : मैं निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले पर नियम 377 के अधीन इस सभा का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

तमिलनाडु में मेत्तूर बांध सबसे पुराना बांध है जो तिरूचि और तन्जोर के कृषकों को सिंचाई के लिए पानी देता है। तन्जोर को तमिलनाडु का अन्नभण्डार कहा जाता है क्योंकि राज्य का 60-प्रतिशत धान यहीं के किसान उपजाते हैं। मेत्तूर में जलस्तर 55 फुट तक घट गया है और पूर्ण जल-स्तर 120 फुट है। यह कुरूवाई का मौसम है। इसलिए कर्नाटक द्वारा तमिलनाडु को कावेरी नदी का 10 टी०एम०सी० पानी दिये जाने की तत्काल आवश्यकता है। 25 जुलाई, 1985 के डेक्कन हेराल्ड में प्रकाशित समाचार के अनुसार विभिन्न जलाशयों, जहां से कावेरी का पानी आता था, अधिकतम स्तर पर था। सौभाग्यवश 24 और 25 जुलाई, 1985 को तथा उसके बाद भी बंगलौर में और उसके आस-पास तथा जल-ग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षा हुई थी। तन्जोर में खड़ी फसल को बचाने के लिए तमिलनाडु सरकार ने कावेरी में 10 टी० एम० सी० पानी छोड़ने का अनुरोध किया था, जिसे कर्नाटक सरकार ने नामंजूर कर दिया था। केन्द्र को यह सुनिश्चित करना है कि फसलों को बचाने के लिए तत्काल पानी दिया जाए। लम्बे समय से अनिर्णीत पड़े कावेरी विवाद को सुलझाने के लिए केन्द्र को दोनों पड़ौसी राज्यों केमुख्य मंत्रियों की वार्ता की व्यवस्था करनी चाहिए।

(सात) अमरावती और बड़नेरा नगरों के बाहर से जाने वाले मार्ग के निर्माण कार्य को तेजी से पूरा करने के लिए मंजूरी देने की आवश्यकता

श्रीमती ऊषा चौधरी (अमरावती): अमरावती और बड़नेरा नगरों के बाहर से जाने

[श्रीमती ऊषा चौधरी]

वाले मार्ग के निर्माण की अत्याधिक आवश्यकता है, क्योंकि अमरावती तथा बड़नेरा नगरों के बीच यातायात का भारी दबाव होने के कारण अनेक दुर्घटनाएं हो रही हैं। यह योजना पिछले 25 वर्षों से विचाराधीन है और इस अवधि के दौरान 4 सर्वेक्षण किए जा चुके हैं। भूमि के अधिग्रहण तथा बाह्यपथ के निर्माण में हुये विलम्ब के कारण लोगों में बड़ा रोष व्याप्त है।

मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि वह चालू वर्ष में भूमि अर्जन के मामलों को निपटाने हेतु 24 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि की व्यवस्था करे उक्त बाह्यपथ के निर्माण हेतु चालू योजना में पर्याप्त राशि मंजूर की जाए ताकि योजना के क्रियान्वयन में धन की कमी के कारण बाधा उत्पन्न न हो। चूंकि इस प्रयोजन के लिए बिजली तथा टेलीफोन के बहुत सारे खंभों को हटाना पड़ेगा तथा कुछ वन भूमि को भी स्थानान्तरित करना पड़ेगा इसलिए सरकार इसे उच्च प्राथमिकता प्रदान करे तथा यथाशीघ्र मंजूरी दें बाह्यपथ के लिए 14.09 हैक्टेयर भूमि स्थानान्तरित करने तथा समानान्तर सेवा सड़क के लिए 12.37 हैक्टेयर भूमि के प्रस्ताव वन विभाग में विचाराधीन है।

बाह्यपथ के निर्माण सम्बन्धी विस्तृत प्राक्कलन भी कई चरणों में नौवहन और परिवहन मंत्रालय को भेजा जा रहा है। इसे तात्कालीक मंजूरी दिये जाने तथा 7वीं योजना में शामिल करने की आवश्यकता है।

अतः, मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि वह उक्त विशेष परियोजना की अपेक्षित मंजूरी प्रदान करे और राज्य सरकार को भी निर्देश दिया जाए कि इस परियोजना को अविलम्ब कार्य पूरा किया जाए।

(आठ) महाराष्ट्र में गढ़चिरोली में रेयन धागा उद्योग अथवा इस्पात उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता

श्री विलास मुत्तेवार (चिमूर) : उपाध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र, का गढ़चिरोली जिला एक मात्र ऐसा जिला है जिसमें न तो कोई उद्योग है और जो मध्य प्रदेश तथा आन्ध्र प्रदेश दो राज्यों का सीमावर्ती जिला है। यह जिला काफी फैला हुआ है तथा आदिवासी एवं पिछड़ा होने तथा आय का कोई साधन न होने के कारण यहां पर नक्सलपंथी काफी सक्रिय हैं। इसका तकनीकी तथा आर्थिक सर्वे भी हुआ है। बार-बार सूखा पड़ने के कारण यहां के निवासी बहुत अधिक आर्थिक रूप से टूटे हुए हैं। सिंचाई का कोई साधन नहीं है। वहां पर रेयन यार्न के लिए रॉ-मेटीरियल पर्याप्त रूप से उपलब्ध है। गढ़चिरोली जिले में ही सुरजागढ़ में आयरन और भी अच्छी मात्रा में उपलब्ध है और उस पर आधारित उद्योग भी लगाया जा सकता है। आज से लगभग 60 वर्ष पूर्व टाटा ने यहां का सर्वे भी किया था किन्तु यातायात के साधनों के अभाव में वह अपना उद्योग टाटानगर ले गए। इस समय गढ़चिरोली के लिए छोटी रेल लाइन (नेरोगेज रेलवे) उपलब्ध है। खेद है कि महाराष्ट्र सरकार ने ऐसे पिछड़े और नो-इंडस्ट्री डिस्ट्रिक्ट के लिए कोई उद्योग लगाने का प्रस्ताव सरकार के पास नहीं भेजा है।

अब जब केन्द्र सरकार नो-इंडस्ट्री डिस्ट्रिक्ट को प्राथमिकता दे रही है, मेरा अनुरोध है कि वन सम्पदा से परिपूर्ण इस जिले में रेयन यार्न अथवा स्टील का कोई कारखाना शीघ्र स्थापित किया जाए ताकि वहां की गरीब आदिवासी जनता को भूखों न मरना पड़े और वहां उपलब्ध रॉ मैटीरियल का भी पूरा उपयोग हो सके।

——— ——

2.45 म० प०

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य)—1985-86

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब, सभा में वर्ष 1985-86 के बजट (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर आगे चर्चा की जायेगी तथा उन पर मतदान किया जाएगा।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : महोदय, मैं माननीय सदस्यों का उनके मूल्यवान योगदान तथा सुझाव के लिए कृतज्ञ हूं। इस वाद-विवाद में चालीस से अधिक सदस्यों ने भाग लिया है। वस्तुतः, उन्होंने अनुपूरक मांगों को देखने का कष्ट किया है और मैं यहां विशेष रूप से श्री जयपाल रेड्डी तथा श्री बनातवाला का उल्लेख करना चाहूंगा, जिन्होंने इस सकल व्यय की स्वीकृति प्राप्त किए जाने के दृष्टिकोण की विधि के बारे में कतिपय प्रासंगिक प्रश्न उठाए हैं।

उस मुद्दे पर चर्चा करने से पूर्व मैं इन अनुपूरक मांगों, अर्थात् 3,872 करोड़ रुपये के अनुमोदनार्थ सकल व्यय का उल्लेख करना चाहूंगा। उसमें से प्राप्तियां 996 करोड़ रुपये दिखाई गई है। अतः, कुल नकद व्यय 2876 करोड़ रुपये होगा। 2876 करोड़ रुपये में भी 1628, करोड़ रुपये मध्यम अवधि में बदल दिया गया है। यह एक ओवर ड्राफ्ट है जिसे मध्यम अवधि में बदला गया है। यदि आप उस राशि को घटा दें तो यह 1248 करोड़ रुपये ही रह जाएगी और यह अतिरिक्त व्यय अनुपूरक बजट के कारण होगा। यहां एक बात कही गई है कि सरकार बजट घाटे को बढ़ाने जा रही है और 5,000 करोड़ रुपये से अधिक होगा। महोदय, यदि आप यहां प्रस्तुत की गई अनुदानों की मांगो को देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि 300 करोड़ रुपये की राशि कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए निर्धारित की गई है। इस सभा के तेलगु देशम के नेता इस बारे में जानकर प्रसन्न होंगे। वस्तुतः इसका इस सभा में माननीय सदस्यों द्वारा स्वागत किया गया है। न केवल इतना ही, बल्कि इस राशि के अलावा, मैं उन्हें कह सकता हूं कि इस वर्ष के दौरान 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि की और व्यवस्था की जाएगी जो विशाखापत्तनम संयंत्र के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।

नाल्को (एन० ए० एल० सी० ओ०) परियोजना के लिए हमने 290 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। ये विकास संबंधी गतिविधियां हैं। जहां तक शिक्षा का संबंध है, माननीय सदस्यों ने ब्यौरे दिए हैं। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि हमने शिक्षा के लिए लगभग 110 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।

उन आदर्श विद्यालयों का भी उल्लेख किया गया है, जो पूरे देश में खुलने जा रहे हैं। एक बात

[श्री जनार्दन पुजारी]

कही गयी है कि इस कदम का स्वागत करने के समय एक मुद्दा उठाया गया है कि ग्रामीण जनसंख्या को तरजीह दी जानी चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को भी इन संस्थाओं में दाखिला दिया जाना चाहिए। प्रत्येक विद्यालय में लगभग 516 छात्र दाखिल किये जायेंगे और उनमें से दो-तिहाई छात्र ग्रामीण क्षेत्र के होंगे। ऐसा किया जाने वाला है।

उपाध्यक्ष महोदय : वर्तमान विद्यालयों के बारे में क्या बात है ? कल श्री कृष्ण राव तथा अनेक सदस्यों ने कहा था कि वर्तमान विद्यालयों में आवास इत्यादि जैसी सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं। उनके पास ऐसी सुविधायें मुहैया करने के लिए प्रर्याप्त धन नहीं है। अत: आपको उनकी सहायता करने के बारे में भी सोचना चाहिए और वर्तमान विद्यालयों का विकास करना चाहिए।

श्री जनार्दन पुजारी : उसमें गैर-औपचारिक विद्यालय की सुविधाओं की भी व्यवस्था की गई है। पहले के बजट में भी उसके लिए व्यवस्था की गई है। परन्तु यह राज्य का विषय है।

उपाध्यक्ष महोदय : धन ही मुख्य समस्या है।

श्री जनार्दन पुजारी : यह समस्या तो सबके सामने है परन्तु हमारे किट की क्षमता बहुत सीमित है। इसके अतिरिक्त भोजन इत्यादि के लिए लगभग 250 करोड़ रुपये की राज-सहायता की व्यवस्था की गई है। माननीय सदस्य श्री बनातवाला का तर्क यह है कि अनुदानों की अनुपूरक मांगों में जो धनराशि की व्यवस्था की गई है, वह तो स्वागत योग्य है परन्तु उन्होंने कहा है कि उक्त योजना को कार्यान्वित करने हेतु जो तरीका अपनाया गया है वह स्वीकार्य नहीं है। माननीय सदस्य का यही कहना है। परन्तु यहां भी 250 करोड़ की व्यवस्था की गई है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि गेहूं का वसूली मूल्य बढ़ा दिया गया है। प्रति क्विंटल पांच रुपये की बढ़ोतरी की गई है। हमें इस वृद्धि की मंजूरी हेतु संसद के समक्ष आना पड़ता है।

अब वाद-विवाद के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये मुद्दों के संबंध में कहूंगा। यह कहा गया है कि हमने बजट में और घाटा दिखाने का आश्रय लिया है।

मैं सभा को सूचित करना चाहूंगा कि वर्ष 1982-83 में मूल बजट में अनुमानित घाटा 1375 करोड़ रुपये था। अनुपूरक बजट में हमने 2202 करोड़ रुपये का दूसरा घाटा दिखाया और कुल अनुमानित घाटा 3577 करोड़ रुपये था, लेकिन अन्तिम घाटा केवल 1656 करोड़ रुपये ही रह गया था। वर्ष 1983-84 में मूल बजट तथा अनुपूरक बजट में अनुमानित घाटा क्रमश: 1586 करोड़ रुपये तथा 2940 करोड़ रुपये था और कुल अनुमानित घाटा 4526 करोड़ रुपये था और अन्त में वर्ष की समाप्ति पर यह घाटा 1417 करोड़ रुपये ही रह गया। वर्ष 1984-85 के दौरान मूल बजट के दौरान अनुमानित घाटा 1793 करोड़ रुपये था और अनुपूरक बजट में 3612 करोड़ रुपये का और अनुमानित घाटा दिखाया गया। इस प्रकार कुल घाटा 5385 करोड़ रुपये का था जो अन्तत: अन्तिम घाटा 3742 करोड़ रुपये ही हुआ।

माननीय श्री बनातवाला मुझसे अधिक अनुभवी हैं। उन्हें संविधानिक उपबन्धों की जानकारी

है। संविधान में इसके लिए व्यवस्था की गई है, अर्थात सभा के समक्ष अनुपूरक अनुदान स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये जाएं। यह पहली बार नहीं हो रहा है। पिछले अनेक वर्षों के दौरान सभी वित्त मंत्री सभा के समक्ष अनुपूरक बजट पेश करते रहे हैं। यह कोई नई बात नहीं है। फिर भी मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारी यह सदैव कोशिश रहेगी कि बजट-घाटे को कम-से-कम रखा जाए।

श्री सी० माधव रेड्डी : आप इसे कैसे करने जा रहे हैं ?

श्री जनार्दन पुजारी : जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, हमारी पूरी कोशिश होगी कि घाटे को कम-से-कम रखा जाये। पिछले अनुभव के आधार पर हमने पिछले चार महीनों के दौरान कतिपय कदम उठाये हैं और पूरा प्रयास किया जा रहा है और उन कदमों के कारण हम परिणाम के बारे में आश्वस्त हैं और शीघ्र ही इसका आभास होने लगेगा। वस्तुतः इसका प्रथम आभास तब लगेगा जब अक्तूबर के महीने में समीक्षा की जायेगी। हम सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क से 3,000 करोड़ रुपये की राजस्व वसूली की आशा कर रहे हैं, जिसमें से सीमा शुल्क से 2,000 करोड़ रुपये तथा पिछली बकाया राशि से की वसूली से 1,000 करोड़ रुपये मिलने की आशा है। उच्चतम न्यायालय ने भी हमारे पक्ष में एक निर्णय किया है। इससे भी हमें सहायता मिलेगी। हम 1,000 करोड़ रुपये आयकर से तथा निगमित कर से प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। अनेक विभागों में अनेक शीर्षों में भी बचत की जायेगी। यही कारण है कि पिछले वर्षों के दौरान वर्ष की समाप्ति पर घाटा मूल अनुमानित घाटा से बहुत कम था।

3.00 म० प०

अतः, हमें प्रयास करने दीजिए और हमें आशा है कि इसका परिणाम अक्तूबर के अन्त तक ज्ञात हो जाएगा। जब हम शीतकालीन सत्र में भाग लेंगे, तो हम सभा को इस बारे में सूचित करने की स्थिति में होंगे कि सही-सही परिणाम क्या होगा।

मैं श्री माधव रेड्डी, श्री बनातवाला, श्री जयपाल रेड्डी सहित माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने प्रशासन में सुधार के लिए ठोस सुझाव दिये, कृतज्ञ हूं। वही दृष्टिकोण रहना चाहिए। मैं सभा के सूचनार्थ यह भी बता दूं कि हमारे यहां कार्यवाही योजनायें बनाने जा रहे है। जब ये कार्यवाही योजनायें निश्चित रूप धारण कर लेंगी, तो हम इनमें और सुधार कर सकते है और हमें आशा है कि शीतकालीन सत्र में कुछ अच्छे समाचार मिलेंगे।

श्री सी० माधव रेड्डी : प्रेषित माल कर के प्रस्ताव के बारे में क्या हुआ ?

श्री जनार्दन पुजारी : मैं उसके बारे में बताऊंगा। माननीय सदस्य प्रशासनिक पद्धति की प्रक्रिया एवं इसके कार्यकरण के बारे में जानते हैं। जब हम कार्यवाही करते है, तो परिणाम निकलते हैं। मैं तस्करी गतिविधि के बारे में माल जब्त किये जाने का एक उदाहरण दूंगा। गत एक वर्ष, अर्थात् 1984-85 की समूची अवधि में हम 101.09 करोड़ रुपये मूल्य का माल जब्त करने में समर्थ हुए थे। इस वर्ष $6\frac{1}{2}$ माह की अल्प अवधि में हम उस आंकड़े से आगे निकल गये हैं और हमने 108 करोड़ रु० मूल्य का माल जब्त किया है। इन पगों को उठाने के लिए राजनीतिक इच्छा और समर्पण अपेक्षित है

[श्री जनार्दन पुजारी]

और पग उठाये जा रहे हैं। माननीय सदस्य इन्हें दूरदर्शन पर देख रहे हैं। हम भी इन बातों के संबंध में उन्हें सूचना दे रहे हैं और प्रसार माध्यम भी सूचनायें दे रहे हैं। यदि आप आज के समाचार पत्र को ही पढ़ें, तो इसमें इतना अधिक माल जब्त किये जाने के बारे में बताया गया है। प्रतिदिन माल जब्त किया जाता है और इससे पता लगता है कि हमारे पास राजनीतिक इच्छा, राजनीतिक वचनबद्धता एवं प्रभावी प्रशासन हैं।

मैं माननीय सदस्यों को अवश्य ही बधाई दूंगा क्योंकि जब भी हम तस्करों के विरुद्ध कार्यवाही करते हैं तथा उन्हें विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, आदि के अन्तर्गत नजरबन्द करते हैं तो कोई भी व्यक्ति इस कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता है। इस सभा के किसी एक भी सदस्य ने इन मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया है। अतः, संसद सदस्यों में भी यह भावना व्याप्त है कि इन कार्यक्रमों को अवश्य ही चालू रखा जाना चाहिए और विकासात्मक गतिविधियां जारी रहनी चाहिए। हमें किसी प्रकार की बाधा को सहन नहीं करना चाहिए और हमने यह संदेश संबंधित लोगों को बता दिया था। जैसा कि आप जानते हैं, हम आयकर अधिकारियों, सीमा-शुल्क समाहर्ताओं तथा उत्पाद-शुल्क अधिकारियों के साथ बैठकें करते हैं। नियत समय के पश्चात बैठकें होती रहती हैं। हमने यह संदेश बता दिया है कि लोगों की आशायें बहुत ऊंची हैं। हम प्रशासन के संदेहास्पद और अविश्वसनीय चरित्र वाले व्यक्तियों का पता लगा रहे हैं। सूची भी तैयार की जा रही है और जहां कार्यवाही अपेक्षित होगी, हम इसे करेंगे। जब हम ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करते हैं, तो हम आशा करते हैं कि हमें माननीय सदस्यों से सहायता तथा सहयोग मिले। अतः, इन पगों को हम उठा रहे हैं।

अब मैं राष्ट्रीय पटसन विनिर्माता निगम के बारे में कहूंगा, जिसके लिए अनुपूरक बजट में हमने 45 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। उसमें 30,000 कर्मकार हैं। पटसन के कच्चे माल के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि हुई है। यह गत वर्ष 270 रु० से बढ़कर लगभग 1000 रु० हो गयी है। 20 मिलें बन्द कर दी गयी हैं। और राष्ट्रीय पटसन विनिर्माता निगम के अन्तर्गत छह मिलें चल रही हैं। इस कारण से हमें पटसन उद्योग के हित में धन की व्यवस्था करनी है। इसके अतिरिक्त कर्मकारों की लाभप्रदता कम होती जा रही है। इसी कारण से हम इन प्रावधानों के बारे में प्रस्ताव लाए हैं।

महोदय, अब पुरस्कारों सम्बन्धी मांग के बारे में, ये उन पगों में से एक पग है, जिन्हें हमने अधिक राजस्व एकत्र करने के लिए उठाया है और प्रोत्साहन देने के लिए भी··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कपड़ा मिलों के बारे में। उन्हें भी बन्द कर दिया गया होगा···

(व्यवधान)

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, इसकी भी जांच की जा रही है। इस सम्बन्ध में भावनाओं से अवगत करा दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे निर्वाचन क्षेत्र में दो मिलों को बन्द कर दिया गया है। कल व्यास जी ने भी कपड़ा मिलों के बारे में बताया था··· (व्यवधान)

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, मैं इन भावनाओं से पूरी तरह

सहमत हूं और मैं वास्तव में श्री व्यास जी सहित माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त भावनाओं के प्रति अपनी चिन्ता व्यक्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं भी। क्योंकि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कुछ मिलों को बन्द कर दिया गया है... (व्यवधान)

श्री जनार्दन पुजारी : मैं न केवल कपड़ा मिलों के बारे में ही, बल्कि उनके निर्वाचन क्षेत्रों में परियोजनाओं के सम्बन्ध में भी यहां उठाई गई बातों के बारे में निश्चित रूप से जिम्मेदार मन्त्रालय को लिखूंगा। मैं व्यक्तिगत रूप से संबंधित मन्त्रालय को उनकी परियोजनाओं के बारे में लिखूंगा और उनके लिखने के पश्चात आपको तथा माननीय सदस्यों को भी उत्तर दिया जाएगा कि कौन-कौन-सा कार्य हो रहा है। गत बार भी मैंने श्री अमल दत्ता को इस प्रकार का आश्वासन दिया था और उसके तुरन्त बाद मैंने सम्बन्धित मन्त्रालय को लिख दिया था। उसके बाद मैंने संबंधित मन्त्रालय को अपने पत्र लिखने के बारे में अपना उत्तर लिख दिया था। यहां भी यदि कुछ अनुरोध किए जायेंगे, तो मैं उनकी ओर ध्यान दूंगा और उनके बारे में मैं उन संबंधित मन्त्रालयों को लिखूंगा।

अब मैं बैंककारी क्षेत्र के सम्बन्ध में कहूंगा, इस सम्बन्ध में आप जानते हैं कि यह दोहराना होगा। मैं भी माननीय सदस्यों की तरह चिन्तित हूं। मैं जानता हूं कि लोगों की आशा बहुत ऊंची है। बैंकों के पास साधन सीमित होते हैं। इसके अतिरिक्त, हमें मानना होगा कि कार्य निष्पादन सन्तोषजनक नहीं हुआ है। इसी कारण से मैं पश्चिमी बंगाल के माननीय सदस्यों को यह बताता रहा हूं कि वे इसे नोट करें। जब मैं एक समारोह में मिदनापुर गया था, वहां हमारे सामने 20720 लोग होते हैं। उनका इरादा केवल यह है। यह जनता तक पहुंचना चाहिए। और वहां पहली बार स्वीकृति पत्र भी जारी किए गए थे। ऐसा क्यों किया गया ? समारोहों में कई बार ऐसा होता है। वहां स्वीकृति सम्बन्धी घोषणा की जाएगी। स्वीकृति-पत्रों को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त वर्गों को बैंकों में आना होगा। मैं 10 तारीख को दक्षिण अर्काट जा रहा हूं। वहां पर भी हम 25,000 से अधिक स्वीकृति-पत्र देंगे ताकि लोग यह जानने की स्थिति में हों कि क्या यह कमजोर वर्गों तक पहुंच रहा है या नहीं। सभी लाभार्थियों को पेश किया जाएगा और बैंक के लोग भी आशंकित हो जाएंगे गोया वहां यह भ्रष्टाचार व्याप्त है हम लोगों को कह रहे हैं कि... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे उत्तर देने दीजिए। मैं भी कुछ प्रश्न कर रहा हूं। उन्हें समाप्त करने दीजिए।... (व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : मुझे अनुमति दीजिए कि मैं एक बात आपको बताऊं। जब मन्त्री महोदय गए थे तो आवेदन-पत्र कांग्रेस समिति से लिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : यह बहुत बुरी बात है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : ये सभी आवेदन-पत्र उसी शिविर में दिए गए थे। मन्त्री महोदय ने कुछ को स्वीकृति प्रदान कर दी थी और शेष पर अब विचार किया जा रहा है।... (व्यवधान) आप लोग हमारी सरकार के बारे में लगातार शोर मचाते जा रहे हैं। इसलिए मैं यह जानकारी दे रही हूं।

[श्रीमती गीता मुखर्जी]

मुझे यह बताने दीजिए, यद्यपि यह मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, तथापि उनके वहां जाने से केवल एक दिन पूर्व ही कांग्रेस कार्यालय से एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसके द्वारा मुझे हमारे स्थानीय कार्यालय में आमंत्रित किया गया था। बैंक के लोगों ने मुझे पत्र लिखा ही नहीं। उन्होंने केवल उनके वहां से चले जाने के बाद ही लिखा। इस प्रकार कार्य किए जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। (**व्यवधान**) जिसकसी को यह मिलता है, मैं प्रसन्न होऊंगी। यदि और अधिक लोगों को यह मिलता है, तो मैं और अधिक प्रसन्न होऊंगी। (**व्यवधान**)

श्री जनार्दन पुजारी : इस सम्बन्ध में भी मुझे माननीय सदस्यों को यह बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि मैंने वहां जाने के तुरन्त बाद माननीय सदस्या के बारे में पूछ-ताछ की थी। इतना ही नहीं, बल्कि श्री दुबे जी के बारे में भी पूछ-ताछ की थी। उन्होंने मुझे बताया था कि आमंत्रण भेज दिए गए थे। फिर भी माननीय सदस्या ये टिप्पणियां कर रही हैं।

श्री सत्यगोपाल मिश्र (तामलुक) : मुझे मालूम नहीं है। मैं वहां मौजूद था।

श्री जनार्दन पुजारी : फिर भी मैं इस बात को ध्यान में रखूंगा।

माननीय सदस्य को प्रसन्न होना चाहिए कि मैं वहां गया था। वे उनके मतदाता हो सकते हैं। ये वे व्यक्ति हैं जिन्हें मत मिले थे और जो निर्वाचित हुए थे वहां लाभ तो पहुंचा था। किन्तु वह प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि क्या वे लोग जो वहां पहुंचे हुए थे, हमें मालूम नहीं है कि वे किनके मतदाता हैं परन्तु उत्पादिकता सम्बन्धी उद्देश्यों के लिए धनराशि दी गई है। (**व्यवधान**)

श्री सत्यगोपाल मिश्र : इसका मानदण्ड क्या है?

श्री जनार्दन पुजारी : मानदण्ड यह है कि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जाना होता है। जहां तक डी० आर० डी० ए० का सम्बन्ध है, आपकी अपनी राज्य सरकार ने इन लाभार्थियों को धनराशि दी है। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत किसी को भी यह लाभ नहीं दिया जा सकता है। स्थानीय सरकार द्वारा लाभार्थियों की पहचान कर लिए जाने पर ही इसका वितरण किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि यह इस पार्टी को दिया जाता है अथवा उस पार्टी को।

उपाध्यक्ष महोदय : स्थानीय निकायों द्वारा।

श्री जनार्दन पुजारी : स्थानीय निकायों द्वारा। इस सम्बन्ध में शिकायतें हुई हैं। मैं किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई शंका व्यक्त नहीं कर रहा हूं। लेकिन ऐसी शिकायतें हैं। कुछ लोगों का कहना है कि कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्स को दिया है; कुछ कहते हैं कि कांग्रेस को दिया है; कुछ लोग कहते हैं कि अन्ना द्रमुक या तेलुगू देशम को ही फायदा पहुंचाया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि यह कांग्रेस या कम्युनिस्टों को ही दिया जाता है। क्या हम बता सकते हैं कि किस व्यक्ति ने किसको वोट दिया है? यह तो मतदाता ही जानता है। मैं नहीं जानता कि मेरे भाई ने किसको वोट दिया है। यह गुप्त मतदान है।

सावजनिक सभा में जब विनरण होता है तो हम पता लगा सकते हैं कि उपयुक्त व्यक्ति का पता लगाया गया है या नहीं। वे अपनी आंखों से देख सकते हैं।

प्रेस के लोग भी वहां होते हैं। वे भी देखते हैं। इतना ही नहीं, सभा में जब आप लाभार्थियों से मिलते हैं तो उनसे प्रश्न भी पूछते हैं: क्या प्रतिभूति मांगते हैं, क्या उसमें कोई भ्रष्टाचार तो नहीं है, क्या उनसे किसी ने कोई रुपया तो नहीं मांगा आदि। इस प्रकार के प्रश्न उनसे पूछे जाते हैं।

इतना कह कर मैं आपसे कह सकता हूं कि स्थिति में सुधार हुआ है; कमियां भी होंगी। प्रश्न यह है कि इसका कार्य-निष्पादन कैसा है ? वर्ष 1980-81 में यह पद्धति अपनाने के बाद समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत बैंकों तथा सहकारी बैंकों द्वारा 600 करोड़ रुपये देने के बजाय केवल 289 करोड़ रुपये ही दिये गये वर्ष 1981-82 में 600 करोड़ रुपये और दिये जाने थे लेकिन बैंक नहीं दे पाए। 467 करोड़ रुपये ही दिये गए। फिर क्या हुआ ? 1982 में हमने कार्यभार संभाला। पिछले तीन वर्ष से हमने यही पद्धति अपनाई है। परिणाम क्या निकला ? वर्ष 1982-83 में 600 करोड़ रुपये देने के साथ-साथ हमने कुछ हद तक पिछली कमी भी पूरी की। 713 करोड़ रुपये दिये गए हैं। 1983-84 में हम 774 करोड़ रुपये दे पाये। पिछले वर्ष हम लगभग 835 करोड़ रुपये दे पाये।

अतः इस प्रकार कार्यक्रमों का कार्यान्वियन किया जाता है। लेकिन माननीय सदस्य श्री व्यास कहते हैं कि जन प्रतिनिधियों को ऋण मंजूर करने की शक्ति नहीं दी जानी चाहिए; उन्हें पर्यवेक्षण की शक्ति दी जानी चाहिए। यह बहुत अच्छा सुझाव है। हम इस पर ध्यान देंगे। पहले जब मैंने इस संबंध में बात की थी तो मैंने यह पता लगाया था कि खण्ड स्तर पर ऐसी समितियां हैं जिनमें विधायक भी शामिल हैं। मैं वह विवरण दे दूंगा जिसमें ऐसा निदेश है कि संसद सदस्य भी शामिल किये जाएं। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं किया गया है। अब हम देखेंगे कि संसद् सदस्य भी शामिल किये जाएं और यह देखा जाए कि कार्यक्रम का लाभ कमजोर वर्गों तक पहुंचे। भ्रष्टाचार से बचने के लिए हम देखेंगे कि इन दिशा-निर्देशों का विशेषकर प्रतिभूति संबंधी शर्तों का, पालन किया जाए।

जहां तक बैंकिंग क्षेत्र का संबंध है, मैं उनसे कहता रहा हूं कि ये कार्यक्रम कमजोर वर्गों के लिए, कमजोर वर्गों में से भी सबसे अधिक कमजोर वर्ग के लोगों के लिए हैं, उनके लिए हैं जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। जहां कहीं संभव हुआ मैं इस संबंध में सख्ती बरतता रहा हूं। इसका अर्थ है कि जब हम ऋण पाने वाले लोगों का पता लगाएं तो उस समय उसकी ऋण अदायगी की क्षमता पर ध्यान न दें। आपका उद्देश्य है कि सबसे अधिक गरीब व्यक्ति को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया जाए। वह ऋण को वापस करने की स्थिति में नहीं है। आपको उसे इस उद्देश्य से सहायता देनी है कि वह उस सहायता-राशि से और आमदनी कर सके और उस आमदनी में से ऋण चुकता कर सके। तभी हम गरीबों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठा पाएंगे। बैंकों का दृष्टिकोण यह है कि यदि वे ऐसे लोगों को धन देते हैं तो वह वापस नहीं मिलेगा. वैसे अब इस दृष्टिकोण में कुछ बदलाव आया है। ऐसे दृष्टिकोण को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। हमें इसे कार्यान्वित करना है। माननीय सदस्य भी इस पर ध्यान रख सकते हैं कि ऐसे लोगों को सहायता मिले— और यदि कोई

[श्री जनार्दन पुजारी]

शिकायत हो तो उसे हमारे पास भेजा जाए। मैं आपको अपनी कठिनाई बताता हूं मैं एक कार्यक्रम में गया था। वहां लोगों ने मुझे बताया कि बैंक उन्हें ऋण नहीं दे रहे हैं और वे प्रतिभूति मांगते हैं और कहीं न कहीं भ्रष्टाचार भी मौजूद है। मैंने तुरंत ही संबंधित लोगों से इस संबंध में बात की। इसके बाद यह कहा गया कि यह लोगों को फंसाने का एक तरीका है। जब आप यहां प्रश्न पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि शिकायतें हैं तब हम कहते हैं कि हम उन्हें देखेंगे और उचित कार्यवाही करेंगे। इसी तरह सार्वजनिक सभाओं में जब ऐसी कोई बात मंत्री के ध्यान में लाई जाती है तो क्या मैं बिना कुछ कहे सभा से बाहर जा सकता हूं ? जब भी मैंने यह कहा है कि उन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी और जांच की जाएगी तो इसे सार्वजनिक विचारण समझा जाता है। अतः मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे इस संबंध में सहयोग दें ताकि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को धन मिले और कमजोर वर्गों को लाभ हो।

प्रधान मंत्री ने भी इस बात को गंभीरता से लिया है। जब उन्होंने आदिवासी तथा अन्य क्षेत्रों का दौरा किया तो बहुत सी बातें उनके ध्यान में लाई गई। आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं। माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बैंकों ने लगभग 6000 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव किया है। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान यह राशि 3000 करोड़ रुपये थी। इस संबंध में एक नीति भी तैयार की जा रही है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : किसानों से कितना ब्याज लिया जाता है ? वे अपनी जमीन बेच रहे हैं। मैंने कई बार उनका ध्यान इस ओर दिलाया है लेकिन वे कुछ भी कार्यवाही नहीं कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : वह उत्तर देंगे।

श्री जनार्दन पुजारी : जहां तक कमजोर वर्गों का संबंध है ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि उनसे चक्रवर्ती ब्याज लिया जाये। अन्य ब्यौरे के बारे में मैं माननीय सदस्य को लिखूंगा।

यहां हम देखें कि इस अनुपूरक बजट में कमजोर वर्गों के लिए कौन से कार्यक्रम हैं तथा कितनी राशि आवंटित की गई है। हमने 121 करोड़ रुपये की मांग की है जिसमें से 100 करोड़ रुपये अनुसूचित्त जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लोगों के लिए मकान बनाने के लिए हैं। राज्य सरकारें इन लोगों को 6000 रुपये की लागत के पक्के मकान देने की स्थिति में होंगी।

इतना ही नहीं, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत हम अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए बहुत बड़ी धन-राशि की व्यवस्था करना चाहते हैं। लगभग 10 करोड़ रुपये हम पहले ही दे चुके हैं। यह व्यवस्था भी उन्हीं के लिए की गई है।

अब, जहां तक बजट में इसके लिए की गई व्यवस्था और 1984-85 में आदिवासी उप-योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों के लिए किये गए उत्तरवर्ती नियतनों का संबंध है, इसमें अनुसूचित जाति के लोगों के लिए 1250.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। अब चालू वर्ष में इसे बढ़ाकर 140 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा

पिछले वर्ष विशेष संघटक योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए हमने 140 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये थे और इस वर्ष हम इस राशि को बढ़ाकर 165 करोड़ रुपये तक कर गए हैं, जो 17.86 प्रतिशत की वृद्धि है। अन्य कई योजनाओं के अंतर्गत हम, 100 करोड़ रुपये की इस राशि को मिलाकर, 488.50 करोड़ रुपये का प्रावधान कर रहे है। यह सब अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये कल्याणकारी योजनाओं के लिए है। हमने यह बढ़ाया हुआ प्रावधान किया है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें अपनी बात समाप्त करने दीजिए फिर आप अपने विशिष्ट प्रश्न कर सकते हैं मैं आपको बाद में अनुमति दूंगा। लेकिन पहले उन्हें अपनी बात समाप्त करने दीजिए।

श्री जनार्दन पुजारी : श्रीमान, जहां तक ओवर ड्राफ्ट का संबंध है आप जानते ही हैं कि मैंने क्या आंकड़े दिये है। कुछ माननीय सदस्य कह रहे हैं कि केन्द्रीय बजट में घाटा बढ रहा है और तेजी से बढ़ रहा है। इन ओवर ड्राफ्टों के लिए हमें बजट में पर्याप्त व्यवस्था करनी पड़ती है। यदि राज्यों के ओवर ड्राफ्ट न होते तो हमारे बजट का घाटा कम हो जाता।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : घाटा कितना है? यह तो आपका कहना है।

श्री जनार्दन पुजारी : योजना आयोग के साथ चर्चा के समय राज्य सरकारों की सभी योजनाओं के लिए पूरा ध्यान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार भी ध्यान देती है। यदि उनके प्रबन्ध में कुछ अनुशासन बना रहे तो उन्हें ओवर ड्राफ्ट की आवश्यकता ही न पड़े।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : आपका अनुशासन कैसा है?

उपाध्यक्ष महोदय : वह किसी एक राज्य के बारे में नहीं कह रहे हैं। यदि वह किसी राज्य का उल्लेख करें तो आप इसे बाद में उठा सकते हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : आपको केन्द्रीय सरकार के घाटे, जो लगभग 7000 करोड़ रुपये का है, के बारे में बताना चाहिए।

श्री जनार्दन पुजारी : मैंने किसी ऐसे राज्य का उल्लेख नहीं किया है जहां विपक्षी दलों की सरकारें हैं। मैंने तो सभी राज्यों के बारे में कहा है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : आपको इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए। (व्यवधान)

श्री जनार्दन पुजारी : ओवर ड्राफ्ट तो है और साथ ही यह कहकर केन्द्रीय सरकार की आलोचना की जा रही है कि घाटा बढ़ रहा है। बात तो यह है कि यह वृद्धि ओवर ड्राफ्टों में वृद्धि के कारण है।

एक बात और है कि पिछले वर्ष योजना परिव्यय में 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। इस वर्ष 39 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। राज्य सरकारें अनुरोध कर रही हैं कि योजनागत सहायता-राशि बढ़नी चाहिए। हमने राज्य सरकारों की बात मानकर योजनागत सहायता-राशि को 13 प्रतिशत से बढ़ाकर 39 प्रतिशत कर दिया है। यदि हमने इतनी वृद्धि न की होती तो हमारा घाटा उतना ही कम हो

[श्री जनार्दन पुजारी]

जाता। माननीय सदस्यों को कम से कम यह बात तो माननी चाहिए, जैसाकि श्री बनातवाला द्वारा एक और मांग के सम्बन्ध में किया गया था और केन्द्रीय सरकार ने उसे मान लिया था। इसके विपरीत हमारी आलोचना की जा रही है।

आन्ध्र प्रदेश के माननीय सदस्य विशाखापत्तनम् संयंत्र के लिए धन की मांग कर रहे हैं। हमने उनकी मांग मान ली है। इसके लिए हमने 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। उसके लिए भी हमारी आलोचना की गई है। वे कहते हैं कि केन्द्रीय सरकार का घाटा बढ़ रहा है। मेरा कहना यह है कि उन्हें आलोचना करते समय यह देखना चाहिए कि क्या उचित है और क्या अनुचित।

यदि हमने पटसन निर्माता निगम की सहायता न की होती तो 30,000 कामगार बेरोजगार हो जाते। इसके बावजूद पश्चिम बंगाल के माननीय सदस्य हमारी आलोचना करते हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। कीमत 270 रु० से बढ़कर 1000 रुपये हो गई है। अत: वहां उत्पादकों की मदद की जाती है। लेकिन दुर्भाग्यवश 20 मिलें बन्द हो गई हैं। तो मेरा फिर यही कहना है कि केन्द्रीय सरकार की आलोचना करते समय माननीय सदस्यों को औचित्य का ध्यान रखना चाहिए।

कई माननीय सदस्यों ने अपने निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अलग-अलग अनुरोध किया है। मैं उनकी बात प्रशासी मंत्रालयों तक निश्चित रूप से पहुंचा दूंगा और उन्हें भी अलग से लिखूंगा।

डा० बी० वेंकटेश : महोदय, माननीय मंत्री ने अपने पिछले बजट भाषण में कहा था कि मानसून के बाद स्थिति सुधर जाएगी और अब वे कह रहे हैं कि आने वाले मौसम में स्थिति सुधरेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो मानसून पर निर्भर है।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक सवाल पर्टीकुलरली पूछा था कि आपके बैंक के एम्पलाईज जो लोगों को गरीबी की रेखा के ऊपर उठाने के लिए कर्जा देते हैं, पांच साल बाद वे उसका पांच गुना या छ: गुना पैसा वसूल करते हैं जबकि मनीलेंडर्स एक्ट और सी० पी० सी० दोनों में यह प्रावधान है कि दुगुने से ज्यादा नहीं वसूल करेंगे। तो क्या इस बारे में आप कोई कानून बनाएंगे ?··· (**व्यवधान**)।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : पहले उन्हें उनके प्रश्न का उत्तर समाप्त करने दीजिए।

श्री जनार्दन पुजारी : यदि बहुत अधिक दरें वसूल की जाती हैं तो आप मुझे बताइये। जहां तक ऋण को माफ करने आदि की बात है, मैं कहना चाहूंगा कि यह सार्वजनिक धन है। जब हम ऋण देते हैं तो आलोचना की जाती है कि हम सार्वजनिक धन दे रहे हैं और वे कहते हैं कि उस पैसे को माफ कर दिया जाए। आखिर उन्हें सार्वजनिक धन चुकता करना होता है। जैसा कि आप जानते हैं जमा

रखे हुए प्रत्येक 100 रुपये पर, उसे 5 वर्ष से अधिक समय तक रखने पर, 11 प्रतिशत ब्याज दिया जाता है। फिर उपरिव्यय भी होता है। कर्मचारियों को वेतन भी देना होता है। इस प्रकार कुल खर्च लगभग 13 से 14 प्रतिशत होता है और हमें उस राशि को भी लौटाना होता है। जब लोग चैक देते हैं तो हमें वह राशि लौटानी भी होती है। हम जनता के धन के अभिरक्षक हैं। अतः यदि बाढ़ या अकाल जैसा कोई ठोस कारण होता है तो हम इसकी वसूली के कार्यक्रम में परिवर्तन करते हैं और यदि माननीय सदस्य इस प्रकार का अनुरोध करें तो जहां आवश्यक होगा उस पर निश्चित रूप से विचार किया जाएगा।··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री सुमन······ (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, अब अंत में उनकी बारी है··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, मैंने किसी को अनुमति नहीं दी है। अंत में अब श्री सुमन बोलेंगे···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप अब बैठ जाइए। मंत्री ने पहले ही उत्तर दे दिये हैं···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप इस तरह खड़े होंगे तो मैं किसी को अनुमति नहीं दूंगा। मैं मांगों को मतदान के लिए रखूंगा··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप ऐसे ही शोर मचायेंगे तो मैं अनुमति नहीं दे सकता···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ : —

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।

मांग संख्या : 4, 8, 9, 11, 12, 25, 30, 31, 35, 39, 41, 44, 49, 52, 58, 70, 80, 83, 84, 90, 92 और 99।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक सभा द्वारा स्वीकृत वर्ष 1985-86 के लिये
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य)

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांग की राशि	
1	2	3	4
		राजस्व रु०	पूंजी रुपये
	कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय		
4.	पशु पालन और डेरी विकास	5,57,00,000	
8.	ग्रामीण विकास विभाग	121,54,71,000	...
	रसायन और उर्वरक मंत्रालय		
9.	रसायन और उर्वरक मंत्रालय	2,00,00,000	14,54,04,000
	वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय		
11.	विदेश व्यापार और निर्यात उत्पादन	10,10,000	3,45,80,000
12.	वस्त्र, हथकरघा और हस्तशिल्प	...	45,00,00,000
	शिक्षा मंत्रालय		
25.	शिक्षा	110,06,75,000	
	वित्त मंत्रालय		
30.	सीमा शुल्क	6,00,00,000	...
31.	संघ उत्पाद शुल्क	12,50,00,000	...
35.	करेंसी, सिक्का निर्माण और टकसाल	..	55,38,20,000
39.	वित्त मंत्रालय का अन्य व्यय	1,000	400,00,00,000
	खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय		
41.	खाद्य विभाग	250,00,00,000	...
	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय		
44.	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	3,00,00,000	...
	गृह मंत्रालय		
49.	अन्य प्रशासनिक और सामान्य सेवायें	12,00,000	...

1 2	3	4
52. दिल्ली	5,00,00,000	75,00,00,000
उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय		
58. उद्योग	27,50,00,000	...
पेट्रोलियम मंत्रालय		
70. पेट्रोलियम मंत्रालय	19,00,00,000	10,00,00,000
नौवहन और परिवहन मंत्रालय		
80. पत्तन, दीप स्तम्भ और नौवहन	...	7,00,00,000
इस्पात, खान और कोयला मंत्रालय		
83. इस्पात विभाग	...	300,00,00,000
84. खान विभाग	1,000	290,00,00,000
निर्माण और आवास मंत्रालय		
90. लोक निर्माण	...	1,000
92. आवास और नगर विकास	...	15,00,01,000
इलेक्ट्रोनिकी विभाग		
99. इलेक्ट्रोनिकी विभाग	2,12,86,000	2,47,00,000

3.34 म० प०

विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब मंत्री विधेयक पुर:स्थापित करने हेतु सभा की अनुमति प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव पेश करेंगे।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1985-86 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

[श्री जनार्दन पुजारी]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1985-86 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाए।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1985-86 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1985-86 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक में जोड़ दिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

3.36 म० प०

आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन अध्यादेश, 1985 (1985 का अध्यादेश संख्या 4) के बारे में सांविधिक संकल्प

और

आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 10 और 11 पर एक साथ चर्चा करेंगे। इसके लिए पहले ही दो घंटे का समय आवंटित किया जा चुका है। श्री सी० जंगा रेड्डी।

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : मैं निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं :—

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 5 जून, 1985 को प्रख्यापित आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन अध्यादेश, 1985 (1985 का अध्यादेश संख्या 4) का निरनुमोदन करती है।"

3.37 म० प्र०

(श्री जैनुल बशर पीठासीन हुए।)

[हिन्दी]

एक महीना पहले राष्ट्रपति जी ने टेरोरिस्ट एन्ड डिसरप्टिव एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) अमेन्डमेन्ट आर्डिनेन्स, 1985 लागू किया था। उसके पहले जब एक बिल की शक्ल में इस सदन में यह आया था तब मैंने अपने भाषण में इसके सम्बन्ध में बताया था। ... (व्यवधान)...मैंने कहा था कि इस बिल को जम्मू कश्मीर राज्य पर भी लागू होना चाहिए। एक महीने बाद आज फिर इस सदन में इस बिल

[श्री सी० जंगा रेड्डी]

के ऊपर चर्चा चल रही है। लोकसभा के सदस्य इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि संविधान की आर्टिकल 370 उक्त बिल के जम्मू-कश्मीर पर लागू होने के रास्ते में एक बाधा है। इस बाधा को दूर करने के लिए हमको संविधान में तब्दीली करनी चाहिए। भारत के हर एक राज्य पर इसको लागू किया जायेगा लेकिन जम्मू-कश्मीर पर यह लागू नहीं हो सकता है। जम्मू कश्मीर में जो शाह सरकार है उसको कौन सपोर्ट कर रहा है ? सिर्फ एक महीने के अन्दर संसद बैठने वाली थी फिर राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की क्या जरूरत थी ? इसको बाद में बिल के रूप में यहां लाया जा सकता था। जम्मू कश्मीर में शाह सरकार के पीछे कौन लोग हैं ? कांग्रेस के लोग हैं। (व्यवधान) कोई भी सरकार हो, आर्टिकल 370 को संविधान से निकाला जाना चाहिए—यही बात हम कह रहे हैं। लेकिन शाह सरकार से सहमति लेकर आज आप लोक सभा में इस बिल को पारित करने की कोशिश कर रहे हैं।

शाह सरकार एक डिफैक्टिड सरकार है। लोक सभा में एन्टीडिफैक्शन बिल पास होने के बावजूद भी सरकार डिफैक्शन सरकार को चलाना चाहती है। कुछ सदस्यों को लेकर और कांग्रेस की मदद से वे अपनी सरकार को चला रहे हैं। इस बारे में मैं पिछले तीन दिनों से अखबारों में पढ़ रहा हूं। कांग्रेस के विधान सभा के सदस्य शाह सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन राजीव गांधी और अन्य कांग्रेस वाले बैठकर कह रहे हैं कि बचाना चाहिए। अगर वहां चुनाव होते हैं, तो शाह की सरकार जाएगी और फारूख की सरकार आएगी। इसलिए उनको रखने की कोशिश कर रहे हैं। आप कितने साल तक जम्मू और कश्मीर की सरकार को चला सकते हैं, और चलायेंगे। मेरी समझ में नहीं आता है कि धारा-370 को संविधान से निकालने में आप क्यों हिचकिचा रहे हैं। हां, कुछ लोग पूछते हैं कि जनता सरकार ने क्या किया ? ठीक है, 5 साल तक आप चलाते रहे। हम फिर भी अपने समय में लाए थे, लेकिन कुछ कारणों से वह गिर गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 35 सालों से आप इसको यानी इस अनुच्छेद को निकालने में क्यों हिचकिचा रहे हैं ? इसका जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं··· (व्यवधान)·· अढ़ाई साल और रहते तो निकाल देते। ··· (व्यवधान)···जयप्रकाश जी हों या कोई भी हो, लेकिन इसको दूसरी मर्तबा लाया जा रहा है। इस लोकसभा के सदस्यों को सोचना होगा कि कम से कम···

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (हावड़ा) : नाना जी की राय क्या है ?

श्री सी० जंगा रेड्डी : नाना जी हों या आप हों, भारत के संविधान में से धारा 370 को निकालना चाहिए।

श्री हरीश रावत (अलमोड़ा) : दादा जी की राय इस फेवर में थी, लेकिन नाना जी की राय क्या है ?··· (व्यवधान)···

सभापति महोदय : आप चेयर को एड्रैस कीजिए।...**व्यवधान**)...

श्री सी० जंगा रेड्डी : इस बिल का हम समर्थन करते हैं, लेकिन यह पहले ही हो जाना चाहिए था। अभी कुछ ही दिन पहले प्रधान मन्त्री, श्री राजीव गांधी, व संत लोगोंवाल जी के बीच में एक समझौता हुआ है। जब समझौता हो चुका है, तो इस बिल की फिर क्या आवश्यकता है। इस बिल को देखने से पता चलता है पहले ही कितने एक्ट बन चुके हैं, टैरेरिस्ट को खत्म करने के लिए, फिर इनकी क्या आवश्यकता थी, जैसे

[अनुवाद]

पंजाब अशान्त क्षेत्र अधिनियम, 1983

चंडीगढ़ अशान्त क्षेत्र अधिनियम, 1983

राष्ट्रीय सुरक्षा संशोधन अधिनियम, 1984

सशस्त्र बल (पंजाब और चंडीगढ़) विशेष शक्तियां अधिनियम, 1983

दण्ड प्रक्रिया संहिता (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 1983

आतंकवाद-ग्रस्त क्षेत्र (विशेष न्यायालय) अधिनियम, 1984

आयुध अधिनियम (संशोधन), 1984.

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 121, 130, 503 से 507

[हिन्दी]

अभी पिछले दिनों हमारे माननीय सदस्य, श्री ललित माकन, की हत्या करके हत्यारे भाग गए और पचास-सौ गज की दूरी पर जो पुलिस थी, उससे कहा गया तो उसने कहा कि यह हमारे एरिए में नहीं है। इस प्रकार अगर पुलिस का रवैया है, तो चाहे क्षेत्र कितने अधिकार लोकसभा से पास करके दे दीजिए, लेकिन फिर भी काम होने वाला नहीं है। पुलिस में सिर्फ मनोबल और धैर्य की कमी है। यदि उनके अन्दर मनोबल नहीं होगा तो आप चाहे जितनी पावर उनको दे दीजिए, वे कुछ नहीं कर सकते हैं। ललित माकन की हत्या करने वाले हत्यारे स्कूटर पर आये थे, जिसको उन्होंने एक दिन पहले चुराया था। वह वहां पान खा रहे थे, पुलिस वाले भी वहां थे, फिर भी उनको पकड़ नहीं सके। इसका क्या कारण था ? इसका एक ही कारण था कि हमारी पुलिस में मनोबल नहीं है, वे दूसरों की रक्षा के लिए अपनी जान देने को तैयार नही हैं जिसके कारण आतंकवादी पनप रहे हैं, ला एंड आर्डर प्राब्लम

[श्री सी० जंगा रेड्डी]

हमारे देश में फैल रही है। इस बिल के मुद्दे का समर्थन करते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस के मनोबल को मजबूत बनाना चाहिए।

आपने पंजाब में बहुत तरह की कोर्ट्स बना दी हैं, फिर भी मुकदमों के फैसले नहीं हो रहे हैं। आज भी पंजाब में 3270 केसेज कोर्ट्स में पेंडिंग हैं। आज तक एक भी केस में जजों के द्वारा सजा नहीं सुनाई गई है, एक भी केस का ट्रायल शुरू नहीं हुआ है—इसका क्या कारण है। एक भी केस अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ, इसके बारे में मंत्री महोदय बतलायें।

इस कानून के मिसयूज के बहुत सम्भावना है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट और प्रीवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट पास करते हुए आपने वायदा किया था कि पोलिटिकल वर्कर्स, ट्रेड यूनियन लीडर्स और सोशियल वर्कर्स के खिलाफ उसका इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद भी आपने इन लोगों को इन्हीं कानूनों के तहत पकड़ा। इसी तरह से इस कानून के दुरुपयोग की भी सम्भावना बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

मैं गृह मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि अब पंजाब के बारे में समझौता हो जाने के बाद इस कानून का ज्यादा महत्व नहीं रह जाता है।...

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : जब तक आपके साथ समझौता नहीं होगा, तब तक ऐसे ही चलेगा।

श्री सी० जंगा रेड्डी : हमारे समझौते की बात क्या कहते हैं, लॉ एंड आर्डर बिगाड़ने वाले भी आप हैं और ठीक करने वाले भी आप हैं। खुद घर को जलाते हैं और फिर पानी लाकर बुझाते हैं। आप का काम है आग लगाना और फिर फायर ब्रिगेड को बुलाना। इस समझौते के बाद आप पंजाब में चुनाव की घोषणा करने जा रहे है, क्योंकि समझौते के कारण उसके जो अच्छे मुद्दे हैं, उनके आधार पर चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आप हमेशा जलाते भी हैं और बुझाते हैं, दोनों तरफ से लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। इसलिए देश में इस तरह के हालात बने हुए हैं।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का विरोध करता हूं।

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1985 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, मेरा विचार मुख्य अधिनियम के विस्तार में जाने का नहीं है। जहां तक इस संशोधन का सम्बन्ध है, यह एक बहुत ही सरल प्रस्ताव है। मैं नहीं समझता कि क्या मैं श्री जंगा रेड्डी द्वारा उठाये गए मुद्दों का उत्तर अभी दूं अथवा विधेयक पर विचार किये जाने की समाप्ति पर। फिर भी, मैं इस बारे में अभी कुछ कहना चाहूंगा, क्योंकि माननीय सदस्यों ने इस विषय पर बोला है। अन्त में मैं उत्तर देने की कोशिश करूंगा।

महोदय, आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1985 संसद द्वारा आतंकवादी तथा विघटनकारी गतिविधियों से निपटने के लिए तथा उनके निवारण हेतु विशेष उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया था। जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है कि यह अधिनियम मई, 1985 में देश के अनेक भागों में आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि होने की तात्कालिक पृष्ठभूमि में अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम के उपबंधों को पूर्णरूपेण जम्मू तथा काश्मीर राज्य पर लागू करने की अत्यधिक आवश्यकता होते हुए भी उस अधिनियम में उसके उपबंधों को उस राज्य में लागू करने का एक सशर्त उपबंध किया गया, क्योंकि तत्समय प्रवृत्त संविधान (जम्मू तथा काश्मीर पर लागू होना) आदेश, 1954 के अधीन संसद की शक्ति सीमित है। जब इस उपबंध पर संसद में विचार किया गया था, एक मांग की गई थी कि इस अधिनियम को जम्मू तथा काश्मीर राज्य पर पूरी तरह लागू किया जाए। कुछ माननीय सदस्य तो इस संबंध में संशोधन भी लाये थे। सरकार की ओर से विधि मंत्री द्वारा एक आश्वासन दिया गया था कि इस अधिनियम को उस राज्य में पूर्ण रूप से यथाशीघ्र लागू करने हेतु कदम उठाये जायेंगे। तदनुसार इस अधिनियम के पारित किये जाने के तुरन्त बाद इस मामले को जम्मू तथा काश्मीर सरकार के साथ उठाया गया और उस सरकार की सहमति से संविधान (जम्मू तथा काश्मीर पर लागू करना) आदेश, 1954 में आवश्यक संशोधन करने के लिए राष्ट्रपति का एक आदेश 4 जून, 1985 को जारी किया गया। इस मामले की अविलम्बिता को देखते हुए राष्ट्रपति ने 5 जून, 1985 को आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन अध्यादेश, 1985 प्रख्यापित किया ताकि आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1985 को जम्मू तथा काश्मीर राज्य पर पूर्ण रूप से लागू किया जा सके। यह विधेयक आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1985 का जम्मू तथा काश्मीर राज्य पर पूर्ण रूप से लागू किए जाने के लिए उपबन्ध करने वाले अध्यादेश का स्थान लेगा।

मैं यह विधेयक इस सम्माननीय सभा के विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं।

आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन अध्यादेश, 1985 (1985 का अध्यादेश संख्या 4) के बारे में सांविधिक संकल्प

और

आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1985 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने स्पष्ट किया है कि किन परिस्थितियों में इस संशोधन को सभा के समक्ष लाया गया है। मैं उन परिस्थितियों के विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं समझता जिनमें मुख्य विधेयक को बजट सत्र की समाप्ति के दौरान इस सभा के समक्ष लाया गया था विशेषकर उस पृष्ठभूमि में जब दिल्ली तथा देश के अन्य भागों में आतंकवादी गतिविधियों के कारण बहुत बड़ी संख्या में निरपराध लोग मारे गए थे और उसके परिणामस्वरूप राष्ट्र को अपार क्षति हुई थी। हाल ही में एयर इण्डिया के कनिष्क वायुयान के समुद्र में गिरने से 326 से अधिक लोगों की जाने गयीं और करोड़ों रुपये की सम्पत्ति का नुकसान हुआ।

महोदय, मैं जम्मू तथा काश्मीर राज्य पर आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम को लागू करने का उपबन्ध करने वाले इस संशोधन का स्वागत करता हूं क्योंकि यह भी भारत का एक अभिन्न अंग है। और जहां कहीं भी आतंकवादी तथा तोड़फोड़ करने वाले तत्व आम जनता तथा राष्ट्र के हितों के विरुद्ध काम करेंगे, वहां हम निश्चित रूप से उनकी खबर लेंगे। उनके प्रति दया दिखाने की आवश्यकता नहीं है और इस अधिनियम में दिये गये सभी उपबन्धों को लागू करके उन्हें सजा दी जानी चाहिए। मेरा एक मात्र सुझाव यही है कि इसका कार्यान्वयन सद्भावनापूर्वक किया जाना चाहिए। इसका दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार के ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि ऐसे उदाहरण हैं जबकि जिन लोगों से संविधान के अभिरक्षक होने की अपेक्षा की जाती थी उन्होंने गलती की है तथा गलत निर्णय लिये हैं। आपको मालूम है कि श्री एन० टी० रामाराव की विधिवत् रूप से निर्वाचित आन्ध्र प्रदेश सरकार को तत्कालीन राज्यपाल द्वारा बर्खास्त कर दिया गया था और उन्होंने एक कठपुतली सरकार स्थापित की थी। सभा में यह प्रमाणित हो गया था कि श्री एन० टी० रामाराव को सदस्यों का बहुमत प्राप्त है और पुनः उनको सत्ता में लाया गया लेकिन इसी बीच कितने लोगों की मृत्यु हुई। सरकारी सम्पत्ति का कितना नुकसान हुआ और लोकप्रिय सरकार को स्थापित करने के लिए कितना बलिदान करना पड़ा? इसी प्रकार आपको मालूम है कि जम्मू तथा काश्मीर राज्य में श्री श्री फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार को उस व्यक्ति द्वारा बर्खास्त किया गया जिससे संविधान के अभिरक्षक होने की अपेक्षा की जाती थी और दुर्भाग्यवश उनकी सहायता से दल-बदल करवाया गया। दल-बदलुओं को बुलाकर राज्यपाल के बंगले में रखा गया। श्री फारूख अब्दुल्ला को

बर्खास्त करके श्री जी० एम० शाह की कठपुतली सरकार स्थापित की गई।·· (व्यवधान) यह सरकार के लिए शर्म की बात है·· (व्यवधान) मैं यह कहना चाहूंगा कि प्रत्येक दल-बदलू विधायकों को मंत्री बनाया गया और उनको एक नई कार में घर भेजा गया। ऐसी स्थिति थी। इस प्रकार सत्ता का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, मेरा यही निवेदन है।

अधिनियम के इन उपबंधों का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। चाकू हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है लेकिन उसके दुरुपयोग से लोगों की जान भी ली जा सकती है। इसी प्रकार यदि अधिनियम के उपबंधों को अच्छी भावना से कार्यान्वित किया जाए तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी और सभी इसका स्वागत करेंगे। हम सरकार को केवल यह चेतावनी देना चाहते हैं कि विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए, जिन लोगों के विचार सरकार के विचारों से भिन्न हैं उनकी आवाज को दबाने के लिए, इस अधिनियम का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। मेरा यही अनुरोध है। यदि ऐसा दुरुपयोग हुआ तो लोग उसे सहन नहीं करेंगे। और आपको आपातकाल का तथा अन्य ऐसे अवसरों का अनुभव है जबकि जनता ने यह सहन नहीं किया था; जनता ने स्पष्ट मत व्यक्त किया है कि वह किसी भी शासन के अधिकारीवादी व्यवहार के विरुद्ध है।

दुर्भाग्यवश आतंकवादियों की गतिविधियां हर जगह और हर रोज बढ़ रही हैं। चुनावों के दौरान भी कई स्थानों पर बम फेंके जाते हैं, जनता को स्वतन्त्रतापूर्वक मतदान नहीं करने दिया जाता। कई राज्यों में ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। सैकड़ों कारखाने ऐसे हैं जिनमें बिना लाइसेंस के हथियार, रिवाल्वर, पिस्तौल, बम, आदि बनाए जाते हैं। मैं यह बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में 1981 में 251, 1982 में 177 और 1983 में 124 अवैध कारखानों का पता लगाया गया था। बिहार में 1981 में 82, 1982 में 53 और 1983 में 29 अवैध कारखानों का पता लगाया गया था। कई और राज्यों में भी ऐसे कारखानों का पता लगाया गया है। मैं चाहता हूं कि सरकार, विशेषकर गृह मन्त्री, एक विशेष कृतिक बल को तैनात करे जो ऐसे अवैध कारखानों का पता लगाए जो अवैध हथियार बनाकर उन्हें खुले आम, सिगरेटों की तरह, आतंकवादियों को तथा अन्य समाज विरोधी तत्वों को उपलब्ध कराते हैं। हाल ही में हमने अपने साथी श्री ललित माकन और उनकी पत्नी को खो दिया, और ये लोग नई दिल्ली कीर्ति नगर जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्र में जाकर भी अपना काम कर गए।

4.00 म०प०

हमें ऐसे अवैध हथियारों की उपलब्धता को रोकना चाहिए और साथ ही यदि सरकार वास्तव में यह पता लगाना चाहे कि गांवों या शहरों में किन-किन लोगों के पास अवैध हथियार हैं तो निश्चित रूप से पता लगाया जा सकता है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह ऐसे लोगों का पता लगाने

[श्री वी० सोमनाद्रीश्वर राव]

के लिए आवश्यक कार्यवाही करे जिनके पास बिना लाइसेंस के हथियार हैं। ऐसे हथियारों को जब्त कर लेना चाहिए और जिनके पास ये पाए जाते हैं उन्हें इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्ड दिया जाना चाहिए।

इसी प्रकार जहां तक जम्मू-कश्मीर सरकार का संबंध है, मेरा विचार है कि आतंकवादी और विध्वंसकारी गतिविधियों को रोकने के लिए जनता की सरकार होनी चाहिए और श्री जी० एम० शाह की वर्तमान सरकार जनता की सरकार नहीं है। इसे जनता का समर्थन प्राप्त नहीं है और जिस राज्यपाल ने ··को सत्ता में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई··· (**व्यवधान**)

सरकार को वहां राष्ट्रपति-शासन लागू करना चाहिए। सरकार वहां चुनाव करवाये और जनता को अपनी सरकार चुनने का अवसर दे ··· (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : आप अपना भाषण जारी रखिए।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : हम चाहते हैं कि जनता को अपनी सरकार निर्वाचित करने का अवसर दिया जाए और वह लोकप्रिय सरकार इन आतंकवादी और विध्वंसकारी गति विधियों को नियंत्रित करने में निश्चित रूप से समर्थ होगी।

महोदय, दुर्भाग्यवश जम्मू-कश्मीर में ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के प्रति वफादार हैं, जो भारत के हितों के विरुद्ध हैं और जिन्हें हमारे देश के लोगों को अलग-अलग हिस्सों में बांटने के लिए गड़बड़ी आतंकवादी तथा विध्वंसकारी कार्य करने के लिए विवश किया जाता है। केवल लोकप्रिय सरकार ही ऐसी विध्वंसकारी गतिविधियों को रोक सकती है। अतः जनता को अपनी सरकार निर्वाचित करने का अवसर दिया जाना चाहिए।

श्री गुलाम नबी आजाद : महोदय, इनका सामान्य ज्ञान बहुत कमजोर लगता है।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : आप ही के राज्यपाल ने फारूख अब्दुल्ला की सरकार को बर्खास्त करने की सिफारिश की थी··· (**व्यवधान**)

महोदय, अन्त में मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करता हूं कि किसी भी दल द्वारा राजनीतिक उद्देश्यों के लिए आतंकवादियों को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। दुर्भाग्यवश यह आप ही का संरक्षण था, भिंडरावाले को आपके ही द्वारा बढ़ावा दिए जाने का परिणाम था कि श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई जिससे देश को सर्वाधिक हानि हुई और सैकड़ों करोड़ रुपयों की सम्पत्ति की हानि हुई। कई हजार निर्दोष लोगों की जानें गईं। पंजाब के आन्दोलन से या उससे संबंधित मामलों से कोई सरोकार नहीं था।

महोदय, वह सत्ताधारी दल ही था जिसने 1980 में राजनीतिक समर्थन पाने के लिए भिंडरावाले का उपयोग किया और उन्होंने ही उसे इस देश में 'हीरो' बना दिया ··· (**व्यवधान**)

अतः इस प्रकार के कड़वे अनुभव के होते हुए भी हमें इस प्रकार की आतंकवादी हरकतों को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। महोदय, मेरे यही विनम्र सुझाव हैं।

4.04 म० प०

(श्री वक्कम पुरुषोत्तमन पीठासीन हुए)

[हिन्दी]

श्री राजकुमार राय (घोसी) : सभापति महोदय, टेररिस्ट एण्ड डिसरप्टिव एक्टीविटीज प्रिवेंशन संशोधन विधेयक का मैं समर्थन करता हूं। यह संशोधन स्वागत योग्य है। मान्यवर, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वे पक्ष में बैठे हों या विपक्ष में बैठे हों, जहां 'कहीं' भी बैठे हों, सबका उद्देश्य एक ही है और वह है देश में अमन और शांति रहे। इसी से प्रभावित होकर सारे राजनातिक कार्यकलाप होते हैं और होते रहेंगे, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो।

सभापति महोदय, इसके पहले भी यह बिल मौजूद था, जिससे आतंकवादियों पर काबू पाया जा सके और इनकी विध्वंसक कार्यवाहियों को रोका जा सके, चूंकि संविधान की धारा 370 आड़े आती थी, इसलिए उसे जम्मू-कश्मीर में लागू नहीं किया जा सका। आज माननीय गृह मन्त्री महोदय ने इस बिल को लाकर जम्मू-कश्मीर में भी इसको लागू किया है, इससे देश का बहुत भला होगा। माननीय सदस्यों ने उस समय जम्मू-कश्मीर के लिए मांग भी की थी।

मान्यवर जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति है, भौगोलिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से। एक तरफ पाकिस्तान है और वहीं दूसरे बार्डर लगे हुए हैं, जिससे इस तरह के आतंकवादी लोग जिनको दूसरे देशों की मदद मिलती है, वे आ जाते हैं। उनको खुली ट्रेनिंग मिलती है। वे, जम्मू-कश्मीर में अपनी इस किस्म की एक्टीविटीज के लिए और ज्यादा पनाह पा सकते हैं। कोई भी सरकार अमन-चैन रखना चाहती है और चाहती है कि शांति तथा कानून का राज हो तो ऐसे आतंकवादियों से निपटने के लिए अपने भू-क्षेत्र को छोड़ नहीं सकती। इसलिए जम्मू-कश्मीर का उसमें आना अत्यन्त ही आवश्यक था। टैररिस्ट्स और इस किस्म के लोग देश में क्या कुछ कर रहे हैं तथा उनके क्रिया-कलाप क्या हैं, यह किसी से छिपा नहीं है। वह सदन जानता है कि दुनिया के अन्दर बहुत सी ऐसी चीजें हो रही हैं जो कि समाज में परमिसिबल नहीं हैं। वह इस देश में अधिक हैं। जब हम टेररीज्म की बात करते हैं तो यह गलती करते हैं जब उनको पंजाब से जोड़ते हैं। पंजाब में टेररीज्म का एक अड्डा था। उसको हमने उदाहरणस्वरूप लिया। जम्मू-कश्मीर में क्या कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तानी झण्डे फहराये गये। जम्मू-कश्मीर में तो बाहर के लोग भी आते हैं। अगर आप देश के और हिस्सों में दृष्टिपात करेंगे तो पाएंगे कि उत्तर प्रदेश और बिहार में टेररिस्ट क्या नहीं कर रहे हैं। किसी भी ठेके में बिना किसी आतंकवादी के हाथ लगाए फैसला नहीं हो सकता। पी०डब्ल्यू०डी०आर०इ० एस० या अस्पतालों में मरीजों को फल-फूल देने के ठेके या छोटी-छोटी इकाइयों के ठेके तलवार और बन्दूक के बल पर दिए जा रहे हैं। राजनीति में भी इस आतंकवाद का प्रवेश जिस तरह खुल्लमखुल्ला हो रहा है, तो वह दिन भी दूर नहीं है जबकि पार्लियामेंट, असेम्बलीज और परिषदों के अन्दर बैठे लोगों का जीवन खतरे में होगा। मैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। इसके साथ पश्चिमी बिहार में भी माफिया गिरोह इस तरह सक्रिय हैं जो कि लाईलाज हो चुके हैं। उनकी समानांतर सरकारें चल रही हैं। रोज अखबारों में छप रहा है। रोज कत्ल हो रहे हैं और डाके पड़ रहे हैं। लेकिन कानून के अभाव में या उनके क्रियान्वियन के अभाव में हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कानून का क्रियान्वियन भी

[श्री राजकुमार राय]

धोखा है। जितने कारगर कदम उठाए जाने चाहिए, वह नहीं उठाये जा रहे हैं। आज तो स्टेट असेम्बलीज में ऐसे दर्जनों लोग चुनकर आए हैं। जिन पर दर्जनों कत्ल, डकैती, खून और लूट के मुकदमे थे। अगर हमने इसेपरमिट किया तो आने वाला कल क्या होगा। उसके लिए मैं सदन को आगाह करना चाहता हूं। उत्तरी भारत की सीमा नेपाल से छूती है। वहीं पर चीन भी सटा हुआ है। नेपाल के जरिए से ऐसी एक्टिविटीज हमारे उत्तरी भारत में होती है। मैं गृह मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि उसको रोका जाना चाहिए। हशीश, गांजा, भांग, और अफीम की तस्करी खुले-आम बार्डर पर हो रही है। उसको जो रोकने वाले लोग हैं वे और पैसा देकर मंहगा कर देते हैं। उस काम में सैकड़ों लोग लगे हुए हैं। आज शांतिप्रिय आदमी परेशान हैं। मेरा अपना अनुभव उत्तरी भारत के विधायकों और सांसदों के यहां यह है कि बन्दूक का लाइसेंस उनको नहीं है। उनकी सिफारिशों पर ध्यान नहीं दिया जाता। अगर किसी टेररिस्ट, किसी बदमाश या किसी अनसोशियल एलीमेंट के खिलाफ उसने आवाज उठाई तो कल उसका जीवन खतरे में पड़ जाता है। वह सड़क पर चलने से रोका जाता है। और जब किसी भले आदमी के लिए बन्दूक या रिवाल्वर के लाइसेंस की बात की जाती है, तो मान्यवर, मैं गृह मन्त्री जी के ध्यान में एक उत्तर प्रदेश का उदाहरण लाना चाहता हूं। पिछले महीने अखबारों में हमें पढ़ने को मिला कि उत्तर प्रदेश के डी० जी० श्री जे० एन० चतुर्वेदी ने स्पष्ट शब्दों में सभी एस० पीज० और डी० आई० जीज० की मीटिंग में कहा था कि असले या लाइसेंस देना एकदम से बन्द कर दिया जाए। अगर कहीं बहुत जरूरत हो तो लगभग नहीं के बराबर दिया जाए। मैं गृह मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो लोग देश में और प्रदेशों में शांति के प्रतिष्ठापक हैं। जिनके भरोसे देश में और इतने बड़े प्रदेश में शांति रह सकती है, वहां बदमाश तो खुले-आम शस्त्र लेकर घूम रहे हैं, बिना लाइसेंस के एक नहीं दो या तीन अपने नाम से नहीं तो दूसरों के नाम से लाइसेंस लेकर, कुत्ते और बिल्लियों के नाम से लाइसेंस लेकर, यदि इस प्रदेश से उनको लाइसेंस नहीं मिलता तो दूसरे प्रदेशों से लाइसेंस लाकर, यदि किसी उत्तर प्रदेश के आदमी का जानने वाला व्यक्ति बिहार में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है तो वह बिहार से जाकर लाइसेंस ले आता है, एक है तो दूसरा ले लेता है या फिर बिना लाइसेंस के शस्त्र लेकर चलता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन किसी शांतिप्रिय आदमी को आप शस्त्र का लाइसेंस नहीं देते, जो समाज में अमन रखना चाहता है, जो कानून का राज चाहता है, उसकी रक्षा के लिए लाइसेंस पर आपने रोक लगा दी। उत्तर प्रदेश का इतना जिम्मेदार व्यक्ति, जिसका 11 करोड़ लोगों से सीधा वास्ता है, यदि वह इस किस्म का बयान देता है, अपने अधिकारियों को निदश देता है तो मान्यवर उनकी सुरक्षा का भार कौन लेने वाला है।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जहां गृह मन्त्री महोदय इस बिल को लाकर एक पवित्र काम कर रहे हैं, वहीं दूसरा पवित्र काम वे यह भी करें कि उत्तर प्रदेश के डाइरैक्टर जनरल को ऐसे डाइरैक्टिव्ज ईश्यू करें, इस बात को कहें कि जहां माकूल वजह हो, जहां सही मायनों में जरूरत हो, यदि कोई आदमी कानून का राज चाहता हो तो उसको सुरक्षा के लिए उसके जीवन के लिए यदि असले का होना आवश्यक हो तो उसे हरगिज-हरगिज उसके अधिकार से वंचित न किया जाए।

मान्यवर, ऐसी अवस्था में जबकि हमारे देश में एक्सट्रीमिजम और टैररिस्ट्स एक्टीविटीज बढ़ रही हैं, हमारे विरोध पक्ष के लोगों को भी सहायता का परिचय देना चाहिए और सौहार्दपूर्ण ढंग से इस विषय पर विचार करना चाहिए। कोई भी इस बात से इंकार नहीं करेगा कि देश के किसी भी भाग में, किसी भी हिस्से में आतंकवादी गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। अगर यह बात काश्मीर के लिए कही जा रही है, हमारे देश के उस टुकड़े के बारे में कही जा रही है जो हमसे किसी भी मायने में

अलग नहीं है, भारत का अविभाज्य अंग है तो उसमें कौन-सी बड़ी बात है कि उसको डिस-एप्रूवल के लिए यहां बिल लाया जा रहा है।

ऐसी हालत में मैं आपसे निवेदन करूंगा और चाहूंगा कि जहां गृह मन्त्री जी ने इस बिल को लाकर एक अच्छा काम किया है, वहीं हमारे नोर्दर्न रीजन की सीक्योरिटी के लिए, वहां शांति की स्थापना के लिए कुछ कड़े और अच्छे कदम, कानून बदल कर लावें। धन्यवाद।

श्री शांति धारीवाल (कोटा) : सभापति महोदय, मैं माननीय गृह मन्त्री जी के द्वारा इस बिल को लाये जाने का स्वागत करता हूं और इस बिल का स्वागत करता हूं। साथ साथ इस बात के लिए भी धन्यवाद देता हूं कि पंजाब के बाद यदि किसी प्रदेश में सबसे ज्यादा इस बिल को प्रभावी बनाने की आवश्यकता थी तो वह जम्मू और कश्मीर राज्य था।

सभापति महोदय, हमारे देश में आतंकवादी गतिविधियों में लगे उग्रवादी, जहां अमेरिका में ट्रेनिंग लेकर आए थे, वहीं जम्मू और कश्मीर में भी उनकी ट्रेनिंग चल रही थी। आए दिन हमें अखबारों में ऐसी खबरें सुनने को मिलती थीं और इसी हालात के कारण वे लोग पंजाब में क्राइम करके अपराध करके, सीधे जम्मू और कश्मीर में जाकर शरण लेते थे। वहां फारूख अब्दुल्ला की रहनुमाई में वे लोग अपना काम किया करते थे। पंजाब में जिस समय उग्रवादियों की कार्यवाही तेजी से चल रही थी तो उस समय फारूख साहब ने अमृतसर के 10 दौरे किए और यह कह कर किए कि मैं भारत सरकार, पंजाबियों, अकालियों और लोंगोवाल के बीच समझौता करवा दूंगा। यह कह करके किया कि मैं भारत सरकार और पंजाबियों, यानी लोंगोवाल में समझौता करा दूंगा, लेकिन उसके पीछे यह षड्यंत्र था कि वे उग्रवादियों की पूरी मदद करते थे और उनको हर तरह की मदद देते थे। उनका सीमा का प्रान्त होने की वजह से, वे पाकिस्तान से भी अपना पूरा-पूरा कारोबार किया करते थे, पाकिस्तान से उनको आर्म्स मिला करते थे, ट्रेनिंग मिला करती थी, उग्रवादियों को फाइव स्टार होटल की फेसिलिटीज मिली करती थी। इन सब कारणों से यह बिल लाया गया है। इसलिए मैं इसका पुनः स्वागत करता हूं।

मैं, महोदय, इसके साथ ही साथ जो विरोधी दल के नेता यहां पर विराजमान हैं, और इस बिल के जम्मू-काश्मीर में लागू होने का विरोध करते हैं, उनसे भी यही निवेदन करना चाहता हूं कि वे अपने गिरेबान में झांक करके देखें, ये ही वे लोग थे जिन्होंने पिछले तीन साल से भिंडरवाले को अपना एक नेता बना रखा था, सरताज बना रखा था। उसकी किसी भी ऐसी बात पर जो देश-विरोधी थे, वे एक शब्द नहीं बोले। अभी तीन महीने पहले जम्मू-काश्मीर में भारत का झण्डा जलाया गया, अखबारों में चारों तरफ खबर आई, लेकिन फारूख अब्दुला जो अपने आपको एक नेशनलिस्ट कहते हैं और देश-भक्त कहते हैं और यह कहते हैं कि इस देश में काश्मीर का जो विलय हुआ है, वह अंतिम है, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। फारूख अब्दुल्ला जिस वक्त चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त क्रिकेट का एक टेस्ट हुआ, उसमें भारत विरोधी नारे लगाए गए, लेकिन उन नारे लगाने वालों के खिलाफ कोई केस नहीं बनाया, उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया, उन लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। तो ऐसे प्रदेश में जहां कि ऐसी विघटनकारी और विनाशकारी ताकतें मौजूद हों, जो कि भारत सरकार को हर मामले में नीचा दिखाना चाहती हों, और देश की तरक्की को पीछे ले जाना चाहती हों, वहां पर इस बिल का लागू होना आवश्यक समझा, इस बात के लिए मैं गृह मंत्री का धन्यवाद करता हूं और साथ ही साथ ये निवेदन भी करता हूं कि कागजों में कोरे कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, इसके लिए जब तक हम अपनी पुलिस को, बी० एस० एफ०, सी० आर० पी० और जितने भी सुरक्षा बल हैं, उनको मजबूत नहीं करेंगे, उनमें आमूल-चूल परिवर्तन नहीं करेंगे, उनकी ताकत नहीं बढ़ाएंगे,

[श्री शान्ति लाल धारीवाल]

उनके हौसले बुलन्द नहीं करेंगे तब तक हम इस आतंकवाद पर काबू नहीं पा सकते हैं। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक हम जो धाराएं इस कानून में दे रखी हैं। उनका पालन हम हूबहू जनता को उग्रवादियों से बचाने के लिए नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन यही है कि प्रशासन के ढांचे में, खास करके पुलिस के ढांचे में पूरा परिवर्तन होना चाहिए और जो ताकतें इस देश को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, या इस देश के जान-माल के लिए खतरा बनी हुई हैं, जैसे अभी ललित माकन साहब की हत्या हुई, ऐसे लोगों से निपटने के लिए पूरी मुस्तैदी से काम किया जाना चाहिए। ये कहते हुए, मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

[अनुवाद]

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण): सभापति महोदय, यह एक ऐसा अधिनियम है जिसे ऐसे समय में अधिनियमित किया गया जब हमारे देश का अस्तित्व ही खतरे में था। अब, मुझे विश्वास है कि सभी माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि, विशेषकर कि पंजाब समझौते के बाद, अब स्थिति बहुत कुछ बदल गयी है। यह वस्तुतः दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सरकार को इस प्रकार के विधान को लाने, विशेषकर इस देश में जो महात्मा गांधी की भूमि है, के लिए विवश हुई थी और कि हमारे द्वारा इस प्रकार का विधान लाया जाना ही इस बात को दर्शाता है कि कहीं न-कहीं कुछ गड़बड़ है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में हमने शस्त्र के रूप में अहिंसा का प्रयोग करके अंग्रेजों को यहां से खदेड़ दिया था। किन्तु अब सारा देश ही हिंसा के वातावरण से प्रभावित है। किन्तु साथ ही मैं आप द्वारा इस विधान को लाये जाने के समय इसे बनाने की आवश्यकता की सराहना करता हूं।

इस सम्बन्ध में, मैं एक या दो सुझाव दूंगा। सर्वप्रथम, आरम्भ में ही मैं इस संशोधन का स्वागत करता हूं क्योंकि इसे हमारे नेता प्रो० मधु दंडवते तथा इस सभा के अन्य सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों पर लाया गया था। यह बड़ी अच्छी बात है कि यह सारे देश पर लागू होता है क्योंकि हम सबका यह विश्वास है कि हम सब एक है और देश के हित में देश की अखंडता तथा एकता के लिए ऐसे कानूनों को अनिवार्य रूप से सारे देश पर लागू किया जाना चाहिए। मैं इसका स्वागत करता हूं। किन्तु एक बात जिसकी ओर मैं माननीय गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह यह है कि इस आतंकवादी अधिनियम अथवा किसी अन्य कानून से अधिक इस बात की ओर ध्यान दिया जाना है कि पुलिस तथा आसूचना इन दो वर्षों के दौरान, अर्थात् पंजाब में आतंकवादियों की गतिविधियों के शुरू होने से लेकर बुरी तरह असफल रही है।

अभी हाल ही में, हमने अपने एक बहुत सी योग्य तथा विश्वसनीय सहयोगी की दिल्ली में दिन दहाड़े कायरतापूर्ण ढंग से की गयी हत्या पर इस सभा में अपना दुःख तथा संक्षोभ व्यक्त किया है। किन्तु आज तक पुलिस अपराधियों का पता लगाने में समर्थ नहीं हो पायी है। इसी प्रकार हमारी आसूचना कार्य कर रही है। इसी प्रकार दिल्ली में हुए विस्फोटों के मामले में हमारी पुलिस पूरी तरह विफल रही है। मैं अपनी पुलिस और आसूचना को उचित प्रशिक्षण देने के हेतु विशेष रूप से ध्यान देने के लिए गृह मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा। इसे किस प्रकार किया जाना चाहिए, यह बात मंत्री महोदय के सोचने की है। किन्तु जैसा कि मैंने कहा है कि ये एजेंसियां पूरी तरह असफल रही है। अब भी मैं शर्म अनुभव करता हूं कि हमारे निवास स्थानों की सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा की जा रही है। हम सब आजाद नागरिक हैं। अंग्रेजों के समय में इस प्रकार के सुरक्षा उपायों को आवश्यक नहीं समझा जाता था किन्तु आज हममें से कुछ के लिए सुरक्षा कर्मचारियों के बिना इधर-उधर आना-जाना कठिन हो गया है। ऐसा वातावरण हमारे देश में नहीं होना चाहिए।

एक और बात है। यद्यपि आपने देश के भीतर आतंकवादियों से निपटने के लिए कुछ पग उठाये हैं और आप यह विधान लाये हैं, जो समूचे देश पर लागू होता है और हम इसका स्वागत करते हैं, किन्तु देश के बाहर आतंकवादियों के बारे में क्या होगा ? आतंकवादियों के बाहर की गतिविधियों के कारण ही अपने देश में आतंकवादियों को प्रोत्साहन मिला और आगजनी और लूटमार की घटनायें हुई। आप बाहर के आतंकवादियों से नहीं निपटे हैं। हमारे सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हैं, किन्तु संयुक्त राज्य अमरीका में आतंकवादियों को दिये जा रहे प्रशिक्षण के बारे में आपने क्या किया है ? केवल उन्हें लिख देना ही पर्याप्त नहीं होगा। उन्होंने हमारे प्रधान मन्त्री तथा हरियाणा के मुख्य मन्त्री की हत्या के कथित षड्यंत्र से सम्बन्धित कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। आतंकवादियों को वहां आश्रय मिल रहा है और उनके साथ उचित रूप से निपटा नहीं जा रहा है। बाहर के देशों में अब भी आतंकवादी आजादी के साथ इधर-उधर घूम रहे हैं। वे सभी प्रकार की गतिविधियों में व्यस्त हैं। मैं गृह मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि सम्बन्धित सरकारों के साथ इस मामले को उठाया जाये और उन्हें बता दिया जाये कि भारत सरकार इसे सहन नहीं करेगी और यदि यह काम जारी रहता है तो हम अपने सम्बन्धों को तोड़ने के लिए विवश हो जायेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आतंकवादी गतिविधियां भारत में आरम्भ न होकर विदेशों में विशेषकर पड़ोसी देश पाकिस्तान आदि में हुई। मैं गृह मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि इस मामले पर बहुत ही गम्भीरता से विचार किया जाये।

अन्त में, मैं आशा और विश्वास करता हूं कि सरकार के लिए इस अधिनियम को प्रयोग करने का कोई अवसर ही नहीं आयेगा, क्योंकि वातावरण ही बदल जायेगा। यही मेरी आशा है। श्री राव ने जम्मू तथा कश्मीर राज्य के बारे में कहा है। मैं अपने मित्रों से अनुरोध करूंगा कि वे वास्तविक स्थिति को देखें। वहां स्थिर सरकार नहीं है। वहां दल-बदलुओं की सहायता से सरकार बनायी गयी है जोकि दल-बदल विरोधी अधिनियम की भावना के विपरीत है। मैं इस मामले को इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि मेरे मित्र श्री राव द्वारा इसका उल्लेख किया गया है। मैं ईमानदारी पूर्वक यह आशा तथा अनुरोध करता हूं कि वहां तुरन्त नये चुनाव कराकर विधिवत् निर्वाचित सरकार स्थापित की जाये। इस अधिनियम का विस्तार जम्मू तथा कश्मीर पर किया जा रहा है। यदि वहां एक स्थिर और विधिवत् निर्वाचित सरकार नहीं बनती है, तो इसका दुरुपयोग किये जाने की सम्भावना है। यदि हम वहां एक विधिवत निर्वाचित सरकार बना देते हैं, तो इसका दुरुपयोग नहीं किया जायेगा। जो कुछ श्री राव ने कहा है, उसे इस दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। यह मेरी सच्ची अनुभूति है और मैं इसे निष्पक्ष दृष्टि से कह रहा हूं।

इन शब्दों के साथ, मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं और मैं आशा करता हूं कि दो वर्षों की अवधि के पश्चात् इस कानून की अवधि को बढ़ाने का कोई अवसर नहीं आयेगा।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : सभापति महोदय, इस अवसर पर मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। अन्य सदस्यों की भांति मैं तहे दिल से इस विधेयक का समर्थक हूं और मैं जम्मू तथा कश्मीर सरकार का बधाई तथा धन्यवाद करना चाहता हूं, जो इस विधेयक को जम्मू तथा कश्मीर राज्य में भी लागू करने पर राजी हो गई है यह विधेयक उनकी सहमति से लाया गया है और मैं विपक्ष के सभी नेताओं एवं सदस्यों को बधाई देना और उनका धन्यवाद भी करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने मुख्य विधेयक को पास कराने में सहयोग किया है।

सबसे मुख्य बात यह है कि पूरे भारत में आतंकवाद के विरुद्ध एक वातावरण बनाया जाए। भारत में राजनीतिक दलों, चाहे वे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के, को चाहिए कि वे किसी ऐसे दल,

[प्रो० एन० जी० रंगा]

चाहे वह कोई-सा भी दल हो जिसे निर्वाचित किया जाता है तथा जिसे अपने ही राज्य में बहुमत प्राप्त होता है, को कार्य करने दें। विपक्षी दलों का यह कर्तव्य है कि वह उक्त दल की कतिपय नीतियों तथा कार्यक्रमों की आलोचना करते हुए उनका समर्थन करे। यदि, दूसरी ओर, ये दल सड़क की राजनीति बाधा डालने की राजनीति अपनाते हैं जिसके कारण हिंसा उत्पन्न होती है तथा लोगों को हिंसा का रास्ता अपनाने को प्रेरित करती है तो लोकतंत्र नहीं चल सकता। दुर्भाग्यवश, गुजरात में पिछले कुछ दिनों पहले यही हुआ, इससे पूर्व असम में यही हुआ था और हम सभी को इसका परिणाम मालूम है और जब पंजाब में भी ऐसा ही हुआ तो हमारे देश को कितना नुकसान उठाना पड़ा। इसलिए, मैं इस संसद के माध्यम से विपक्ष के नेताओं तथा इस सभा से बाहर दलों से अपील करता हूं कि वे इस लोकतंत्र में अपनी भूमिका इस प्रकार अदा करें कि केवल शांति का वातावरण तथा लोकतंत्र के सामान्य सिद्धान्तों का ही हर संभव तरीकों से आदर हो सके और हम सड़क की राजनीति का सहारा न लें। दुर्भाग्यवश, वैसा वातावरण अभी तक नहीं बना है और मैं एक बार और अनुरोध करता हूं कि जब तक हम वैसा वातावरण नहीं बनाये रखेंगे तबतक इस देश में लोकतंत्र सफल नहीं होगा और आतंकवाद का मुकाबला नहीं किया जा सकता।

मैं अपने माननीय मित्र गृह मंत्री से एक छोटा-सा स्पष्टीकरण चाहता हूं। इस विधेयक तथा मूल अधिनियम के अनुपालन में भी आपका 'आतंकवाद' से क्या अभिप्राय है ? क्या इसका अभिप्राय उन व्यक्तियों तथा समूहों से है जो लोगों को अकारण ही हत्या करने में ही रुचि रखते हैं तथा लोगों को अमानवीय तरीके से अकारण आतंकित करते हैं अथवा क्या इसे उन डकैतों पर भी लागू किया जाएगा जिनके बारे में हम समय-समय पर पढ़ते हैं तथा जो देश के विभिन्न भागों, विशेषकर मध्य भारत में, अन्तर्राज्यीय सीमावर्ती क्षेत्रों में अपराध करते हैं ? मैं चाहूंगा कि हमारे माननीय मंत्री महोदय इस सभा को बताने की कृपा करें और आश्वासन दें कि राज्य सरकारों को, जो इस मामले से संबंधित होंगे, इन अधिनियम के उपबन्धों का प्रयोग करने के हकदार होंगे और इस अधिनियम के माध्यम से अपने राज्यों में, जहां ये डकैत शरारत करते हैं, पुलिस बलों को सशक्त करेंगे। हाल ही में हमने सुना था कि कुख्यात डकैत नेता मानसिंह ने, जो एक दंगे में मरने आया था, जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार था, ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तथा मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में गांव के गांव तथा कई इलाकों में आतंक मचा रखा था। अब ऐसे डकैत लम्बी अवधि तक अपनी गतिविधियां जारी रखते हैं तथा इनके साथ कारगर ढंग से निपटना होगा।

अब मैं एक दूसरा स्पष्टीकरण चाहता हूं। हमारे देश में ऐसे संगठन हैं जो किसी न किसी बहाने से देश के विभिन्न भागों में अर्द्ध-सैनिक प्रशिक्षण शिविर चला रहे है। जब तक उन्हें इस समय कानून की घेराबन्दी में नहीं लाया जाता तथा जब तक वे इस आशय का आवश्यक आश्वासन नहीं देते कि वे इन लोगों को न तो मानसिक रूप से और न ही शारीरिक रूप से इस प्रकार का प्रशिक्षण देंगे कि वे शांति के पथ से आसानी से विचलित हो जाएं तथा आतंक का सहारा लें अथवा शीघ्र हथियार उठाने लगें, जब तक इसका आश्वासन नहीं मिल जाता, तब तक यह कानून कारगर नहीं हो सकता। अत: ऐसे संगठनों तथा प्रशिक्षण शिविरों को इस कानून के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए, यदि वे अपनी गतिविधियां शांति पूर्वक चलाने के लिए राजी नहीं होते।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे मित्र जम्मू तथा कश्मीर की राजनीति मे चले गए। उनका अपनी विचार-धारा रखने के लिए स्वागत है उनकी जो विचारधारा है वह हमारी विचार-

धारा नहीं है। जिस तरीके से यह सरकार काम कर रही है, उसे मैंने देखा है। यदि वर्तमान सरकार वहां नहीं होती, उसे भी उस दृष्टिकोण से देखने दिया जाए और यदि हमारे मित्र, जो हमारे साथ सदस्य हुआ करते थे, जो बाद में मुख्य मंत्री बन गए थे। अपनी राजनीति चलाते हैं और यदि उनका काम करने का अपना तरीका है तो क्या जम्मू तथा काश्मीर सरकार के लिए, यदि उसका नेतृत्व वह सज्जन करते रहते, यह संभव होता कि इस विधेयक का विस्तार जम्मू तथा कश्मीर पर भी किया जाता ? अनेक सदस्य इस बात के साक्षी हैं कि उनके नेतृत्व में, जाने या अनजाने में, पंजाब के आतंकवादियों द्वारा प्रशिक्षण शिविर चलाये गए। और ऐसी परिस्थिति में क्या यह भारत के हित में नहीं है कि उनकी सरकार वहां बनी रहे ? जब तक वह बनी रहती है, मुझे नहीं मालूम है कि यह कब तक बनी रहेगी, यह एक अलग मसला है, क्या वर्तमान सरकार का बना रहना भारत के हित में नहीं है ? सौभाग्यवश, हम इस विधेयक को सभा के समक्ष ला रहे हैं और इस विधेयक को पारित करने का सौभाग्य प्राप्त होगा।

[हिन्दी]

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : सभापति महोदय, यह जो टेररिस्ट ऐंड डिसरप्टिव ऐक्टिविटीज (प्रिवेंशन) (अमेंडमेंट) बिल 1985, मंत्री महोदय ने रखा है इस पर हमारे बहुत सारे साथियों ने अपने ख्यालात इस ऐवान के सामने रखे। मैं भी चन्द बातें इस बिल के बारे मे कहना चाहता हूं। पहले तो जनाब चव्हाण साहब को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने हमारी डिमांड मान ली। हाउस के हर तबके के लोग चाहे इधर के हों या उधर के हों जब यह बिल इस हाउस में लायागया था तो हर एक ने कहा था कि यह जम्मू और काश्मीर पर भी लागू होना चाहिए था और साथ में मंत्री महोदय ने यह एश्योरेंस भी दी थी कि हम जरूर इस अमेंडमेंट को स्टेट गवर्नमेंट की कान्फरेंस लेकर लाएंगे। तो आज उन्होंने यह बिल ला दिया है। इसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। कुछ उस तरफ के साथी खास कर सोज साहब या जंगा रेड्डी साहब या दूसरे साथियों ने इसके डिसएप्रूवल के लिए मोशन रखा है। यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्यों ?

जहां तक टेरोरिस्ट्स का मामला है, पहले भी हर एक सेक्शन ने वेलकम किया था और मैं समझता हूं अभी भी करना चाहिए। जंगा रेड्डी साहब ने खास तौर से एक बात कही कि आर्टिकल 370 को हटाना चाहिए। यह तो खैर डिबेट की बात है, अपनी-अपनी राय है, मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहता लेकिन अगर आर्टिकल 370 न होती तो आज आपको इस अमेंडमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती और डिस-एप्रूवल का मोशन ले आने की जरूरत नही पड़ती। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपकी बात कन्ट्राडिक्टरी है—एक तरफ 370 को हटाने की बात कहना और फिर डिस-एप्रूवल का मोशन ले आना।

जहां तक इस बिल का सवाल है, तकरीबन हर रोज नेशनल डेलीज में देखने को मिला होगा, हम भी रोज पढ़ते हैं कि जम्मू कश्मीर में इतने आर्म्स, एम्यूनिशंस, पिस्टल, रिवाल्वर अन-अर्थ हुए हैं। इस तरह की रोजाना ही कोई न कोई न्यूज आती रहती है। इसका मतलब यह है कि यह जो इस तरह की एक्टिविटीज हैं वह अभी खत्म नहीं हुई हैं और आर्म्स ऐंड ऐम्युनिशन एक मोटिव के साथ बाहरसे लाया जा रहा है। पहले जब फारूख सरकार थी उस वक्त काफी तादाद में आर्म्स ऐंड एम्युनिशन बरास्ते जम्मू-कश्मीर स्मगल होकर अमृतसर के दरबार साहब में पहुंचाए गए। और इस वक्त भी जो वाकयात पढ़ने को मिल रहे हैं उनका मतलब यही है कि कुछ न कुछ गड़बड़ जारी रखी जाए।

[श्री पी० नामग्याल]

कुछ दोस्तों ने यह फर्माया कि फारूख सरकार को क्यों हटाया गया या यह गवर्नमेंट इल्लीगल है, तो जैसा कि प्रो० रंगा साहब ने भी कहा है, वही एक शख्स थे जिन्होंने इस टेरारिज्म को जम्मू कश्मीर में एन्करेज किया था और उनको ट्रेनिंग दी थी। भिण्डरावाले के साथ उनकी दोस्ती थी। मौलाना फारुख के साथ उनकी दोस्ती है। आज तक उस शख्स ने जम्मू कश्मीर का इंडिया के साथ एक्सेशन नहीं माना। साथ ही जमाते इस्लामी, जमाते तुलबा—इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ उनकी दोस्ती है। वे एलिमेंट्स क्या चाहते हैं ? कभी तो इंडेपेन्डेन्ट कश्मीर की बात करते हैं और कभी प्लेबिसाइट की बात उठाते हैं। उनका मकसद है कि जम्मू कश्मीर में यह ऐक्ट लागू न हो ताकि उनको खुली छुट्टी मिलती रहे। हर फ्राइडे को वे काल देते हैं कि आज हड़ताल होगी। वहां पर "पाकिस्तान जिन्दाबाद" का नारा खुल्लम खुल्ला लगता है। फारूख सरकार के टाइम में वहां पर क्रिकेट मैच के दौरान क्या हुआ ? हम उसको रिपीट नहीं होने देना चाहते हैं। लिहाजा इस बिल का वहां पर होना हम बहुत जरूरी समझते हैं।

इसके साथ साथ मैं आपसे यह भी अर्ज करना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर की मौजूदा सरकार को यह इंस्ट्रक्शन्स देने चाहिए कि जो ला लागू किया जाता है उसको ठीक तरह से लागू करने के लिए इंप्लीमेंटिंग एथारिटीज के कान खींचने की जरूरत है। कोई भी ऐक्ट बनाकर अगर उसको हम इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। अलबत्ता एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि वहां पर जो मौजूदा डी० जी० पुलिस है, जम्मू कश्मीर में वे काफी अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे अफसरों को एन्करेज भी करना चाहिए। उनके आने के बाद बहुत हद तक, जो ऐन्टी इंडिया एलिमेंट्स हैं, जो सेशेशनिस्ट एलिमेंट्स हैं, प्रो-पाक एलिमेंट्स हैं, उनको पकड़ा गया है और आर्म्स एम्युनिशंस भी उन्होंने काफी बरामद किए हैं। ऐसे आफिसर को एन्करेज करना चाहिए और दूसरी जो ऐजेंसीज हैं, उनके भी कान खींचने की जरूरत है।

एक बात की ओर मैं आपका तवज्जह और दिलाना चाहता हूं। ये एक्टिविटीज पहले मेरे कान्स्टीचूयेंसी में नहीं हुआ करती थी, लेकिन वहां भी होनी शुरू हो गई है। वह एक सैन्सिटिव बार्डर एरिया है, उधर आपको नजर रखने की जरूरत है। हमारा शक है कि कुछ लोकल लोगों का भी इन्वाल्वमेंट है। हमारी नोटिस में आया है कि वहां पर भी एक्सप्लोजन्स है। पिछली दफा हमें पता चला कि बाहर की कोई एजेंसी से 36 लाख रुपया हमारी डिस्ट्रिक्ट में आया, किसी खास मजहबी इदारे की तरफ से, इसलिए वहां पर नजर रखने की जरूरत है। काश्मीर में खास तौर से पैट्रो डॉलर काफी आ रहे हैं। कहते हैं कि पैट्रो डॉलर का कारपैट इन्डस्ट्री में एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट में कुछ लिंक है। कहा यह जाता है कि अगर 10 हजार का माल खरीदा जाता है तो बिल 30-40-50 हजार रुपए का बनवाते हैं। दस हजार ओरिजिनल मालिक को चला जाता है और बाकी का चालीस हजाए दूसरी एजेंसी को चला जाता है। जिनको कि हम लोग डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इधर भी आपको नजर रखने की जरूरत है।

इन शब्दों के साथ, जो बिल आप लाए हैं, जिसके लिए पहले से हमारी मांग थी, उसको आपने पूरा किया है, मैं मुबारकबाद देते हुए इस बिल का समर्थन करता हूं।

شری بی۔ نام گیال (لداخ)

سبھاپتی مہودے یہ جو ٹیررسٹ اینڈ ڈسرپٹیو ایکٹیویٹیز (پریوینشن) (امینڈمینٹ) بل ۱۹۸۵ء منتری مہودے نے رکھا ہے اس پر ہمارے بہت سارے ساتھیوں نے اپنے خیالات اس ایوان کے سامنے رکھے۔ میں بھی چند باتیں اس بل کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو جناب چوہان صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ہماری ڈیمانڈ مان لی۔ ہاؤس کے ہر طبقے کے لوگ چاہے ادھر کے ہوں یا ادھر کے ہوں۔ جب یہ بل اس ہاؤس میں لایا گیا تھا تو ہر ایک نے کہا تھا کہ یہ جموں کشمیر پر بھی لاگو ہونا چاہیئے تھا اور ساتھ میں منتری مہودے نے یہ اشورینس بھی دیا تھا کہ ہم اس امینڈمینٹ کو ضرور اسٹیٹ گورنمنٹ کی کانفرنس سے کرائیں گے تو آج انہوں نے یہ بل لا دیا ہے۔ اس کے لیے میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ کچھ اس طرف کے ساتھی خاص کر سوز صاحب یا جنگا ریڈی صاحب یا دوسرے ساتھیوں نے اس کے ڈزاپروول کے لیے موشن رکھا ہے۔ یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آخر کیوں۔

جہاں تک ٹیررسٹ کا معاملہ ہے پہلے بھی ہر ایک سیکشن نے ویلکم کیا تھا اور میں سمجھتا ہوں ابھی بھی کرنا چاہیئے۔ جنگا ریڈی صاحب نے خاص طور سے ایک بات کہی کہ آرٹیکل ۳۷۰ کو ہٹانا چاہیئے۔ یہ تو خیر ڈیبیٹ کی بات ہے اپنی اپنی رائے ہے میں اس پر کمینٹ نہیں کرنا چاہتا لیکن اگر آرٹیکل ۳۷۰ نہ ہوتی تو آج آپ کو

اس امینڈمنٹ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اور ڈزاپیرووِل کا موشن لے آنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بات کنٹراڈکٹری ہے ایک طرف ۳۷۰ کو ہٹانے کی بات کہنا اور پھر ڈزاپیرووِل کا موشن لے آنا۔

جہاں تک اس بل کا سوال ہے تقریباً ہر روز نیشنل ڈیلیز میں دیکھنے کو ملا ہوگا ہم بھی روز پڑھتے ہیں کہ جموں کشمیر میں اتنے آرمس ایمونیشنس پسٹل ریوالورز ان ارتھ ہوئے ہیں اس طرح کی روزانہ ہی کوئی نہ کوئی نیوز آتی ہی رہتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ ابھی ختم نہیں ہوئی ہیں اور آرمس اینڈ ایمونیشن ایک موٹیو کے ساتھ باہر سے لایا جارہا ہے۔ پہلے جب فاروق سرکار تھی اس وقت کافی تعداد میں آرمس اینڈ ایمونیشن براستے جموں کشمیر اسمگل ہوکر امرتسر کے دربار صاحب میں پہنچائے گئے اور اس وقت بھی جو واقعات پڑھنے کو مل رہے ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ جاری رکھی جائے۔

کچھ دوستوں نے یہ فرمایا کہ فاروق سرکار کو کیوں ہٹایا گیا یا یہ گورنمنٹ الیگل ہے تو جیسا کہ پروفیسر رنگا صاحب نے بھی کہا ہے وہی ایک شخص تھے جنہوں نے اس ٹیررزم کو جموں کشمیر میں انکریج کیا تھا اور ان کو ٹریننگ دی تھی۔ بھنڈراں والے کے ساتھ ان کی دوستی تھی۔ مولانا فاروق کے ساتھ ان کی دوستی ہے۔ آج تک اس شخص نے جموں کشمیر کا انڈیا اکسیشن کو نہیں مانا۔ ساتھ ہی جماعت اسلامی جماعت طلبا اس طرح کے جو ایلیمینٹس میں ان کے ساتھ ان کی دوستی ہے۔ نہ ایلیمینٹس کیا چاہتے ہیں کبھی تو انڈیپینڈینٹ کشمیر

کی بات کرتے ہیں اور کبھی پلے بیسائٹ کی بات اٹھاتے ہیں۔ ان کا مقصد ہے کہ جموں کشمیر میں یہ ایکٹ لاگو نہ ہو تاکہ ان کو کھلی چھٹی ملتی رہے۔ ہر فرائیڈے کو وہ کال دیتے ہیں کہ آج ہڑتال ہوگی۔ وہاں پر "پاکستان زندہ باد" کا نعرہ کھلم کھلا لگاتا ہے۔ فاروق سرکار کے ٹائم میں وہاں پر کرکٹ میچ کے دوران کیا ہوا۔ ہم اس کو ریپیٹ نہیں ہونے دینا چاہتے ہیں لہٰذا اس بل کا وہاں پر لاگو ہونا ہم بہت ضروری سمجھتے ہیں۔

اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ جموں کشمیر کی موجودہ سرکار کو یہ انسٹرکشنس دینے چاہیئے کہ جو لاگو کیا جاتا ہے اس کو ٹھیک طرح سے لاگو کرنے کے لئے امپلیمینٹوا تھارٹیز کے کان کھینچنے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی ایکٹ بنا کر اگر ان کو ہم امپلیمینٹ نہیں کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ البتہ ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ وہاں پر جو موجودہ ڈی جی پولیس ہیں۔ جموں کشمیر میں وہ کافی اچھا کام کر رہے ہیں۔ ایسے افسروں کو اینکریج بھی کرنا چاہیئے۔ ان کے آنے کے بعد بہت حد تک جو اینٹی انڈیا ایلیمینٹس ہیں ان کو پکڑا گیا ہے اور آرمس ایمیونیشنس بھی انہوں نے کافی برآمد کئے ہیں۔ ایسے آفیسر کو انکریج کرنا چاہیئے اور دوسری جو ایجینسیز ہیں ان کے بھی کان کھینچنے کی ضرورت ہے۔

ایک بات کی اور میں آپ کی توجہ اور دلانا چاہتا ہوں۔ یہ ایکٹیویٹیز پہلے میری کانسٹی چوئینسی میں نہیں ہوا کرتی تھیں لیکن وہاں بھی ہونی شروع ہو گئی ہیں وہ ایک سینسیٹیو بارڈر ایریا ہے ادھر آپ کو نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا شک ہے کہ کچھ

لوکل لوگوں کا بھی انوالومینٹ بھی ہے۔ ہماری نوٹس میں آیا ہے کہ وہاں پر بھی ایکسپلوزنس ہوئے ہیں۔ پچھلی دفعہ ہمیں پتہ چلا کہ باہر کی کوئی ایجنسی سے ۳-۴ لاکھ روپیہ ہماری ڈسٹرکٹ میں آیا کسی خاص مذہبی ادارے کی طرف سے۔ اس لئے وہاں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ کشمیر میں خاص طور سے پیٹرو ڈالر کافی آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پیٹرو ڈالر کا کارپیٹ انڈسٹری میں ایکسپورٹ امپورٹ میں کچھ لنک ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ۱۰ ہزار کا مال خریدا جاتا ہے تو بل ۳۰۔۴۰۔۵۰ ہزار روپے کا بنواتے ہیں۔ دس ہزار اوریجنل مالک کو چلا جاتا ہے اور باقی کا چالیس ہزار دوسری ایجنسی کو چلا جاتا ہے جس کو کہ ہم لوگ ڈٹیکٹ نہیں کر پا رہے ہیں۔ ادھر بھی آپ کو نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔

ان شبدوں کے ساتھ جو بل آپ لائے ہیں جس کے لئے پہلے سے ہماری مانگ تھی۔ اس کو آپ نے پورا کیا ہے۔ میں مبارکباد دیتے ہوئے اس بل کا سمرتھن کرتا ہوں۔

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : जब कभी ऐसा कोई विधेयक लाया जाता है, चाहे वह इस आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप संशोधन विधेयक, 1985 का हो या मूल रूप वाला हो अथवा आतंकवादियों द्वारा प्रभावित क्षेत्र विधेयक आदि की तरह का हो, हमें सदैव यह भय रहता है कि इन विधेयकों के द्वारा मिली व्यापक शक्तियों का दुरुपयोग किया जाएगा और हमारा अनुभव ऐसा ही रहा है।

जब कि मेरा दल, और सभी वामपंथी दलों सहित सारा वामपंथी आन्दोलन, साम्प्रदायिक दंगों या अन्य किसी प्रकार के दंगों जैसे आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलापों के विरुद्ध है और हम अपने प्रयासों से राजनीतिक ढंग से इनका यथासंभव विरोध करते हैं लेकिन हमें इस प्रकार के विधेयकों के दुरुपयोग के बारे में हमेशा आशंका रहती है।

अब जहां तक पूर्ववर्ती विधेयक को कश्मीर पर लागू करने का संबंध है, पता नहीं वहां की मौजूदा स्थिति के अलावा, कश्मीर के विशेष दर्जे को देखते हुए केवल जम्मू-कश्मीर की सरकार से परामर्श करना और जम्मू-कश्मीर की विधान सभा से परामर्श न करना ठीक है या नहीं। मेरे विचार में कश्मीर के संबंध में यह विशेष बात है। लेकिन, चाहे कुछ भी सही, यदि आपने वर्तमान सरकार से परामर्श करने का निर्णय कर लिया है, जिसे कि आप बहुत व्यापक शक्तियां दे रहे हैं— दूसरी ओर बैठे सदस्य मुझे माफ करें; यदि वे चिल्लायेंगे तो मैं भी चिल्लाने का प्रयास करूंगी — तो मैं इससे सहमत नहीं हूं कि शाह की सरकार विध्वंसकारी और आतंकवादी क्रियाकलापों को रोकने के लिए सर्वोत्तम सरकार रही है, हमारा अनुभव इससे भिन्न है। जमायते-इस्लामी के लोगों ने शाह सरकार की मिली भगत से कश्मीर में हमारे दल के कार्यालय पर दो बार हमला किया। सभी जानते हैं कि जमायते-इस्लामी भारत विरोधी हैं और उन्हें सत्तारूढ़ दल के समर्थन से बनाई गई शाह सरकार से संरक्षण मिल रहा है।··· (**व्यवधान**)

प्रथमतः, क्या इस दोषपूर्ण सरकार को अब इसी तरह बने रहना चाहिए। ··· (**व्यवधान**) ··· यह इस प्रकार का रिकार्ड है। ··· (**व्यवधान**)

मेरे विचार में इतनी व्यापक शक्तियां देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां तक आतंकवादियों और अन्य विध्वंसकारी क्रियाकलापों को रोकने के लिए कार्रवाई करने का प्रश्न है हमारा दृढ़ मत है कि इस समय इस बात की सर्वप्रथम आवश्यकता है कि इसका राजनीतिक हल निकालना चाहिए। जब तक इसका राजनीतिक हल नहीं निकलेगा तब तक किसी भी प्रकार की विशेष शक्तियों से ऐसी घटनाओं को रोका नहीं जा सकेगा।

मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूं ? इस विधेयक के पारित होने के बाद आपने पंजाब में बहुत से

[श्रीमती गीता मुखर्जी]

लोगों को गिरफ्तार किया। अब राजनीतिक समझौता हो जाने पर इसी अधिनियम के अधीन गिरफ्तार किये गए लोगों को छोड़ दिया गया है। तो मैं यह समझूं कि उस समय ऐसे लोग थे जिन्हें इस अधिनियम के अधीन गिरफ्तार किया जाना चाहिए था और उन्हें गिरफ्तार करना बहुत आवश्यक था और आज उन्हीं लोगों को यह कहकर छोड़ा जा रहा है कि उन्होंने केवल छोटे-छोटे अपराध किये थे। इस पर चर्चा के लिए शायद यह उचित स्थान न हो लेकिन आतंकवाद एक विशेष वातावरण में ही पनपता है। तो इस बात पर ध्यान देना होगा। इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से इस विधेयक से न तो पहले सहमत थी और न ही अब सहमत हूं।

इस चर्चा में मैं एक प्रश्न उठाने का प्रयास करना चाहती हूं। प्रशासनिक दृष्टि से भी इतनी व्यापक शक्तियों की आवश्यकता नहीं है। आतंकवादियों के क्रियाकलापों से निपटने के लिए इन शक्तियों की आवश्यकता नहीं है।

मैंने एक-दो दिन पहले समाचार पत्रों में एक समाचार पढ़ा। वह हमारे भूतपूर्व साथी स्वर्गीय श्री ललित माकन के मामले से संबंधित था। जब इस मामले की जांच की जा रही थी, तो ऐसा पता चला कि पुलिस ने आसूचना एजेंसी को उंगलियों के निशानों के अध्ययन की रिपोर्ट देने में बहुत अधिक समय लगाया और क्योंकि यह रिपोर्ट दो दिन में भी उपलब्ध नहीं कराई गई थी इसलिए कहा जाता है कि वे इस मामले में आगे नहीं बढ़ सके।

अब, इन आतंकवादियों से निपटने के लिए व्यापक शक्तियां दी जा रही हैं। ऐसी चीजें पहले ही शीघ्रता से क्यों नहीं की गईं? मेरा कहना यह है कि जो शक्तियां हैं, हमारे साधारण नियम भी पर्याप्त हैं यदि पुलिस वास्तव में अपराधियों को पकड़ने का प्रयत्न करे और ऐसा न करे कि जिसे मर्जी हो पकड़कर थोड़े समय के लिए उसे आतंकवादी कहने लगे। सरकार पहले के नियमों के अन्तर्गत भी आतंकवादियों से बेहतर ढंग से निपट सकती थी। इसलिए मैं समझती हूं कि उपयुक्त वातावरण बनाना अधिक महत्वपूर्ण है ताकि ऐसे नियमों की आवश्यकता न पड़े। मैंने सोचा था कि सरकार देश के कुछ भागों में इस अधिनियम को निरस्त करने का प्रस्ताव रखेगी, बजाय इसके कि इसे जम्मू-कश्मीर में लागू करने का।

यदि आप कश्मीर में आतंकवादियों की गतिविधियों पर रोक लगाना चाहते हैं तो आप शाह-सरकार को समर्थन देना बंद करिये और राजनीतिक समझौता करिये। केवल इसी तरह से वहां की आतंकवादी गतिविधियां वास्तव में बन्द की जा सकती हैं। इससे सारे देश में उपयुक्त वातावरण तैयार होगा।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : मान्यवर, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जब यह बिल यहां पर प्रस्तुत किया गया था, उस समय जिस प्रकार के हालात थे उनको दृष्टि में रखते हुए उस समय हमारे विपक्ष के मित्रों ने भी बिल की मंशा का स्वागत किया था और मैं समझता हूं आज प्रधानमंत्री जी के इनिशिएटिव के बाद, हमारी सरकार के इनीशिएटिव के बाद, राजनीतिक वातावरण में तब्दीली जरूर आई है, मगर इस हद तक नहीं आई है कि जिस प्रकार हमारी बहन गीता मुखर्जी कहती हैं कि इस बिल को लाने के बजाय जो पुराना बिल था, जो मूल अधिनियम था उसको रिपील करने के संदर्भ में बिल लाना चाहिए था। मैं उनकी बात को एक चुनौती के रूप में जरूर लेना चाहता हूं और सरकार को और हर राजनीतिक दल को उसको चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए कि हम अपने देश के वातावरण को सहिष्णुता और प्रेम के आधार पर इस प्रकार का बनाएं कि हमको इस प्रकार के अधिनियम, इस प्रकार के बिल लाने की जरूरत न पड़े लेकिन आज भी देश के अन्दर ऐसे तत्व मौजूद हैं, जो स्थिति का फायदा उठा कर वातावरण को खराब करने के लिए तैयार हैं और उनको उकसाने वाले तत्व भी मौजूद हैं। इसी सदन में कुछ दिन पूर्व एक बहस हुई थी जिस बहस में अमेरिका में आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने का मसला उठा था और खुलेआम वहां की सरकार ने इस बात को कहा कि वह किसी कानून के तहत उसको रोक नहीं सकती है। पाकिस्तान के अन्दर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दिये जाने की बात इस सदन में एक से अधिक बार उठ चुकी है और पक्ष और विपक्ष के दोनों मित्र इसको उठा चुके हैं। ऐसी हालत में जम्मू व कश्मीर जैसे सीमावर्ती क्षेत्र को हम छोड़ नहीं सकते थे और मैं समझता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी ने बड़ा स्वागत योग्य कार्य किया है और इस सदन की भावना को समझ कर, माननीय सदस्यों की भावना को समझकर और देश के लोगों की भावना को समझ कर जो मूल अधिनियम है, उसके कार्य क्षेत्र को बढ़ाया है।

हमारे विरोधी पक्ष के मित्रों ने इसके साथ राजनीति को जोड़ने की कोशिश की। बहुत अच्छा होता कि वे इस बिल को बिल के रूप में लेते और इसमें यदि कहीं कोई कमी दिखाई दे रही थी, कोई त्रुटि दिखाई दे रही थी, तो उसकी आलोचना करते मगर हो सकता है कि उन्होंने अपने पास तथ्यों की कमी होने के कारण ऐसा किया हो। हमारे तेलगु देशम के मित्र ने इस बिल के साथ, उस समय की जो तेलगु देशम की सरकार थी, उसको गिराए जाने का मसला उठाया। कुछ मित्रों को जम्मू व काश्मीर का मसला इसके साथ जोड़ने की जरूरत पड़ी मैं नहीं समझता कि यह सब याद दिलाने की जरूरत थी क्योंकि इससे वातावरण कठोर होता है। अब क्योंकि उधर से यह मामला उठा है, मैं साफ कर देना चाहता हूं कि इस सदन में एक से अधिक बार इस बात को उठाया जा चुका है, कहा जा चुका है कि उस समय की जो जम्मू व कश्मीर की सरकार थी, जिसको फारूख अब्दुल्ला की सदारत की सरकार कहते थे, उस सरकार के समय गुरमत ट्रेनिंग कैम्प वहां पर लगे। उसके प्रमाण यहां पर प्रस्तुत

[श्री हरीश रावत]

किए गए थे। पाकिस्तान से नाना प्रकार के हथियार जम्मू व कश्मीर होकर आ रहे थे जो पंजाब के आतंकवादियों को दिये जा रहे थे और मैं समझता हूं कि यदि फारूख अब्दुल्ला साहब अपने किए हुए कार्यों के बारे में अकेले में सोचें तो वे खुद पछताएंगे। उस समय जिस प्रकार से उनकी सरकार काम कर रही थी उसको सब जानते हैं। कुछ लोगों ने उनके भोलेपन का फायदा उठाया या उनकी राजनीतिक अनुभवहीनता का फायदा उठाकर जम्मू व कश्मीर में ऐसी परिस्थिति पैदा कर रहे थे और हमारे मित्र जो लेह से आते हैं उन्होंने बहुत सही बात कही है कि जम्मू व कश्मीर के अन्दर कुछ राष्ट्र विरोधी तत्व समय विशेष के लिए एक जगह संगठित हो गये हैं। वे अपने को दबा हुआ महसूस कर रहे हैं मगर जो जमाअते-तुलवा है या जो जमाअते इस्लामी है, उसके लोग अभी भी वहां मौजूद हैं और वे ऐसे तत्व हैं जो पाकिस्तान से किसी समय फायदा उठाने के लिए तत्पर रहते हैं। इसलिए मैं नहीं समझता कि इस बिल का या इस बिल की मंशा का किसी भी व्यक्ति को विरोध करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि इसको एकमत से पारित किया जाए और साथ ही साथ मैं माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारे पास बहुत सारे बिल इस प्रकार के हैं, बहुत सारे अधिनियम इस प्रकार के देश के अन्दर हैं, जिनके जरिये हम टेररिस्टों और उग्रवादियों से निपटने की बात कर सकते हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है कि गांधी, नेहरू की धरती पर, लोकतंत्र की महान धरती पर हमारे देश की आजादी के तत्काल बाद कभी नार्थ-ईस्ट में और कभी दूसरे इलाकों में आतंकवादी गतिविधियां सिर उठा रही हैं और हमको पुरजोर कोशिश इस बात की करनी चाहिए और पूरी स्टडी करके यह देखें कि किस प्रकार की परिस्थितियां बाध्य करती हैं इस तरीके के उग्रवादी तत्वों को और इस प्रकार के शरारती तत्वों को फायदा उठाने के लिए। हम अपने देश में इस प्रकार का राजनीतिक वातावरण निर्मित करें कि इस प्रकार के तत्व सिर न उठा सकें और हमको बार-बार इस सदन में इस प्रकार के अधिनियम लाने की जरूरत न पड़े।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

***कुमारी ममता बनर्जी** (जादव पुर) : सभापति महोदय, इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें कहना चाहती हूं। मैं आशा करती हूं कि सभी दल राजनीति से ऊपर उठेंगे और सर्वसम्मति से इस विधेयक का समर्थन करेंगे। हम आज देश में एक बहुत ही जटिल स्थिति में से गुजर रहे हैं। हाल ही के अतीत की घटनायें बहुत ही भयप्रद हैं। श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या और उसके बाद

*बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

की सामूहिक घटनाओं के पश्चात् हमने आशा की थी कि ऐसी घटनायें पुनः नहीं होंगी। किन्तु महोदय, कुछ दिन पूर्व जब हम अन्तर्राष्ट्रीय युवा वर्ष के सम्बन्ध में मास्को में थे, तो हमें यह सुनकर आघात पहुंचा था कि ललित माकन और उनकी पत्नी की निर्दयतापूर्वक हत्या कर दी गई है। महोदय, हम और आज की युवा शक्ति बहुत ही दुःखी हो रहे हैं क्योंकि यदि ऐसी एक के बाद दूसरी हत्यायें होती रहीं, यदि एक के बाद इस तरह से उदीयमान युवा शक्ति को इस प्रकार समाप्त किया जाता है, यदि गृह मंत्रालय तथा आसूचना विभाग एवं आसूचना संस्थायें इस प्रकार बारम्बार विफल रहती हैं, तो आतंकवादी गतिविधियों की कभी भी पहचान नहीं हो पायेगी और आतंकवादियों को कभी भी अलग-थलग नहीं किया जा सकेगा। अतः, मेरा यह विचार है कि सबसे पहले हमें अपनी आसूचना को पर्याप्त रूप से मजबूत करना तथा सुधारना होगा। उन्हें और अधिक सक्रिय होना होगा। श्रीमती गांधी की हत्या के पश्चात् भी क्या गृह मंत्रालय जागा तथा सतर्क नहीं हुआ है? श्री ललित माकन को उनकी हत्या से पूर्व कुछ धमकी भरे पत्र प्राप्त हुए थे। इसके बारे में आसूचना विभाग को ज्ञात था, इसके बारे में उच्च पुलिस अधिकारियों को भी मालूम था किन्तु इसके बावजूद भी श्री माकन के लिए पर्याप्त रक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? श्री माकन तथा उनकी पत्नी की हत्या क्यों हुई? यह हमारे लिए एक बहुत ही शर्मनाक घटना है। मैं नहीं चाहती कि किसी और भी व्यक्ति, किसी अन्य युवा शक्ति की इस प्रकार हत्या की जाये। लोगों में निराशा और विषाद की भावना उत्पन्न हो गई है और उन्हें सुरक्षा प्रदान करना अत्यन्त महत्वपूर्ण बात है। हम नहीं चाहते हैं कि आसूचना शाखा हमें सुरक्षा प्रदान करे। हमारी सुरक्षा लोगों की सुरक्षा पर ही निर्भर करती है। आसूचना शाखा को गहरी नींद में सोया नहीं रहना चाहिए।

उन्हें और अधिक सक्रिय और सतर्क रहना होगा। किसी दुःखद हत्या के पश्चात् यह कहना पर्याप्त नहीं है कि हम अधिक सक्रिय रहेंगे अथवा हम यह करेंगे और वह करेंगे।' उन्हें पहले से सक्रिय और सतर्क क्यों नहीं रहना चाहिए, उन्हें ऐसी हत्याओं को रोकने में समर्थ क्यों नहीं होना चाहिए? मैं माननीय मंत्री महोदय से उत्तर चाहती हूं।

महोदय, दूसरी बात यह है कि पुलिस अधिकारियों एवं आसूचना अधिकारियों को आधुनिक तरीकों के बारे में प्रशिक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है। आप आधुनिक तरीकों को अपना तथा आधुनिक उपकरण को अर्जित क्यों नहीं कर रहे हैं। जब हम पुलिस अधिकारियों का ध्यान किसी घटना की ओर आकर्षित करते हैं; तो वे कहते हैं "हम देख रहे हैं अथवा हम देखेंगे कि क्या किया जा सकता है। हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास आधुनिक उपकरण अथवा आधुनिक तरीके नहीं हैं" आदि यह बहुत ही निराशाजनक स्थिति है। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूरी गम्भीरता के साथ हर पहलू की ओर ध्यान देने का अनुरोध करती हूं महोदय मेरा विचार यह है कि इस मामले में हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। हमें जो विभिन्न राजनीतिक दलों से संबंधित हैं को जन मत

[कुमारी ममता बनर्जी]

बनाने के लिए आगे आना चाहिये और पूरे उत्तरदायित्व से मिल कर काम करना चाहिये। जहां हम इस विधेयक का समर्थन तथा स्वागत करते हैं और चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी यह विधेयक कानून बने वहां साथ ही साथ जन मत बनाने तथा लोगों के मन में आशा का संचार करने की भी आवश्यकता है ताकि वे आने वाले दिनों में हिंसा की ऐसी घटनाओं की पुनरावृति को रोकने के लिए आतंकवादियों की पहचान करने और उन्हें अलग-थलग करने में समर्थ हो सकें। यह हमारी अर्थात्, सत्तारूढ़ दल तथा विपक्षी दलों की संयुक्त जिम्मेदारी है। मैं सभी दलों से निवेदन कर रही हूं और मैं माननीय मन्त्री महोदय से भी अनुरोध करती हूं कि यदि वह जन मत तैयार करने अथवा प्रचार करने के लिए कोई कार्यक्रम बनाते हैं तो उन्हें सभी के सहयोग से आगे की कार्यवाही करनी चाहिए। आतंकवादियों की पहचान करने के लिए यह प्रभावी कार्यवाही होगी।

महोदय, मैं सुरक्षा सम्बन्धी जांच पड़ताल के बारे में कहूंगी। जब ऐसी घटनायें हो रही हों, तो सुरक्षा की दृष्टि से जांच पड़ताल करने के मामले से सामान्य जनता अथवा संसद सदस्यों विधायकों तथा मन्त्रियों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। जब तक देश में सामान्य स्थिति नहीं हो जाती है तब तक प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा की दृष्टि से जांच पड़ताल की जानी चाहिए।

महोदय मैं आपका ध्यान एक और गम्भीर मामले की ओर दिलाना चाहती हूं। सीमापार बंगला देश तथा पाकिस्तान से कई घुसपैठिये और अनधिकृत लोग पश्चिम बंगाल तथा देश के अन्य राज्यों में प्रवेश कर रहे हैं। हमारी सीमा पर जांच पड़ताल पर्याप्त रूप से ठीक क्यों नहीं है? बंगला देश से घुसपैठिये किस प्रकार बिना किसी जांच के पश्चिम बंगाल में आ गये? कुछ दिन पूर्व मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा था कि पश्चिमी बंगाल मे 10,000 अवैध-आप्रवासी आ गये हैं। सीमाओं पर कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। सीमाओं पर कोई जांच-पड़ताल नहीं की जाती है। कई प्रकार के विदेशी शस्त्र पश्चिम बंगाल में तस्करी द्वारा लाये जा रहे हैं। मुझे सूचना प्राप्त हुई है कि पश्चिम बंगाल की सरकार आतंकवादियों को पूर्ण शरण तथा सभी प्रकार की सहायता प्रदान कर रही है। श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के पश्चात् उपमहानिदेशक ने एस० एम० मान को गिरफ्तार करने का प्रयास किया था। एक चित्र में श्री ज्योति बसु उसी एम० एस० मान के साथ देखे गये थे और उन्होंने उसे हार भी पहनाया था।

अन्त में, महोदय मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए यह निवेदन करती हूं कि अब और हत्यायें न हों। अब और अधिक युवकों को उनकी युवावस्था में ही समाप्त नहीं कर दिया जाना चाहिये। हम संसद सदस्यों की जनता के प्रति तथा हमारी भारत माता के प्रति बड़ी जिम्मेदारी है।

हमें राजनीति में उखाड़-पछाड़ करने तथा राजनीतिक दल बनाने के लिये पर्याप्त अवसर मिलेंगे। यदि हम देश तथा राष्ट्र को आज इस संकट से बचाने में असफल रहते हैं, तो हम कभी भी राजनीति के बारे में बात करने के योग्य नहीं रहेंगे। हम कभी भी 'बन्दे मातरम्' अथवा इंकलाब अथवा लोगों के बारे में कहने के योग्य नहीं रहेंगे। मैं सभी को इस कार्य में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर रही हूं। मैं यह कहना चाहती हूं कि विपक्षी दलों को अवश्य ही विरोध प्रदर्शित करना चाहिए किन्तु वह रचनात्मक होना चाहिए। महोदय मैं इन शब्दों के साथ समाप्त करती हूं।

5.00 म० प०

सभापति महोदय : प्रो० सैफुद्दीन सोज। कौन बोल रहा है? आप दोनों में से कोई बोल सकता है। आप या श्री अब्दुल रशीद काबुली कोई एक बोल सकता है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : उन्हें बोलने दीजिये, किन्तु मैं अपनी स्थिति स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मुझे भी बोलने का अवसर दिया जाये।

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : उन्हें भी बोलने का अवसर दिया जाना चाहिये।

सभापति महोदय : नहीं! हमारे पास इतना समय नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : समझौता किया जा सकता है। वह जम्मू की ओर से बोलेंगे और वह कश्मीर की ओर से बोलेंगे।

श्री पी० नामग्याल : महोदय, मैं भी जम्मू तथा कश्मीर का प्रतिनिधित्व करता हूं।

[हिन्दी]

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : मोहतरम चेयरमैन, मैं इस बिल का जो कि इस सदन में इस वक्त लाया गया है सरकार की तरफ से, पूरी शिद्दत के साथ मजम्मत करता हूं, इसकी मुखालिफत करता हूं और मैं समझता हूं कि यह बिल, बुनियादी जम्हूरी अस्प्रेक्ट्स हैं, जो बुनियादी जम्हूरी तकाजे हैं, उसके खिलाफ है और इससे खासतौर से जम्मू-कश्मीर के लोगों के साथ नाइन्साफी हुई है और जम्मू-कश्मीर के जो अपने हुकूक हैं, जो कांस्टीट्यूशन ने उसको दिए हैं और जो हिन्दुस्तान के अन्दर जम्मू-कश्मीर का स्थान है, आर्टिकल 370 के द्वारा जो उसके हुकूक हैं, उनके ऊपर जब है। मैं समझता हूं कि जल्दबाजी में कानून पास करके रियासत के लोगों को ऐतमाद में लिए बगैर सरकार जो कुछ कर रही है, इसके खतरनाक नतीजे निकल सकते हैं। मैं समझता हूं कि इससे सिर्फ उन ताकतों की हौसला-अफजाही की जा रही है जो रियासत और बाकी मुल्क के ताल्लुक को कमजोर देखना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अव्वल तो जो यह अमेंडमेंट लाया गया है टेररिस्ट

[श्री अब्दुल रशीद काबुली]

एंड डिसरप्टिव एक्टीविटीज प्रिवेंशन अमेंडमेंट बिल 1985, इसमें इन्होंने लिखा है स्टेटमेंट आफ ओब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में—

[अनुवाद]

"मूलरूप से अधिनियमित विधेयक जम्मू तथा कश्मीर पर सशर्त लागू करने के लिए उपबन्ध करता है।"

5.03 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[हिन्दी]

लेकिन आज बहुत कम मुद्दत के अंदर जबकि सदन काम नहीं कर रहा था, पार्लियामेंट और हमसे पूछे बगैर और प्रेसिडेंट को इसमें लाकर कांस्टीट्यूशन के अन्दर एक तब्दीली लाई गई और इस तरीके से जम्मू-कश्मीर की कठपुतली सरकार को एतमाद में लेकर एक अमेंडमेंट लाया गया है जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जैसा कि मैंने कहा कि न सिर्फ नाइन्साफी ही नहीं है बल्कि जम्मू-कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ जोड़ने की जो कड़ी, धारा 370 है, उसको भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। आज जब यह बिल लाया जा रहा है तो मुझे दुख हो रहा है। इसमें कोई मकसद आपका पूरा नहीं होगा। कांग्रेस आई कमिटेड है कि 370 धारा रहनी चाहिए। या तो कांग्रेस आई उठकर कहे कि, हमें 370 को रियासत में नहीं रखना है तो अलग बात है, कांग्रेस आई के मैम्बर पार्लियामेंट जम्मू कश्मीर के नामग्याल, जनकराज गुप्ता डोगरा साहब यह उठकर बताएं कि उनका धारा 370 के साथ इत्तफाक नहीं है।

फिर कांग्रेस को······(व्यवधान)

श्री पी० नामग्याल : 370 की वजह से अभी तक डिले हुआ ······(व्यवधान)

श्री अब्दुल रशीद काबुली : जम्मू-काश्मीर में कांग्रेस का यह स्टैंड है कि 370 को रहना चाहिए। कांग्रेस वहां पर कहती है कि अगर कोई 370 को प्रोटेक्शन दे रहा है तो वह कांग्रेस दे रही है। आज आप एक ···**··· गवर्नमेंट को कान्फीडेंस में लेकर 26 कांग्रेस एम० एल० एज० की

**कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

मदद से यह कांस्टीच्युशन अमेंडमेंट ला रहे हैं ······ (व्यवधान)

श्री अब्दुल रशीद काबुली : मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि ··· (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप यदि ऐसी ही बात करते रहे तो कोई बात नहीं बनेगी।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : महोदय, आप भी मेरे साथ धैर्य धरें।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री काबुली, आप एक और बात कर रहे हैं। जब आप अपनी बात समाप्त कर रहे हैं। तो आप कुछ समस्याएं पैदा करना चाहते हैं।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : आप कृपया रिकार्ड सुनिए और यह सुनिश्चित कीजिए कि कांग्रेस के संसद सदस्यों ने क्या कहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप सरकार पर दोष नहीं लगा सकते। आप जो चाहते हैं, वह मुझे लिखकर दीजिए, मैं उसे स्वीकार करूंगा। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अब्दुल रशीद काबुली : अगर आपने यह बिल पास कराना था ··· (व्यवधान)** आज कांग्रेस भी उस सरकार की मुखालफत कर रही है। **(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जायेगा।

[हिन्दी]

श्री अब्दुल रशीद काबुली : **

[अनुवाद]

श्री पी० नामग्याल : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बता दिया है, कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जायेगा। कृपया बैठ जाइए।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : कुछ भी रिकार्ड क्यों नहीं किया जायेगा। ** आप मुझे बोलने की अनुमति नहीं देते हैं।···** ··

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : आप यहां पर अन्य सरकार की अनावश्यक चर्चा कर रहे हैं। नियमानुसार आप बोल सकते हैं; मैं आपको अनुमति दूंगा।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : कौन से नियम ? मुझे नियम बताइये।

उपाध्यक्ष महोदय : आप राज्य सरकार को दोषी नहीं कह सकते हैं ! यहां पर राज्य सरकार की आलोचना नहीं की जा सकती है।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : मुझे नियम बताइये।

श्री पी० नामग्याल : आप जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं। इसीलिए आप इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं।...**(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : यह क्या है ? (**व्यवधान**)

श्री अब्दुल रशीद काबुली : महोदय, मेरे बोलने का फायदा क्या है ?

श्री पी० नामग्याल : केन्द्रीय सरकार उन तत्वों पर नियन्त्रण करना चाहती है; इसीलिए यह विधेयक लाया गया है।

[**हिन्दी**]

श्री अब्दुल रशीद काबुली : आप तो कमाल करते हैं।

[**अनुवाद**]

उसका कारण क्या है ? मुझे बताइये, विवरण दीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय : जो कुछ सम्बद्ध है, आप बोलिये। मैं आपको अनुमति दूंगा।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : यह असंसदीय नहीं है मैंने कुछ नहीं कहा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप राज्य सरकार की आलोचना करते रहें। मैं उसकी अनुमति नहीं दे सकता। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि यह आपत्तिजनक है, तो मैं उसे निकाल दूंगा।

श्री अब्दुल रशीद काबुली...**...(**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

मैं, आनरेबिल मिनिस्टर साहब से यह अर्ज करना चाहता हूं कि जब आपने यह बिल लाना

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

था तो आपको वहां के 26 कांग्रेस आई० के एम० एल० एज० और डिफेक्टर गवर्नमेंट की मदद नहीं लेनी चाहिए थी। इस बिल को बराहिरास्त रियासत की असेम्बली में आना चाहिये था। जब आप जम्मू कश्मीर के लोगों की बातें करते हैं तो इस बिल के लिए डिफेक्टर गवर्नमेंट की मदद से कांस्टी-ट्यूशन में अमेंडमेंट करने का कोई अधिकार नहीं है। ··· (**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

उपाध्यक्ष महोदय : समय समाप्त हो गया है, कृपया बैठ जाइये। अब श्री अय्यप्पु रेड्डी। श्री काबुली, आपने पहले ही दस मिनट का समय ले लिया है।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : आप मुझे अनुमति नहीं देते हैं। उन्होंने व्यवधान डाला था।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको 10 मिनट के लिए अनुमति देता हूं। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं। क्या मैं आपको घंटों बोलने की अनुमति दे सकता हूं?

श्री अब्दुल रशीद काबुली : आपने प्रत्येक को अनुमति दी है···

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नियमों का पालन कर रहा हूं। प्रत्येक दल को नियमानुसार समय मिलता है। आपके लिए 10 मिनट थे। जो आपने पूरे कर दिये।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : आपने पर्याप्त समय नहीं दिया।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको एक मिनट देता हूं। कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिये।

[**हिन्दी**]

श्री अब्दुल रशीद काबुली : एक बात और अर्ज करना चाहता हूं और वह यह है कि सरकारिया का कमीशन आपने खुद बनाया, सेन्टर और स्टेट की रिलेशनशिप के लिए। आप यह डिफाइन करने जा रहे हैं कि सेन्टर और स्टेट के कितने हकूक हैं। लेकिन इस कानून की मदद से उनके राइट्स को कम कर रहे हैं और वहां की जो इन्टरनल आटोनामी है, उस पर छापा डाल रहे हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि यह जो बिल है यह जी० एम० शाह के हाथ में/आपने वहां की रेस्टोरेशन आफ डेमोक्रेसी की मूवमेंट को कम करने के लिए एक हथियार दिया है ··· (**व्यवधान**) और जिस किस्म का प्रोपागैन्डा श्री नामग्याल कर रहे हैं ··· (**व्यवधान**) जमायते-इस्लामी हो गया ··· (**व्यवधान**) ··· वे भी इसमें शरीक हैं ··· (**व्यवधान**)...के जमायते-इस्लामी के लोग और ये सारा प्रोपागैन्डा जम्मू काश्मीर में बावजूद हमने जो रेस्टोरेशन आफ डेमोक्रेसी का मूव मैंट पर आमतौर पर चलाया, नेशनल कान्फरेंस को इस बात का फख्र हासिल है कि हमने उस मूवमेंट को शान्त, पीसफुल रहने दिया और आप जिस किस्म की टैररिस्ट्स एक्टीविटीज की बात कर रहे हैं, जम्मू काश्मीर में इस किस्म की कोई बात नहीं हो रही है। यदि ऐसा कुछ इस सिलसिले में वहां हुआ है तो आपकी सरकार वहां है, उसके पास काफी कानून हैं सरकार उन कानूनों का इस्तेमाल करके वहां एक्शन ले सकती है। लेकिन मैं आपके माध्यम से

[श्री अब्दुल रशीद काबुली]

बताना चाहता हूं कि वहां आप शाह गवर्नमेंट को मुसलत करके जो कुछ करना चाहते हैं उससे सारे हिन्दुस्तान की डैमोक्रेसी को दागदार बना रहे हैं और इस तरह आप बदनामी मोल ले रहे हैं। आर्टिकल 370 के तहत और स्टेट सेन्टर रिलेशन्स के मातहत जो हमारे अधिकार है, हकूक हैं, उनको काटकर आप बेइतमिनानी पैदा कर रहे हैं, जम्मू और काश्मीर के लोगों के लिए और नामग्याल जैसे लोग, जिनको वहां के मुसलमानों ने भी काफी वोट दिए हैं ··· (व्यवधान) जिनको मुसलमानों के काफी वोट मिले हैं···(व्यवधान)

श्री पी० नामग्याल : यहां हिन्दू और मुसलमान का सवाल नहीं है, वह सैक्यूलर स्टेट है ···(व्यवधान)

श्री अब्दुल रशीद काबुली : जितने भी इस किस्म के प्रो-पाकिस्तानी एलीमेंट्स वहां हैं ···(व्यवधान)

श्री पी० नामग्याल : मुझे फख्र है कि मुझे मुसलमानों ने भी वहां वोट दिए हैं···

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। श्री नामग्याल के विरुद्ध एक गम्भीर आरोप है। मुझे आशा है कि यह कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जाएगा (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपमें से प्रत्येक की बात सुनना चाहता हूं, परन्तु इस तरह नहीं।

श्री पी० नामग्याल : मुझे गर्व है कि मुसलमानों ने मुझे वोट दिए हैं···(व्यवधान)

श्री गिरधारी लाल डोगरा : महोदय, श्री नामग्याल के विरुद्ध एक आरोप है (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अब्दुल रशीद काबुली : इन अल्फाज के साथ मैं इस बिल की मजम्मत करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : अध्यक्ष अथवा सभापति की पूर्वानुमति और उन्हें सूचना दिये बिना, सभा का कोई भी वर्तमान सदस्य सभा को बिना दूसरे सदस्य का नाम लेकर दोषारोपण नहीं कर सकता है और वह भी इस आशय का कि श्री नामग्याल काश्मीर के मुसलमानों के विरोधी रहते हैं।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : मैंने ऐसा नहीं कहा था।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : कृपया आप कार्यवाही वृत्तान्त देखिये और इस टिप्पणी को निकाल दीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसे देखूंगा। यदि यह असंसदीय हुआ, तो मैं इसे निकाल दूंगा। (व्यवधान)

श्री गिरधारी लाल डोगरा : मुझे नहीं मालूम वे इस तरह चर्चा क्यों कर रहे हैं और आप उन्हें अनुमति क्यों दे रहे हैं ?

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, क्या आतंकवाद विरोधी विधेयक सभा पर लागू होता है ?

उपाध्यक्ष महोदय: जी हां, जी हां। (व्यवधान)

شری عبدالرشید کابلی (سری نگر)

محترم چیئرمین میں اس بل کا جو کہ اس سدن میں اس وقت لایا گیا ہے سرکار کی طرف سے پوری شدت کے ساتھ مذمت کرتا ہوں اس کی مخالفت کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بل بنیادی جمہوری اسپریشنس ہیں جو بنیادی جمہوری تقاضے ہیں اس کے خلاف ہے اور اس سے خاص طور سے جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے اور جموں کشمیر کے جو اپنے حقوق ہیں جو کانسٹیٹیوشن نے اس کو دیئے ہیں اور جو ہندوستان کے اندر جموں کشمیر کا استھان ہے آرٹیکل ۳۷۰ کے دوارا جو اس کے حقوق ہیں اس کے اوپر ضرب ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جلدبازی میں قانون پاس کر کے ریاست کے لوگوں کو اعتماد میں لئے بغیر سرکار جو کچھ کر رہی ہے اس کے خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے صرف ان طاقتوں کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے جو ریاست اور باقی ملک کے تعلق کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اول تو جو یہ امینڈمینٹ لایا گیا ہے ٹیررسٹ اینڈ ڈسرپٹیو ایکٹیویٹیز پریوینشن امینڈمنٹ بل ۱۹۸۵ اس میں انہوں نے لکھا ہے اسٹیٹمینٹ آف آبجیکٹس اینڈ ریزنس میں۔

"as originally enacted provides for qualified application [illegible] Act to Jammu and Kashmir."

17.03

[Mr. Dy. Speaker in the Chair]

لیکن آج بہت کم مدت کے اندر جب کہ سدن کام نہیں کر رہا تھا پارلیمنٹ اور ہم سے پوچھے بغیر اور پریزیڈینٹ کو اس میں لا کر کانسٹی ٹیوشن کے اندر ایک تبدیلی لائی گئی اور اس طریقے سے جموں کشمیر کی کٹھ پتلی سرکار کو اعتماد میں لے کر ایک امینڈمینٹ لایا گیا ہے جو جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ جیسا کہ میں نے کہا کہ نہ صرف ناانصافی ہے بلکہ جموں کشمیر کو باقی ملک کے ساتھ جوڑنے کی جو کڑی دفعہ ۳۷۰ ہے اس کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج جب یہ بل لایا جا رہا ہے تو مجھے دکھ ہو رہا ہے۔ اس سے کوئی مقصد آپ کا پورا نہیں ہو گا۔ کانگریس آئی کمیٹڈ ہے کہ ۳۷۰ دفعہ رہنی چاہیئے۔ یا تو کانگریس آئی اٹھ کر کہے کہ ہمیں ۳۷۰ کو ریاست میں نہیں رکھنا ہے تو الگ بات ہے۔ کانگریس آئی کے ممبر پارلیمنٹ جموں کشمیر کے نام گیال جنک راج گپتا ڈوگرا صاحب یہ اسٹیٹ کرتا ہیں کہ ان کا دفعہ ۳۷۰ کے ساتھ اتفاق نہیں ہے پھر کانگریس کو ......

(انٹرپشنز)

شری پی۔ نام گیال:۔ ۳۷۰ کی وجہ سے ابھی تک ڈیلے ہوا ...... (انٹرپشنز)

شری عبدالرشید کابلی:۔ جموں کشمیر میں کانگریس کا یہ اسٹینڈ ہے کہ ۳۷۰ کو رہنا چاہیئے۔ کانگریس وہاں پر کہتی ہے کہ اگر کوئی ۳۷۰ کو پروٹیکشن دے رہا ہے تو وہ کانگریس دے رہی ہے۔ آج آپ ایک ** گورنمینٹ کو کانفیڈینس میں لے کر ۲ کانگریس ایم ایل ایز کی مدد سے یہ کانسٹی ٹیوشن امینڈمینٹ

**Not recorded.

لا رہے ہیں۔

........(انٹرپشنز)........

شری عبدالرشید کابلی: میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ........(انٹرپشنز)

Mr. Deputy Speaker : There is no point if you go on talling like that.

Shri Abdul Rashid Kabuli : Have patience with me, Sir.

Mr. Deputy Speaker : Mr. Kabuli, you are bringing another point. When yon are finishing, you want to create certain problems.

Shri Abdul Rashid Kabuli : You please go through the record and see what the congress MPs have said.

Mr. Deputy Speaker : You cannot accuse that Government here. You write to me whatever you want. I accept

(Interruptions)

شری عبدالرشید کابلی: اگر آپ نے یہ بل پاس کرانا تھا...... (انٹرپشنز)

آج کانگریس بھی اس سرکار کی مخالفت کر رہی ہے۔ ** **

(Interruptions)

Mr. Deputy Speaker : Nothing will go on record.

Shri Abdul Rashid Kabuli : **

**Not recorded.

Shri P. Namgyal : I rise on a point of order.

Mr. Deputy Speaker : I have told you, nothing will go on record, Pleas sit down.

Shri Abdul Rashid Kabuli : Why nothing will go on record ?** You don't allow me to speak.**

Mr. Deputy Speaker : You are accusing the other Government unnecessarily here. According to the rules you can speak; I will allow you.

Shri Abdul Rashid Kabuli : What rules ? Tell me the rules.

Mr. Deputy Speaker : You cannot accuse the State Government. State Government cannot be criticised here.

Shri Abdul Rashid Kabuli : Explain to me the Rule.

Shri P. Namgyal : You want to encourage terrorism in Jammu Kashmir. That is why you are opposing this Bill. **

(Interruptions)

Mr. Deputy Speaker : What is this ? **(Interruptions)**

Shri Abdul Rashid Kabuli : What is the purpose of my speaking, Sir ?

Shri P. Namgyal : The Central Government wants to curb those elements; that is why this Bill has been brought in.

** Not recorded.

شری عبدالرشید کابلی: آپ تو کمال کرتے ہیں۔

What is tne reason ? Tell me; explain to me.

Mr. Deputy Speaker : Whatever is relevant you speak. I will allow you.

Shri Abdul Rashid Kabuli : It is not unparliamentary. I did not say anything objectionable

Mr. Deputy Speaker : You go on criticising State Government. That I cannot allow.

(Interruptions)

Mr. Deputy Speaker : If it is objectionable, I will remove it.

Shri Abdul Rashid Kabuli : **

(Inturruptions)

میں آنریبل منسٹر صاحب سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے یہ بل لانا تھا تو آپ کو وہاں کے ۲۵ کانگریس آئی کے ایم ایل ایز اور ڈیفیکٹو گورنمنٹ کی مدد لینی چاہیے تھی۔ اس بل کو براہ راست ریاست کی اسمبلی میں آنا چاہیے تھا۔ جب آپ جموں کشمیر کے لوگوں کی باتیں کرتے ہیں تو اس بل کے لئے ڈیفیکٹو گورنمنٹ کی مدد سے کانسٹی ٹیوشن میں امینڈمینٹ کرنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے۔ ..... (انٹرپشنز)...

Mr. Deputy Speaker : Time is over. Please sit down. Now, Shri Ayyapu Reddy. Mr Kabuli, 10 minutes you have already taken.

Sri Abdul Rashid Kabuli : You did not allow me sufficient time they have disrupted me

Mr. Deputy Speaker : 10 minutes I allowed you I want to know one thing from you. Can I allow you hours together to speak ?

Shri Abdul Rashid Kabuli : You allowed everybody without interruption

Mr. Deputy Speaker : I am following the same rule. Each party gets time according to the rule. 10 minuts for you. You have exhausted.

Shri Abdul Rashid Kabuli : You have not given enough time.

Mr. Deputy Speaker : One minute I will allow. Please conclude.

شری عبدالرشید کابلی: ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ سرکاریا کمیشن آپ نے خود بنایا اور سینٹر اور اسٹیٹ کی ریلیشنشپ کے لئے۔ آپ یہ ڈیفائن کرنے جا رہے ہیں کہ سینٹر اور اسٹیٹ کے کتنے حقوق ہیں لیکن اس قانون کی مدد سے ان کے رائٹس کو کم کر رہے ہیں اور وہاں کی جو انٹرنل آٹونامی ہے اس پر چھاپہ ڈال رہے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو بل ہے یہ جی ایم شاہ کے ہاتھ میں آپ نے وہاں کی ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی کی مومنٹ کو کرش کرنے کے لئے ایک ہتھیار دیا ہے۔ ...... (انٹرپشنز) .....

اور جس قسم کا پروپیگنڈہ شری نام گیال کر رہے ہیں۔ ......(انٹرپشنز)

جماعت اسلامی ہو یا...... (انٹرپشنز)..... وہ بھی اس کے شریک ہیں...... (انٹرپشنز)

جماعت اسلامی کے لوگ اور یہ سارا پروپیگنڈہ جموں کشمیر میں باوجود ہم نے جو ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی کا موومینٹ پُرامن طور پر لایا تھا۔ ہماری نیشنل کانفرنس کو اس بات کا فخر حاصل ہے کہ ہم نے اس مومینٹ کو شانت پیس فل رہنے دیا اور آپ جس قسم کی ٹیررسٹس ایکٹیویٹیز کی بات کر رہے ہیں جموں کشمیر میں اس قسم کی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے۔ یدی ایسا کچھ اس سلسلے میں وہاں ہوا ہے تو آپ کی سرکار وہاں ہے۔ اس کے پاس کافی قانون ہیں۔ سرکار ان قانونوں کا استعمال کرکے وہاں ایکشن لے سکتی ہے۔ لیکن میں آپ کے مادیم سے بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں آپ شاہ گورنمنٹ کو ڈسلا کر کے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اس سے سارے ہندوستان کی ڈیموکریسی کو داغدار بنا رہے ہیں، اور اس طرح آپ بدنامی مول لے رہے ہیں۔ آرٹیکل ۳۷۰ کے تحت اور اسٹیٹ سینٹر ریلیشنس کے ماتحت جو ہمارے ادھیکار ہیں حقوق ہیں ان کو کاٹ کر آپ بے اطمینانی پیدا کر رہے ہیں جموں اور کشمیر کے لوگوں کے لئے اور نام گیال جیسے لوگ جن کو وہاں کے مسلمانوں نے بھی کافی ووٹ دئے ہیں۔ . . . (انٹرپشنز) . . . . جن کو مسلمانوں کے کافی ووٹ ملے ہیں۔ . . . . . . (انٹرپشنز) . . . . .

شری پی۔ نام گیال: یہاں ہندو اور مسلمان کا سوال نہیں ہے۔ وہ سیکولر اسٹیٹ ہے۔ . . (انٹرپشنز)

شری عبدالرشید کابلی: جتنے بھی اس قسم کے پرو پاکستانی ایلیمینٹس وہاں ہیں . . . . .

. . . . (انٹرپشنز) . . . . .

شری پی۔ نام گیال: مجھے فخر ہے کہ مجھے مسلمانوں نے بھی وہاں ووٹ دئے ہیں۔

Shri Priya Ranjan Das Munsi : Sir, I am on a point of order. There is a serious allegation against Mr. Namgyal. I hope this will not go on record.

(Interruptions)

Mr. Deputy Speaker : I want to listen to each one of you, not like that.

Shri P. Namgyal : I feel proud that Muslims have voted for me.

(Interruptions)

Shri G. L. Dogra : Sir, there is an allegation against Mr. Namgyal.

شری پی نامگیال: ان الفاظ کے ساتھ میں اس بل کی مذمت کرتا ہوں

(Interruptions)

Mr. Deputy Speaker : What is your point of order ?

Shri Priya Ranjan Das Munsi : Without prior notice and intimation to the Speaker or Chairman no sitting Member of the House can make any allegation by name calling another Member of the House and that too to the effect that Mr. Namgyal is opposed to the Muslims of Kashmir.

Shri Abdul Rashid Kabuli : I have not said that.

Shri Priya Ranjan Das Munsi : Please go through the record and expunged this remark.

Mr. Deputy Speaker : I will see to it. If it is unparliamentary, I will see.

(Interruptions)

Shri G. L. Dogra : I do not know why they are discussing like this and why you are allowing them.

Prof. Madhu Dandavate : Is anti-terrorism Bill applicable to the House, Sir ?

Mr. Deputy Speaker : Yes, yes.

(Interruptions)

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी (कुरनूल) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का उद्देश्य जम्मू और कश्मीर राज्य में आतंकवादी गतिविधियों की रोकथाम करना है। इस सीमा तक तो हमें निश्चित रूप से कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु मुख्य प्रश्न यह है कि क्या आप कश्मीर में राजनीतिक समझौता किये बिना केवल एक विधेयक पारित करके अपना उद्देश्य पूरा कर लेंगे। कृपया इस पर निष्पक्ष होकर बात कीजिये।

अब, राजीव गांधी ने पंजाब में एक समझौता करके जो प्रतिष्ठा हासिल की है, यदि वे कश्मीर में भी एक राजनीतिक समझौता कर दें तो उनकी प्रतिष्ठा और बढ़ जायेगी। यह अत्यन्त प्रसन्नता की बात है कि फारूख अब्दुल्ला ने हाल ही में कहा है और आज के समाचार पत्रों में यह समाचार है कि वह प्रधान मन्त्री से मिलने और उनसे सहयोग करने के लिए तैयार हैं। सहयोग की उनकी पेशकश को स्वीकार किया जाना चाहिए और राजनीतिमत्ता का प्रदर्शन किया जाना चाहिए। हाल ही में, एक महीने से पहले, हमें कश्मीर के कुछ गांवों में जाने का अवसर मिला था। मैं और कुछ अन्य संसद सदस्य कश्मीर राज्य में उनके गरीबी हटाओ कार्यक्रम के प्रभाव का अध्ययन करने कश्मीर में एक दूरस्थ गांव में गये थे। जब हम वहां गये, तो गांव वालों ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। बहुत कठिनाई के बाद हम उनसे बातचीत कर सके। महोदय फिर गांव के बुजुर्गों ने हमें चाय या काफी के लिए आमंत्रित किया। जब मैं वहां गया, मैं माननीय मन्त्री से अपनी बात सुनने का अनुरोध करता हूं, कि जब मैं वहां गया, तो वह तेजी से भागे और उन्होंने यह सोचा कि हम सभी कांग्रेसी हैं, और उन्होंने फारूख अब्दुल्ला की फोटो हटाने का प्रयास किया, उसे छिपाने का प्रयास किया। मैंने उन्हें बताया, "आपको अपनी भावनाएं और निष्ठा छिपाने की आवश्यकता नहीं है।" हम कश्मीर की घाटी, जिसे आपने भी देखा है, में डा० फारूख अब्दुल्ला का जन मानस पर प्रभाव देख सकते हैं। तथ्य यह है कि वह एक शक्ति है। तथ्य यह है कि कश्मीर में वह स्वयं में एक ताकत है। डा० फारूख अब्दुल्ला के बिना कश्मीर में राजनीतिक समझौते की बात सोचना 'प्रिंस आफ डेनमार्क' के बिना 'हेमलेट' नाटक करना होगा। आपको उनके साथ समझौता करना होगा। उनके साथ समझौता किए बिना, आज वहां जिस प्रकार की सरकार है, जो कृत्रिम है, कोई हल नहीं निकलने वाला है।

अब गम्भीर बात यह है कि पाकिस्तान समर्थक ताकतों और अलगाववादी ताकतों को प्रोत्साहन मिल रहा है। वहां पर एक राष्ट्रवादी और लोकतन्त्र का प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार होनी चाहिए।

मैं माननीय गृह मंत्री जी, जिन्होंने वहां पर कई बार सैकड़ों कांग्रेस (ई) कार्यकर्ताओं के समक्ष भाषण दिए हैं, को एक बात बता दूं। एक कांग्रेस-ई के सज्जन मुझसे बोले :

[श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी]

"हम अपने ऊपर एक लाश को ढो रहे हैं। निसन्देह इसमें से बदबू आ रही है परन्तु हमें नहीं पता इसे कैसे दफनाना है, कब दफनाना है और कहां दफनाना है।" यही शब्द थे। यह मेरे शब्द नहीं हैं। ये उन्हीं कांग्रेस-ई के सज्जन के शब्द हैं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मेरा विचार है, सत्तारूढ़ पक्ष को इस पर ध्यान देना चाहिए।

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : हमने हाल ही में दल-बदल विरोधी विधेयक पारित किया था। दल-बदल विरोधी अधिनियम के पीछे जो नैतिकता है, हम जो स्वच्छ राजनीति लाना चाहते हैं, जो साफ-सुथरी सरकार लाना चाहते हैं—और इस विधेयक का जो उद्देश्य है उसे आपको कश्मीर में लागू करना है। हाल ही में जम्मू और कश्मीर सरकार ने घोषणा की है कि कश्मीर राज्य सरकार का दल-बदल विरोधी अधिनियम कारगर है और जो मौजूदा महानुभाव वहां मन्त्री मण्डल पदों पर आसीन हैं, वे भी इस अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं। हर व्यक्ति जानता है कि इस समय कश्मीर में सरकार अस्थायी है। यह अस्थायीपन अधिक देर तक नहीं चलेगा और जितनी जल्दी इस अस्थायीपन को राजनैतिक तरीके से समाप्त किया जाये, उतना ही अच्छा है और इस अधिनियम को लागू करने के लिए विशेष न्यायालय स्थापित करना भी आपके लिए आवश्यक नहीं होगा।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : इससे पहले कि माननीय मन्त्री जी उत्तर देना शुरू करें, मैं केवल दो मिनट के लिए बोलना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : जी, नहीं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री जी उत्तर दे रहे हैं और आपको स्पष्टीकरण मिल जायेंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री जी उत्तर दे रहे हैं। मन्त्री जी जारी रखें। **(व्यवधान)**

प्रो० सैफुद्दीन सोज : कृपया बैठ जाइये। जब आपको समझ न आये तो आप पूछ सकते हैं। मन्त्री जी उत्तर दे रहे हैं। पहले उन्हें सुनिये।

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा विचार है कि इस विधेयक पर हमने काफी चर्चा कर ली है। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं किसी को अनुमति नहीं दूंगा। कृपया बैठ जाइये। मन्त्री जी उत्तर दे रहे हैं। कृपया बैठ जाइये। उन्हें अपना भाषण समाप्त करने दीजिये।

श्री एस० बी० चव्हाण : मैं उन सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने चर्चा में भाग लिया। मेरा विचार है कि दो सदस्यों को छोड़कर इस समय के शेष उन सभी सदस्यों ने, जो इस विधेयक पर बोले हैं, सभा के सम्मुख लाये गये इस संशोधन का सर्वसम्मति से समर्थन किया है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : आप मुझे गलत समझ रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

श्री एस० बी० चव्हाण : दो माननीय सदस्यों ने इस विधेयक का विरोध किया है। एक ने अध्यादेश की वजह से विरोध किया है और अगर मैं श्री काबुली की बात सही ढंग से समझता हूं तो दूसरे ने जोरदार विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि वह विधेयक के सर्वथा खिलाफ हैं, क्योंकि यह विधेयक उन शक्तियों की जड़ों पर प्रहार करता है जिसका जम्मू और कश्मीर राज्य अब तक उपयोग करता रहा है। यह विधेयक अनुच्छेद 370 की भावना के विरुद्ध है। मेरे विचार से यही इन्होंने कहा है। इन दो सदस्यों को छोड़कर·········

प्रो० सैफुद्दीन सोज : वे दो सदस्य कौन से हैं ?

श्री एस० बी० चव्हाण : उनका नाम बताना मेरे लिए आवश्यक नहीं है। जो माननीय सदस्य विधेयक के विरुद्ध बोले हैं वे केवल दो ही थे और जो शेष माननीय सदस्य बोले हैं उनके अपने कुछ विचार थे, परन्तु इसके साथ-साथ उन्होंने इस विधेयक का समर्थन किया है······

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैंने इसका समर्थन नहीं किया; यह बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए।

श्री एस० बी० चव्हाण : तब यह तीसरे सदस्य हैं, जिन्होंने इसका शायद विरोध किया है। मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहूंगा·········

प्रो० मधु दण्डवते : प्रो० सोज को दो मिनट बोलने दीजिए और इसका विरोध करने वाले चौथे सदस्य भी हो जायेंगे।

श्री एस० बी० चव्हाण : मेरा विचार है इन्होंने तो विरोध किया ही है। क्योंकि श्री काबुली

[श्री एस० बी० चव्हाण]

ने इसका विरोध किया है इसलिए मैं नहीं समझता कि इनकी कोई अलग विचारधारा हो सकती है। मैं इसे अच्छी तरह समझता हूं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मुझे एक अत्यन्त महत्वपूर्ण बात कहनी है।

श्री एस० बी० चव्हाण : आप बाद में मुझसे बात कर सकते हैं। यह कोई तरीका नहीं है। आप, हमेशा प्रजातांत्रिक प्रक्रिया और प्रजातांत्रिक कार्य-प्रणाली के बारे में बात करते हैं। क्या हमें इस तरह काम करना चाहिए। मुझे बड़े खेद के साथ आपसे कहना पड़ रहा है कि हमें सभा में इस तरह नहीं करना चाहिए।

मेरे विचार से जिस माननीय सदस्य ने अध्यादेश पर असहमति व्यक्त की है उसकी दो आपत्तियां थीं। एक तो यह थी कि एक महीने के अन्दर सभा की बैठक होने वाली थी इसलिए अध्यादेश जारी करने की क्या आवश्यकता थी और दूसरी आपत्ति यह है कि इस विधेयक के अन्तर्गत जो शक्तियां दी गयी हैं उनके दुरुपयोग किये जाने की सम्भावना है। यदि कोई ऐसा अवसर हो सकता है जब अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्तियों का इस्तेमाल हो सकता है तो मेरा विचार है कि यह सर्वथा उपयुक्त अवसर था। हमने जम्मू और कश्मीर सरकार की सहमति ली और दूसरे ही दिन—क्योंकि ये ऐसे मामले हैं जिनकी एक माह तक प्रतीक्षा नहीं की जा सकती··· (व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : महोदय, मुझे व्यवस्था का एक प्रश्न उठाना है।

एक माननीय सदस्य : किस नियम के अन्तर्गत ?

प्रो० सैफुद्दीन सोज : यह प्रश्न नियम 376 के अलावा कई नियमों के अधीन है।

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का प्रश्न क्या है ? किस नियम का उल्लंघन हुआ है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : प्रश्न यह है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, जम्मू और काश्मीर राज्य के लोगों ने पहले ही अपना मत व्यक्त कर दिया है··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इस तरह नहीं। मैं इसकी अनुमति नहीं देता।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : वहां कोई लोकप्रिय सरकार नहीं है। यह दल-बदलू सरकार है··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपके व्यवस्था के प्रश्न की अनुमति नहीं दी गयी है। कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा। (व्यवधान) **

श्री एस० बी० चव्हाण : इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं है कि बहुत से लोग आपको छोड़ गये। इस सभा में जिस तरह आप व्यवहार कर रहे हैं, इससे स्पष्ट पता चलता है कि मूलत: कुछ खराबी अवश्य है। इसीलिए, श्री फारूख अब्दुल्ला··· (व्यवधान) मैं इसके बारे में बाद में कहूंगा। आप दो अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग मापदण्ड इस्तेमाल कर रहे हैं···

प्रो० सैफुद्दीन सोज : आप यही कर रहे हैं।

श्री एस० बी० चव्हाण : इसके बारे में मैं बाद में कहूंगा। मेरा विचार है कि इस प्रश्न पर उत्तेजित होने के बजाय, हमें इस अधिनियम के उपबन्धों को जम्मू और कश्मीर पर भी लागू करने के पीछे कारणों को समझने का प्रयास करना चाहिए।

जम्मू और कश्मीर के लोग जिन शक्तियों का उपयोग करते रहे हैं—यह विधेयक उन शक्तियों को कैसे समाप्त करता है यह बात श्री काबुली से समझने का मैंने भरसक प्रयास किया है लेकिन मैं समझ नहीं पाया हूं। यह विधेयक अनुच्छेद 370 की भावना के भी विरुद्ध नहीं है। जहां तक इस अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने का प्रश्न है, निर्धारित कार्यविधि का पूरा अनुपालन किया गया है। मैं नहीं समझता कि यह अनुच्छेद 370 की भावना के विरुद्ध है। यह बिल्कुल अलग मामला है और यह अवसर इस बात पर चर्चा करने के लिए उपयुक्त नहीं है कि अनुच्छेद 370 संगत है या नहीं, इसे रखा जाना चाहिए अथवा हटाया जाना चाहिए। इसके लिए अलग से चर्चा की आवश्यकता है। मैं नहीं समझता कि यह अवसर अनुछेद 370 को बनाये रखने या उसे हटाये जाने पर चर्चा करने के लिए उपयुक्त है।

महोदय, कुछ माननीय सदस्यों के मन में यह आशंका है कि राज्य सरकारों को जो शक्तियां दी गयी हैं, उनका दुरुपयोग किया जा सकता है। इस अधिनियम के अन्तर्गत व्यापक शक्तियां दी गयी हैं। माननीय सदस्यों को याद होगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकारों को व्यापक शक्तियां दी गयी थीं। मैंने देखा है कि अधिकांश मामलों में जिनमें हिरासत में लेने की शक्तियों का प्रयोग किया गया है, राज्य सरकारों ने इसका पूरा प्रयोग किया है और माननीय सदस्य एक भी ऐसा मामला नहीं बता सकेंगे जिसमे केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की है।

** कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री एस० बी० चव्हाण]

माननीय सदस्यों को शायद इस तथ्य की जानकारी होगी कि जब पुलिस प्राधिकारियों के कहने पर नजरबन्दी के आदेश दिए जाते हैं तो मामला परामर्शदायी बोर्ड के पास जाता है, जिसकी अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा की जाती है। उसकी सहायता के लिए तीन या चार व्यक्ति होते हैं। परामर्शदायी बोर्ड द्वारा स्वीकृति दिए जाने के बाद मामला केन्द्रीय सरकार के पास आता है। यही वह समूची प्रक्रिया है जिसका पालन किया जा रहा है। मेरे लिए यह गारन्टी देना संभव नहीं है कि जब तक कोई मामला हमारे ध्यान में न लाया जाए, शक्तियों के दुरुपयोग का इक्का-दुक्का मामला न होता हो। हमारे निदेश बिलकुल स्पष्ट हैं कि पूरे मामले में ब्यौरेवार जांच की जानी चाहिए और इस राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत शक्तियों का दुरुपयोग न किया जाए। माननीय सदस्यों की अथवा सभा के बाहर माननीय सदस्यों की सामान्य राजनीतिक गतिविधियों और मजदूर संघ गतिविधियों में कोई कमी नहीं होनी चाहिये।

इस अधिनियम के अन्तर्गत भी हमने राज्य सरकारों को मार्गनिर्देश दिए हैं और यह अनुरोध किया है कि इन शक्तियों का बहुत कम प्रयोग किया जाए, जहां वे यह अनुभव करें कि कोई मामला वास्तव में ऐसा है जिस पर आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के उपबन्ध लागू करना आवश्यक है। केवल वास्तविक मामलों में ही मुकदमे चलाए जाएं और माननीय सदस्यों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस तथ्य के बावजूद कि दो महीने बीत गए हैं, मैंने पाया है कि मुश्किल से नौ राज्य सरकारों ने पदनामित न्यायालय स्थापित किए हैं; 4 हरियाणा में बनाए गए हैं; केवल 1 मामला रजिस्टर किया गया है; 4 पंजाब में बनाए गए हैं, 12 मामले रजिस्टर किए गए हैं; उत्तर प्रदेश में 3 न्यायालयों में 3 मामले; हिमाचल प्रदेश में 2 न्यायालयों में 1 मामला; सिक्किम में 1 न्यायालय में कोई मामला नहीं; चंडीगढ़ में 1 न्यायालय में 2 मामले, दिल्ली में 3 न्यायालयों में कोई मामला नहीं, राजस्थान में 4 मामले, गुजरात में 10 मामले दर्ज किए गए हैं। इस प्रकार 18 पदनामित न्यायालयों में कुल 33 मामले दर्ज किए गए हैं। इससे यह साफ पता चलता है कि उनको दी गई शक्तियों का बहुत कम प्रयोग किया जा रहा है। मैं नहीं समझता कि यदि माननीय सदस्य सीमाओं का अतिक्रमण करें तो उन्हें कोई विशेष रियायत मिलेगी, जैसा कि राजनीतिक गतिविधियों में किया जाता है। यदि आप सीमाओं का अतिक्रमण करते है और आतंकवादी अथवा विध्वंसकारी क्रियाकलापों की परिधि में आते है; तो मैं नहीं समझता कि आप इस अधिनियम के किसी उपबंध के अन्तर्गत बच पाएंगे। मैं नहीं समझता कि कोई माननीय सदस्य यह अपेक्षा करेगा कि जनसामान्य और इस सभा के माननीय सदस्य के बीच कोई भेद भाव किया जाये। प्रत्येक व्यक्ति के मामले में यह अधिनियम लागू होगा और जब तक आपके कार्य वर्तमान अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत माने जाएंगे, तब तक

इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है । परन्तु मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन दे सकता हूं कि हमने यह सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्य सरकारों को बहुत स्पष्ट मार्गनिर्देश दिए हैं कि इस अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का किसी राजनीतिक या मजदूर संघ गतिविधियों का दमन करने के लिए दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए ।

माननीय सदस्य, श्री राव ने यह उल्लेख किया था और मुझे विश्वास है कि अन्य सदस्यों ने भी केन्द्र-राज्य सरकार संबंधों के बारे में और सरकारिया आयोग के गठन के बारे में उल्लेख किया है और यह भी उल्लेख किया है कि इस आयोग को बड़ी संख्या में मामले भेजे गए हैं । माननीय सदस्यों ने एक विशेष कृतक बल के गठन की बात कही है ताकि इस कृतक बल द्वारा सभी गैर लाइसेंसशुदा और अवैध आग्नेयास्त्र कारखानों का पता लगाया जाए । मेरी जानकारी के अनुसार यह काम राज्य सरकारों का है, यदि माननीय सदस्य यह अनुभव करते हैं कि ये ऐसे मामले हैं जिनमें राज्य सरकारें अपनी शक्तियां केन्द्र सरकार को सौंपने को तैयार हैं, तो हम यह उत्तरदायित्व लेने को तैयार हैं बशर्ते कि सम्बद्ध राज्य सरकारें हमसे ऐसा प्रस्ताव करें । मैं नहीं समझता कि अब तक किसी भी राज्य सरकार ने, इस तथ्य के बावजूद कि ये शक्तियां उनके पास हैं, केन्द्र सरकार से यह अनुरोध किया है कि वे ये शक्तियां केन्द्र सरकार को वापस सौंपना चाहती हैं, ताकि हम अपनी ओर से उन सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकें । आखिरकार, केन्द्र और राज्य, दोनों, शान्ति बनाए रखने और अच्छे सम्बन्धों का उचित वातावरण बनाए रखने और आतंकवादी और विध्वंसकारी गतिविधियों जैसी असामान्य स्थिति को समाप्त करने के इच्छुक हैं ।

माननीय सदस्य, प्रो० रंगा ने मुझसे पूछा है कि क्या उन कुछ लोगों पर भी यह अधिनियम लागू होगा जो वास्तव में अत्यधिक अवांछनीय गतिविधियों में लिप्त हैं । मेरा विचार है हमारे माननीय वरिष्ठ सदस्य परिभाषा-खण्ड (3) को देखें, जो इस प्रकार है :

> "जो कोई विधि द्वारा स्थापित सरकार को आतंकित करने या जनता या जनता के किसी वर्ग में आतंक उत्पन्न करने या जनता के किसी वर्ग को पृथक करने या जनता के विभिन्न वर्गों के बीच समरसता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के आशय से......"

अतः यह काफी व्यापक है । इसलिए यदि राज्य सरकारें भले-बुरे पर भली भांति विचार करके यह निष्कर्ष निकालें कि यहां पर लोगों के एक वर्ग ने निश्चय ही आतंकवादी क्रियाकलापों में भाग लिया है, तो निःसन्देह वे इस अधिनियम के उपबन्धों को लागू कर सकती हैं । मेरा विचार है वे अपने महा अधिवक्ताओं से भी कानूनी राय ले सकते हैं और पता लगा सकते हैं । परन्तु प्रथम दृष्ट्या मैं यह अनुभव करता हूं कि इन वर्गों पर ये उपबन्ध निश्चय ही लागू किए जा सकते हैं ।

[श्री एस० बी० चव्हाण]

कुछ माननीय सदस्यों ने अन्य विषय उठाए हैं। मैं नहीं समझता कि मैं इसके बारे में ब्यौरे वार बताऊं और माननीय सदस्यों द्वारा विभिन्न विषयों पर उठाए गए मुद्दों का उत्तर दूं। उठाए गए मुद्दों में से एक शक्तियों के दुरुपयोग का है और अगला मुद्दा पुलिस अधिकारियों, अर्ध-सैनिक बलों और आसूचना अभिकरणों को विशेष प्रशिक्षण देने के बारे में है। जब तक उपयुक्त प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है और उन्हें उपयुक्त उपकरण नहीं दिए जाते हैं, तब तक अधिनियम के उपबन्ध भी प्रभावी नहीं होंगे। इस विषय पर अनेक सदस्य बोले हैं। गृह मंत्रालय की मांगों पर वाद-विवाद का उत्तर देते हुए मैंने स्पष्ट कर दिया था कि अब हम एक नए प्रबोधन पाठ्य-क्रम बनाने पर विचार कर रहे हैं। नए प्रकार का प्रशिक्षण देना होगा। प्रशिक्षण में ही बिल-कुल भिन्न प्रकार का प्रबोधन देना होगा। प्रारम्भिक अवधि में सेवा में रहते हुए प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी होगी। पहले और अब होने वाले अपराधों के स्वरूप में बहुत परिवर्तन आया है। अतः एक बिलकुल भिन्न प्रकार का दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक होगा। मैंने संबद्ध पुलिस अधिकारियों को बता दिया है। वे इसके लिए योजना तैयार कर रहे हैं।

इसी प्रकार आसूचना अभिकरणों को प्रशिक्षण देने के मामले पर बोलते समय दुर्भाग्यवश कभी-न-कभी यह उल्लेख कर देते थे कि आसूचना अभिकरण असफल हो गए हैं। दुर्भाग्यवश, दिल्ली में एक बहुत बुरी दुर्घटना हो गई थी, जिसमें हमारे एक बहुत सम्मानित साथी—वे और उनकी पत्नी मारे गए थे। एक महिला सदस्य ने उनको प्राप्त एक धमकी भरे पत्र का उल्लेख किया था। उन्हें उस माह की 27 तारीख को वह पत्र प्राप्त हुआ था। दुर्भाग्यवश, यह पत्र दुर्घटना वाले दिन और वह भी हत्या के बाद पुलिस को दिया गया था। 31 तारीख को पुलिस अधि-कारियों को जानकारी प्राप्त हुई। मेरे लिए यह कहना संभव नहीं है कि यदि उन्हें 27 तारीख को ही सूचना मिल जाती तो क्या वे उन्हें अपेक्षित संरक्षण देने के लिए कदम उठा लेते या नहीं। यह बिलकुल भिन्न बात है। परन्तु जहां तक रिकार्ड का सम्बन्ध है, मेरा विचार है कि रिकार्ड में यही रखा जाए कि सूचना सही नहीं थी कि पुलिस अधिकारियों को सूचना मिल गई थी और उन्होंने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की। यह जानकारी उन्हें दुर्घटना के बाद दी गई थी और इसीलिए वे इस पर कार्यवाही नहीं कर सके। परन्तु मैं आसूचना अभिकरणों का पक्षपोषण भी नहीं करना चाहता हूं। उन्हें उपयुक्त प्रशिक्षण दिया जाएगा और उनकी कुछ समस्याओं पर विचार किया जाएगा। हम ब्यौरेवार विचार कर रहे हैं। मैं इस समय सारे ब्यौरे देने में समर्थ नहीं हूं।

महोदय, मेरा विचार है कि माननीय सदस्यों ने यही विभिन्न विषय उठाए थे। मैं नहीं

समझता कि मुझे उठाए गए किसी मुद्दे का उल्लेख करने की आवश्यकता है। श्री नामग्याल ने पेट्रो-डालर और सीमा पर गड़बड़ी की स्थिति का उल्लेख किया है। हमें गलीचा उद्योग और वहां पर गलीचा उद्योग के काम करने के तरीके के बारे में जानकारी है। वास्तव में, गलीचा उद्योग बहुत अच्छा चल रहा है परन्तु यदि उनके पास निश्चय ही ऐसी कोई जानकारी है कि गलीचा उद्योग चलाने के नाम पर कुछ लोग पेट्रो-डालर कमा रहे हैं और कुछ विदेशी तत्व विध्वंसकारी गतिविधियों के लिए इस प्रकार की वित्तीय सहायता यहां पर ला कर दे रहे हैं, यदि माननीय सदस्य के पास ऐसी कोई जानकारी है तो उन्हें यहां पर बोलने के बजाय वह जानकारी हमें दे देनी चाहिए और यदि हम उसका उपयोग कर सके और उस पर कार्यवाही कर सके तो हमें प्रसन्नता होगी। न केवल श्री नामग्याल ही बल्कि किसी अन्य माननीय सदस्य के पास भी ऐसी जानकारी हो, तो यहां सभा में उसका उल्लेख करने के बजाय यदि वे हमें दे दें तो हम उसका स्वागत करेंगे।

महोदय, जम्मू और काश्मीर सरकार के बारे में काफी कुछ कहा गया है। चूंकि विपक्ष में तेलुगु देशम् भी है, मैं यह अच्छी तरह समझ सकता हूं कि वे दो सरकारों के बीच भेदभाव करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं—मैं समझता हूं कि दोनों के बीच एक निश्चित समानता है। आप चाहते थे कि चूंकि एन० टी० रामाराव को बहुमत प्राप्त है इसलिए वह वापस आयें।

प्रो० मधु दण्डवते : जनता ने उन्हें वापस लाना चाहा था।

श्री एस० बी० चव्हाण : तेलुगु देशम् दल ने भी यही चाहा था। क्या आपके कहने का अर्थ यह है कि तेलुगु देशम् यह नहीं चाहता था। तेलुगु देशम् दल भी यही चाहता था कि एन० टी० रामाराव को वापस लाया जाए ताकि वह सदन में अपने बहुमत का परीक्षण कर सकें।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : जम्मू और काश्मीर का नाटक भिन्न था। (**व्यवधान**)

श्री एस० बी० चव्हाण : यदि श्री अब्दुल्ला यह अनुभव करते हैं कि उन्हें विधान सभा में बहुमत प्राप्त है, तो हम उनका स्वागत करते हैं। वे वर्तमान सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव' दे सकते हैं और उनकी तथा अपनी संख्या का परीक्षण कर सकते हैं। ऐसा करने की बजाय वहां पर सदैव कुछ-न-कुछ चर्चा होती रहती है, प्रत्येक व्यक्ति स्थिति से लाभ उठाना चाहता है और यह कहता है कि यह एक कठपुतली सरकार है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : भारत के लोग यह कहते हैं कि वह एक कठपुतली सरकार है।

कुछ माननीय सदस्य : जी नहीं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : सारा भारत कहता है। **(व्यवधान)** भारत के लोग कहते हैं कि... सरकार है। **(व्यवधान)**

श्री एस० बी० चव्हाण : यदि आप बहुमत प्राप्त नहीं कर सकते तो आप शायद यही कहेंगे। मेरे विचार से मुझे इस बारे में और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। **(व्यवधान)**

श्री पी० नामग्याल : राज्य विधान सभा ने वहां बजट अनुदान पहले ही पारित कर दिया है और बाद में अध्यक्ष का चुनाव किया है। उस समय आप कुछ नहीं कर सके ! अब राज्य विधान सभा की दुबारा बैठक 17 को हो रही है और आप उस सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव रखसकते हैं। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आगे चर्चा की अनुमति नहीं है। **(व्यवधान)**

प्रो० सैफुद्दीन सोज : आप इस तथ्य को भूल रहे हैं। समूचा देश इसके बारे में जानता है। **(व्यवधान)**

श्री एस० बी० चव्हाण : अन्त में, मैं इस आरोप का खंडन करूंगा कि कांग्रेस दल और सरकार आतंकवादियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। यह बिल्कुल गलत है और मैं यह बात पसंद नहीं करता कि जिस माननीय सदस्य ने इस विषय पर बोला है, उसने इतना गम्भीर आरोप लगाने से पहले पूरी बात को जानने की कोशिश नहीं की। मैं पूरी तरह से इसका खंडन करता हूं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे व्यवस्था का एक प्रश्न उठाना है। एक संकल्प श्री जंगा रेड्डी ने रखा था और मेरा नाम सूची में दूसरे नम्बर पर था। वह यहां उपस्थित नहीं हैं और इसलिए वादविवाद को समाप्त किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने संकल्प प्रस्तुत नहीं किया है। श्री जंगा रेड्डी ने प्रस्तुत किया है। इसलिए, इस संबंध में बोलने का आपका कोई अधिकार नहीं है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : कृपया अब मुझे दो-तीन मिनट दीजिए। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं देता। कृपया बैठ जाइए। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जंगा रेड्डी शायद सभा में उपस्थित नहीं हैं। अब मैं उनका संकल्प सभा के समक्ष मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न है, कि :

"यह सभा 5 जून, 1985 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन अध्यादेश, 1985 (1985 का अध्यादेश सं० 4) को निरनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न है :—

"कि आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1985 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक

[**अनुवाद**]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खण्ड-वार विचार करेंगे ·

प्रश्न है :

"कि खण्ड 2 और 3 विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न है :

"विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

5.42 म०प०

बाल नियोजन (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम सभा की कार्य सूची की अगली मद पर विचार करेंगे। श्रम मंत्रालय में राज्य मन्त्री श्री टी० अन्जैया कृपया अपना विधेयक प्रस्तुत करें।

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री टी० अन्जैया) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि बाल नियोजन अधिनियम, 1938 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किए गए।"

महोदय, बाल नियोजन, अधिनियस, 1938 के अन्तर्गत खतरनाक समझे जाने वाले कतिपय विनिर्दिष्ट व्यवसायों में बच्चों को काम पर लगाने की मनाही है। फिर भी, देखा गया है कि ऐसे मामलों में, जहां मुकदमे चलाये गए है और सजा सुनायी गयी है, दण्ड आमतौर पर बहुत थोड़ा होता है।

इसलिए हमने दण्ड को बढ़ाने के लिए बाल नियोजन अधिनियम की धारा 4 में संशोधन करना आवश्यक समझा हे, ताकि उन नियोजकों पर निवारक प्रभाव पड़े, जो इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करते हैं।

विद्यमान दण्ड में, साधारण कारावास, जो एक महीने तक हो सकता है, अथवा जुर्माना, जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है या दोनों की व्यवस्था है। इस दण्ड को बढ़ाकर पहले अपराध के मामले में साधारण कारावास, जो तीन माह से कम नहीं होगा और जो एक वर्ष तक हो सकता है, तथा जुर्माना, जो पांच सौ रुपये से कम नहीं होगा लेकिन दो हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों—का उपबन्ध करने क्या प्रस्ताव है। न्यूनतम दण्ड की व्यवस्था की गयी है, ताकि बहुत कम सजा न दी जाए। दूसरे और उसके पश्चात् के अपराधों के लिए कड़ी सजा देने का प्रस्ताव है। कारावास छः महीनों से कम नहीं होगा, लेकिन दो वर्ष तक हो सकता है। लेकिन, न्यायालय, विशेष और पर्याप्त कारणों से जिन्हें उसके द्वारा अभिलिखित किया जाना होगा, छः महीनों से कम कारावास की सजा दे सकता है। हमारा विश्वास है कि इससे नियोजकों को अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने से हतोत्सहित करने में काफी मदद मिलेगी।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि बाल नियोजन अधिनियम, 1938 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि बाल नियोजन अधिनियम, 1938 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

डा० बी० वेंकटेश (कोलार) : उपाध्यक्ष महोदय, बाल कल्याण के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ की हाल में छपी एक रपट के अनुसार, विश्व में 5 से 14 वर्ष तक आयु वर्ग के 5 करोड़ 20 लाख बाल श्रमिकों में से 1 करोड़ 70 लाख, अर्थात् विश्व में बाल श्रमिकों की कुल जनसंख्या का एक तिहाई भाग भारत में है ।

भारत का कोई भी राज्य इस बुराई से मुक्त नहीं है । इसके सम्बन्ध में, सर्वाधिक प्रभावित राज्यों में से एक राज्य शायद तमिलनाडु है, जहां बच्चों से दियासलाई के कारखानों में अस्वच्छ वातावरण में जबरदस्ती काम कराया जाता है । तमिलनाड में रामनाथपुरम में दियासलाई के कारखानों में नियोजित 1 करोड़ कर्मचारियों में से, 45000 बच्चे हैं । 30 किलोमीटर दूरी तक के गांवों से बसें आदि बच्चों को लाती हैं । इन अभागे बच्चों को प्रात: 3 बजे और 5 बजे के बीच घर छोड़ना होता है और सायं 6 बजे और 9 बजे के बीच किसी समय वापिस घर पहुंचना होता है । दियासलाई के कारखानों में कार्यरत ये बच्चे दीर्घावधि में स्वास्थ्य हानि का खतरा उठाते हैं । उन्हें फास्फोरस, जिंक आक्साइड, जैसे हानिकारक रसायनों से काम करना पड़ता है । ये बच्चे अनियमित रूप से कार्य करते हैं, जिससे उन्हें 200 रुपए प्रतिमास से अधिक आमदनी नहीं होती । यह प्रथा कन्याकुमारी से लेकर काश्मीर तक पूरे भारत में निजी खानों में गुजरात और महाराष्ट्र में हीरे पालिश करने के उद्योगों में, मध्य प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश में सामग्री उद्योगों में, तमिलनाडु में होजरी उद्योगों में, उत्तर प्रदेश में रेशम और जरी उद्योगों में, फिरोजाबाद में चूड़ी उद्योग में प्रचलित बतायी जाती है ।

हमारे देश के हजारों गांवों में अधिकांश बाल मजदूर कार्यरत है । कृषि भूमि, पशुओं की देखभाल तथा चाय एवं काफी बागानों में बाल श्रमिकों के नियोजन के बारे में निश्चित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

दिल्ली तथा अनेक शहरों समेत सभी महत्वपूर्ण महानगरों में बाल मजदूर चाय की दूकानों में, होटलों, मोटर कर्मशालाओं में तथा फेरीवाले के रूप काम कर रहे हैं । लगभग 20,000 बालक केवल दिल्ली में जूता पालिश करने, दूध बांटने तथा समाचार-पत्र वितरण करने के काम में लगे हुए हैं ।

इसी प्रकार, कलकत्ता में लगभग 40,000 बालकों को अल्प कमाई के लिए अधिक समय तक काम करना पड़ता है । वे रद्दी उठाने का काम, घरेलू नौकर के रूप में, मोटर कर्मशालाओं

[डा० बी० वेंकटेश]
तथा चाय की दूकानों में काम करते हैं। बम्बई, मद्रास तथा बंगलौर में भी इससे भिन्न स्थिति नहीं है। जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं से वंचित करके, अभिभावक बच्चे को काम के लिए भेजते हैं और कभी-कभी बच्चे को बेच भी देते हैं। वर्तमान परिस्थितियों तथा वर्तमान सामाजिक ढांचे में बाल श्रम को समाप्त करना संभव नहीं है।

इस सम्बन्ध में बार-बार स्मरण कराये जाने के बावजूद कि बालक के मस्तिष्क का विकास 10 वर्ष की आयु तक, फेफड़ों का विकास 14 वर्ष की आयु तक मांसपेशियों का विकास 18 वर्ष की आयु तक होता है, बाल श्रम किसी बालक के सामान्य विकास में आड़े आता है, जिसके परिणाम-स्वरूप उसका शारीरिक तथा मानसिक विकास ठीक नही हो पाता और इससे असामान्य समाज का निर्माण होता है।

किसी बालक का संरक्षण या तो उसके मां-बाप कर सकते हैं या राज्य कर सकता है। इसके बावजूद किसी बालक के शैशव के अधिकार को यों ही समाप्त नहीं किया जा सकता। बाल वेश्यावृति, भिक्षावृत्ति, कठिन श्रम तथा बाल बंधुआ श्रम तथा छोटे बालकों के नियोजन जैसे शोषण के घृणित तरीकों को यों ही सहन नहीं किया जा सकता।

बाल श्रमिक को यह पता नहीं है कि वह एक बंधुआ मजदूर है अथवा प्रवासी गुलाम है अथवा एक स्थानीय कामगार है वह बिल्कुल ही असहाय, मूक तथा प्रतिरक्षा विहीन होता है, है, क्योंकि वह अनपढ़, मूक होता है, इसलिए उसे आसानी से धमकाया जा सकता है।

अध्ययन से यह भी पता चलता है कि अधिकांश बाल श्रमिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के होते हैं। विश्व बैंक के एक अनुमान के अनुसार, भारत में बालकों का परिवार की कुल आय में 23 प्रतिशत योगदान होता है। इस प्रकार बालक अपनी पढ़ाई छोड़कर सुबह से शाम तक शारीरिक श्रम करके परिवार की सेवा करता हैं। यद्यपि तमाम दुनिया में प्राथमिक शिक्षा को नि:शुल्क तथा अनिवार्य कर दिया गया है, तथापि अधिकांश बच्चे प्राथमिक स्तर पर ही स्कूल छोड़ देते हैं।

विभिन्न व्यवसायों तथा उद्योगों में नियोजक वयस्क कामगारों की तुलना में बाल श्रमिक को तरजीह देते हैं, क्योंकि बाल श्रम सस्ता है। इस तथ्य के अलावा कि बाल श्रमिक सस्ता है, नियोजकों को अधिक मुनाफा करवाता है, वे अपने अधिकारों तथा विशेषाधिकारों से भी अनभिज्ञ हैं और उन्हें व्यवसाय संघ बनाने की अनुमति भी नहीं दी जाती। यदि कोई बालक किसी संघ के पास अधिक मजदूरी के लिए आता है, तो वह उसके लिए कुछ नहीं कर सकता यदि वह औद्योगिक दुर्घटना में घायल हो जाता है तथा क्षतिपूर्ति चाहता है तो उसकी कोई भी सहायता नहीं कर सकता। यदि कोई शिकायत श्रम आयुक्त को की जाती है तो बालक को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। इस समस्या से निपटने के लिए दीर्घकालीन तौर पर कोई व्यापक दृष्टिकोण नहीं अपनाया गया है। बालक श्रमिक सम्बन्धी इस विधेयक के अधीन रोजगार, विनियमन, शिक्षा प्रशिक्षण तथा विकास की व्यवस्था होनी चाहिए। स्कूलों में मुफ्त पुस्तकें आहार की व्यवस्था करने के अतिरिक्त, सरकार को चाहिए कि वह अभिभावकों को अपने बच्चों को स्कूलों में रखने हेतु पर्याप्त प्रोत्साहन दें।

जहां साक्षरता की दर ऊंची होती है वहां बाल श्रम में तदनुसार कमी होती है।

इस विधेयक द्वारा सभी खतरनाक व्यवसायों में 15 वर्ष से कम आयु वाले बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 24 में उपबंधित है। इस विधेयक द्वारा गैर-खतरनाक व्यवसायों तथा रोजगार में लगे बाल श्रमिकों के कार्य की दशाओं नियोजन को भी विनियमित किया जाना चाहिए तथा शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, जीवनवृत्ति विकास तथा कल्याण का उपबन्ध किया जाना चाहिए।

इस विधेयक में बालक को एक कामगार के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए और अपने काम तथा जीवन-स्तर में सुधार करने हेतु उसे संघ बनाने का अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए। इसके साथ-साथ बाल-श्रमिकों के नियोजकों के लिए हतोत्साहित करने के लिए अनेक उपाय किए जाने चाहिए। आशा है कालान्तर में बाल श्रमिक के नियोजन का आकर्षण कम हो जाएगा और उनके नियोजन के मामले कम हो जाएंगे। इस विधेयक द्वारा काम के घंटे को घटाकर प्रति सप्ताह 30 घंटे तथा प्रतिदिन 6 घंटे कर दिये जाने चाहिए। इसमें अधिक समय कार्य की की कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए और इसके बदले में छुट्टियों सप्ताह में दो आधे दिन का अवकाश तथा मजदूरी के साथ वार्षिक छुट्टी की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस विधेयक में बाल श्रम विकास योजना का उपबन्ध किया जाना चाहिए जिसके तहत बालकों के लिए औपचारिक तथा गैर-औपचारिक शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा तथा जीवन-वृति विकास हेतु उपयुक्त व्यवस्था की जानी चाहिए।

इन गतिविधियों के लिए बाल श्रम बोर्डों की आवश्यकता हैं। इन गतिविधियों के वित्त-पोषित करने के लिए सभी कर्मकारों पर नियोजन कर लगाकर केन्द्रीय सरकार द्वारा बाल श्रम विकास निधि बनाए जाने की आवश्यकता है। धन्यवाद

श्री सोम नाथ रथ (आस्का) : महोदय, मैं श्रम मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करता हूं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 15 वर्ष से कम आयु के 173.6 लाख बच्चे देश में काम कर रहे हैं और उनकी संख्या इससे भी अधिक हो सकती है। ये बाल श्रमिक किसी यूनियन के सदस्य नहीं हैं और उनका शोषण किया जा रहा है, उनकी कठिनाइयों को बताने वाला कोई नहीं है और उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों का स्वास्थ्य के लिए हानिकारक व्यवसायों में नियोजन निःसन्देह विधि द्वारा निषिद्ध है। अधिनियमों की कोई कमी नहीं है। कमी इनके क्रियान्वयन में है। इसलिए, माचिस-कारखानों, हथकरघों, दरियों आदि जैसे खतरनाक व्यवसायों, में बाल कर्मकारों के नियोजन और काम की शर्तें विनियमित करने के लिए कदम उठाने चाहिएं। देखा गया है कि बाल श्रमिकों को केवल थोड़ा सा भोजन दे दिया जाता है, कोई मजदूरी नहीं दी जाती। कुछ राज्यों में जिला मजिस्ट्रेटों को पता लगा कि इन बच्चों को नियोजकों के घरों में बन्द रखा जाता है, उन्हें बाहर नहीं जाने दिया जाता और उनकी स्थिति बंधुआ मजदूरों से भी बदतर है। इसकी अवश्य जांच की जानी चाहिए। अनेक औद्योगिक दुर्घटनाएं होती हैं जिनकी संख्या धीरे-धीरे बढ़ रही है। नियोजक पर्यावरण को दूषित

[श्री सोम नाथ रथ]

कर रहे हैं और उनके कारखानों के समीप रहने वाले कार्यकारों तथा अन्य लोगों को इस कारण बहुत तकलीफ होती है और स्वयं कारखाने ही स्वास्थ्य के लिए खतरा बन गए हैं।

कारखाने में ही और उसके निकट रहने वाले बच्चे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वातावरण में रहते हैं।

रेशा उद्योग और अन्य उद्योगों में बच्चे ऐसी परिस्थिति में कार्य कर रहे हैं वहां वे बहुत से रोगों से ग्रस्त हैं जिसमें क्षय रोग भी शामिल है। सरकारी सहयोग से चल रहे कुछ कारखानों में भी कुछ सामाजिक संगठनों द्वारा निरीक्षण किए जाने पर पाया गया है कि 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के नाम पर बाल श्रमिकों का शोषण किया जा रहा है और उन्हें घर नहीं जाने दिया जाता तथा उन्हें काम के बदले कोई पारिश्रमिक या वेतन या मजदूरी नहीं दी जाती। हालांकि अधिनियमों में यह प्रावधान है कि खतरनाक कार्यों में बच्चों को लगाना और उनका शोषण करना निषिद्ध है। बाल नियोजन अधिनियम, 1938 के अन्तर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पर लगाने की भी मनाही है।

बालक (श्रम गिरवीकरण) अधिनियम, 1940 के अन्तर्गत बच्चे के वैधानिक अभिभावक या अभिरक्षक द्वारा बाल श्रमिक को गिरवी रखने की मनाही है। शिक्षु अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने की मनाही है। कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन की मनाही है। ऐसा प्रतीत होता है कि यहां दिल्ली स्थित हथकरघा तथा हस्तशिल्प निर्यात निगम भी इन अधिनियमों के उपबन्धों का अनुपालन करने के बजाय उनका उल्लंघन अधिक कर रहा है। कर्मकारों के संगठनों ने ये परिस्थितियां देखी हैं। ये लोग कारखानों में गए हैं और वहां के बाल श्रमिक की दयनीय स्थिति, उन्होंने स्वयं देखी है।

6.00 म० प०

ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशिक्षण के नाम पर सात वर्ष तक के बच्चों को भी काम पर लगाया जा रहा है। बच्चों को प्रशिक्षण के दौरान वास्तव में कोई मजदूरी नहीं दी जाती और उन्हें उपयुक्त खाना भी नहीं दिया जाता।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने यह कहते हुए कि बाल श्रमिकों को शिक्षा दी जानी चाहिए, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाना चाहिए और उनके कार्य की अवधि निर्धारित की जानी चाहिए, अनेक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए हैं। उन्हें नियमित मजदूरी दिए जाने का भी सुझाव दिया गया है। इसलिए इन सिफारिशों और सुझावों को ध्यान में रखते हुए मेरा सुझाव है कि श्रम मंत्रालय को बाल श्रमिकों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए व्यापक विधेयक पेश करना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, हम राष्ट्रीय बाल श्रम सलाहकार बोर्ड बना सकते हैं और राज्यों में भी इसी प्रकार के बोर्ड बना सकते हैं, ताकि ये बोर्ड उन स्थानों का निरीक्षण करें, जहाँ बच्चे काम करते हैं तथा यह सुझाव दें कि प्रस्तुत संशोधन स्वीकृत हो जाने के बाद विद्यमान अधिनियम को सर्वोत्तम ढंग से कैसे क्रियान्वित किया जा सकता है और बाल श्रमिकों के हितों की कैसे रक्षा की जा सकती हैं।

यह कोई असामान्य बात नहीं है। हर व्यक्ति जानता है कि कैन्टीनों, होटलों तथा अन्य स्थानों पर बच्चों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। बाल श्रमिकों को नियमित भोजन दिया जाना चाहिए।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) खड़े हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री डागा, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं। जब आप बोलते हैं तो आप किसी और को बीच में नहीं बोलने देते।

श्री रथ, क्या आप अपना भाषण जारी रखना चाहते हैं ?

श्री सोमनाथ रथ : जी, हाँ।

उपाध्यक्ष महोदय : तो आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

अब श्री गुलाम नबी आजाद—कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन।

कार्य मंत्रणा समिति

(दसवां प्रतिवेदन)

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का दसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब स्थगित होती है।

6.02 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 8 अगस्त 1985/17 श्रावण 1907 (शक) के ग्यारह बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : विंध्यवासिनी पैकेजिंग्स, दिल्ली-110053